वार्षिक रिपोर्ट

2019 2020

✦ हेवी इंजीनियरिंग ✦ मशीन टूल्स ✦ हेवी इलेक्ट्रिकल्स

✦ ऑटोमोबाइल ✦ सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम

सत्यमेव जयते

भारत सरकार

भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय

वार्षिक रिपोर्ट

2019—20

भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय

भारत सरकार

उद्योग भवन, नई दिल्ली—110 011

वेबसाइट : dhi.nic.in/dpe.nic.in

विषय वस्तु

भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय का सिंहावलोकन 1–3

भारी उद्योग विभाग (डीएचआई), विजन, मिशन 5

1. परिचय 7–12
2. भारी उद्योग विभाग के अधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम 13–24
3. हेवी इलेक्ट्रिकल, हेवी इंजीनियरिंग और मशीन टूल उद्योग 25–30
4. ऑटोमोटिव उद्योग 31–42
5. प्रौद्योगिकी उन्नयन तथा अनुसंधान एवं विकास 43–54
6. अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./दिव्यांगों और अल्पसंख्यकों का कल्याण 55
7. महिलाओं का सशक्तिकरण/कल्याण 56
8. सतर्कता 57–58
9. हिन्दी का प्रगामी प्रयोग 59–60
10. सेवोत्तम का कार्यान्वयन 61–66
11. सूचना का अधिकार 67

अनुबंध (I-XV) 68–98

संकेताक्षर 99–100

लोक उद्यम विभाग (डीपीई) विजन, मिशन 101

प्रस्तावना 103–104

1. लोक उद्यम सर्वेक्षण 105–107
2. केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों को स्वायत्तता 108–109
3. केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों के बोर्डों का कारपोरेट अभिशासन एवं व्यावसायिकता 110–112
4. केंद्रीय सरकारी उद्यमों में समझौता ज्ञापन प्रणाली 113–117
5. मजदूरी नीति और श्रमशक्ति यौक्तिकीकरण 118–119
6. केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों का वर्गीकरण 120
7. रूग्ण/घाटा उठाने वाले सीपीएसईज़ का पुनरुद्धार एवं पुनर्गठन 121–124
8. परामर्श, पुनर्प्रशिक्षण तथा पुनर्नियोजन (सीआरआर) 125–127
9. स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) 128
10. कार्यपालक प्रशिक्षण कार्यक्रम 129
11. कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) एवं सततता 130
12. केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों द्वारा अनुपालन रिपोर्ट 131
13. राजभाषा नीति 132
14. महिलाओं का कल्याण 133
15. योजना– वार व्यय का विवरण 134
16. केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों में अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और अन्य के लिए सेवाओं में आरक्षण 135–136

डीएचआई अनुबंध (I-XV)

I	भारी उद्योग विभाग के कार्य का आबंटन	68–69
I (क)	भारी उद्योग विभाग के अंतर्गत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की सूची (विनिवेश/बंद किए जाने की स्थिति के साथ)	70
II	भारी उद्योग विभाग के अंतर्गत केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की सूची (लाभ कमाने वाले/घाटे में चल रहे/परिसमापन के अधीन)	71–72
III	भारी उद्योग विभाग का संगठन चार्ट	73
IV	भारी उद्योग विभाग के अधीन सीपीएसई के बारे में सामान्य जानकारी	74
V	31.3.2019 की स्थिति के अनुसार भारी उद्योग विभाग के अधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में अजा, अजजा और अपिव सहित कर्मचारियों की स्थिति	75
VI	भारी उद्योग विभाग के अधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का उत्पादन निष्पादन	76
VII	भारी उद्योग विभाग के अधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का (कर पूर्व) लाभ (+) हानि (–)	77–78
VIII	भारी उद्योग विभाग के अधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के कारोबार के प्रतिशत के रूप में वेतन/मजदूरी बिल और सामाजिक उपरिव्यय	79–80
IX	भारी उद्योग विभाग के अधीन सीपीएसई के ऑर्डर बुक की स्थिति	81
X	भारी उद्योग विभाग के अधीन सीपीएसई का निर्यात निष्पादन	82
XI	31.3.2019 की स्थिति के अनुसार भारी उद्योग विभाग के अधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की प्रदत्त पूंजी, निवल मूल्य और संचयी लाभ	83
XII	मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियां (अध्याय –2019 की रिपोर्ट सं. 13 का अध्याय IV भारी उद्योग विभाग से संबंधित है)	84
XIII	बीएचईएल राइट–अप का ब्यौरा	85–89
XIV	बजट अनुमानों का ब्यौरा	90–91
XV	केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की सामान्य उद्देश्य वित्तीय रिपोर्ट–संघ सरकार (वाणिज्यिक)	92–98

डीपीई अनुबंध (I-XI)

1.	लोक उद्यम विभाग का संगठनात्मक ढांचा	137
2.	2018–19 के दौरान केंद्रीय सरकारी लोकउद्यमों का कार्यनिष्पादन	138
3.	महारत्न स्कीम की मुख्य विशेषताएं	139–140
4.	नवरत्न योजना की मुख्य विशेषताएं	141–144
5.	मिनीरत्न स्कीम की मुख्य विशेषताएं	145–147
6.	मिनीरत्न केंद्रीय सरकारी उद्यमों की सूची	148–150
7.	केंद्रीय सरकारी उद्यमों में कारपोरेट अभिशासन पर दिशानिर्देशों की मुख्य–मुख्य बातें	151–152
8.	2018–19 के वर्ष के लिए कारपोरेट गर्वेनेंस रिपोर्ट	153–170
9.	केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों की अनुसूची–वार सूची	171–178
10.	"रूग्ण/ शुरूआती तौर पर रूग्ण एवं कमजोर केंद्रीय सरकारी उद्यमों के पुनरूद्धार और पुनर्संरचना हेतु तंत्र को युक्तिसंगत बनानाः पुनर्संरचना हेतु सामान्य सिद्धांत एवं तंत्र" के लिए दिशानिर्देश	179–183
11.	रूग्ण/घाटे में चल रहे केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों (सीपीएसईज़) को समयबद्ध तरीके से बंद करने और उनकी चल एवं अचल परिसम्पत्तियों के निपटान हेतु दिशानिर्देश।	184–193
	अनुबंध	**194–195**

भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय का सिंहावलोकन

1.1 भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय, जिसमें भारी उद्योग विभाग तथा लोक उद्यम विभाग शामिल हैं, भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्री के अधीन कार्य करता है। यहां भारी उद्योग एवं लोक उद्यम राज्य मंत्री भी हैं। यह मंत्रालय देश में तीन क्षेत्रों अर्थात् पूंजीगत माल, ऑटो और हेवी इलेक्ट्रिकल उपकरणों के विकास और वृद्धि को बढ़ावा देता है, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के 29 उद्यमों और 5 स्वायत्त संगठनों को प्रशासित करता है तथा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसईज) एवं इनके सम्पूर्ण प्रशासन हेतु नीतिगत दिशानिर्देश बनाता है।

क. भारी उद्योग विभाग (डीएचआई)

1.2 भारी उद्योग विभाग के कार्य–आबंटन में मशीन टूल्स, हेवी इलेक्ट्रिकल, औद्योगिक मशीनरी और ऑटो उद्योग जैसे इंजीनियरी उद्योग को बढ़ावा देना तथा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के 29 उद्यमों एवं 5 स्वायत्तशासी संगठनों का कार्य देखना शामिल है। केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की सूची और उनका मौजूदा स्टेटस अनुबन्ध–I(क) पर दिया गया है। इस विभाग के अधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम विनिर्माण, परामर्शी और संविदाकारी सेवाओं में लगे हुए हैं। इस विभाग के अधीन आने वाले केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम बॉयलर, गैस/स्टीम/हाइड्रो टर्बाइन, औद्योगिक मशीनरी, टर्बो जेनरेटर, थ्री व्हीलर्स, ट्रैक्टर से लेकर कागज और नमक जैसे उपभोक्ता उत्पादों का व्यापक रूप से विनिर्माण करते हैं। यह मंत्रालय मशीन निर्माण उद्योग की भी देखरेख करता है और इस्पात, खनन, अलौह धातुओं, पावर, उर्वरक, तेल शोधक कारखानों, पेट्रोरसायन, पोत–परिवहन, कागज, सीमेंट, चीनी आदि जैसे बुनियादी उद्योगों के लिए उपकरणों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। यह विभाग अंतर–माध्यमिक इंजीनियरिंग उद्योग जैसे कास्टिंग, फोर्जिंग, डीजल इंजनों, औद्योगिक गियर्स और गियर बाक्सों की एक विस्तृत श्रेणी के विकास में सहायता प्रदान करता है। यह विभाग निम्नलिखित स्वायत्त संगठनों की भी देख–रेख करता है:

i. ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एआरएआई) 1966 में और एआरएआई–फोर्जिंग उद्योग प्रभाग, (एआरएआई–एफआईडी) को 2006 में पुणे, महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था।

ii. जुलाई, 1987 में स्थापित फ्ल्यूड कंट्रोल रिसर्च इंस्टिट्यूट (एफसीआरआई), पलक्कड़, केरल जो कैलीब्रेशन के लिए फ्लो उद्योग की आवश्यकता पूरी करता है।

iii. राष्ट्रीय ऑटोमोटिव परीक्षण तथा अनुसंधान एवं विकास अवसंरचना परियोजना (नेट्रिप) के कार्यान्वयन के मार्गदर्शन हेतु जुलाई, 2005 में स्थापित नेट्रिप कार्यान्वयन सोसाइटी (नेटिस)।

iv. ऑटोमोटिव क्षेत्र में सरकार के सभी प्रयासों के संचालन, समन्वय और तालमेल के लिए 2012 में स्थापित राष्ट्रीय ऑटोमोटिव बोर्ड (एनएबी)।

v. सेन्ट्रल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इंस्टिट्यूट (सीएमटीआई), जो एक अनुसंधान एवं विकास संगठन है, देश में प्रौद्योगिकी क्षेत्र का विकास करने और प्रौद्योगिकीय वृद्धि में सहायता करने पर ध्यान केंद्रित कर

रहा है। (सीएमटीआई का प्रशासनिक नियन्त्रण जनवरी, 2017 से आद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग से भारी उद्योग विभाग के पास आ गया)।

भारी उद्योग विभाग का कार्य–आबंटन **अनुबंध-I** पर दिया गया है।

1.3 यह विभाग केपिटल गुड्स, ऑटो और हेवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सेक्टर में विभिन्न उद्योग संघों के साथ निरंतर परामर्श करता है और उद्योग के विकास के लिए पहलों को प्रोत्साहित करता है। विभाग सहायक नीति, अन्य अंतःक्षेप जैसे प्रशुल्कों की पुनर्संरचना, प्रौद्योगिकीय सहयोग और अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों आदि के माध्यम से उनकी विकास योजनाओं की प्राप्ति में भी उद्योग की सहायता करता है।

1.4 भारी उद्योग विभाग का नेतृत्व भारत सरकार के सचिव द्वारा किया जाता है, जिनकी सहायता दिनांक 01.12.2019 की स्थिति के अनुसार 233 की समग्र स्वीकृत संख्या के साथ अधिकारियों एवं कर्मचारियों के एक दल (मंत्री के स्टॉफ को छोड़कर) द्वारा की जाती है। विभाग का संगठनात्मक चार्ट **अनुबंध-III** में दिया गया है।

ख. लोक उद्यम विभाग (डीपीई)

1.5 तीसरी लोकसभा (1962–67) की प्राक्कलन समिति ने अपनी 52वीं रिपोर्ट में एक ऐसे केन्द्रीयकृत समन्वयकारी एकक की स्थापना करने की आवश्यकता पर बल दिया था, जो सरकारी उद्यमों के कार्य–निष्पादन का निरंतर मूल्यांकन कर सके। इसके परिणामस्वरूप, वित्त मंत्रालय में वर्ष 1965 में लोक उद्यम ब्यूरो (बीपीई) की स्थापना की गई। सितम्बर, 1985 में संघ सरकार में मंत्रालयों/विभागों के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप, बीपीई को उद्योग मंत्रालय का एक हिस्सा बना दिया गया। मई, 1990 में बीपीई को एक पूर्ण विभाग बना दिया गया जिसे लोक उद्यम विभाग (डीपीई) के रूप में जाना जाता है। इस समय, यह भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय का एक हिस्सा है।

1.6 लोक उद्यम विभाग केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उद्यमों (सीपीएसई) के लिए एक नोडल विभाग है तथा यह सीपीएसईज से संबंधित नीति तैयार करता है। यह विशेष तौर पर सीपीएसईज में कार्य–निष्पादन में सुधार एवं मूल्यांकन, स्वायत्तता और वित्तीय प्रत्यायोजन, कार्मिक प्रबंधन में नीतिगत दिशा–निर्देश निर्धारित करता है। यह केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से संबंधित कई क्षेत्रों के बारे में लोक उद्यम सर्वेक्षण के रूप में जानकारी का संग्रहण और अनुरक्षण करने का कार्य भी करता है।

1.7 **अपनी भूमिका को पूरा करने के लिए, यह विभाग अन्य मंत्रालयों, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और संबंधित संगठनों के साथ समन्वय करता है। सरकार की कार्य–आबंटन नियमावली के अनुसार, लोक उद्यम विभाग को निम्नलिखित विषय आबंटित किए गए हैं:**

- औद्योगिक प्रबंधन पूल सहित तत्कालीन लोक उद्यम ब्यूरो से संबंधित अवशेष कार्य।
- सरकारी क्षेत्र के सभी उद्यमों को प्रभावित करने वाली सामान्य नीति से संबंधित मामलों का समन्वयन।
- समझौता ज्ञापन प्रक्रिया सहित सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के कार्य–निष्पादन का मूल्यांकन और अनुवीक्षण।
- सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए स्थायी मध्यस्थता कार्यतंत्र से संबंधित मामले।
- केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अधीन कर्मचारियों को परामर्श देना, प्रशिक्षण देना और उनका पुनर्वास करना।
- केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में प्रमुख परियोजनाओं और व्यय की समीक्षा करना।

- सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के कार्य–निष्पादन तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की क्षमता–निर्माण संबंधी अन्य पहलों में सुधार लाने के उद्देश्य से उपाय करना।
- सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के पुनरुद्धार, पुनर्गठन अथवा क्लोजर तथा उसकी प्रक्रिया के संबंध में सलाह देना।
- लोक उद्यमों के स्थायी सम्मेलन से संबंधित मामले।
- अंतर्राष्ट्रीय लोक उद्यम संवर्धन केन्द्र से संबंधित मामले।
- 'रत्न' का दर्जा देने सहित केन्दीय सार्वजनिक क्षेत्र के लोक उद्यमों का वर्गीकरण।
- लोक उद्यमों का सर्वेक्षण।

1.8 लोक उद्यम विभाग भारत सरकार के सचिव के नेतृत्व में कार्य करता है जिनकी सहायता 118 अधिकारियों/कार्मिकों की स्वीकृत संख्या वाली स्थापना द्वारा की जाती है। लोक उद्यम विभाग की संगठनात्मक संरचना **अनुबंध–I** पर दी गई है।

भारी उद्योग विभाग (डीएचआई)

विजन

ऑटोमोटिव और पूंजीगत वस्तु वैश्विक स्तर के प्रतिस्पर्धी, हरित और प्रौद्योगिकी–चालित भारी उद्योग विनिर्माण क्षेत्र का निर्माण करना जिनसे वृद्धि दर तेज हो और रोजगार सृजन हो सके।

मिशन

ऑटो, हेवी इलेक्ट्रिकल तथा केपिटल गुड्स सेक्टर को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी, विकासोन्मुख और लाभकर बनना तथा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को हरसंभव सहायता प्रदान करना ताकि वे अपने समग्र निष्पादन में सुधार कर सकें।

परिचय

1

अध्याय

1.1 उद्योग का कार्य–निष्पादन

1.1.1 सरकार अवसंरचना क्षेत्र सहित औद्योगिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए लगातार कदम उठा रही है, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ अनुकूल कारोबारी वातावरण बनाने के लिए एक नीतिगत ढाँचा तैयार करना, अवसंरचना नेटवर्क को सुदृढ़ करना और अपेक्षित इनपुट की उपलब्धता सुनिश्चित करना शामिल हैं। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति और प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है और उनका उत्तरोत्तर उदारीकरण किया गया है। सरकार ने कारोबार करना सरल बनाने के लिए भी अनेक उपाय किए है।

1.1.2 राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी के अनुसार, औद्योगिक क्षेत्र में सकल वर्धित मूल्य (जीवीए) में 2017–18 के 5.9% की तुलना में वर्ष 2018–19 में 6.9% की वृद्धि दर्ज की गई है। उद्योग के सकल वर्धित मूल्य में 2017–18 में जीवीए में 5.9% की वृद्धि की तुलना में वर्ष 2018–19 में 6.9% की वृद्धि दर्ज की गई है **(तालिका–I)**। वर्ष 2019–20 की पहली दो तिमाहियों के दौरान, विनिर्माण क्षेत्र में जीवीए में क्रमशः 0.6% और (–)1.0% की वृद्धि–दर दर्ज की गई है।

तालिका 1: मूल कीमत पर जीवीए की वृद्धि–दर (% में) (स्थिर कीमतों पर परिकलित) (2011–12)

उद्योग	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16*	2016-17 (दूसरा सं.प्रा.)	2017-18 (पहला सं.प्रा.)	2018-19 (अ.प्रा.)	2019-20	
								Q1	Q2
I. कृषि	1.5	5.6	-0.2	0.6	6.3	5.0	2.9	2.0	2.1
II. उद्योग	3.3	3.8	7.0	9.6	7.7	5.9	6.9	2.7	0.5
खनन और उत्खनन	0.6	0.2	9.7	10.1	9.5	5.1	1.3	2.7	0.1
विनिर्माण	5.5	5.0	7.9	13.1	7.9	5.9	6.9	0.6	-1.0
विद्युत, गैस और जल आपूर्ति	2.7	4.2	7.2	4.7	10.0	8.6	7.0	8.6	3.6
निर्माण	0.3	2.7	4.3	3.6	6.1	5.6	8.7	5.7	3.3
III. सेवाएं	8.3	7.7	9.8	9.4	8.4	8.1	7.5	6.9	6.8
व्यापार, होटल, परिवहन, प्रसारण से संबंधित संचार एवं सेवाएं	9.8	6.5	9.4	10.2	7.7	7.8	6.9	7.1	4.8

उद्योग	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16*	2016-17 (दूसरा सं.प्रा.)	2017-18 (पहला सं.प्रा.)	2018-19 (अ.प्रा.)	2019-20	
								Q1	Q2
वित्तीय सेवाएं, रियल एस्टेट और व्यावसायिक सेवाएं	9.7	11.2	11.0	10.7	8.7	6.2	7.4	5.9	5.8
लोक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाएं	4.3	3.8	8.3	6.1	9.2	11.9	8.6	8.5	11.6
मूल कीमत पर जीवीए	5.4	6.1	7.2	8.0	7.9	6.9	6.6	4.9	4.3

** तीसरा संशोधित प्राक्कलन, सं.प्रा.: संशोधित प्राक्कलन, अ.प्रा.: अनंतिम प्राक्कलन*

स्रोत: केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय, एमओएसपीआई

1.1.3 औद्योगिक निष्पादन का आकलन 2011–12 को आधार–वर्ष मानते हुए औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) के आधार पर किया जाता है जिसके अनुसार चालू वर्ष अर्थात् अप्रैल–अक्टूबर 2019–20 के पहले सात महीनों में इसमें 0.5% की वृद्धि दर्ज की गई। इस अवधि के दौरान, विनिर्माण क्षेत्र 0.5% बढ़ा और खनन और विद्युत सेक्टरों में क्रमशः (–)0.4% और 1.6% की वृद्धि दर्ज की गई।

1.1.4 आईआईपी के उपयोग आधारित वर्गीकरण के अनुसार, 2019–20 (अप्रैल–अक्टूबर) में केपिटल गुड्स क्षेत्र ने 11.3% वृद्धि दर्ज की है। अप्रैल–अक्टूबर, 2019–20 के दौरान मूलभूत सामान, अवसंरचना/निर्माण सामग्री, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं और उपभोक्ता गैर–टिकाऊ वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि सकारात्मक रही है। अप्रैल–अक्टूबर, 2019–20 में कैपिटल गुड्स, अवसंरचना/निर्माण सामग्रियों और उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं में नकारात्मक वृद्धि हुई **(तालिका–2)।**

तालिका 2: औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर (आधार: 2011–12) (प्रतिशत में)

सेक्टर	महत्व	2017–18	2018–19	2018–19 (अप्रैल–अक्टूबर)	2019–20 (अप्रैल–अक्टूबर)
क्षेत्रकीय वर्गीकरण					
खनन	14.37	2.3	2.9	3.9	-0.4
विनिर्माण	77.63	4.6	3.9	5.8	0.5
इलेक्ट्रिसिटी	7.99	5.4	5.2	6.8	1.6
समग्र	100.00	4.4	3.8	5.7	0.5
उपयोग आधारित वर्गीकरण					
मूलभूत वस्तुएं	34.05	3.7	3.5	5.1	0.2
पूंजीगत वस्तुएं	8.22	4.0	2.7	8.9	-12.0
अर्धनिर्मित वस्तुएं	17.22	2.3	0.9	1.5	11.3
अवसंरचना/निर्माण सामग्री	12.34	5.6	7.3	8.7	-2.4
उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं	12.84	0.8	5.5	9.4	-7.0
उपभोक्ता गैर–टिकाऊ वस्तुएं	15.33	10.6	4.0	4.6	4.3
आईआईपी	100.00	4.4	3.8	5.7	0.5

स्रोत: राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, एमओएसपीआई

1.2 भारी उद्योग विभाग को निम्नलिखित विषय/ औद्योगिक क्षेत्र भी आबंटित किए गए हैं:

(क) भारी इंजीनियरिंग उपस्कर एवं मशीन टूल्स उद्योग।

(ख) भारी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग उद्योग।

(ग) ऑटोमोटिव क्षेत्र, ट्रैक्टर्स और अर्थ मूविंग उपस्कर सहित।

1.3 3 मुख्य क्षेत्रों के अधीन 19 औद्योगिक उप–क्षेत्र निम्नानुसार हैं:.

i. बॉयलर
ii. सीमेंट मशीनरी
iii. डेयरी मशीनरी
iv. विद्युत भट्ठी
v. माल कंटेनर
vi. सामग्री हेंडलिंग उपस्कर
vii. धातुकर्म मशीनरी
viii. खनन मशीनरी
ix. मशीन टूल्स
x. तेल क्षेत्र उपस्कर
xi. मुद्रण मशीनरी
xii. लुगदी और कागज मशीनरी
xiii. रबड़ मशीनरी
xiv. स्विचगियर और कंट्रोल गियर
xv. शंटिंग लोकोमोटिव
xvi. शुगर मशीनरी
xvii. टर्बाइन और जेनरेटर सेट
xviii. ट्रांसफॉर्मर
xix. वस्त्र मशीनरी

1.4 भारी उद्योग विभाग के अधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम:

1.4.1 भारी उद्योग विभाग (डीएचआई) के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के 29 उपक्रम हैं, जिनमें से वर्ष 2018–19 के दौरान 10 सीपीएसई लाभ अर्जित कर रहे हैं और 12 घाटे में चल रहे हैं। शेष 7 सीपीएसई (और सीपीएसई का एक प्रभाग) को बंद किया जा रहा है। इसके अलावा, 14 सीपीएसई का आधिकारिक परिसमापक (ओएल) से इतर परिसमापन किया जा रहा है, भारी उद्योग विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सभी सीपीएसईज की सूची **अनुबंध–II** में है।

1.4.2 **अनुबंध–IV** में दिए गए ब्यौरे के अनुसार, इस विभाग के अधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के 29 उद्यमों में से प्रचालनरत 22 उद्यमों में कुल निवेश (सकल ब्लॉक) दिनांक 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार ₹9088.24 करोड़ था। केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के इन उद्यमों में कर्मचारियों की कुल संख्या 58532 है। अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. और पी. डब्ल्यू. डी. कर्मचारियों की संख्या **अनुबंध–V** में दिए गए ब्यौरे के अनुसार क्रमशः 10925, 7327, 20319 और 1019 है।

1.4.3 केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के प्रचालनरत 22 उद्यमों में से 10 उद्यम लाभ अर्जित कर रहे हैं और शेष 12 उद्यम घाटे में हैं। वास्तविक और लक्षित उत्पादन तथा लाभ का ब्यौरा निम्नवत है:

तालिका–3

(₹करोड़ में)

	2018–19 (वास्तविक)	2019–20 (अनुमानित)	2020–21 (संभावित लक्ष्य)
उत्पादन	**36168.52**	**34425.80**	**36198.21**
लाभ (+)/ हानि(-)	**1344.91**	**70.51**	**479.26**

*(उत्पादन, लाभ/हानि का केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यमवार ब्यौरा क्रमशः **अनुबंध-VI** और **VII** पर दिया गया है।)*

1.4.4 घाटे में चल रहे उद्यम वस्तुओं की लागत में वृद्धि के अलावा, कम क्रयादेश, कार्यशील पूंजी की कमी, अधिशेष जनशक्ति, पुराने संयंत्र और मशीनरी, परिवर्तित हो रही बाजार परिस्थितियों, उत्पाद प्रोफाइल/प्रौद्योगिकी और तीव्र प्रतिस्पर्धा के अनुरूप ढलने में कठिनाई सहित कई कारणों से ग्रसित हैं। केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकांश हानि उठा रहे उद्यमों में औद्योगिक मानदंडों से कहीं अधिक कर्मचारीगण और अत्यधिक उपरिव्यय की समस्याएं हैं। इस संदर्भ में, कारोबार की प्रतिशतता के रूप में वेतन/मजदूरी बिल और सामाजिक उपरिव्यय **अनुबंध–VIII** में दिए गए हैं।

1.4.5 दिनांक 01.10.2019 की स्थिति के अनुसार, विभाग के अधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के क्रयादेश ₹115541.99 करोड़ के हैं **(अनुबंध–IX)**। केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का एकमात्र निर्यातक उद्यम भेल है। भारी उद्योग विभाग के अधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का निर्यात संबंधी कार्य निष्पादन का ब्यौरा **अनुबंध–X** पर दिया गया है। इन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की सरकारी इक्विटी, निवल मूल्य और संचित हानि/लाभ के ब्यौरे **अनुबंध–XI** पर दिए गए हैं। निम्नलिखित 5 सीपीएसई ने वर्ष 2018–19 के लिए सरकार को लाभांश का भुगतान किया:–

तालिका– 4

सीपीएसई का नाम	(₹करोड़ में)
बीएचईएल	696.00
बीएंडआर	10.00
बीबीजे	10.88
आरईआईएल	2.48
एचएमटी (आई)	0.144

1.5 केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के पुनरुद्धार/ पुनर्गठन/ विनिवेश/ बंद करने के लिए भारी उद्योग विभाग द्वारा उठाए गए कदम:

1.5.1 भारी उद्योग विभाग केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के हानि में चल रहे उद्यमों के पुनरुद्धार की संभावनाओं का आकलन करने के लिए हानि में चल रहे प्रत्येक उद्यम का मूल्यांकन कर रहा है। इस प्रक्रिया के एक भाग के रूप में, जिन उद्यमों का कायाकल्प होने की संभावना है, उनके पुनरुद्धार/पुनर्गठन पर विचार किया जाता है और जो क्रमिक रूप से रुग्ण पाए जाते हैं उनके कर्मचारियों को देय क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के पश्चात उनका विनिवेश अथवा उनको बंद कर दिया जाता है। इस संबंध में भारी उद्योग विभाग द्वारा उठाए गए कदम निम्नानुसार हैं:

1.5.2 सरकार ने तुंगभद्रा स्टील प्रॉडक्ट्स लिमिटेड, होस्पेट, कर्नाटक के कर्मचारियों के लिए एक आकर्षक वीआरएस/वीएसएस की पेशकश तथा चल एवं अचल आस्तियों का निपटान और बकाया देयताओं का परिसमापन करते हुए 22.12.2015 को कंपनी को बंद करने का अनुमोदन दिया। इसके सभी कर्मचारियों ने वीआरएस ले लिया है और उन्हें कार्यमुक्त कर दिया गया है। कंपनियों के रजिस्टर से कंपनी का नाम हटाने के लिए अधिकांश गतिविधियां पूर्ण हो गई है और दिसम्बर, 2019 में कार्पोरेट कार्य मंत्रालय से केन्द्रीय मंत्रिमंडल के अनुमोदन के अनुसार कंपनी अधिनियम की धारा 248(1) के तहत कार्रवाई आरंभ करने का अनुरोध किया गया।

1.5.3 सरकार ने एचएमटी वाचिज लिमिटेड, एचएमटी चिनार वाचिज लिमिटेड और एचएमटी बेयरिंग्स लिमिटेड के कर्मचारियों के लिए आकर्षक वीआरएस/वीएसएस पैकेज की पेशकश करके तथा उनकी चल एवं अचल आस्तियों का निपटान सरकारी नीति के अनुसार करते हुए, 6 जनवरी, 2016 को इन्हें बंद करने का अनुमोदन दिया। तदनुसार, इन कंपनियों को बंद करने की कार्रवाई प्रगति पर है।

1.5.4 सरकार ने पिंजौर स्थित एचएमटी लिमिटेड की ट्रैक्टर इकाई के कर्मचारियों के लिए आकर्षक वीआरएस/ वीएसएस पैकेज की पेशकश करते हुए 27.10.2016 को कंपनी को बंद करने का अनुमोदन दिया।

1.5.5 सरकार ने हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड के कर्मचारियों के लिए एक आकर्षक वीआरएस/वीएसएस पैकेज की

पेशकश तथा चल एवं अचल आस्तियों का निपटान सरकारी नीति के अनुसार करते हुए, 28.09.2016 को इसे बंद करने का अनुमोदन दिया। तदनुसार, कंपनी को बंद करने की कार्रवाई प्रगति पर है।

1.5.6 सरकार ने 30.11.2016 को इंस्ट्रूमेन्टेशन लिमिटेड की कोटा इकाई को बंद करने और इंस्ट्रूमेन्टेशन लिमिटेड की पलक्कड़ इकाई का अंतरण केरल सरकार को करने का अनुमोदन दिया। इस संबंध में, सरकार ने इंस्ट्रूमेन्टेशन लिमिटेड की कोटा इकाई के कर्मचारियों को 2007 के नोशनल वेतनमानों पर आकर्षक वीआरएस/वीएसएस पैकेज का अनुमोदन दिया।

1.5.7 सरकार ने 21 सितम्बर, 2016 को रिचर्डसन एंड क्रूडास कंपनी लिमिटेड को औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बीआईएफआर) के दायरे से बाहर आने में समर्थ बनाने के प्रस्ताव का अनुमोदन दिया। इस प्रयोजनार्थ, सरकार ने कंपनी को दिए गए भारत सरकार के ₹101.78 करोड़ के ऋण को इक्विटी में बदलने और इस ऋण पर प्रोद्भूत ₹424.81 करोड़ के ब्याज को इक्विटी में बदलने का अनुमोदन दिया। इसके अतिरिक्त, सरकार ने इस कंपनी की नागपुर और चेन्नई इकाइयों के कार्यनीतिक विनिवेश और प्रचालन को मुंबई से कंपनी के किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने का सैद्धांतिक अनुमोदन दिया। तथापि, कंपनी की मुंबई स्थित भूमि को लीजहोल्ड से 'आक्यूपेशन क्लास II' में तब्दील किया जाएगा ताकि इसका सर्वोत्तम उपयोग किया जा सके।

1.5.8 सरकार ने, 27 अक्तूबर, 2016 को निम्नलिखित का अनुमोदन दिया:

- ब्रिज एंड रूफ कंपनी लिमिटेड, स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड और भारत पंप्स एंड कंप्रेसर्स लिमिटेड का 100% विनिवेश।
- हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड में संबंधित सीपीएसई की 100% शेयरधारिता का द्विस्तरीय नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से कार्यनीतिक क्रेता को विनिवेश।
- सीसीआई की इकाइयों का विनिवेश वहां किया जाएगा जहां ऐसा किया जाना द्विस्तरीय नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से कार्यनीतिक क्रेता को वैधानिक रूप से अनुमत्य है।
- इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड का इसके जैसे कार्य करने वाले सीपीएसई के साथ विलय।

  इस निर्णय को कार्यान्वित करने की आवश्यक कार्रवाई इस विभाग में जारी है।

1.6 केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों/नवरत्न और मिनीरत्न को स्वायत्तता

केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के महारत्न उद्यमों को पूंजीगत व्यय, कार्यनीतिक गठबंधन करने और मानव संसाधन नीतियां तैयार करने आदि के संबंध में अन्य के मुकाबले व्यापक स्वायत्तता प्रदान की गई है। भारी उद्योग विभाग के अधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के सात उद्यमों, नामतः बीपीसीएल, बीएंडआर, ईपीआई, एचएमटी (आई), एचएनएल, एचपीसी और आरईआईएल को मिनीरत्न का दर्जा प्रदान किया गया है। बेहतर प्रचालन संबंधी कार्यों के लिए केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के मिनीरत्न उद्यमों को भी कुछ और अधिक अधिकार प्रदान करते हुए सशक्त किया गया है।

1.7 समझौता ज्ञापन (एमओयू)

सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को अधिक स्वायत्तता दी जा रही है लेकिन अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उन्हें जवाबदेह बनाने हेतु तंत्र बनाए गए हैं। विभाग के तहत सभी सीपीएसई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर कर रहे हैं।

1.8 राष्ट्रीय ऑटोमोटिव परीक्षण और अनुसंधान एवं विकास अवसंरचना परियोजना (नैट्रिप)

राष्ट्रीय ऑटोमोटिव परीक्षण और अनुसंधान एवं विकास अवसंरचना परियोजना (नैट्रिप) भारत में

अत्याधुनिक ऑटोमोटिव परीक्षण, आधिकारिक प्रमाणन और अनुसंधान एवं विकास अवसरंचना सुविधाओं को स्थापित करने के लिए पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित परियोजना है। इस परियोजना का उद्देश्य ऐसी ऑटोमोटिव परीक्षण अवसंरचना को स्थापित करना है जो सुरक्षा और उत्सर्जन विनियम मानक पर खरी उतरे और जिससे निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए भारत की ऑटोमोटिव अनुसंधान एवं विकास क्षमताओं का भी विस्तार हो:

(क) अत्यंत जरूरी ऑटोमोटिव परीक्षण संबंधी अवसंरचना तैयार करना ताकि सरकार वैश्विक वाहन सुरक्षा, उत्सर्जन और कार्य–निष्पादन संबंधी मानकों को हासिल करने में समर्थ हो सके;

(ख) भारत में विनिर्माण को सुदृढ़ करना, बृहत मूल्यवर्द्धन को प्रोत्साहन देना जिससे रोजगार क्षमता/अवसरों में महत्वपूर्ण वृद्धि हो तथा सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स में भारत की सुदृढ़ता को अत्याधुनिक ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग के साथ जोड़ा जा सके;

(ग) निर्यात संबंधी बाधाओं को दूर करके इस क्षेत्र में भारत की वैश्विक पहुंच, जो काफी कम है, को बढ़ाना; और

(घ) ऑटोमोटिव उद्योग के लिए मूल उत्पाद परीक्षण, प्रमाणीकरण और विकास अवसंरचना संबंधी भारी कमियों को दूर करना।

1.8.1 पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए योजना (एनपीपीसीए सीसीआई और एवाईसीएल)

भारी उद्योग विभाग के अधीन, पूर्वोत्तर क्षेत्र में केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के निम्नलिखित उद्यम/इकाइयां स्थित हैं:–

i. हिन्दुस्तान पेपर कार्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसी) (नगांव और कछाड़ पेपर मिल्स), असम। यह राष्ट्रीय कंपनी विधि अभिकरण के अधीन है

ii. नगालैंड पल्प एंड पेपर कंपनी लिमिटेड (एनपीपीसी), नगालैंड। कंपनी प्रचालन में नहीं है।

iii. सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआई) (बोकाजन इकाई), असम।

iv. एंड्रयू यूल एण्ड कंपनी लिमिटेड (एवाईसीएल) (चाय बागान), असम।

एचपीसी और एनपीपीसी को कागज के विनिर्माण के लिए स्थापित किया गया था, जबकि सीसीआई और एवाईसीएल सीमेंट और चाय के विनिर्माण में हैं।

1.9 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की लेखापरीक्षा टिप्पणियां

सीएजी द्वारा निर्धारित अपेक्षा के अनुरूप, भारी उद्योग विभाग के कामकाज के संबंध में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियों का सार **अनुबंध–XII** में दिया गया है। बजट अनुमान **अनुबंध–XIV** में हैं।

2.0 विभाग के तीन वर्षों के लिए बजट अनुमान, संशोधित अनुमान और वास्तविक व्यय के ब्यौरे अनुबंध –XIV पर हैं।

2.1 केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की सामान्य उद्देश्य वित्तीय रिपोर्ट–केन्द्र सरकार (वाणिज्यिक) 2019 की संख्या 18। ब्यौरे अनुबंध –XV में हैं।

भारी उद्योग विभाग के अधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम

2 अध्याय

यह विभाग केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के 29 उद्यमों को (सीपीएसई) प्रशासित करता है। इन सीपीएसईज ने देश के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये सीपीएसईज भारी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग उपस्करों से लेकर सिविल निर्माण, भारी मशीनरी, परिशुद्ध औजारों, परामर्शी सेवाओं, चाय बागान आदि सहित अर्थव्यवस्था के विविध क्षेत्रों में योगदान दे रहे हैं। विभाग के अधीन प्रचालित सीपीएसईज के बारे में संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है।

2.1 एंड्रयू यूल एण्ड कम्पनी लिमिटेड (एवाईसीएल)

एंड्रयू यूल एण्ड कम्पनी लिमिटेड (एवाईसीएल) ने समझौता ज्ञापन में किए गए ₹233.05 करोड़ के लक्ष्य की तुलना में ₹199.46 करोड़ मूल्य का उत्पादन हासिल किया है, ₹198.54 करोड़ के लक्ष्य की तुलना में बिक्री ₹169.78 करोड़ की रही तथा समझौता ज्ञापन में निर्धारित ₹45.01 करोड़ के लक्ष्य की तुलना में सितम्बर, 2019 तक ₹ 2.48 करोड़ का निवल लाभ (पीबीटी) रहा। एवाईसीएल ने माह सितम्बर, 2019 तक 85.59% उत्पादन लक्ष्य और 85.52% बिक्री लक्ष्य हासिल किया। माह सितम्बर, 2019 तक आर्डर बुक की स्थिति ₹53.78 करोड़ है, जबकि लक्ष्य ₹88.10 करोड़ का था।

2.2 हुगली प्रिन्टिंग कम्पनी लिमिटेड का अद्यतनीकरण

हुगली प्रिन्टिंग कम्पनी लिमिटेड (एचपीसीएल), एंड्रयू यूल एंड कम्पनी लिमिटेड (भारत सरकार का एक उद्यम) की पूर्ण स्वामित्व वाली कम्पनी है। सचिवों की समिति (सीओएस) ने इसकी धारक कंपनी एवाईसीएल के साथ एचपीसीएल के विलय की सिफारिश की है। इसके प्रचालन बंद कर दिए गए हैं। विलय की प्रक्रिया चल रही है।

2.3 भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल)

बीएचईएल एक प्रमुख विद्युत उपकरण निर्माता है जो विश्वस्तर पर, विद्युत, ट्रांसमिशन, परिवहन, नवीकरणीय, जल, रक्षा तथा एयरोस्पेस, तेल एवं गैस, उद्योग, ऊर्जा भंडारण प्रणाली, ई–गतिशीलता तथा रेलट्रैक के विद्युतीकरण में ग्राहकों को उत्पादों, प्रणालियों और सेवाओं का एक व्यापक पोर्टफोलियो प्रदान करता है।

माननीय प्रधानमंत्री, श्री नरेंद्र मोदी को उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में तत्कालीन सीएमडी, बीएचईएल द्वारा पनकी टीपीएस के बारे में जानकारी दी गई।

बीएचईएल में 16 विनिर्माण इकाईयों, 2 मरम्मत इकाइयों, 4 क्षेत्रीय कार्यालयों, 8 सेवा केंद्रों, 1 सहायक उपक्रम, 3 सक्रिय संयुक्त उद्यमों, 15 क्षेत्रीय विपणन केंद्रों, 3 विदेशी कार्यालयों और भारत तथा विदेशों में 150 से अधिक परियोजना स्थलों पर मौजूदा परियोजना निष्पादन का व्यापक नेटवर्क है।

बीएचईएल द्वारा आपूर्ति किए गए विद्युत उत्पादक उपकरणों की दुनियाभर में स्थापित क्षमता 185 गीगावॉट से अधिक है – जो इसे भारतीय विद्युत संयंत्र उपकरण निर्माताओं के बीच निर्विवाद लीडर बनाता है।

अर्थव्यवस्था में योगदान

पॉवर सेक्टर

बीएचईएल दुनिया की उन कुछ कंपनियों में से है जिसके पास थर्मल, गैस, हाइड्रो और न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स को निष्पादित करने की सिद्ध क्षमताओं के साथ पावर प्लांट उपकरणों की पूरी श्रृंखला बनाने की क्षमता है। प्रस्तावों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- 1000 मेगावाट इकाई आकार तक के जीवाश्म–ईंधन अनुप्रयोगों के लिए बॉयलर, भाप टर्बाइन, जनरेटर और सहायक उपकरण
- फ्ल्यू गैस डिसल्फ्राइजेशन प्रणाली, उच्च दक्षता के इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसीपीटेटर और सलेक्टिव कैटालिस्टिक प्रणाली सहित उत्सर्जन नियंत्रण उपकरण।
- 299 मेगावाट (आईएसओ) इकाई आकार तक के गैस टर्बाइन और जेनरेटर
- 400 मेगावाट इकाई आकार तक के हाइड्रोटर्बाइन और जनरेटर
- 220/235/540/550/700 मेवा. ई न्यूक्लियर टर्बाइन जेनरेटर सेट, स्टीम जेनरेटर और रिएक्टर हेडर।

उद्योग क्षेत्र

बीएचईएल अर्थव्यवस्था के मुख्य क्षेत्रों के लिए विभिन्न औद्योगिक प्रणालियों और उत्पादों का एक अग्रणी निर्माता है। संचालन के प्रमुख क्षेत्रों और प्रस्तावों में परिवहन, नवीकरणीय ऊर्जा, ई–गतिशीलता, रक्षा एवं एयरोस्पेस, कैप्टिव पॉवर प्रोजेक्ट्स, जल, पारेषण शामिल हैं।

बीएचईएल ने अबतक, विदेशी बाजारों में लगभग 11 गीगा वाट बिजली उत्पादन क्षमता स्थापित की है, और अतिरिक्त 6 गीगा वाट निष्पादन के अधीन है।

निष्पादन हाईलाइट

बीएचईएल ने प्रचालन ईबीआईडीटीए, में सुधार और वर्ष के लिए लाभ में महत्वपूर्ण वृद्धि प्रदान की है।

वित्त वर्ष 2018–19 में टर्नओवर ₹29349 करोड़ था, जबकि वित्त वर्ष 2017–18 में ₹27850 करोड़ था जो पिछले वर्ष की तुलना में 5.4% की वृद्धि को दर्शाता है। वित्त वर्ष 2017–18 के मुकाबले वित्त वर्ष 2018–19 में परिचालन से राजस्व 5.3% बढ़ा है।

वित्त वर्ष 2017–18 में ₹2626 करोड़ के मुक़ाबले वित्त वर्ष 2018–19 में ईबीआईडीटीए, ₹2820 करोड़ था जो 7.4% की वृद्धि को दर्शाता है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2017–18 में ₹1585 करोड़ के मुक़ाबले वित्त वर्ष 2018–19 में ₹2058 करोड़ का कर–पूर्व–लाभ दर्ज किया जो 29.8% की वृद्धि को दर्शाता है। वित्त वर्ष 2018–19 में शुद्ध लाभ (पीएटी) ₹1215 करोड़ रहा ।

कंपनी ने वित्त वर्ष 2018–19 में ₹23859 करोड़ के ऑर्डर हासिल किए, जिसमें पावर सेगमेंट में ₹ 15490 करोड़, इंडस्ट्री सेगमेंट में, ₹7016 करोड़ और इंटरनेशनल ऑपरेशंस में ₹1353 करोड़ के ऑर्डर शामिल हैं।

2018–19 के दौरान, बीएचईएल ने शेयरधारकों को ₹1628.30 करोड़ के कुल प्रदत्त इक्विटी शेयरों के 5.16% का बायबैक किया।

बीएचईएल वर्ष 2018–19 के लिए श्री अनंत गीते, तत्कालीन माननीय केंद्रीय मंत्री, भा.उ. एवं लो.उ. एवं तत्कालीन माननीय राज्यमंत्री, भा.उ. एवं लो.उ. श्री बाबुल सुप्रियो को अंतरिम लाभांश का चेक देते हुए।

बीएचईएल ने वित्त वर्ष 2018–19 के कुल लाभ से ₹0.80 प्रति इक्विटी शेयर के अंतरिम लाभांश (₹2/– प्रत्येक इक्विटी शेयर पर 40% की दर से) के लिए ₹278.57 करोड़ की राशि का भुगतान किया है और ₹1.20 प्रति इक्विटी शेयर (₹2 / – के इक्विटी शेयर पर 60% / – प्रत्येक की दर से) अंतिम लाभांश के लिए ₹417.85 करोड़ की राशि का भुगतान किया है।

विवरण अनुबंध–XIII में दिया गया है।

2.4 बीएचईएल– ईएमएल

बीएचईएल– ईएमएल, अनुसूची 'C' कंपनी के रूप में वर्गीकृत बीएचईएल और केरल सरकार की एक संयुक्त उद्यम कंपनी (जेवीसी) है। इसमें कंपनी बीएचईएल की हिस्सेदारी इक्विटी पूंजी का 51% हिस्सा है और शेष 49% केरल सरकार / केईएल के पास है। बीएचईएल–ईएमएल ने केरल इलेक्ट्रिकल एंड एलाइड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड (केईएल) की कासरगोड इकाई को 28.03.2011 से अधिग्रहित किया है। इसमें अचल संपत्ति (परिसर), अधोसंरचना, मानव संसाधन और बौद्धिक संपदा अधिकारों सहित उत्पाद पोर्टफोलियो के अधिकार सम्मिलित हैं। इस जेवीसी को अल्टरनेटर और अन्य रोटेटिंग मशीनों का निर्माण कार्य सौंपा गया था।

बीएचईएल–ईएमएल ने 28.03.2011 को अपना प्रचालन शुरू किया। बीएचईएल–ईएमएल वर्तमान में घाटे उत्पन्न करने वाली कंपनी है। नीति आयोग की अनुशंसा के आधार पर बीएचईएल–ईएमएल में बीएचईएल की हिस्सेदारी/अंशों को केरल सरकार को हस्तांतरित किया जाना है।

बीएचईएल ने ₹1 / – के नाममात्र मूल्य पर बीएचईएल की 51% हिस्सेदारी केरल सरकार को हस्तांतरित करने और कार्यशील पूंजी ऋण एवं उस पर अर्जित ब्याज के परित्याग को स्वीकृति दी थी। भेल–ईएमएल ने भेल–ईएमएल में बीएचईएल के अंशों/हिस्सेदारी को अधिगृहित करने हेतु सहमति व्यक्त की है।

बीएचईएल ने केरल सरकार के उनकी संपूर्ण हिस्सेदारी/अंशों को पारस्परिक सहमति पर क्रय करने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। केरल सरकार ने बीएचईएल की 51% हिस्सेदारी/अंश को ₹1 / – के नाममात्र मूल्य पर क्रय करने एवं सहमति प्राप्त 'अंशों के क्रय पर अनुबंध' में वर्णित नियम व शर्तों के आधार पर क्रय आदेश एवं इसके साथ संलग्न 'अंशों के क्रय पर अनुबंध' को अनुमोदित कर दिया है।

2.5 ब्रेथवेट, बर्न एंड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

द ब्रेथवेट, बर्न एंड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (बीबीजे) को पूर्वी भारत की तीन मुख्य इंजीनियरी कंपनियों अर्थात् ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड (40%), बर्न एंड कंपनी लिमिटेड (30%) और जेसप एंड कंपनी लिमिटेड (30%) द्वारा किए गए अंशदान से भारतीय कंपनी अधिनियम, 1913 के तहत 26.01.1935 में शामिल किया गया था।

दिनांक 17.09.1986 को भारत भारी उद्योग निगम लि. को (बीबीयूएनएल) धारक कंपनी के रूप में शामिल किया गया। कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत तत्कालीन धारक कंपनी नामतः भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड (बीबीयूएनएल) के समस्त शेयरों के अंतरण के परिणामस्वरूप बीबीजे ''सरकारी कंपनी'' बन गई और 13.08.1987 से बीबीयूएनएल के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बन गई।

भारत सरकार के आदेश के परिणामस्वरूप, अंतरणकर्ता कंपनी के रूप में इस कंपनी (बीबीजे) का विलय 01.04.2015 को अंतरिती कंपनी के रूप में भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड में कर दिया गया था। इसके बाद, बीबीयूएनएल का 18.11.2015 को द ब्रेथवेट बर्न एंड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (बीबीजे) के रूप में पुनः नामकरण कर दिया गया है।

बीबीजे को बीआईएफआर को नहीं भेजा गया। तथापि, कंपनी को स्थायी आधार पर अर्थक्षम उद्यम बनाने के लिए, बीबीजे के वित्तीय पुनर्गठन प्रस्ताव का अनुमोदन भारत सरकार द्वारा जुलाई, 2005 में किया गया था। तब से कंपनी लगातार निवल लाभ और सकारात्मक नेटवर्थ प्राप्त कर रही है। वित्तीय वर्ष 2009–10 से बीबीजे ने अपनी संचित हानि को पूरी तरह से समाप्त कर लिया और अपने प्रोमोटर अर्थात भारत सरकार को लाभांश का भुगतान कर दिया है।

भारत सरकार को नियमित रूप से लाभांश का भुगतान करके बीबीजे को ''लाभांश का भुगतान करने वाला केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम'' के रूप में चिह्नित किया गया।

हाल ही में, बीबीजे ने दिनांक 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार ₹120.86 करोड़ की अपनी इक्विटी शेयर पूंजी के 9% की दर से ₹10.88 करोड़ के लाभांश का भुगतान किया जिससे ₹2.24 करोड़ का कार्पोरेट लाभांश कर अधिक हुआ।

2.6 ब्रिज एण्ड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड (बीएंडआर)

ब्रिज एण्ड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड (बीएंडआर) को जनवरी, 1920 में बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड की एक सहायक कंपनी के रूप में स्थापित किया गया था। तत्पश्चात्, यह पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन वर्ष 1972 में सरकारी कंपनी बन गई। जून 1986 में, बीएंडआर का प्रशासनिक नियंत्रण भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय को सौंप दिया गया और बाद में इसे 1987 में धारक कंपनी मैसर्स भारत यंत्र निगम लिमिटेड (बीवाईएनएल), इलाहाबाद के नियंत्रण में लाया गया। भारत सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के परिणामस्वरूप, बीवाईएनएल दिनांक 06.05.2008 से बीएंडआर की धारक कंपनी नहीं रही और यह सीधे भारी उद्योग विभाग के नियंत्रणाधीन आ गई। कंपनी के पूंजी पुनर्गठन और सुदृढ़ीकरण के प्रस्ताव को भारत सरकार द्वारा दिनांक 02.09.2005 को अनुमोदित किया गया था।

ब्रिज एंड रूफ कंपनी हाइड्रोकार्बन, विद्युत, एल्यूमिनियम, इस्पात, रेलवे आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सिविल और मैकेनिकल निर्माण कार्यों तथा तैयारशुदा परियोजनाओं के क्षेत्र में एक प्रमुख निर्माण और इंजीनियरी कंपनी है।

कंपनी 2007–08 से लाभ अर्जित कर रही है और 2010 में इसे मिनीरत्न श्रेणी–I का दर्जा प्रदान किया गया। विगत कुछ वर्षों के दौरान बीएंडआर का कार्य–निष्पादन काफी अच्छा रहा है। वर्ष 2018–19 के दौरान कंपनी का कारोबार ₹51.42 करोड़ के कर–पूर्व लाभ के साथ ₹3082.41 करोड़ था। बीएंडआर ने अक्तूबर, 2019 में भारत सरकार को ₹9.94 करोड़ का लाभांश अदा किया।

2.7 रिचर्डसन एंड क्रूडास (1972) लिमिटेड (आरएंडसी)

रिचर्डसन एंड क्रूडास (1972) लिमिटेड (आरएंडसी) को वर्ष 1973 में संसद के अधिनियम द्वारा भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित किया गया था। यह अनुसूची 'ग' श्रेणी की और भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है। इसकी चार इकाइयां हैं: मुंबई में भायखला और मुलुंड में दो, नागपुर और चेन्नई में एक–एक। यह इस्पात संरचनाओं के फेब्रिकेशन और इरेक्शन, प्रेशर वेसल्स के फेब्रिकेशन, बॉयलर ड्रम्स, हॉट प्रैस्ड डिश्ड एंड्स, ट्रांसमिशन लाइन टॉवर्स, पर्यावरण के अनुकूल इंजीनियरिंग प्रयोगशाला सेवाएं मुहैया कराने और उप–नगरों के अनुरक्षण करने जैसे कार्यों में लगी हुई है। वर्ष 2018–19 में कंपनी का कुल कारोबार ₹22.94 करोड़ के कर–पूर्व लाभ के साथ ₹42.70 करोड़ रहा। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 21 सितम्बर, 2016 को कंपनी का वित्तीय पुनर्गठन करने की स्वीकृति दी। मंत्रिमंडल के निर्णय को कार्यान्वित किया जा रहा है।

2.8 भारत पम्प्स एंड कंप्रेसर्स लिमिटेड (बीपीसीएल)

भारत पम्प्स एंड कंप्रेसर्स लिमिटेड (बीपीसीएल) को उत्तर प्रदेश के नैनी, इलाहाबाद में विनिर्माण सुविधा सहित वर्ष 1970 में शामिल किया गया था। यह कंपनी तेल अन्वेषण और दोहन, तेल शोधन कारखानों, पेट्रो–रसायन, रसायन और उर्वरक और संबंधित डाउनस्ट्रीम उद्योगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हेवी ड्यूटी पंप्स एंड कंप्रेसर्स तथा उच्च दाब वाले सीवनरहित सीएनजी गैस सिलेण्डरों/कासकेड के विनिर्माण और आपूर्ति का काम करती है। यह कंपनी आईएसओ 9001–2000, आईएसओ 14001: 2004 और ओएचएसएएस 18001–2007 के साथ एकीकृत प्रबन्धन प्रणाली प्रमाणीकरण से प्रत्यायित है। यह कंपनी एपीआई 7के लाइसैंस अथवा स्लश पंप के कलपुर्जों का विनिर्माण करने के लिए भी प्रत्यायित है।

बीपीसीएल के लिए दिसम्बर, 2006 में पुनरुद्धार पैकेज स्वीकृत किया गया था। यह कंपनी पहले बीआईएफआर को संदर्भित रूग्ण कंपनी थी जो फरवरी, 2007 में स्वयं ही बीआईएफआर के अधिकार–क्षेत्र से बाहर आ गई। अगले तीन वर्ष के दौरान बीपीसीएल ने अच्छा कार्य–निष्पादन किया। तथापि, वर्ष 2018–19 के दौरान कम क्रयादेश, आर्थिक मंदी, विदेशी कंपनियों के आगमन, घरेलू विनिर्माताओं की वृद्धि आदि की वजह से कंपनी ने ₹38.42 करोड़ की निवल हानि दर्ज की।

आर्थिक कार्यों संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने दिनांक 27 अक्तूबर, 2016 को आयोजित अपनी बैठक में सीसीईए टिप्पणी सं. 3/14/2016–डीआईपीएएम–II बी, दिनांक 14 अक्तूबर, 2016 और डीआईपीएएम की दिनांक 18 अक्तूबर, 2016 की पूरक टिप्पणी पर विचार किया और बीपीसीएल के संबंध में कार्यनीतिक विनिवेश हेतु ''सैद्धांतिक'' अनुमोदन दिया। विनिवेश का पहला राउंड हो गया है, लेकिन इस दौर की समाप्ति पर भी बीपीसीएल के लिए कोई बोलीकर्ता नहीं है।

2.9 त्रिवेणी स्ट्रकचरल्स लिमिटेड

नैनी, उत्तर प्रदेश में अवस्थित त्रिवेणी स्ट्रकचरल्स लिमिटेड (टीएसएल) को 1965 में शामिल किया गया था। कंपनी में विद्युत पारेषण, संचार और टीवी प्रसारण हेतु ऊंचे टावरों और खंभों, हाइड्रो मैकेनिकल उपस्कर, प्रेशर वैसल्स आदि जैसे भारी इस्पात संरचना उत्पादों के विनिर्माण की सुविधा थी। कंपनी रुग्ण हो गई और बीआईएफआर को भेज दी गई। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के दिनांक 08.10.2013 के आदेश के अनुसरण में कंपनी परिसमापनाधीन है।

2.10 तुंगभद्रा स्टील प्रॉडक्ट्स लिमिटेड (टीएसपीएल)

यह कंपनी होस्पेट (कर्नाटक) में कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सरकारों के साथ भारत सरकार के एक संयुक्त उद्यम के रूप में 1960 में स्थापित की गई थी। यह कंपनी हाइड्रोलिक संरचनाओं, पेनस्टॉक्स, भवन संरचना, पारेषण, लाइन टावरों, ईओटी और गेन्टरी क्रेनों आदि के डिजाइन, विनिर्माण और इरेक्शन की सुविधाओं से युक्त है। सीसीईए ने दिनांक 22.12.2015 को इस कंपनी को बंद करने का अनुमोदन दिया। वर्तमान में टीएसपीएल ने अपना प्रचालन बंद कर दिया है और सभी कर्मचारियों ने वीआरएस स्वीकार कर लिया है और उन्हें कार्यमुक्त कर दिया गया है।

टीएसपीएल का बंदीकरण अग्रिम चरण में है और अधिकांश विनियामक आवश्यकताओं का पहले ही अनुपालन किया जा चुका है। आयकर, वैट/बिक्री कर और सीआईएसएफ को देय ब्याज जैसी कुछ देनदारियों का भुगतान आर्थिक कार्य विभाग द्वारा अनुदान–सहायता के रूप में आवश्यक निधियों का जारी करने के बाद किया जाएगा।

2.11 हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड

भूमिगत टेलीफोन केबलों (पॉलिथीन इंसुलेटेड जेली फिल्ड केबल और ऑप्टिकल फाइबर केबल) के निर्माण के लिए वर्ष 1952 में रूपनारायणपुर में एचसीएल की स्थापना की गई थी। वायरलेस तकनीक की शुरुआत के कारण कंपनी के कारोबार में तेजी से कमी आई। एचसीएल 1995–96 से घाटे में चलने लगी। चूंकि कंपनी का कुल निवल मूल्य घट गया था, एचसीएल को नवंबर 2002 में बीआईएफआर को संदर्भित कर दिया गया।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिनांक 28.09.2016 को अपनी बैठक में कंपनी को बंद करने का निर्देश दिया। मंत्रिमंडल के निर्णय को लागू करने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

2.12 हेवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन लिमिटेड (एचईसीएल)

हेवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन लिमिटेड (एचईसी) रांची को 31 दिसम्बर, 1958 को लौह और इस्पात उद्योग तथा खनन, धातुकर्म तथा इंजीनियरिंग उद्योगों जैसे अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए उपस्करों और मशीनरी के डिजाइन और विनिर्माण के क्षेत्र में स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता हासिल करने के प्रमुख उद्देश्य से शामिल किया गया था। इसकी तीन विनिर्माण इकाइयां और एक टर्न–की परियोजना प्रभाग है अर्थात्:–

- **हेवी मशीन बिल्डिंग प्लांट (एचएमबीपी)**

यह यूनिट इस्पात संयंत्रों के लिए उपस्करों की विस्तृत श्रृंखला, जैसे ब्लास्ट फर्नेस व रोलिंग मिल्स आदि, ईओटी क्रेन तथा वैगन टिपलर्स आदि जैसे मेटिरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट, खनन उद्योगों के लिए 5 और 10 घन मीटर के उत्खनक जैसे उपकरण, क्रशर्स, ड्रेग लाइन्स और माइन विंडर्स आदि जैसे उपकरणों की व्यापक श्रृंखला का निर्माण करता है। इसके अतिरिक्त यह विभिन्न सेक्टरों से प्रौद्योगिकीय संरचनाओं के आदेशों को भी निष्पादित करता है।

- **हेवी मशीन टूल्स लिमिटेड प्लांट (एचएमटीपी)**

यह यूनिट सीएनसी हेवी ड्यूटी मशीन टूल्स सहित भारी मशीन टूल्स तथा रेलवे, रक्षा, पावर और अन्य क्षेत्रों के लिए अपेक्षित

विशेष प्रयोजन वाले सभी प्रकार के मशीन टूल्स का निर्माण करती है।

- **फाउंड्री फोर्ज प्लांट (एफएफपी)**

यह रेलवे के लिए बी.जी. क्रैंक शाफ्ट के अलावा, विद्युत, नाभिकीय और अन्य क्षेत्र के लिए विभिन्न किस्म की भारी एवं मध्यम कास्टिंग्स, फोर्जिंग तथा रोल्स का निर्माण करती है। यह यूनिट एचएमबीपी और एचएमटीपी के लिए फीडर यूनिट के रूप में भी कार्य करती है।

- **टर्नकी परियोजना प्रभाग**

यह कम तापमान कार्बनीकरण संयंत्रों, कोल हैंडलिंग संयंत्रों, कोल वॉशरीज, सिंटरिंग संयंत्रों, निरंतर कास्टिंग प्लांट्स और कच्चा माल देखरेख प्रणाली आदि क्षेत्रों में टर्नकी परियोजनाओं का कार्य देखता है।

उपस्करों/सुविधाओं की खराब होती स्थिति के साथ–साथ कार्यशील पूंजी की अत्यधिक कमी से 2013–14 से इसका कार्य–निष्पादन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। इसके अतिरिक्त, पुराने क्रयादेशों को पूरा करने से लागत पर और अधिक प्रभाव पड़ा और कंपनी को प्रचालन हानि होने लगी। क्रेताओं को समय पर भुगतान न किए जाने के मुद्दे की वजह से आउटसोर्सिंग जैसे प्रयासों से भी फायदा नहीं हुआ। एलडी और उपबंधों सहित सामग्री की लागत में बढ़ोतरी और अन्य व्यय के कारण वर्ष 2017–18 की तुलना में वर्ष 2018–19 के दौरान प्रचालन हानि में बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2018–19 में उत्पादन और कारोबार क्रमशः ₹340.22 करोड़ और ₹356.21 करोड़ का रहा जबकि 2017–18 के दौरान यह क्रमशः ₹393.38 करोड़ एवं ₹399.08 करोड़ का था। कंपनी को 2018–19 के दौरान ₹256.24 करोड़ की प्रचालन हानि हुई जबकि 2017–18 के दौरान यह हानि ₹111.94 करोड़ थी।

एचईसी की आधुनिकीकरण योजना और इसकी कारोबार योजना की व्यवहार्यता का आकलन करने के लिए दिनांक 26.07.2016 को भारी उद्योग विभाग द्वारा डॉ. वी.के सारस्वत, सदस्य, नीति आयोग की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति स्थापित की गई थी। विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जिस पर भारत सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है।

एचईसी रूस और यूरोपिय कंपनियों के साथ अनेक तकनीकी सहयोगों के माध्यम से अपने प्रौद्योगिकीय आधार में सुधार करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है।

2.13 एचएमटी लिमिटेड

एचएमटी लिमिटेड भारत की प्रमुख इंजीनियरी कम्पनी समूह में से एक है, जिसे भारत सरकार द्वारा 1953 में शामिल किया गया था। इसका उद्देश्य देश के लिए औद्योगिक इमारतों का निर्माण करने के लिए अपेक्षित मशीन टूल्स का उत्पादन करना था। स्विटजरलैंड के मैसर्स ऑरलिकोन के सहयोग से बंगलौर में एक विनिर्माण इकाई की स्थापना की गई थी। समय के साथ कम्पनी ने घड़ियों, ट्रैक्टरों, प्रिंटिंग मशीनों, खाद्य प्रसंस्करण मशीनरी, प्रेसों, बियरिंग्स आदि जैसे विभिन्न उत्पादों का विनिर्माण शुरू कर दिया तथा इन उत्पादों के लिए, सम्पूर्ण देश में अर्थात् बंगलौर, हैदराबाद, अजमेर, कोचीन के समीप कलमासेरी, चंडीगढ़ के नजदीक पिंजौर, बंगलौर के निकट तुमकुर, नैनीताल के निकट रानीबाग और कश्मीर में श्रीनगर जैसे स्थानों पर विनिर्माण कम्पनियां स्थापित कीं।

भारत सरकार की नई आर्थिक नीतियों की पहल के फलस्वरूप, वैश्वीकरण की चुनौतियों का सामना करने तथा समकालीन व्यापार मॉडल के साथ–साथ चलने के लिए कंपनी का पुनर्गठन वर्ष 2000 में कम्पनी की पुनर्गठित धारक कम्पनी के तहत अपने विभिन्न व्यापारिक पोर्ट–फालियो के आधार पर सहायक कम्पनियों का निर्माण करके किया गया था। धारक कंपनी की 06 सहायक कंपनियां है जैसे एचएमटी मशीन टूल्स लि. (एचएमटी एमटीएल), एचएमटी वाचिंज लि. (एचएमटी डब्लूएल), एचएमटी चिनार वाचिंज लिं (एचएमटी सीडब्लूएल), एचएमटी बियरिंग लि. (एचएमटी बीएल), एचएमटी (इंटरनेशनल) लि. (एचएमटीआई) और प्राग टूल्स लि., जबकि ट्रैक्टर कारोबार और खाद्य प्रसंस्करण मशीनरी कारोबार का सीधे ही प्रबंधन किया जाता था।

बाद में प्राग टूल्स लि. को एचएमटी मशीन टूल्स के साथ विलय कर दिया गया और बाद में सीसीईए ने 06 जनवरी, 2016 को अपनी बैठक में एचएमटी डब्लूएल, एचएमटी सीडब्लूएल और एचएमटी बीडब्लूएल के बंदीकरण की मंजूरी दी। अक्तूबर, 2016 के दौरान, केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भी एचएमटी ट्रैक्टर डिवीजन के बंदीकरण की मंजूरी दी (इन उद्यमों की बंदीकरण प्रक्रिया

प्रगति पर है)। उपर्युक्त बंदीकरण के निर्णयों के परिणामस्वरूप, धारक कंपनी–एचएमटी लि. अब सीधे केवल औरंगाबाद में खाद्य प्रसंस्करण मशीनरी डिवीजन का प्रबंधन करता है जबकि एचएमटी (आई) और एचएमटी एमटीएल इसकी दो प्रचालनरत सहायक कंपनियां हैं।

कंपनी और इसकी प्रचालनरत सहायक कंपनियों का विस्तृत ब्यौरा निम्नानुसार है:

एचएमटी लिमिटेड (एचएमटीएल)

एचएमटी लिमिटेड, धारक कंपनी, ट्रैक्टर कारोबार और खाद्य प्रसंस्करण मशीनरी कारोबार का स्वयं प्रबंधन करती है। खाद्य प्रसंस्करण मशीनरी प्रभाग महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है और यह इकाई विभिन्न प्रकार की डेयरी मशीनरी तथा खाद्य प्रसंस्करण अनुप्रयोगों का विनिर्माण करती है। एचएमटी लि. अब लाभ कमा रही है।

2.14 एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड (एचएमटी एमटीएल)

एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड एक प्रौद्योगिकी– चालित कंपनी है जिसके बैंगलोर में कार्पोरेट मुख्यालय के साथ छः विनिर्माण यूनिटें और एक केन्द्रीकृत विपणन प्रभाग हैं। छह विनिर्माण यूनिटें बैंगलोर (कर्नाटक), पिंजौर, (हरियाणा), क्लामासेरी (केरल), हैदराबाद (02) (तेलंगाना) और अजमेर (राजस्थान) में स्थित हैं और विपणन प्रभाग का उपभोक्ताओं की बिक्री एवं सेवा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समूचे देश में विपणन और बिक्री नेटवर्क है। घरेलू तथा निर्यात दोनों प्रकार के बाजारों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए एचएमटी एमटीएल प्रिंटिंग मशीनों और डाई कॉस्टिंग तथा मोल्डिंग मशीनों सहित मेटल कटिंग एवं मेटल फॉर्मिंग मशीनों का विनिर्माण करती है। कंपनी को अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा और रक्षा तथा रेलवे आदि क्षेत्रों में विशेष उपयोग के लिए उपकरणों व मशीनों की आपूर्ति करने में विशेषज्ञता प्राप्त है। एचएमटी मशीन टूल्स लि. की चार यूनिटों ने प्रचालन लाभ कमाना शुरू कर दिया है।

2.15 एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड (एचएमटीआई)

एचएमटी लिमिटेड की एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में वर्ष 1974 में शामिल एचएमटी (आई) एक मिनी–रत्न कंपनी है जो एचएमटी समूह की निर्यात शाखा है तथा समूह की आयात आवश्यकताओं को भी पूरा करती है। एचएमटी (आई) को देश में सर्वश्रेष्ठ निर्यात कंपनी में से एक माना जाता है जिसका 38 से अधिक देशों का वैश्विक नेटवर्क है और अन्य भारतीय विनिर्माताओं के उत्पादों की भी बिक्री करती है, टर्नकी इंजीनियरिंग परियोजना आरंभ करती है और व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों, आईटी प्रशिक्षण केन्द्रों, एसएमई विकास केन्द्रों, औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों,विभिन्न देशों में उद्यमी प्रशिक्षण और विकास केन्द्रों की स्थापना करने में अपना एक स्थान बनाया है। टूल रूम्स और प्रशिक्षण केन्द्रों के क्षेत्र में टर्न–की परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर मुख्य बल दिया जाता है।

2.16 इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड,कोटा (आईएलके)

इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड (आईएल), कोटा की स्थापना 1964 में एक पूर्ण स्वामित्व वाले केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के रूप में प्रमुख औद्योगिक सेक्टरों नामतः विद्युत, इस्पात, तेल रिफाइनरी आदि की नियंत्रण एवं इंस्ट्रूमेन्टेशन (सीएंडआई) की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने और इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए की गई थी। कंपनी का अपना पंजीकृत कार्यालय और मुख्यालय कोटा, राजस्थान में है और डिजीटल नियंत्रण प्रणाली, दूरसंचार उत्पादों, रेलवे सिग्नल उत्पादों आदि के लिए कोटा में और कन्ट्रोल वॉल्व्स/एक्चुएटर्स के लिए पलक्काड, केरल में विनिर्माणकारी संयंत्र हैं। दोनों ही विनिर्माणकारी संयंत्र आईएसओ 9001:2008 श्रृंखला प्रमाण–पत्र से प्रत्यायित हैं। इंस्ट्रूमेन्टेशन लिमिटेड एक रुग्ण इकाई थी और इसे 1994 में बीआईएफआर को भेज दिया गया था। सभी पहलुओं (पुनरुद्धार, विलय सहित) पर विचार करने पर भारी उद्योग विभाग ने आईएल, कोटा को बंद करने और आईएल, पलक्काड इकाई को केरल सरकार को अंतरित करने की सिफारिश के प्रस्ताव की पहल का निर्णय लिया। केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा दिनांक 30.11.2016 को हुई अपनी बैठक में प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया गया था। बंद करने के प्रस्ताव का अनुमोदन होने के पश्चात्, पूर्व–कर्मचारियों की लंबित देयताओं का निपटान करते हुए कोटा इकाई के कर्मचारियों की वीआरएस/वीएसएस संबंधी देनदारियों को पूरा करने के लिए ₹400.02 करोड़ की निधि मार्च, 2017 में और ₹164.14 करोड़ की निधि जुलाई/अगस्त, 2017 में उपलब्ध कराई गई।

तदनुसार, इन्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड की कोटा यूनिट को बंद कर दिया गया और सभी कर्मचारियों को दिनांक 18.04.2017 को कार्यमुक्त कर दिया गया। इंट्रूमेंटेशन लिमिटेड की पलक्कड़ यूनिट को केरल सरकार को हस्तांतरित करने के लिए केरल सरकार, भारत सरकार और इंट्रूमेंटेशन लिमिटेड के बीच दिनांक 16.11.2018 को एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

2.17 राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड (आरईआईएल)

राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, जयपुर (आरईआईएल) की स्थापना इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, कोटा (आईएलके) और राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड (आरआईआईसीओ) के संयुक्त उद्यम के रूप में क्रमशः 51% और 49% की हिस्सेदारी के साथ 1981 में की गई थी । कंपनी ने सौर प्रकाश वोल्टिक मॉडयूल/प्रणाली, औद्योगिक इलेक्ट्रोनिक्स, सुरक्षा निगरानी प्रणाली और सूचना प्रौद्योगिकी की अपनी उत्पाद श्रेणी में विविधता लाई है।

फरवरी, 2016 में भारत सरकार के अनुमोदन के अनुसरण में भारत के राष्ट्रपति को सम्पूर्ण अंशधारिता हस्तांतरित करके आरईआईएल को आईएलके से अलग कर दिया गया है और इस प्रकार यह एक स्वतंत्र केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम बन गया है।

आरईआईएल सौर प्रकाशवोल्टीय, दुग्ध परीक्षण और दुग्ध कॉपरेटिव की गुणवता संबंधी आवश्यकताओं तथा ई–गवर्नेंस, डेयरी वर्टिकल लघु व्यापार और सरकारी सेक्टरों के लिए सूचना प्रौद्योगिकी और ऑटोमेशन साल्यूशंस के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करता है। इसका फोक्स इलैक्ट्रोनिक्स, अक्षय ऊर्जा और आईटी समाधानों के माध्यम से ग्रामीण भारत का निर्माण करना है। हाल के संयोजन में भारत सरकार की फेम इंडिया योजना के तहत ई–मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए ईवी चार्जिंग अवसंरचना स्थापित करना है।

कंपनी ने अपनी व्यापार गतिविधियों को सरकार के राष्ट्रीय मिशन जैसे राष्ट्रीय सौर मिशन, राष्ट्रीय डेयरी योजना, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, फेम इंडिया और डिजीटल इंडिया आदि से जोड़ दिया है।

2.18 स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड (एसआईएल)

स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड, लखनऊ की स्थापना इटली की मैसर्स इन्नोसेन्टी से पुराना संयंत्र खरीद कर 1972 में की गई थी। यह तिपहिया वाहनों के विनिर्माण और विपणन में लगी हुई है।

स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड को 11 अगस्त, 1992 को रुग्ण कम्पनी घोषित कर दिया गया था और तब यह औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बीआईएफआर) के क्षेत्राधिकार में आ गई। इसके पुनरुद्धार प्रस्ताव को दिनांक 31.01.2013 को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में अनुमोदित किया गया था। बीआईएफआर, नई दिल्ली की माननीय बेंच ने 15.09.2015 को हुई अपनी सुनवाई के दौरान यह नोट किया कि 31.03.2013 और 31.03.2014 के लेखा–परीक्षित तुलन–पत्र के अनुसार एसआईएल, लखनऊ के निवल मूल्य में पर्याप्त राशि में बढ़ी है और इस प्रकार, एसआईसीए की धारा 3(1)(0) के संदर्भ में यह रुग्ण औद्योगिक कंपनी नहीं रह गई है। तदनुसार, एसआईएल को एसआईसीए के दायरे से बाहर कर दिया।

वर्ष 2012–13 से 2018–19 तक स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड (एसआईएल) का निष्पादन निम्नानुसार रहाः–

(₹ करोड़ में)

वर्ष	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
बिक्री	209.82	193.66	167.72	152.04	108.55	50.55	63.86
लाभ/हानि)	6.00	13.60	11.09	5.48	(10.25)	(18.70)	(5.09)

आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने दिनांक 27.10.2016 को हुई अपनी बैठक में स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड (एसआईएल) में भारत सरकार की 100% शेयरधारिता के विनिवेश की मंजूरी दी। तदनुसार, संभावित बोलीकर्ताओं से रूचि की अभिवयक्ति

(ईओआई) को आमंत्रित करके कार्यनीतिक विनिवेश की प्रक्रिया शुरू कर दी गई । विनिवेश की सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरी हो गई लेकिन कोई बोलीकर्ता नहीं है।

दिनांक 23.05.2018 को आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति द्वारा स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड (एसआईएल) के तुलन–पत्र को पुनः बनाने से संबंधित निम्नलिखित प्रस्ताव अनुमोदित किए है:

i) संचयी हानि की तुलना में भारत सरकार द्वारा धारित एसआईएल की शेयर पूंजी में ₹85.21 करोड़ की इक्विटी को कम करने हेतु अनुमोदन। यह कटौती दिनांक 31.03.2013 से प्रभावी होगी।

ii) कंपनी को इसकी रिलीज की तारीख से वर्ष 2012–13 को दौरान एसआईएल को जारी ₹1.89 करोड़ के गैर योजना ऋण पर ब्याज को समाप्त करने हेतु अनुमोदन।

iii) ₹189 करोड़ की बकाया मूल्य राशि को इक्विटी में परिवर्तित करने हेतु अनुमोदन।

2.19 सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआईएल)

सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआई) को 1965 में स्थापित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र में सीमेंट फैक्ट्रियों की स्थापना करना, सीमेंट उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करना तथा क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना था। सीसीआई की इकाइयां 7 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात् छत्तीसगढ़ में मांधार और अकलतरा; मध्य प्रदेश में नयागांव, कर्नाटक में कुरकुंटा, असम में बोकाजन, हिमाचल प्रदेश में राजबन, तेलंगाना में अदिलाबाद और तांदुर, हरियाणा में चरखी दादरी में स्थित हैं। कंपनी रूग्ण हो गई तथा 1996 में इसे रुग्ण कंपनी के रूप में बीआईएफआर को सौंप दिया गया। सीसीआई के लिए 2006 में पुनरूद्धार पैकेज अनुमोदित किया गया था, जिसमें तीन प्रचालनरत संयंत्रों नामतः हिमाचल प्रदेश में राजबन, असम में बोकाजन तथा तेलंगाना में तांदुर का विस्तार/उन्नयन करने तथा आधुनिकीकरण करने और अप्रचालनरत सात संयंत्रों को बंद करने/बेचने का प्रावधान था।

वर्ष 2018 के दौरान, तांदुर संयंत्र की उत्पादकता में सुधार करने हेतु मुख्य रख–रखाव कार्य पूर्ण किया गया। इसके अलावा, पुज्जालोना पोर्ट लैंड सीमेंट (पीपीसी), जोकि पर्यावरण–अनुकूल और किफायती सीमेंट है, का उत्पादन वर्ष 2017–18 के दौरान तांदूर यूनिट से आरंभ किया गया। तांदुर संयंत्र पर रेलवे साइडिंग का उन्नयन एक न्यासी कार्य के रूप में भारतीय रेल द्वारा किया जा रहा है, जबकि बोकाजन रेलवे साइडिंग का कार्य पूर्ण हो गया है।

सरकार के अनुमोदन के अनुसार सीसीआई की नयागांव यूनिट के लिए विनिवेश की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है।

2.20 नेपा लिमिटेड

नेपा लिमिटेड, नेपानगर, मध्य प्रदेश, सार्वजनिक क्षेत्र के इस उद्यम को न्यूजप्रिंट के उत्पादन के लिए मैसर्स नायर प्रैस सिंडिकेट लिमिटेड द्वारा ''द नेशनल न्यूजप्रिंट एंड पेपर मिल्स लिमिटेड'' के नाम से 26 जनवरी, 1947 को निजी उद्यम के रूप में शामिल किया गया था। वर्ष 1958 में कंपनी का नियंत्रण अधिकार भारत सरकार ने ले लिया। भारत सरकार का नेपा लिमिटेड की पूंजी में 97.82% इक्विटी शेयर है। तत्पश्चात् फरवरी, 1989 में कंपनी का नाम बदलकर नेपा लिमिटेड कर दिया गया। कंपनी के पास अखबारी कागज तथा लेखन और प्रिंटिंग पेपर के उत्पादन का लाइसेंस है। नेपा लिमिटेड की संस्थापित क्षमता 88,000 टीपीए है।

31 मार्च, 1997 के वार्षिक परिणामों के अनुसार, संचित हानियों की वजह से इसकी निवल सम्पत्ति पूरी तरह समाप्त हो गई थी। इसलिए 1998 में, इस कंपनी को औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बीआईएफआर) में भेज दिया गया था। जुलाई, 2016 से कंपनी का उत्पादन बंद कर दिया गया है। फिलहाल कंपनी में मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित पुनरुद्धार और आधुनिकीकरण योजना चल रही है।

2.21 हिन्दुस्तान पेपर कार्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसी)

भारत में नई लुगदी और कागज एवं न्यूजप्रिंट मिलों की स्थापना करने के उद्देश्य से भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाले एक उद्यम के रूप में दिनांक 29 मई, 1970 को हिन्दुस्तान पेपर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को शामिल किया गया था। एचपीसी के

प्रबंधन एवं नियंत्रणाधीन तीन सहायक कंपनी और असम में दो बड़ी एकीकृत लुगदी एवं कागज मिल हैं। ये हैं: (i) हिंदुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड (दिनांक 03.01.2007 से अनुसूची 'ग' से 'ख' में स्तरोन्नयन किया गया), (ii) नगालैंड पल्प एंड पेपर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनपीपीसी लिमिटेड), नगालैंड और (iii) जगदीशपुर मिल्स लिमिटेड। एचपीसी की दो यूनिटें नामतः नगांव पेपर मिल्स (एनपीएम) और कछाड़ पेपर मिल्स (सीपीएम) हैं।

इस समय हिंदुस्तान पेपर कार्पोरेशन लि. (एचपीसी), राष्ट्रीय कंपनी विधि अभिकरण (एनसीएलटी), नई दिल्ली बैंच के दिनांक 02.05.2019 और राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीली अभिकरण (एनसीएलटी) के दिनांक 29.05.2019 के आदेश के अनुसार परिसमापन के अधीन है।

2.22 हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड (एचएनएल)

हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड (एचएनएल), जो हिन्दुस्तान पेपर कार्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसी) की एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, को तत्कालीन केरल न्यूजप्रिंट प्रोजेक्ट (केएनपी), एचपीसी की इस इकाई के कारोबार का अधिग्रहण करने के मुख्य उद्देश्य से 7 जून, 1983 को शामिल किया गया था। एचएनएल का पंजीकृत कार्यालय न्यूजप्रिन्ट नगर, जिला कोट्टयम, केरल में है। न्यूजप्रिन्ट नगर, जिला कोट्टयम, केरल में स्थित है, जिसकी संस्थापित क्षमता 1,00,000 टन प्रतिवर्ष न्यूजप्रिन्ट (टीपीए) की है। आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने दिनांक 27.10.2016 को अपनी बैठक में एचएनएल के कार्यनीतिक विनिवेश का निर्णय लिया। एचएनएल की मुख्य विशिष्ट क्षमता इसकी उच्च कुशल तकनीकी जनशक्ति है, जिसे स्वदेशी न्यूजप्रिंट उद्योग में सर्वाधिक सक्षम आंका गया है। एचएनएल 42 जीएसएम, 45 जीएसएम और 48.8 जीएसएम ग्रेड वाली क्वालिटी के अखबारी कागज का उत्पादन करता है, जोकि बाजार में उपलब्ध सबसे अच्छी गुणवत्ता वाले अखबारी कागज के समान है।

एचएनएल की मूल कंपनी अर्थात हिंदुस्तान पेपर कॉर्पोरेशन (एचपीसी) इस समय एनसीएलटी/एनसीएलएटी के निदेशानुसार परिसमापन के अधीन है। इसके अलावा, एचएनएल के एक वित्तीय लेनदार के द्वारा दायर आवेदन में दिनांक 28.11.2019 को एनसीएलटी कोच्ची बैंच ने इंसोल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 के तहत एचएनएल के विरुद्ध कॉर्पोरेट इंसोल्वेंसी समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) आरंभ की हैं और एक अंतरिम समाधान व्यावसायिक नियुक्त किया है।

2.23 हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैनुफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड (एचपीएफ)

देश को फोटो सेंसिटिव उत्पादों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से एचपीएफ 30 नवंबर,1960 को शामिल की गई थी। इस कंपनी ने 1967 में वाणिज्यिक उत्पादन करना प्रारंभ किया। 1992–93 से यह कंपनी हानि में चलने लगी। 31.03.1994 को इस कंपनी की निवल संपत्ति के ऋणात्मक हो जाने पर, इसे 1995 को औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बीआईएफआर) को भेज दिया गया। अप्रैल, 2013 से कंपनी का प्रचालन भी बंद हो गया।

एचपीएफ बाआईएफआर को संदर्भित एक रुग्ण कंपनी थी। बीआईएफआर ने दिनांक 30.01.2013 के आदेश द्वारा कंपनी को बंद करने का आदेश दिया। सीसीईए ने अन्य बातों के साथ–साथ दिनांक 28.02.2014 को सभी कर्मचारियों के लिए 2007 के अनुमानित वेतनमान पर वीआरएस देने और कंपनी को बंद करने की कार्रवाई करने का निर्णय लिया। सभी कर्मचारियों ने कंपनी छोड़ दी है। माननीय मद्रास उच्च न्यायालय ने दिनांक 29.08.2016 के अपने आदेश के द्वारा स्टे को रद्द कर दिया है और कंपनी को बंद करने के बीआईएफआर के आदेश को स्वीकार किया। कंपनी के परिसमापन के बाद, आस्तियों का प्रबंधन और निपटान अभी नियुक्त किए जाने वाले सरकारी परिसमापक (ओएल) द्वारा न्यायालय की निगरानी में लागू किया जाएगा। यह विभाग माननीय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा सरकारी परिसमापक की शीघ्र नियुक्ति कराने का प्रयास कर रहा है। इसी बीच, ऋण–पत्र ट्रस्टी कैनरा बैक ने कंपनी की याचिका के शीघ्र निपटान हेतु एनसीएलटी, चैन्ने को वर्तमान कंपनी याचिका हस्तांतरित करने के अनुरोध के साथ सीपी 114/2003 मामले में माननीय मद्रास उच्च न्यायालय में एक आवेदन दायर किया है।

2.24 हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड (एचएसएल)

हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड (एचएसएल) को सरकारी साल्ट

वर्क अधिग्रहण करने के उद्देश्य से दिनांक 12 अप्रैल, 1958 को कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत शामिल किया गया था, जिसका स्वामित्व उस समय राजस्थान और खरगौदा (गुजरात) के साम्बर साल्ट में सरकार द्वारा विभागीय रूप से प्रबंधन किया जाता था। भारत सरकार के पास एचएसएल की 100% अंशधारिता है। एचएसएल की अधिकृत पूँजी ₹60.00 करोड़ और प्रदत्त पूँजी ₹52.05 करोड़ है। इस समय कंपनी साल्ट, ब्रोमाइन और मैगनिशियम क्लोराइड के उत्पादन में लगी है।

खरगोदा (गुजरात) में इसकी दो यूनिटें हैं जहां कंपनी ने मैगनिशियम क्लोराइड क्षमता 450 एमटी के कॉमन साल्ट के अपशिष्ट से ब्रोमाइन के उत्पादन हेतु दो संयंत्र स्थापित किए हैं और एक अन्य संयंत्र मंडी, हिमाचल प्रदेश में है जिसमें कंपनी दरांग में रॉक साल्ट के खनन में शामिल है, जिसे पशु को चटाने के रूप में उपयोग किया जाता है।

2.25 सांभर साल्ट्स लिमिटेड (एसएसएल)

सांभर साल्ट्स लिमिटेड (एसएसएल) हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड की एक सहायक कंपनी है जिसे 30.09.1964 में सांभर झील क्षेत्र पर नमक कार्यों को अधिग्रहित करने के उद्देश्यों के साथ कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत शामिल किया गया था जिसका स्वामित्व और प्रबंधन तब एचएसएल के पास था। यह सांभर लेक, राजस्थान मे प्रचालित अपनी यूनिट के द्वारा खाद्य और औद्योगिक नमक के उत्पादन एवं बिक्री में शामिल है, जिसमें एचएसएल के माध्यम से भारत सरकार की अंशधारिता 60% और राजस्थान सरकार की 40% है। एचएसएल की अधिकृत पूंजी ₹2.00 करोड़ और प्रदत्त पूंजी ₹1.00 करोड़ है। एसएसएल लगभग 90 वर्गमील में फैले उत्पादन क्षेत्र में नमक का उत्पादन करता है जो राजस्थान के तीन जिलों अर्थात जयपुर, अजमेर और नागौर हैं।

2.26 इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड (ईपीआईएल)

इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड (ईपीआईएल) को भारत और विदेश में टर्न–की परियोजनाएं और परामर्शी सेवाएं देने के मुख्य उद्देश्य से वर्ष 1970 में शामिल किया गया था। ईपीआई विदेश में बड़ी सिविल और औद्योगिक परियोजनाओं को शुरू करने वाली पहली भारतीय कंपनी है। ईपीआईएल भारत सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा 100% शेयरधारिता वाला भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन औद्योगिक विकास और तकनीकी परामर्शी सेवाओं में लाभ कमाने वाला, लाभांश देने वाला मिनीरत्न वर्ग –II केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। देश भर के साथ–साथ ओमान और श्रीलंका में फैले परियोजना–स्थलों के अतिरिक्त भारत में अपने प्रचालनों के लिए अखिल–भारतीय मौजूदगी सहित ईपीआईएल के पूरे भारत में अलग–अलग भौगोलिक स्थानों नामतः नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद में क्षेत्रीय/आंचलिक कार्यालय हैं।

31.09.2019 की स्थिति के अनुसार, ईपीआईएल ने भारत में 571 परियोजनाएं और विदेश में 31 परियोजनांए पूरी की हैं।

प्रमुख उपलब्धियां

कारोबार

ईपीआई ने वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान ₹1791.05 करोड़ का कारोबार किया, जो कि ईपीआई द्वारा प्राप्त सर्वाधिक कारोबार है।

उद्घाटन/पूर्ण की गई परियोजनाएं

कंपनी ने वर्ष के दौरान निम्नलिखित मुख्य परियोजनाएं पूर्ण की हैं:

i. ₹19.06 करोड़ की लागत से गुमला, झारखंड में पॉलिटैकनीक इंस्टिटयूट का निर्माण।

ii. ₹4.70 करोड़ की लागत से लेतकोर, शिलांग में एस्ट्रो, टर्फ फुटबाल ग्राउंड का निर्माण।

iii. ₹4.65 करोड़ की लागत से लेतकोर, शिलांग में असम राइफल्स के लिए ट्रेनिंग शेड का निर्माण।

iv. ₹145.17 करोड़ की लागत से असम राइफल्स के बटालियन मुख्यालय की स्थापना हेतु जोखावसांग में गैर–आवासीय और आवासीय निवास स्थानों का निर्माण।

v. ₹41.64 करोड़ की लागत से त्रिपुरा विश्वविद्यालय, सुर्यामणि नगर, अगरतला में चरण–II परियोजना कार्य (भाग–I) का निर्माण।

vi. ₹5.73 करोड़ की लागत से एनआईडी गाँधी नगर परिसर और अहमदाबाद परिसर में छात्र–भोजनालय, मनोरंजन ब्लॉक और बालिका हॉस्टल (रिमोल्डिंग+ नया) का निर्माण।

vii. ₹11.98 करोड़ की लागत से चम्पुआ, जिला किओनझार और कुचिंडा, जिला सम्बलपुर, ओडिसा में कलिंगा मॉडल आवासीय स्कूलों का निर्माण।

viii. ₹51.30 करोड़ की लागत से पाल्लुर हिल्स, बेरहमपुर, जिला–गंजाम, ओडिसा में मेगा अर्बन एजुकेशन परिसर का निर्माण, जिसका माननीय मुख्य मंत्री, ओडिशा द्वारा विधिवत उद्घाटन किया गया।

ix. ₹12.70 करोड़ की लागत से नुआपादार, जिला कंधामल, ओडिशा में एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल का निर्माण।

x. ₹77.63 करोड़ की लागत से चरण–I कार्य का निर्माण जिसमें हैदराबाद में एनआईएबी हेतु संबंधित कार्यों सहित आर एंड डी ऑफिस, हॉस्टल ब्लॉक, अतिथि गृह, टाइप–III आवासीय क्वार्टर्स, पशु फार्म, एसटीपी आदि शामिल हैं।

xi. ₹17.97 करोड़ की लागत से चैन्नई पोर्ट ट्रस्ट, चैन्नई में क्रूज यात्री सुविधा केन्द्र हेतु विद्यमान यात्री टर्मिनल में एनेक्सी भवन का निर्माण और सुधार कार्य।

xii. ₹73.05 करोड़ की लागत से मदुरै, तमिलनाडु में पीएमएसएसवाई चरण–II के तहत सरकारी राजाजी मेडिकल कालेज, मदुरै के लिए सुपर स्पेशल्टी हॉस्पिटल का निर्माण जिसका विडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से भारत के माननीय प्रधान मंत्री द्वारा विधिवत उद्घाटन किया गया।

xiii. जिला –बेलगाम, कर्नाटक के बेलहोंगल नगर में यूजीडी योजना, जिसमें निम्नलिखित शामिल है:

(क) सीवर लाइन उपलब्ध कराना, उन्हें बिछाना और आपस में जोड़ना, मेनहोल चेम्बर्स, चेम्बर, ग्रिट चेम्बर और वेटवेल का निर्माण

(ख) ₹51.39 करोड़ की लागत से 8.28 एमएलडी क्षमता के सेडिमेंटेशन बेसिन (एसटीपी) का निर्माण और सम्बद्ध कार्य।

xiv. ₹48.08 करोड़ की लागत से आईआईएससी, परिसर, बेंगलुरु में न्यू केमिकल साइंस बिल्डिंग का निर्माण, जिसका माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल. 'निशंक' द्वारा विधिवत उद्घाटन किया गया।

हेवी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, हेवी इंजीनियरिंग और मशीन टूल उद्योग

3
अध्याय

हेवी इंजीनियरिंग एवं मशीन टूल उद्योग

3.1 पृष्ठभूमि

3.1.1 हेवी इंजीनियरिंग एवं मशीन टूल क्षेत्र केपिटल गुड्स क्षेत्र का एक भाग है। इस क्षेत्र में विनिर्माण/उत्पादन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपेक्षित संयंत्र एवं मशीनरी, उपकरण/एक्सेसरीज, प्रतिस्थापन, आधुनिकीकरण, प्रौद्योगिकीय उन्नयन एंव विस्तार के लिए अपेक्षित माल अथवा सेवा प्रदान करना शामिल हैं। इसके अंतर्गत मशीनरी एवं प्रशीतन उपकरण भी आते हैं।

3.1.2 हेवी इंजीनियरिंग एवं मशीन टूल क्षेत्र में निम्नलिखित उप–क्षेत्र शामिल हैं:

i. मशीन टूल्स

ii. डाई, सांचे एवं प्रेस टूल्स

iii. प्लास्टिक मशीनरी

iv. अर्थ मूविंग एवं खनन उपकरण

v. धातुकर्म संबंधी मशीनरी

vi. वस्त्र मशीनरी

vii. संसाधन संयंत्र उपकरण

viii. प्रिंटिंग मशीनरी

ix. खाद्य प्रसंस्करण मशीनरी

3.1.3 वर्तमान अनुमान के अनुसार कैपिटल गुड्स उद्योग भारत के कुल विनिर्माण गतिविधियों में लगभग 12% का योगदान करता है, जो सकल घरेलू उत्पाद का 1.5% है। यह क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए निम्नलिखित दो महत्वपूर्ण कारणों की वजह से जरूरी है:

क. राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता एवं सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य में घरेलू विनिर्माण क्षमताओं के विकास के लिए केपिटल गुड्स को एक जरूरी क्षेत्र माना जाता है ।

ख. गुणक प्रभाव के माध्यम से केपिटल गुड्स क्षेत्र का प्रयोक्ता उद्योगों की वृद्धि दर पर सशक्त प्रभाव है क्योंकि यह संपूर्ण विनिर्माण क्षेत्र एवं अन्य संबंधित क्षेत्रों के लिए मशीनरी एवं उपकरण जैसे जरूरी इनपुट उपलब्ध कराता है।

3.1.4 हेवी इंजीनियरिंग एवं मशीन टूल क्षेत्र के लिए नीतिगत परिवेश संक्षिप्त रूप से इस प्रकार है:

क. इस क्षेत्र के लिए किसी भी औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है।

ख. ऑटोमेटिक रूट पर (भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से) 100% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है।

ग. विदेशी सहयोगकर्ता को प्रौद्योगिकी अंतरण, डिजाइन एवं ड्राइंग, रॉयलटी आदि के लिए भुगतान की मात्रा की कोई सीमा नहीं है।

घ. आयात एवं निर्यात की स्वतंत्र रूप से अनुमति है।

3.2 उप–क्षेत्रों का सिंहावलोकन

उप–क्षेत्रों की स्थिति का एक संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:

3.2.1 मशीन टूल्स

मशीन टूल्स को मूल उद्योग माना जाता है क्योंकि यह संपूर्ण विनिर्माण क्षेत्र के लिए मशीनरी की आपूर्ति करता है। मशीन टूल्स के विनिर्माता जो मुख्यतः लघु एवं मध्यम उद्यमी हैं, में कुछ मध्यम आकार के विनिर्माता हैं जिनका वार्षिक कारोबार ₹300–500 करोड़ के बीच है। इस समय विनिर्मित मशीन टूल्स में सामान्य/विशेष उद्देश्य की मशीनें, मानक कंम्प्यूटर संख्यात्मक नियंत्रण (सीएनसी) मशीन गियर कटिंग, ग्राइंडिंग, मध्यम आकार की मशीनें, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीनिंग (ईडीएम), प्रेस, प्रेस ब्रेक, पाइप बेंडिंग, रोलिंग,बेंडिंग मशीन आदि हैं।

3.2.2 डाई, सांचे एवं प्रेस टूल्स

भारतीय टूल रूम उद्योग में वाणिज्यिक टूल निर्माता शामिल हैं जो देश में टूलिंग के डिजाइन, विकास और विनिर्माण में लगे हैं। वाणिज्यिक टूल निर्माताओं के अलावा, अनेक सरकारी टूल रूम सह ट्रेनिंग सेंटर भी प्रचालनरत हैं। मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, पुणे, हैदराबाद और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में प्रमुख वाणिज्यिक टूल रूम स्थल हैं।

3.2.3 प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीनरी

विनिर्मित की जा रही प्रमुख प्लास्टिक मशीनरी में इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन, ब्लो मोल्डिंग मशीन और एक्सट्रूजन मोल्डिंग मशीन शामिल हैं। उत्पाद प्रौद्योगिकियां विकसित विश्व के प्रमुख ब्रांड के अनुरूप हैं। पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों अथवा प्रौद्योगिकी लाइसेंस व्यवस्था के जरिए भारत में विनिर्माण के क्षेत्र में विश्व की प्रमुख कंपनियां मौजूद हैं।

3.2.4 अर्थ मूविंग निर्माण एवं खनन मशीनरी:

भारतीय अर्थ मूविंग निर्माण एवं खनन मशीनरी बैकहो लोडर्स, कंपैक्टर्स, मोबाइल क्रेनें, पेवर्स, बैचिंग संयंत्र, क्राउलर क्रेन, ट्रांजिट मिक्सर, कंक्रीट पंप, टावर क्रेनें, हाइड्रोलिक एक्सकावेटर्स, डंपर्स, खनन बेलचे, वाकिंग ड्रेगलाइन्स, डोजर्स, व्हील लोडर्स, ग्रेडर्स, ड्रिलिंग उपकरण आदि का उत्पादन करती है।

3.2.5 वस्त्र मशीनरी

देश में वस्त्र मशीनरी के विनिर्माण में लघु एवं मध्यम विनिर्माता शामिल है। प्रमुख वस्त्र मशीनरी में बुनाई, मशीन, कताई मशीन, वाइंडिंग मशीन, प्रोसेसिंग मशीन, सिंथेटिक फाइबर मशीन आदि शामिल हैं।

3.2.6 प्रिंटिंग मशीनरी

प्रिंटिंग मशीनरी के विनिर्माण में अधिकांश यूनिटें लघु एवं मध्यम विनिर्माता शामिल है। स्थानीय रूप से विनिर्मात प्रिंटिंग मशीन में वेब–ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन, यूवी कोटिंग क्योरिंग मशीन, फलैक्सोग्राफिक प्रिंटिग मशीन, स्क्रीन प्रिंटिग मशीन, वायर स्टिचिंग मशीन, लैमिनेशन मशीन आदि हैं।

3.2.7 खाद्य प्रसंस्करण मशीनरी

खाद्य प्रसंस्करण मशीनरी के विनिर्माण में शामिल अधिकांश यूनिटों में लघु एंव मध्यम विनिर्माता शामिल हैं। भारत में विनिर्मित मुख्य खाद्य प्रसंस्करण मशीनरी में पीलर्स, सोटर्स, ग्रेडर्स, पल्पर्स, ग्राईंडर्स, मिक्सर्स, कुकर्स, फ्रायर्स, ड्रायर्स, पल्वराइसर, सोया मिल्क मशीन फुड ग्रेइन एंव कॉफी मिलर, बेकरी मशीनरी, फोर्मिंग–फिलिंग–सीलिंग मशीन, मिल्किंग एवं डेयरी मशीन, जूसिंग लाइन आदि हैं।

उत्पादन, आयात और निर्यात सांख्यिकी

उप–क्षेत्रों का उत्पादन, आयात और निर्यात आंकड़ों का विवरण निम्नवत है:

(क) उत्पादन आँकडा

(₹करोड़ में)

क्र. सं.	उप–क्षेत्र	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	5–वर्ष का सीएजीआर
	मशीन टूल्स												
1	मशीन टूल्स	1424	1656	2416	4299	3885	3481	4230	4726	5803	7294	9612	22.52%
2	डाइज, मोल्ड्स एवं प्रेस टूल्स	11058	11080	12485	13421	12789	13793	14647	15000	14750	16068	14900	1.56%
	हैवी इंजीनियरिंग क्षेत्र												
3	वस्त्र मशीनरी	4063	4245	6150	5280	5650	6775	6960	6580	6650	6900	6865	0.26%
4	प्रिंटिंग मशीनरी	उ.न.	उ.न.	6976	8439	10825	16069	15748	16916	16424	15016	12390	-5.07%
5	अर्थमूविंग एवं खनन मशीनरी	उ.न.	50850	65750	73340	64110	52550	50100	56540	64667	82260	97835	13.24%
6	प्लास्टिक मशीनरी	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	2150	2500	2700	3000	3375	3100	7.59%
7	खाद्य प्रसंस्करण मशीनरी	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	14703	10995	13206	15246	15600	8750	-9.86%

स्रोतः कैपिटल गुड्स उद्योग संघ जैसे (i)आईएमटीएमए (ii) टीएजीएमए (iii) टीएमएमए (iv) आईपीएएमए (v) आईसीईएमए (vi) पीएमएमएआई (vii) एएफटीपीएआई

नोटः सीएजीआर के लिए आधार वर्ष 2013–14 है।

उपलब्ध नहीः आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं/कैपिटल गुड्स उद्योग संघ से प्राप्त नहीं हुए।

(ख) आयात आँकडा

(₹करोड़ में)

क्र. सं.	उप–क्षेत्र	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	5–वर्ष का सीएजीआर
	मशीन टूल्स												
1	मशीन टूल्स	6271	4842	6703	7645	7598	4672	5318	5946	6173	7759	12390	21.54%
2	डाइज, मोल्ड्स एवं प्रेस टूल्स	3323	3755	4150	4728	3431	3081	3322	2800	1200	1350	3200	0.76%
	हैवी इंजीनियरिंग क्षेत्र												
3	वस्त्र मशीनरी	4411	4357	5315	7643	7599	8562	8858	10305	10098	10687	10834	4.82%
4	प्रिंटिंग मशीनरी	उ.न.	उ.न.	3347	3801	4869	6082	6381	7051	7035	8322	8922	7.97%
5	अर्थमूविंग एवं खनन मशीनरी	उ.न.	उ.न.	10143	13531	12937	12679	12050	12855	14508	16068	21013	10.13%
6	प्लास्टिक मशीनरी	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	1400	1700	2000	2300	2600	1304	-1.41%
7	खाद्य प्रसंस्करण मशीनरी	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	3188	3376	3777	3686	3900	7272	17.93%

स्रोतः कैपिटल गुड्स उद्योग संघ जैसे (i)आईएमटीएमए (ii) टीएजीएमए (iii) टीएमएमए (iv) आईपीएएमए (v) पीएमएमएआई (vi) एएफटीपीएआई (vii) अर्थ मूविंग मशीनरी के लिए आयात निर्यात आँकड़ा बैंक (वाणिज्य विभाग की वेबसाइट)

नोटः सीएजीआर के लिए आधार वर्ष 2013–14 है।

उपलब्ध नहीः आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं/कैपिटल गुड्स उद्योग संघ से प्राप्त नहीं हुए।

(ग) निर्यात आँकडा

(₹करोड़ में)

क्र. सं.	उप–क्षेत्र	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	5–वर्ष का सीएजीआर
	मशीन टूल्स												
1	मशीन टूल्स	89	81	91	180	214	247	281	296	361	354	673	22.2%
2	डाइज, मोल्ड्स एवं प्रेस टूल्स	3996	3100	3410	2899	2590	2694	2869	2300	1700	1600	1600	-9.9%
	हैवी इंजीनियरिंग क्षेत्र												
3	वस्त्र मशीनरी	661	556	883	1523	1512	2277	2466	2351	2438	2939	3665	9.99%
4	प्रिंटिंग मशीनरी	उ.न.	उ.न.	397	391	417	1421	1255	1366	1332	1235	1180	-3.65%
5	अर्थमूविंग एवं खनन मशीनरी	उ.न.	उ.न.	3545	4506	5636	6465	7380	7632	7778	9380	12045	13.25%
6	प्लास्टिक मशीनरी	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	500	600	700	900	1100	247	-13.15%
7	खाद्य प्रसंस्करण मशीनरी	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	2262	2199	2201	2178	2560	4263	13.51%

स्रोतः केपिटल गुड्स उद्योग संघ जैसे (i)आईएमटीएमए (ii) टीएजीएमए (iii) टीएमएमए (iv) आईपीएएमए (v) पीएमएमएआई (vi) एएफटीपीएआई (vii) अर्थ मूविंग मशीनरी के लिए आयात निर्यात आँकड़ा बैंक (वाणिज्य विभाग की वेबसाइट)

नोटः सीएजीआर के लिए आधार वर्ष 2013–14 है।

उपलब्ध नहीः आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं/कैपिटल गुड्स उद्योग संघ से प्राप्त नहीं हुए।

3.3 योजना एवं नीतिगत हस्तक्षेप

केपिटल गूड्स क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि

भारत सरकार ने भारी उद्योग विभाग के माध्यम से नवम्बर, 2014 में ''केपिटल गुड्स क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि'' के लिए एक योजना तैयार की। इस योजना का उद्देश्य क्षेत्र द्वारा सामना की जा रही बाधाओं का समाधान करना है। इस योजना के तहत उद्योग, अनुसंधान संस्थाओं एवं सरकार से सहयोग से प्रतिष्ठित महाविद्यालयों/अनुसंधान एवं विकास संस्थाओं में अनुसंधान एवं विकास के लिए उत्कृष्टता केन्द्रों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इस योजना में केपिटल गुड्स विनिर्माण इकाइयों को प्रौद्योगिकी अधिग्रहण निधि कार्यक्रम (टीएएफपी) के तहत प्रौद्योगिकी अंतरण के लिए भी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त, इस योजना में अर्थ मूविंग, निर्माण एवं खनन मशीनरी के लिए साझा औद्योगिक एकीकृत अवसंरचनात्मक सुविधा (आईआईआईएफ), जैसे मशीन टूल औद्योगिक पार्क और साझा इंजीनियरिंग सुविधा केन्द्रों (सीईएफसी) एवं परीक्षण एवं प्रमाणन केन्द्रों (टी एंड सीसी) के सृजन के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

3.3.1 प्रौद्योगिकी विकास के लिए उत्कृष्टता केन्द्र (सीओई)

3.3.1.1 इस योजना के तहत प्रतिष्ठित अकादमिक एवं अनुसंधान संस्थाओं में प्रौद्योगिकी विकास के लिए उत्कृष्टता केन्द्र स्थापित करने के लिए अनुदान दिए जाते हैं। एक मुश्त अनुदान सहायता के माध्यम से केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है जो परियोजना लागत के 80% से अधिक नहीं होनी चाहिए, जो प्रत्येक उत्कृष्टता केन्द्र के लिए ₹100 करोड़ से अधिक नहीं होगी। शेष 20% उद्योग एवं सहभागी संगठनों द्वारा निवेश किया जाएगा।

3.3.1.2 आयात प्रतिस्थापन मशीनों और प्रौद्योगिकी के विकास में संलग्न आठ उत्कृष्टता केन्द्र अनुमोदित किए गए हैं

जो अनुबंध–I पर है। प्रौद्योगिकी के वाणिज्यीकृत्त होने के बाद आयात निर्भरता कम होगी और भारत के केपिटल गुड्स क्षेत्र में प्रौद्योगिकी उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी। इन उत्कृष्टता केन्द्रों को उद्योग भागीदारों के सहयोग से निम्नलिखित स्थानों पर विकसित किया जा रहा है:

i. केन्द्रीय विनिर्माणकारी प्रौद्योगिकी संस्थान (सीएमटीआई), बेंगलूरू

ii. आईआईटी, मद्रास/उन्नत विनिर्माणकारी प्रौद्योगिकी विकास केन्द्र (एएमटीडीसी)

iii. पीएसजी प्रौद्योगिकी कॉलेज, कोयम्बटूर

iv. सीटार्क, कोयम्बटूर

v. आईआईटी, खड़गपुर

vi. मेसर्स हेवी इंजीनियरिंग कोर्पोरेशन (एचईसी), रांची

vii. आईआईएससी, बेंगलूरू

viii. आईआईटी, दिल्ली

3.3.2 साझा इंजीनियरिंग सुविधा केन्द्र (सीईएफसी)

3.3.2.1 योजना के तहत साझा इंजीनियरिंग सुविधा केन्द्र (सीईएफसी) मशीनरी विनिर्माताओं को क्षेत्र में औद्योगिक समूह के लिए आवश्यक साझा सूक्ष्म मशीनन, ताप उपचार, गुणवत्ता नियंत्रण, कौशल अवसंरचना डिजाइन एवं अन्य साझा सुविधाओं जैसी अवसंरचना सुविधा सृजन करने के लिए सक्षम बनाएगा। साझा इंजीनियरिंग सुविधा केन्द्रों की स्थापना करने के लिए एकमुश्त अनुदान सहायता के रूप में 80% तक केन्द्रीय सहायता दी जाती है और शेष 20% विशेष उद्देश्य वाहन द्वारा की जाती है।

3.3.2.2 नीचे दिए गए विवरण के अनुसार ऐसे दस साझा इंजीनियरिंग सुविधा केन्द अनुमोदित किए गए हैं:

i. टीएजीएमए उत्कृष्टता केन्द्र एवं प्रशिक्षण (टीसीईटी) द्वारा टूल्स, डाई एवं सांचा उद्योग के लिए सीईएफसी

ii. एचएमटी मशीन टूल, बेगलूरू में प्रशिक्षण एवं कौशल विकास केन्द्र

iii. एचईसी,रांची द्वारा सीईएफसी

iv. साइंस एंड इंजीनियरिंग टेक्नॉलोजी अपलिफ्टमेंट (एसईटीयू) फाउंडेशन द्वारा वस्त्र इंजीनियरिंग हेतु बारदोली, सूरत में सीईएफसी

v. समर्थ उद्योग टैक्नोलॉजी फोरम (एसयूटीएफ) द्वारा पुणे में उद्योग 4.0 प्रदर्शन–सह अनुभव केन्द्र

vi. स्मार्ट विनिर्माण (आईएएफएसएम) आईआईटीडी –एआईए संस्थान द्वारा आईआईटी दिल्ली में उद्योग 4.0 प्रदर्शन–सह–अनुभव केन्द्र

vii. आईआईएससी बेंगलूरू में उद्योग 4.0 प्रदर्शन–सह–अनुभव केन्द्र

viii. सीएमटीआई, बेंगलूरू में उद्योग 4.0 प्रदर्शन–सह–अनुभव केन्द्र

ix. कोरस द्वारा बहादुरगढ़ (हरियाणा) में स्टील संयंत्र उपकरण के लिए डिजाइन एवं प्रशिक्षण केन्द्र

x. सीएमटीआई, बेंगलूरू मे परिशुद्धता माप विज्ञान लैब का आधुनिकीकरण।

3.3.3 एकीकृत औद्योगिक अवंसरचनात्मक सुविधा (आईआईआईएफ)

एकीकृत औद्योगिक अवंसरचनात्मक सुविधा (आईआईआईएफ) संघटक के तहत, कर्नाटक में लगभग 540 एकड़ क्षेत्र में टुमकुरू मशीन टूल पार्क की स्थापना की जा रही है। इस पार्क को लगभग ₹421 करोड़ के अनुमानित लागत पर कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (केआईएडीबी), कर्नाटक सरकार और भारी उद्योग विभाग, भारत सरकार द्वारा गठित

एवं एसपीवी द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। यह मशीन टूल पार्क लगभग 150 मशीन टूल विनिर्माण इकाईयाँ स्थापित करने के लिए अवसंरचना प्रदान करेगा और पुर्जों एवं मशीनरी विनिर्माताओं को एक स्थान पर अवस्थित करने में सहायक होगा। इस तरह इस पार्क का उद्देश्य इस क्षेत्र को लागत प्रभावी बनाना, हाई–टेक मशीनी उपकरणों के विनिर्माण को प्रोत्साहन देना, निर्यात क्षमता की वृद्धि करना और अधिक निवेश आकर्षित करना है।

3.3.4 प्रौद्योगिकी अधिग्रहण निधि कार्यक्रम (टीएएफपी)

प्रौद्योगिकी अधिग्रहण निधि कार्यक्रम (टीएएफपी) केपिटल गुड्स उद्योग को अधिग्रहण के लिए सरलता से उपलब्ध विशिष्ट प्रौद्योगिकियां प्राप्त करने एवं उनके समावेश में सहायता करता है। टीएएफपी के तहत केपिटल गुड्स क्षेत्र इकाइयाँ को ₹10 करोड़ के सीलिंग के साथ प्रत्येक प्रौद्योगिकी लागत के 25% तक अनुदान के रूप में सहायता दी जाती है। टीएएफपी के तहत सीएनसी लैथ प्रौद्योगिकी, टैटेनियम कासटिंग, हाई वोल्टेज केबल्स एवं हैड्रो–टरबाइन ब्लेड के लिए लेस क्लेडिंग से संबंधित पाँच परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं।

3.3.6 योजना का तीसरे पक्ष द्वारा मूल्यांकन

इस स्कीम का तीसरा पक्ष मूल्यांकन निदेशक आईआईटी जोधपुर की अध्यक्षता में तीन प्रमुख विशेषज्ञों द्वारा किया गया। मूल्यांकन समिति ने अन्य बातों के साथ सिफारिश की है, कि '' वर्तमान योजना ने सीमित रूप से कैपिटल गुड्स क्षेत्र की प्रौद्योगिकीय और अवसंरचनात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने का मार्ग प्रशस्त किया। तथापि, समूचे देश में कैपिटल गुड्स क्षेत्र की संपूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वर्तमान योजना को कम से 10 गुणा बढ़ाने के साथ वित्तीय शर्तों से भारत सरकार की मेक इन इंडिया पहल पर वांछित प्रभाव पड़ेगा।''

ऑटोमोटिव उद्योग

4
अध्याय

4.1 ऑटोमोटिव उद्योग का परिदृश्य

4.1.i ऑटो क्षेत्र

ऑटोमोबाइल उद्योग भारत की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख चालक है। वर्ष 1991 में इस क्षेत्र के उदारीकरण और स्वचालित मार्ग के माध्यम से 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति के बाद से भारतीय ऑटोमोबाइल क्षेत्र ने एक लंबा रास्ता तय किया है। आज देश में लगभग हर वैश्विक ऑटो विनिर्माता की मौजूदगी है। हर श्रेणी के वाहन जैसे– दुपहिया, तिपहिया, यात्री कार, हल्के वाणिज्यकि वाहन, ट्रकें, बसें, ट्रैक्टर, भारी वाणिज्यिक वाहन आदि भारत में निर्मित होते हैं। भारत दुपहिया और तिपहिया वाहनों का सबसे बड़ा और यात्री कार का चौथा सबसे बड़ा विनिर्माता है। ट्रक, बस, कार, दुपहिया/ तिपहिया आदि ऑटोमोबाइलों का विनिर्माण तेजी से बढ़ा है। आज भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग 119 बिलियन अमेरिकी डॉलर उद्योग है अर्थात वर्ष 2018–19 में यह उद्योग ₹8.2 लाख करोड़ का था। ऑटोमोबाइल उद्योग का कारोबार सकल घरेलू उत्पाद का 7.1% औद्योगिक जीडीपी का 27% और विनिर्माण सकल घरेलू उत्पाद का 49% है और यह लगभग 37 मिलियन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है। वाहनों का वर्तमान वार्षिक बिक्री लगभग 26 मिलियन है।

4.1.ii कृषि मशीनरी एवं ट्रैक्टर क्षेत्रः

कृषि मशीनरी में मुख्यतः कृषि ट्रैक्टर, पावर टिलर्स, कंबाइन हार्वेस्टर और अन्य कृषि मशीनरी और उपकरण शामिल हैं। पावर टिलर, कंबाइन हार्वेस्टर और अन्य कृषि मशीनरी के नगण्य उत्पादन के कारण इस क्षेत्र पर मुख्यतः कृषि ट्रैक्टरों का प्रभुत्व है। भारतीय ट्रैक्टर उद्योग वैश्विक उत्पादन में एक–तिहाई का हिस्सा रखते हुए विश्व में सबसे बड़ा (चीन में प्रयुक्त 20 अश्वशक्ति के उप बेल्ट–चालित ट्रैक्टरों को छोड़कर) है। विश्व में अन्य मुख्य ट्रैक्टर बाजार चीन और संयुक्त राज्य अमरीका हैं।

भारतीय ट्रैक्टरों का निर्यात अमरीका और मलेशिया, तुर्की आदि जैसे अन्य देशों को किया गया। भारतीय विनिर्माताओं ने सरकारी निविदा आवश्यकताओं के लिए बोली लगाकर अफ्रीकी देशों को तेजी से निर्यात करना प्रारंभ कर दिया है। इस तरह, भारतीय ट्रैक्टर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में स्वीकार्य होते जा रहे हैं। चूंकि भारत में ट्रैक्टरों की कीमत विश्व में सबसे कम है, अतः भविष्य में ट्रैक्टरों के निर्यात में सुधार की जबर्दस्त संभावनाएं हैं।

4.2 ऑटोमोबाइल क्षेत्र के विकास में भारी उद्योग विभाग की भूमिकाः

भारी उद्योग विभाग ऑटोमोबाइल क्षेत्र से संबंधित किसी भी अधिनियम/नियम का अभिरक्षक नहीं है। हालांकि, ऑटोमोबाइल क्षेत्र विभिन्न विभागों द्वारा अधिनियम विभिन्न नियमावली और विनियमों द्वारा शासित और प्रभावित होता है, जैसे,

- एमओआरटीएचः सीएमवीआर
- एमओईएफसीसीः उत्सर्जन विनियम
- एमओपीएनजीः ईंधन क्षमता और वाहनों में प्रयोग

किए जाने वाले ईंधन से संबंधित विनियम

- एमओपीः बीईई के माध्यम से ऊर्जा क्षमता अपेक्षा
- एमओएफः कर संरचना
- डीओसीः विदेश व्यापार समझौते
- डीपीआईआईटीः आंतरिक व्यापार एवं मेक इन इंडिया

भारी उद्योग विभाग मुख्य रूप से ऑटोमोबाइल उद्योगों को बढ़ावा देने संबंधी नीति समर्थन में रत है। इसके अतिरिक्त, भारी उद्योग विभाग ऑटोमोटिव मिशन प्लान के तहत निर्धारित किए गए लक्ष्य को प्राप्त करने और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रहा है।

4.3 भारी उद्योग विभाग (डीएचआई) द्वारा ऑटो क्षेत्र के संबंध में की गई महत्वपूर्ण पहलें:

भारी उद्योग विभाग ऑटोमोबाइल और ऑटो–संघटक उद्योग के लिए नोडल विभाग होने के नाते इसके विकास के लिए विभिन्न मंचों पर ऑटोमोबाइल क्षेत्र से संबंधित मुद्दे उठाता है। इस संबंध में, भारी उद्योग विभाग ने विभिन्न महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिनका विवरण निम्नलिखित पैराओं में दिया गया है:

4.3.1 ऑटोमोटिव और संबद्ध उद्योगों के लिए विकास परिषद (डीसीएएआई):

इस विकास परिषद के अध्यक्ष भारी उद्योग विभाग के सचिव की अध्यक्षता में गठित विकास परिषद् का ध्यान इस सेक्टर के विकास से संबंधित मुद्दों और एएमपी लक्ष्यों को हासिल करने पर केन्द्रित है। यह मंच ऐसे प्रमुख समस्याग्रस्त क्षेत्रों का पता लगाने के लिए अवसर उपलब्ध करता है जिनके लिए भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा उचित नीतियां बनाई जा सकें और अन्य चिन्हित कार्य क्षेत्रों में कार्रवाई शुरू की जा सके। उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के अनुसार, ''विकास परिषद् दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट ऐसे उन कार्यों का निष्पादन करेगा जो उसे केन्द्र सरकार द्वारा सौंपे जाएंगे तथा जिन्हें अनुसूचित उद्योग में कार्य–क्षमता अथवा उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से मुहैया कराया जाना केन्द्र सरकार को समीचीन प्रतीत होगा अथवा जो कार्य उद्योग समूह करता हो अथवा कर सके अथवा ऐसे कार्य जिनसे ऐसे उद्योग अथवा उद्योग समूह समाज को ऐसी सेवाएं और अधिक किफायती ढंग से प्रदान करने में सक्षम हो सकें।''

डीसीएएआई के तहत विभाग को आवंटित निधियों का उपयोग विभाग द्वारा जारी रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) के माध्यम से आईआईटी/एनआईटी, एआरएआई और ऐसे अन्य संस्थानों के सहयोग से उद्योग से प्राप्त अनुसंधान एवं विकास और अध्ययन परियोजनाओं की सहायता करने हेतु किया जाना है। भेजे गए प्रस्तावों का एक जांच समिति (संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में) और मुख्य समिति (शीर्ष भारी उद्योग विभाग की अध्यक्षता में) द्वारा मूल्यांकन किया जाता है जो परियोजनाओं पर विचार करती है और उन्हें अंतिम प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान करती है। पिछले वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान विभिन्न परियोजनाओं के निधियन हेतु ₹10.28 करोड़ जारी किए गए (यूएनआईडीओ–एसीएमए–डीएचआई चरण–II परियोजना को जारी ₹4.72 करोड़ की राशि के अलावा)।

4.3.2 यूनिडो–एक्मा–डीएचआई क्लस्टर विकास परियोजना

इस परियोजना का उद्देश्य लघु एवं मध्यम उद्यमों (एसएमईज) को ऑटोमोटिव कलपुर्जा उद्योग में घरेलू एसएमईज के निष्पादन में वृद्धि हेतु प्रायोगिक सेवाएं प्रदान करना है ताकि उनका राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और वैश्विक आपूर्ति आवश्यकताओं (गुणवत्ता, लागत और सुपुर्दगी) में समावेश सुगम हो सके, भारत में आपूर्ति श्रृंखला के साथ लोअर टीयर आपूर्तिकर्ताओं सहित लक्ष्य कंपनियों की बढ़ती संख्या की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार और वृद्धि हो सके। इस परियोजना के चरण–I को जून, 2018 में पूर्ण कर लिया गया है और चरण–II दिनांक 01 जनवरी, 2019

से आरंभ हुआ। यूएनआईडीओ–एसीएमए–डीएचआई चरण–II कार्यक्रम के लिए वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान 6,54,089.20 अमेरिकी डालर जारी किए गए।

4.3.3 ऑटोमोटिव क्षेत्र के संबंध में भारत–जर्मन संयुक्त कार्य दल (जेडब्ल्यूजी):

ऑटोमोटिव क्षेत्र के संबंध में भारत–जर्मन संयुक्त कार्य दल (जेडब्ल्यूजी) की स्थापना संयुक्त औद्योगिक एवं आर्थिक सहयोग आयोग (जेसीएम) के तत्वावधान में की गई थी। यह पांचवां संयुक्त कार्य दल है; अन्य चार दल कृषि, कोयला, अवसंरचना और पर्यटन के क्षेत्र में हैं। (i) प्रौद्योगिकी संबंधी उप–कार्य समूह (ii) व्यावसायीकरण एवं रूपरेखा विकास संबंधी उप–कार्य समूह और (iii) सांस्थानिक सहयोग, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास संबंधी उप–कार्य समूह पर संयुक्त कार्य दल की पहली बैठक 06.02.2009 को नई दिल्ली में हुई थी। इस संयुक्त कार्य दल की पिछली बैठक (12वीं) बर्लिन में 12–13 मार्च, 2019 को आयोजित की गई। भारी उद्योग विभाग के प्रतिनिधि के रूप में संयुक्त सचिव (ऑटो) ने उक्त समिति की सह–अध्यक्षता की।

4.3.4 ऑटोमोटिव कौशल विकास परिषद (एएसडीसी):

भारी उद्योग विभाग ने मशीन टूल्स, हेवी इलेक्ट्रिकल, ऑटो उद्योग आदि जैसे क्षेत्रों के लिए पर्याप्त, प्रशिक्षित मानव शक्ति उपलब्ध करवाने के दृष्टिकोण से "कौशल विकास योजना" तैयार करने के लिए कदम उठाए हैं ताकि वर्तमान वित्तीय वर्ष में और भविष्य में सुव्यवस्थित और उच्च वृद्धि दर सुनिश्चित की जा सके। जहां तक ऑटो क्षेत्र का संबंध है, उद्योग में कौशल अंतराल की पहचान का कार्य एएमपी 2006–16 तैयार करने के दौरान बनाए गए विशेषीकृत दल के जरिए संचालित किया गया, जिसके अनुसार उद्योग को 2016 तक 25 मिलियन अतिरिक्त कार्यबल की आवश्यकता होगी। विभिन्न अवसरों पर विभाग में हुए विचार–विमर्श के आधार पर, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (सिआम) ने विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की है। तद्नुसार, एनएसडीसी की देखरेख में एक ऑटोमोटिव कौशल विकास परिषद (एएसडीसी) की स्थापना की गई है। एएसडीसी मार्च, 2011 में सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत एक सोसाइटी के रूप में शामिल की गई थी।

एएसडीसी के कार्यकलाप

अनुसंधान करना

1. ऑटो सेक्टर में कौशल की कमी (स्किल गैप) का सतत अनुसंधान।
2. कौशल विकास हेतु शुरू किए जाने वाले ट्रेडों की पहचान करना।
3. ऑटो उद्योग से इनपुट के साथ इस सेक्टर हेतु सक्षमता मानक विकसित करना।
4. अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार बेंचमार्किंग।
5. मानव संसाधनों का उत्पादकता विश्लेषण।
6. ऑटो सेक्टर में कुशल जनशक्ति के डाटाबेस का रखरखाव करना।

डिलिवरी मैकेनिज्म

1. प्रशिक्षण देने वाले साझेदारों की संबद्धता।
2. एएसडीसी मानकों के साथ अनुरूपता सुनिश्चित करने के लिए विषय वस्तु/पाठ्यक्रम को प्रमाणित करना।
3. प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण देना।
4. विद्यार्थियों का करियर हेतु मार्गदर्शन करना तथा रोजगार प्राप्त करने में सहायता देना।

गुणवत्ता आश्वासन

1. प्रशिक्षकों/विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन क्रियाविधि विकसित करना।
2. व्यवसाय मानकों के अनुसार प्रमाणन रूपरेखा विकसित करना।

3. कौशल प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का प्रमाणन।

4. प्रशिक्षण देने वाले साझेदारों तथा मूल्यांकन साझेदारों को मान्यता प्रदान करना।

5. प्रशिक्षकों और विद्यार्थियों का मूल्यांकन और प्रमाणन।

4.3.5 वाहन की उपयोगिता समाप्त (ईएलवी) नीतिः

यद्यपि सूचना है कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय सभी हितधारकों के साथ परामर्श करके वाहन की उपयोगिता समाप्त नीति के लिए विधेयक का मसौदा तैयार करने में संलग्न है, इस मामले में भारी उद्योग विभाग की मुख्य भूमिका ऐसी नीति निर्धारित करने से पहले सभी संबद्ध पहलुओं पर विचार करते हुए एक उपयुक्त खाका उपलब्ध/तैयार करने की है। एक वैज्ञानिक और पर्यावरण अनुकूल तरीके से वाहन के निस्तारण के लिए अवसंरचना तैयार किए जाने की जरूरत है। पुराने वाहनों को स्वेच्छा से विघटित करने के लिए देने हेतु लोगों में जागरूकता लाने और उनमें सहमति कायम करने की तत्काल आवश्यकता है, जिसके लिए प्रोत्साहन या कुछ नीतिगत व्यवस्था बनाई जानी चाहिए। कुछ अन्य संबद्ध मुद्दे भी हैं, जिनमें वाहन मालिकों के लिए प्रतिपूर्ति संरचना निर्धारित करना, स्क्रैपिंग के लिए पर्यावरण/सार्वजनिक स्वास्थ्य/संरक्षा मानदंड निर्धारित करना, स्क्रैपिंग/निस्तारण केन्द्रों पर वाहनों के संग्रहण की व्यवस्था, कच्चे माल की पुनरावर्तन और स्क्रैपिंग केन्द्रों के बीच संपर्क आदि शामिल हैं।

4.3.6 स्वैच्छिक वाहन रिकॉल सूचनाः

वाहन रिकॉल सिआम के जुलाई, 2012 में घोषित दिशानिर्देश *"वालन्टरी कोड ऑन व्हीकल रिकॉल"* के अनुसार है। यह दिशा–निर्देश विनिर्माण संबंधी खराबी के कारण सुरक्षा संबंधी अपेक्षाओं को पूरा नहीं करने वाले किसी मोटर वाहन में आने वाली संभावित समस्याओं का समाधान और तदुपरान्त उपचारात्मक कार्रवाई करता है। वाहन को सुरक्षा रिकॉल के अंतर्गत सात वर्षों के लिए कवर किया जाता है और यह सुविधा पहले क्रेता को मिलती है। रिकॉल का फैसला किसी भी निहित संभावित जोखिम की गम्भीरता और तीव्रता को ध्यान में रखकर किया जाता है। इस डेटा का रखरखाव भारी उद्योग विभाग की वेबसाइट पर एक लिंक के साथ सिआम द्वारा किया जाता है जिसको नियमित आधार पर अद्यतन किया जाता है।

4.3.7. राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान 2020:

भारत सरकार ने वर्ष 2011 में राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन को अनुमोदित किया। इसके बाद, माननीय प्रधानमंत्री ने 2013 में राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन (एनईएमएमपी) का उद्घाटन किया।

राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन योजना 2020, भारत सरकार की सबसे प्रमुख और महत्वाकांक्षी पहलों में से एक है और इसमें ऑटोमोटिव और परिवहन उद्योग में परिवर्तनकारी बदलाव लाने की क्षमता है। यह भारत में नीतियों के संयोजन के माध्यम से हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक सहयोगात्मक योजना की परिणति है। वर्ष 2020 तक, भारत में प्रौद्योगिकी स्वदेशीकरण को एक निश्चित स्तर सहित लगभग 6–7 मिलियन इलेक्ट्रिक/हाइब्रिड वाहनों की वाहन संख्या सुनिश्चित करना है, जिसमें कुछ वाहन वर्गों में भारत का वैश्विक नेतृत्व सुनिश्चित होगा।

4.3.8 ऑटोमोटिव मिशन योजना 2016–26:

4.3.8.1 विजन विवरणः परिकल्पित भविष्य को परिदृश्य के आधार पर, एएमपी 2026 के तहत भारतीय ऑटोमोटिव उद्योग के लिए विजन विवरण इस प्रकार है:

विजन 3/12/65

2026 तक, भारतीय ऑटोमोटिव उद्योग वाहनों की इंजीनियरिंग, विनिर्माण और निर्यात में विश्व में तीन शीर्ष स्थानों में होगा और भारत में वैश्विक मानक से तुलनीय वहनीय अवागमन और माल ढुलाई के लिए सुरक्षित,

कारगर और पर्यावरण अनुकूल स्थिति प्राप्त कर लेगा। यह उद्योग भारत के सकल घरेलू उत्पाद के 12% से अधिक मूल्य में बढ़ रहा है और 65 मिलियन अतिरिक्त नौकरियां पैदा कर रहा हैं।

4.3.8.2 ऑटोमोटिव मिशन योजना, 2026 का उद्देश्यः

2006–2016 की अवधि के लिए 'ऑटोमोटिव मिशन योजना' ऑटो नीति 2002 से एक कदम आगे थी। इसने ऑटोमोटिव उद्योग के लिए विकास लक्ष्य निर्धारित किए और भारत को एक वैश्विक ऑटोमोटिव हब बनाने के लिए अंतःक्षेप की सिफारिश की। मिशन प्लान में ऑटो मोबाइल और ऑटो घटकों के डिजाइन और विनिर्माण के लिए श्रेष्ठ स्थान के रूप में भारत के उभरने की परिकल्पना की गई है, जिसमें आउटपुट 145 बिलियन अमरीकी डॉलर (जो सकल घरेलू उत्पाद के 10% के बराबर है) होगा और वर्ष 2016 तक 25 मिलियन लोगों को अतिरिक्त रोजगार प्रदान किया जाए। इसमें वर्ष 2016 तक ऑटोमोटिव उद्योग के स्तर को ₹169000 करोड़ से ₹561200–₹731400 करोड़ तक करने की परिकल्पना की गई है।

ऑटोमोटिव मिशन योजना 2006–16 की सफलता से उद्योग और भारत सरकार को निश्चित रूप से प्रोत्साहन मिला जो संयुक्त रूप से भारतीय ऑटोमोटिव मिशन योजना 2016–26 पर काम कर रहे थे जिसका उद्देश्य तीन महत्वपूर्ण पहलुओं में सफलता अर्जित करना है जिन्हें ''विजन 3/12/65'' भी कहा जाता है। इसका उद्देश्य भारतीय ऑटोमोटिव उद्योग को वाहनों और ऑटो पुर्जों के इंजीनियरिंग विनिर्माण एवं निर्यात में विश्व में तीन शीर्ष में लाना है। इस विजन का दूसरा भाग यह सुनिश्चित करना है कि ऑटोमोटिव उद्योग भारत के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 12% योगदान करता है और अपने उत्तरदायित्व का एक प्रमुख भाग पूरा करने के लिए 65 मिलियन अतिरिक्त रोजगार पैदा करता है। 3/12/65 इस प्रकार बना है।

ऑटोमोटिव मिशन योजना 2026 में ऑटोमोटिव पारितंत्र के विकास पथ को परिभाषित किया गया है जिसमें विशिष्ट विनियम और नीतियाँ शामिल हैं जो ऑटोमोटिव वाहनों, कल पुर्जो और सेवाओं में अनुसंधान, डिजाइन, प्रौद्योगिकी, परीक्षण, विनिर्माण, आयात/निर्यात, बिक्री, उपयोग, मरम्मत और पुनरावर्तन को शासित करती हैं। उत्पाद और मूल संख्या की दृष्टि से, ऑटोमोटिव मिशन योजना 2016–26 के तहत वाहनों की बिक्री 2026 तक (अतिरिक्त 4.5 ट्रिलियन – 5.5 ट्रिलियन निवेश के साथ) 66 मिलियन यूनिट तक पहुँचने की आशा है। उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा वैश्विक रूप से निर्यात होने की संभावना है। इस वृद्धि से ऑटो कल–पुर्जा क्षेत्र के प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होने की उम्मीद है, जिससे काफी ज्यादा अवसर मिलेंगे। भारतीय ऑटोमोटिव उद्योग ने बड़ी तेजी से विकास किया है और अब हम यात्री वाहनों के मामले में चौथा बड़ा बाजार हैं।

भारी उद्योग विभाग भारत में ऑटोमोबाइल क्षेत्र के समग्र विकास के लिए राष्ट्रीय ऑटोमोटिव नीति निर्माण पर काम कर रहा है। कई साझेदारों से व्यक्तिशः परामर्श के बाद, विभाग ने मसौदा ऑटोमोटिव नीति को अंतिम रूप दिया है जिसमें अन्य के साथ–साथ निम्नांकित का भी प्रस्ताव किया गया है।

- बीएसवीआई से अधिक उत्सर्जन मानक के लिए एक दीर्घकालिक मार्गदर्शिका को अपनाना और इसे वर्ष 2028 तक वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाना।
- वर्ष 2025 तक और इसके बाद सीएएफई मानक शुरू करना और प्रोत्साहन/दंड तैयार करना और बैकिंग, व्यापार आरंभ करना।
- बिभेदक कराधान उद्देश्यों के लिए वाहनों के वर्गीकरण हेतु लंबाई और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के आधार पर एक व्यापक मानदंड अपनाना।
- डब्लू पी–29 के समान अगले 5 वर्षों में ऑटोमोटिव मानदंड को सुसंगत बनाना।

- कौशल विकास और परीक्षण पारितंत्र में सुधार करना, एएसडीसी के उत्तरदायित्व को बढ़ाना और श्रमिक बाजार सूचना प्रणाली का कार्यान्वयन।
- अनुसंधान एवं विकास व्यय के विभिन्न स्तरों पर एक सख्त लेखा परीक्षा नियंत्रण सहित कर के छूट को बनाए रखना।
- वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य नवोन्मेषण से स्वदेशी अनुसंधान एवं विकास को बढ़ाना।
- अगले तीन वर्षों में आवश्यक सुरक्षा पुर्जों संबंधी एआईएस एवं बीआईएस मानदंड को सुसंगत बनाना।
- भारत नव वाहन सुरक्षा मूल्यांकन कार्यक्रम का फास्ट ट्रैक अंगीकरण।

4.3.8.3 ऑटोमोटिव मिशन योजना 2026 का मूल उद्देश्य संक्षेप में इन पाँच विषय के अंतर्गत इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है:

- **ऑटोमोटिव मिशन योजना का उद्देश्य भारतीय ऑटोमोटिव उद्योग को "मेक इन इंडिया" कार्यक्रम** का इंजन बनाने के लिए बढ़ावा देना है, क्योंकि यह विनिर्माण क्षेत्र में एक प्रमुख उत्प्रेरक है: अगले दशक में, भारतीय ऑटोमोटिव क्षेत्र के देश के सकल घरेलू उत्पाद में 12% का अतिरिक्त योगदान करने और विनिर्माण क्षेत्र का 40% से अधिक बन जाने की संभावना है। लगभग 13% उत्पाद शुल्क प्राप्ति का श्रेय भारतीय ऑटोमोटिव उद्योग को जाता है। ऑटोमोटिव उद्योग को विनिर्माण क्षेत्र अर्थव्यवस्था की जननी भी कहा जा सकता है, क्योंकि इसकी स्थिति प्रत्यक्ष रूप से कई संबंधित विनिर्माण उद्योगों को प्रभावित करती है (उदाहरण–लौह एवं इस्पात,अलुमिनियम, लेड, रबर, प्लास्टिक, ग्लास, मशीन टूल, सांचा एवं डाई, रसायन और केपिटल गुड्स) और सेवा क्षेत्र में कई (उदाहरण–लोजिस्टिकस, बैंकिंग, बीमा, बिक्री एवं वितरण, सेवा एवं मरम्मत और ईंधन)। भारतीय ऑटोमोटिव उद्योग को तेज विकास से देश भर के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को अच्छा प्रोत्साहन मिलेगा, जिसका विकास सरकार के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है।
- **ऑटोमोटिव मिशन योजना 2026 का लक्ष्य भारतीय ऑटोमोटिव उद्योग को "स्किल इंडिया" योजना** में एक प्रमुख सहयोगी बनाना और इसे भारतीय अर्थव्यवस्था में रोजगार पैदा करने वाला एक बड़ा इंजन बनाना है। अगले दशक में भारतीय ऑटोमोटिव उद्योग द्वारा पैदा किए जाने वाले वृद्धिशील रोजगार की संख्या 65 मिलियन है। यह पिछले दशक में सृजित 25 मिलियन रोजगारों से अधिक है। ऑटोमोटिव उद्योग के विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों, ग्रामीण और शहरी भारत और अर्थव्यवस्था के औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्रों में दो दर्जन से ज्यादा उद्योगों के साथ कई पिछड़े और अग्रगामी संबंध है। भारतीय ऑटोमोटिव उद्योग में ज्यादातर नौकरी कौशल विशेषज्ञ प्राप्ति से जुड़ी है और ऑटोमोटिव क्षेत्र के भीतर अन्दरुनी और बाहर पेशेवर रूप से उन्नति के लिए लोगों को उपयुक्त तकनीकी और सॉफ्ट कौशल प्रदान किया जाता है। उच्च कौशल नौकरियां उत्पन्न करने के अलावा, उद्योग बड़ी संख्या में अर्द्ध–कुशल और अल्प–कुशल कर्मचारियों को भी रोजगार के अवसर प्रदान करता है।
- **एएमपी 2026 में मोबिलिटी को बढ़ाना**–एएमपी 2026 का फोकस सार्वजनिक और निजी परिवहन के दोनों विकल्पों के माध्यम से पर्यावरण सुरक्षा और उपलब्धता को ध्यान में रखकर देश में प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुरक्षित पर्याप्त और सुविधाजनक मोबिलिटी को बढाना है। इसका उद्देश्य उपभोक्ता को मोबिलिटी के विभिन्न विकल्पों को प्रदान करना है। ऑटोमोबाइल के प्रयोग से उत्पन्न होने वाले नकरात्मक वाहरी तत्वों, जैसे, भीड़, वायू प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग और सड़क दुर्घटनाओं को कम करने की आवश्यकता को भी ध्यान में रखते हुए एएमपी 2026 का उद्देश्य देश में मोबिलिटी को बढ़ावा देना और ऑटोमोबाइल के उद्योग से उत्पन्न बाह्य नकारात्मक तत्वों, यथा–जाम, वायु प्रदुषण, वैश्विक तापमान और सड़क दुर्घटनाओं को न्यूनतम करने की

आवश्यकता का समाधान करना भी है। एएमपी 2026 भारत में निजी परिवहन के लिए मनुष्य की अकांक्षा और सार्वजनिक परिवहन में दक्षता के बीच स्वस्थ संतुलन प्राप्त करने की मांग करता है।

- **एएमपी 2026 भारतीय ऑटोमोटिव उद्योग के निवल निर्यात को कई गुणा बढ़ाना चाहता है:** एएमपी 2026 में स्वीकार किया गया है कि भारतीय ऑटोमोटिव उद्योग (वाहन और ऑटो घटक दोनों) में अगले दस वर्षों में अपने कुल उत्पादन के 35–40% निर्यात को बढ़ाने और विश्व का शीर्ष ऑटोमोटिव निर्यात हब बनने की क्षमता है। इस धारणा के अनुरूप, प्रतिस्पर्धात्मकता, प्रौद्योगिकी की उन्नति, अवसंरचना विनिवेश और ब्रांडिंग को विकसित करने के लिए एएमपी 2026 में कई उपाय किए गए हैं। इलेक्ट्रोनिक्स के बढ़ते प्रयोग की वजह से आने वाले वर्षों में ऑटोमोबाइल निर्यात की तीव्रता में वृद्धि और वाहनों और उपकरणों के निर्माण में डिजाइन एवं इंजीनियरिंग के मूल्य में वृद्धि होने की संभावना है। वर्तमान में, भारत ऑटो इलेक्ट्रानिक्स और डिजाइन/इंजीनियरिंग दोनों क्षेत्रों में कौशल और क्षमता में कमी है। एएमपी 2026 में वाहनों और उपकरणों विशेष रूप से, ऑटोमोटिव इलेक्टॉनिक्स, हल्के वजन की सामग्रियों, मोल्डस एवं डाइज और मशीनरी के विनिर्माण में स्थानीय विनिर्माताओं की हिस्सेदारी को बढ़ाने की बात कही गई है जिससे देश को पर्याप्त विदेशी मुद्रा की बचत होगी और साथ ही ''मेक इन इंडिया'' कार्यक्रम को भी बढ़ावा मिलेगा। एएमपी 2026 का उद्देश्य ऑटोमोटिव वाहनों और उपकरणों दोनों के अनुसंधान, डिजाइन, इंजीनियरिंग और विनिर्माण में स्वदेशी की मात्रा को बढ़ाना है। भारत में डिजाइन और ऑटोमोबाइल के डिजाइन के विकास के लिए मजबूत पारितंत्र का विकास करना एक महत्वपूर्ण स्तम्भ है जिससे उद्योग की सफलता निर्धारित होती है। यह ब्रांड इंडिया को वर्तमान के कम लागत विनिर्माता के टैग से अधिक आकांक्षी बनाने में उपयोगी होगा।

- **व्यापक और स्थिर नीति व्यवस्था की आवश्यकता:** देश के सामाजिक–आर्थिक विकास में भारतीय ऑटोमोटिव उद्योग के विशेष योगदान को देखते हुए, यह आवश्यक है कि इस उद्योग के लिए और व्यापक और संभाव्य नीतिगत व्यवस्था हो ताकि यह क्षेत्र स्थिर और संधारणीय तरीके से आगे बढ़ सके। दुनिया भर में, हर आर्थिक रूप से उन्नत राष्ट्र ने सरकार के समर्थन और ऑटोमोटिव उद्योग का विकास करके ही विकसित बनने में सफलता प्राप्त की है। विभिन्न साझेदारों पर ऑटोमोटिव क्षेत्र के व्यापक और विशेष प्रभाव भारतीय लोकतंत्र की जीवंतता को देखते हुए ऑटो क्षेत्र के विनियमों और नीतियों पर कई लॉबियों का दबाव और खिंचाव बढ़ जाता है। इसलिए भारतीय ऑटोमोटिव उद्योग के लिए एक निष्पक्ष और पूर्वानुमानित प्रशासन के वातावरण को सुनिश्चित करने के लिए, ऑटोमोटिव मिशन कार्यक्रम 2026 में ऑटो क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण नीति निर्माण के पथ पर सरकार के विचारों को व्यक्त किया गया है, ताकि उद्योग को प्रभावित करने वाले सभी नियमों को बड़े पैमाने पर केन्द्र और राज्यों दोनों में सामंजस्यपूर्ण तरीके से लागू करने के लिए तैयार किया जा सके।

4.3.9 फेम इंडिया स्कीम:

राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी योजना (एनईएमएमपी) 2020: 2013 में शुरू इस योजना का लक्ष्य वर्ष 2020 तक 6–7 मिलियन इलेक्ट्रिक वाहन उपलब्ध कराना है। भारी उद्योग विभाग ने एक योजना नामतः फेम–इंडिया (भारत में (हाइब्रिड और) इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण एवं विनिर्माण) तैयार की जिसका उद्देश्य हाइब्रिड/इलेक्ट्रिक वाहन प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना है जिससे जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता में कमी आए। यह समग्र योजना वर्ष 2020 यानी 6 वर्षों की अवधि तक कार्यान्वित होने प्रस्ताव है जिसका उद्देश्य हाइब्रिड/इलेक्ट्रिक वाहन बाजार विकास और आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए इसकी विनिर्माणकारी परिस्थितिकी–तंत्र की सहायता करना है। यह योजना सड़क परिवहन में हाइब्रिड/इलेक्ट्रिक प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की प्रमुख हरित पहलों में से एक है जो निकट भविष्य में सड़क परिवहन से

प्रदूषण को कम करने में बड़ा योगदान करेगी। योजना का चरण–I शुरू में दो वर्षों के लिए अनुमोदित हुआ था, जिसे ₹795 करोड़ के साथ दिनांक 01 अप्रैल, 2015 से 31 मार्च, 2017 तक कार्यान्वित किया गया। योजना के चरण–I की अवधि समय–समय पर बढ़ायी गयी और ₹895 करोड़ तक कुल परिव्यय में वृद्धि सहित 31 मार्च, 2019 तक पिछली बढ़त की अनुमति दी गई।

योजना के चार फोकस क्षेत्र हैं अर्थात् प्रौद्योगिकी विकास, मांग सृजन, प्रायोगिक परियोजनाएं और चार्जिंग अवसंरचना।

मांग प्रोत्साहन के माध्यम से बाजार निर्माण का उद्देश्य सभी वाहन श्रेणियों जैसे– दुपहिया, तिपहिया, चौपहिया यात्री वाहनों, हल्के वाणिज्यिक वाहनों और बसों को प्रोत्साहन देना है। इस योजना में लोगों के लिए किफायती तथा पर्यावरण अनुकूल सार्वजनिक तथा निजी परिवहन/व्हीकुलर मोबिलिटी उपलब्ध कराने पर अधिक बल दिया जाता है। इसे व्यापक रूप से अपनाने हेतु रियायती खरीद मूल्य के रूप में खरीददारों (अंतिम उपयोगकर्ता/उपभोक्ता) को तत्काल छूट के रूप में मांग प्रोत्साहन उपलब्ध है। ईंधन बचत, रखरखाव लागत आदि पर स्वामित्व के सिद्धांतों, भुगतान वापसी अवधि, मेंटनेन्स लागत आदि को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक श्रेणी के वाहनों (वाहन–तकनीक–बैटरी टाइप) के लिए मांग प्रोत्साहन राशि का निर्धारण किया गया है।

योजना के फोकस क्षेत्रों की सहायता करने के लिए सचिव (भारी उद्योग विभाग) की अध्यक्षता में विशेष परियोजनाएं अनुसंधान एवं विकास/प्रौद्योगिकी विकास एवं सार्वजनिक चार्जिंग अवसंरचना संघटक परियोजना कार्यान्वयन और स्वीकृति समिति (पीआईएससी) द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

4.3.9.1 फेम इंडिया योजना के चरण–I की उपलब्धिः

- लगभग 2.8 लाख इलेक्ट्रिक/हाइब्रिड वाहनों को लगभग ₹360 करोड़ की वित्तीय सहायता से प्रोत्साहन दिया।
- डीएसटी सहित इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए प्रौद्योगिकी प्लाटफॉर्म के माध्यम से विभिन्न अनुसंधान एवं विकास और अकादमिक सगंठनों/संस्थाओं के लिए लगभग ₹158 करोड़ की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। पायलट प्रोजेक्ट के लिए लगभग ₹361 करोड़ मंजूर किए गए जिसमें चार्जिंग अवसंरचना भी शामिल है। इसमें 9 शहरों के लिए 465 ई–बसों की मंजूरी भी शामिल है।
- यह योजना भारत सरकार तथा राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों सहित सभी स्टेकहोल्डरों के बीच इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर मुख्य नीतिगत वार्तालाप का सृजन करने में काफी सफल रही थी।
- स्कीम के परिणाम और अनुभव के आधार पर सरकार द्वारा फेम इंडिया योजना, चरण–II को अनुमोदित किया गया और 8 मार्च, 2019 को अधिसूचित किया गया।

भारत सरकार ने परीक्षण अवसंरचना की स्थापना, एक्सईवी चार्जिग स्टेशनों के लिए विशिष्टीकरण एवं मसौदा मानकों की तैयारी, विद्युतीकृत परिवहन में उन्नत अनुसंधान के लिए केन्द्र की स्थापना, भारतीय ऑटोमोटिव अनुसंधान संघ (एआरएआई), आईआईटी, मद्रास, आईआईटी, कानपुर, अलौह मेटेरियल प्रौद्योगिकी विकास केन्द्र (एनएफटीडीसी), अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) आदि जैसे विभिन्न संगठनों/संस्थानों द्वारा बैटरी इंजीनियरिंग केन्द्र की स्थापना जैसी प्रौद्योगिकी विकास परियोजनाओं के लिए लगभग ₹65 करोड़ भी मंजूर किए हैं।

भारी उद्योग विभाग ने दिनांक 31 अक्तूबर, 2017 को, ई–मोबिलिटी पर जोर देने के लिए रूचि प्रकटन के माध्यम से दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों और विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए इलेक्ट्रिक बसों, इलेक्ट्रिक चौपहिया यात्री कार एवं इलेक्ट्रिक तिपहिया

वाहनों के संयोजन में मांग प्रोत्साहन देने का परामर्श देते हुए, इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन पर आधारित सार्वजनिक एवं सहभाजित मोबिलिटी की घोषणी की। इस रूचि प्रकटन को निम्नलिखित प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है: 21 राज्यों में 44 शहरों से 47 प्रस्तावों की प्राप्ति जिसमें 3144 ई–तिपहिया ऑटो की मांग शामिल है।

इन प्रस्तावों के मूल्यांकन के बाद, पायलेट परियोजना के रूप में वर्तमान रुचि प्रकटन के तहत ग्यारह शहरों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए चुने गए/चयनित शहरों को निविदा प्रक्रिया को अंतिम रूप देने और 28 फरवरी, 2018 से पहले आपूर्ति आदेश जारी करने की आवश्यकता थी। चयनित ग्यारह (11) शहरों, में से नौ (9) शहरों ने अपने निविदा प्रक्रिया को अंतिम रूप दे दिया है और चयनित बोलीकर्ता को लेटर ऑफ अवार्ड जारी किया गया। तद्नुसार, इन 9 शहरों में 425 ई–बसों को सहायता दी जा रही है:

4.3.9.2 निधि के अवंटन तथा उपयोग की स्थिति:

वित्तीय वर्ष	निधि आबंटन	निधि का उपयोग
2015–16	₹75.00 करोड़	₹ 75.00 करोड़
2016–17	₹144.00 करोड़	₹144.00 करोड़
2017–18	₹165.00 करोड़	₹165.00 करोड़
2018–19	₹145.00 करोड़	₹145.00 करोड़
कुल	₹529.00 करोड़	₹ 529.00 करोड़

4.3.9.3 फेम इंडिया योजना का चरण–II

फेम इंडिया के चरण–I में प्राप्त अनुभव तथा विभिन्न स्टेकहोल्डरों के सुझावों के आधार पर, भारी उद्योग विभाग ने मंत्रिमंडल के अनुमोदन के साथ दिनांक 8 मार्च, 2019 के क.आ. 1300 के तहत योजना के चरण–II के अधिसूचित किया। योजना के चरण–II ₹10,000 करोड़ के परिव्यय के साथ दिनांक 01 अप्रैल, 2019 से आरंभ होकर तीन वर्ष की अवधि के लिए है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर रियायती छूट देकर इलेक्ट्रिक एवं हाइब्रिड वाहनों के तीव्र अंगीकरण को प्रोत्साहित करना तथा इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए जरूरी चार्जिंग अवसंरचना की स्थापना करना भी है। यह योजना पर्यावरणीय प्रदूषण तथा ईंधन सुरक्षा के मुद्दों का समाधान करने में मदद करेगी।

योजना के इस चरण में, सार्वजनिक परिवहन के विद्युतीकरण पर अधिक जोर दिया गया है जिसमें साझा परिवहन भी शामिल है। इलेक्ट्रिक बसों के लिए परिचालित व्यय पर मांग प्रोत्साहन राज्य/शहर परिवहन निगम (एसटीयूज) के माध्यम से दिया जाएगा। तिपहिया और चौपहिया वाहन श्रेणी में प्रोत्साहन प्रमुख रूप से सार्वजनिक परिवहन या वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए पंजीकृत वाहनों के लिए मुख्य रूप से प्रोत्साहन लागू होगा। दुपहिया वाहनों की श्रेणी में, निजी वाहनों पर फोकस होगा। इस योजना का उद्देश्य 7000 ई–बसों, 5 लाख ई–तिपहिया, 55000 ई–चौपहिया यात्री कारों और 10 लाख ई–दुपहिया वाहनों की सहायता करते हुए मांग सृजन करना है। इस योजना के तहत चुनिंदा शहरों में और प्रमुख राजमार्गों में चार्जिंग अवसंरचना के निर्माण को सहायता दी जाएगी।

4.3.9.4 फेम इंडिया चरण–II की प्रमुख विशेषताएँ

3 वर्षों की अवधि के लिए ₹10,000 करोड़ का परिव्यय:

- इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को प्रोत्साहन देने के हमारे आशय के बारे में उद्योग जगत और विश्व को स्पष्ट संदेश।

महत्वकांक्षी लक्ष्य:

- कई आईसीई ओईएम, जो इलेक्ट्रिक वाहन नहीं बना रहे थे, अब अपनी रणनिति पर विचार कर रहे हैं।

सार्वजनिक एवं साझा परिवहन पर ध्यान:

- योजना की बढ़ती हुई संख्या के साथ, इलेक्ट्रिक वाहनों

विशेषकर बसों में भारत, चीन के बाद दूसरे स्थान पर होने जा रहा है।

वाहनों का प्रदर्शन:

- स्टेकहोल्डर परामर्शदाता के अनुसार पात्रता के लिए उच्चतर गुणवत्ता प्रदर्शन मानदंड।

मांग प्रोत्साहन:

- वाहन बैटरी के ऊर्जा पदार्थ के आधार पर प्रोत्साहन।

चार्जिंग अवसंरचना:

- चार्जिंग अवसंरचना की स्थापना के लिए योजना में पर्याप्त प्रावधान है।

वाहन श्रेणी	बसें	दुपहिया	तिपहिया	चौपहिया कारें
ईवी प्रौद्योगिकी	इलेक्ट्रिक	इलेक्ट्रिक	इलेक्ट्रिक	मजबूत हाइब्रिड प्लग इन हाइब्रिड एवं इलेक्ट्रिक
उपयोग	सार्वजनिक परिवहन	• निजी उपयोग • वाणिज्यिक उपयोग • साझा परिवहन	• वाणिज्यिक उपयोग • साझा परिवहन	• वाणिज्यिक उपयोग • साझा परिवहन
प्रोत्साहन	₹20000/– किवा. घ.	₹10000/– किवा.घ.	₹10000/– किवा.घ.	₹10000/– किवा.घ.
प्रतिपूर्ति का प्रकार	एसटीयू के माध्यम से	फेम–II के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से	फेम–II के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से	फेम–II के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से
सहायता दिए जाने वाले वाहनों की सं.	लगभग 7000	लगभग 1 मिलियन	लगभग 5 लाख	लगभग 55000

स्थानीकरण सामग्री: फेम इंडिया योजना–II के तहत, भारत में कुछ न्यूनतम स्थानीकरण सामग्री सहित विनिर्माण किए जाने वाले वाहन

- ई–बसों और ई–कारों के लिए 40%
- ई–दुपहिया और ई–तिपहिया वाहनों के लिए 50%

स्थानीकरण के लिए भारी उद्योग विभाग ने विभिन्न असेंबली, सब–असेंबली एवं पुर्जों के लिए चरणबद्ध विनिर्माण योजना (स्थानीयकरण) जारी की।

आज की तारीख में 13 मूल उपकरण विनिर्माता के संबंध में सभी श्रेणी के ई–वाहनों के कुल 35 मॉडल अनुमोदित हुए हैं।

4.4 ऑटो सेक्टर के लिए उपलब्धियाँ:

4.4.1 वर्ष 2018–19 में ऑटो सेक्टर की उपलब्धियाँ निम्नलिखित हैं:

- बिक्री: 119 यूएसडी बिलियन (₹8.2 लाख करोड़)
- सकल घरेलू उत्पाद के 7.1% के रूप में कुल बिक्री (पुराना सीरीज)
- प्रौद्योगिक सकल घरेलू उत्पाद के % के रूप में कुल बिक्री : 27% (पुराना सीरीज)
- विनिर्माण सकल घरेलू उत्पाद के % के रूप में कुल बिक्री: 49% (पुराना सीरीज)
- प्रत्यक्ष रोजगार: 8 मिलियन

- अप्रत्यक्ष रोजगार : 29 मिलियन
- प्रतिशत निर्यात : 8 % (~25 बिलियन अमरीकी डॉलर)
- प्रतिशत आयातः 3.48 % (~16 बिलियन अमरीकी डॉलर)
- वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी): 1.5 लाख करोड़ (कुल जीएसटी वसूली का 15 %)

आज, भारत के बाजार में अधिकतर बहुराष्ट्रीय मूल उपकरण विनिर्माता है और वे स्थानीय बाजार की आवश्यकताओं की पूर्ति और बड़ी मात्रा में निर्यात कर रहे हैं।

4.4.2 वर्ष 2018–19 में श्रेणीवार उत्पादन आंकड़ा (मिलियन यूनिट):

श्रेणी	कुल उत्पादन	कुल बिक्री	कुल निर्यात	विनिर्माण में विश्वावार सूची वरीयता
दुपहिया	24.5	21.18	3.28	सं. 1
तिपहिया	1.27	0.70	0.57	सं. 1
चौपहिया यात्री कार	4.02	3.38	0.68	सं. 4
वाणिज्यिक वाहन	1.11	1.01	0.10	सं. 7
कुल	**30.9**	**26.27**	**4.63**	सं. **4**

4.4.2 (i) उत्पादनः वित्तीय वर्ष 2017–18 में वाहनों का उत्पादन 29.0 मिलियन से (वृद्धि दर 6.2% है) बढ़कर यह वित्तीय वर्ष 2018–19 में 30.9 मिलियन हो गया जिसमें यात्री वाहन, वाणिज्यिक वाहन, तिपहिया, दुपहिया और क्वाड्रिसाइकल शामिल है।

4.4.2 (ii) निर्यातः सकल ऑटोमोबाइल निर्यात वित्तीय वर्ष 2017–18 में 4.04 मिलियन से बढ़कर 4.62 मिलियन हो गया (वृद्धि दर प्रतिशत 14.50%) है।

वर्ष 2012–13 से 2018–19 के दौरान विभिन्न आटोमोबाइल सेगमेंटों के आटोमोबाइल उत्पादन, बिक्री और निर्यात का ब्यौरा निम्नानुसार है :

4.3 घरेलू ऑटोमोबाइल उत्पादनः

(सं. हजार में)

	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
उत्पादित वाहनों की संख्या	20,626	21,500	23,366	24,016	25,330	29,094	30,915
वृद्धि%	1.20	4.24	8.68	2.78	5.48	14.86	6.26

(स्रोतः सिआम)

4.4 घरेलू ऑटोमोबाइल बिक्रीः

(सं. हजार में)

	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
बिक्री किए गए वाहनों की संख्या	17815	18423	19752	20468	21863	24981	26267
वृद्धि%	2.61	3.41	7.22	3.63	6.81	14.26	5.15

(स्रोतः सिआम)

4.5 ऑटोमोबाइल निर्यातः

(सं. हजार में)

	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
निर्यात वाहनों की संख्या	2,898	3,110	3,573	3643	3480	4042	4629
वृद्धि%	-1.34	7.31	14.89	1.95	-4.47	16.15	14.50

(स्रोतः सिआम)

जीएसटी रेजीम के तहत, आईसीई वाहनों की सभी श्रेणी के लिए जीएसटी 28% और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 5% है। इसके अतिरिक्त, सभी आईसीई वाहन की श्रेणी उसकी लंबाई, ग्राउंड क्लीयरेंस इंजन के आकार के अनुसार सीसी के आधार पर 1% से 22% तक क्षतिपूर्ति उपकर के अधीन है।

प्रौद्योगिकी उन्नयन और अनुसंधान एवं विकास

5 अध्याय

5.1 भारत ने व्यापक किस्म की बुनियादी और पूंजीगत सामग्रियों के उत्पादन के लिए सुदृढ़ और विविधीकृत विनिर्माण आधार स्थापित किया है ताकि भारी इलेक्ट्रिकल, विद्युत उत्पादन और पारेषण उद्योगों, प्रक्रिया उपकरण, ऑटोमोबाइल्स, जहाजों, विमानों, खनन, रासायनिक, पेट्रोलियम आदि सहित विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। तथापि, भारत की अर्थव्यवस्था में विनिर्माण क्षेत्र का हिस्सा अभी काफी कम है। इसमें विकास की काफी क्षमता है, जो वैश्वीकृत विश्व अर्थव्यवस्था में उत्पादकता और प्रतिस्पर्द्धात्मकता में सुधार से हो सकता है। प्रतिस्पर्द्धात्मकता में नवीनता और नई प्रौद्योगिकियों का अंगीकरण प्रमुख कारक होते हैं। भारतीय परिप्रेक्ष्य में, अर्थव्यवस्था को खोलने और इसके फलस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धियों के आने से अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सामग्रियों और सेवाओं का उत्पादन और उनकी आवश्यकता काफी बढ़ गई है। भारतीय उद्योग ने तेजी से बदलते वातावरण में ग्राहकों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कई उपाय किए हैं। विभाग के अधीन सरकारी क्षेत्र के उद्यम भी सहयोग तथा अनुसंधान और विकास संबंधी आंतरिक प्रयासों के माध्यम से नई प्रोद्योगिकियां अपनाने और उनके अनुरूप अपनी योजनाओं पर कार्य कर रहे हैं। इस संबंध में की गई कुछ पहलों का विवरण नीचे दिया गया है:

5.2 राष्ट्रीय ऑटोमोटिव परीक्षण और अनुसंधान एवं विकास अवसंरचना परियोजना (नेट्रिप)

1. राष्ट्रीय ऑटोमोटिव परीक्षण और अनुसंधान एवं विकास अवसंरचना परियोजना (नेट्रिप) ऑटोमोबाइल और ऑटो घटक उद्योग के लिए अनुसंधान एवं विकास की सुविधाएं उपलब्ध कराने के अलावा, सुरक्षा, उत्सर्जन आदि में विश्व स्तरीय विनियमों को स्थापित करने हेतु भारी उद्योग विभाग की एक मुख्य परियोजना है। परियोजना को वर्ष 2005 में स्थापित किया गया था। आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) ने ₹3727.30 करोड़ के वर्धित वित्तीय परिव्यय के साथ जून, 2019 में नेट्रिप के पूर्ण होने की निर्धारित तिथि के विस्तार की मंजूरी दी।

2. नेट्रिप का वित्त पोषण अनुदान सहायता, ब्याज मुक्त ऋण और उपयोगकर्ता प्रभारों के माध्यम से केन्द्र सरकार द्वारा किया जा रहा है जिसे परियोजना के तहत विकसित सुविधाओं के लिए केन्द्रों से एकत्र किया जाएगा।

3. परियोजना में एआरएआई, पुणे और वीआरडीई, अहमदनगर में दो केन्द्रों के उन्नयन और आईसीएटी, मानेसर, जीएआरसी/चेन्नई, नेट्रेक्स/इंदौर और एनआईएएमआईटी/सिलचर में नवीनतम परीक्षण और होमोलोगेशन के 4 केन्द्र स्थापित करने की परिकल्पना की गई। आरसीई–II की कार्रवाई करते समय, ईएफसी ने बताया कि रायबरेली केन्द्र पर परिकल्पित सुविधाएं पहले से अन्य केन्द्रों पर उपलब्ध हैं और चूंकि भूमि अधिग्रहण के कारण परियोजना में विलम्ब हो रहा था, एक्सिडेंटल डाटा एनालिसिस सेंटर (एडीएसी) के अलावा, केन्द्र को बंद किया जा सकता है। तदनुसार, सीसीईए ने सिफारिश को अनुमोदित किया और निर्णय लिया कि एडीएसी को अन्य केन्द्रों के साथ समायोजित किया जा सकता है। एडीएसी को वर्तमान में नेट्रिप मुख्यालय से चलाया जा रहा है। निम्नलिखित स्थलों पर ऑटो क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को सुगम बनाने

के लिए उत्कृष्ट केन्द्रों का भी सृजन किया गया है:

- आईसीएसटी, मानेसर–काम्पोनेंट लैब और एनवीएच लैब।
- जीएआरसी, चेन्नई– पैसिव सुरक्षा लैब, इन्फोट्रोनिक्स लैब और इलेक्ट्रोमेगनेटिक कम्पेटिबिलीटी (ईएमसी) लैब।
- नेट्रेक्स–इंदौर– वाहन गतिशीलता प्रयोगशाला और परीक्षण ट्रैक (14 में से 13 प्रचालनरत हैं)
- एआरएआई, पुणे–पावर ट्रेन लैब और फटीग लैब ।

4. सीसीईए अनुमोदन के अनुसार, नेट्रिप ने स्वीकृत 22 सुविधाओं में से 20 को पूरा कर लिया है। नेट्रिप के विभिन्न केन्द्रों के तहत सृजित कुछ सुविधाएं नीचे दी गई हैं:

- आईसीएटी, मानेसर– पैसिव सेफ्टी लैब, पावर ट्रेन लैब, ईएमसी लैब, फटीग लैब, सीएडी/सीएई, काम्पोनेंट लैब, इन्फोट्रोनिक्स लैब, एनवीएच लैब, कैलिब्रेशन लैब, टायर परीक्षण लैब और प्रमाणन लैब, इलेक्ट्रो मेगनेटिक कम्पेटिबिलिटी (ईएमसी) लैब।
- जीएआरसी, चेन्नई– फटींग लैब और प्रमाणन लैब, परीक्षण ट्रैक, सीएडी/सीएई लैब और इन्फोट्रोनिक्स लैब, पावर ट्रेन लैब, इलेक्ट्रो मेगनोटिक कम्पेटिबिलिटी लैब।
- नेट्रेक्स–इंदौर पावर ट्रेन लैब, वाहन गतिशीलता लैब, सीएडी/सीएई लैब और परीक्षण ट्रेक (14 में से 13 प्रचालनरत हैं)
- वीआरडीई, अहमदनगर–इलेक्ट्रो मेगनेटिक कम्पेटिबिलीटी (ईएमसी) लैब और एबीएस परीक्षण ट्रैक।
- एनआईएएमआईटी, सिलचर–प्रशिक्षण परीक्षण ट्रैक,मॉडल आई एंड एम, मेकिनिक्स प्रशिक्षण संस्थान (एमटीआई), ड्राइवर प्रशिक्षण संस्थान (डीटीआई)।
- एआरएआई–पुणे– पैसिव सेफ्टी लैब, पावर ट्रेन लैब और फटीग लैब।

निर्माण शुरु की जाने वाली शेष 2 सुविधाएं निम्नलिखित हैं:

- नेट्रेक्स/इंदौर में हाई स्पीड परीक्षण ट्रैक (एचएसटी) का निर्माण किया जा रहा है।
- जीएआरसी/चेन्नई में उन्नत पैसिव सुरक्षा लैब का निर्माण और कार्य का आरंभ किया जा रहा है।

5. भारी उद्योग विभाग की पहल ने, वाहन संबंधी सुरक्षा, उत्सर्जन को कम करने और कार्य निष्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से विद्यमान और उभरते ऑटोमोटिव मानकों के अनुसार वाहनों और कलपुर्जों के परीक्षण हेतु देश के अंदर विश्व स्तरीय अवसंरचना की उपलब्धता सुनिश्चित की है, जिससे ऑटोमोटिव उद्योग के आधुनिकीकरण में मदद मिल रही है। इससे भारत की वैश्विक पैठ को बढाने, अधिक मूल्य वर्धन को बढ़ावा देने और इस प्रकार से इस क्षेत्र में रोजगार सृजन को पर्याप्त रूप से बढ़ाने के लिए भारत में ऑटोमोटिव विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ाने में भी मदद मिली है।

भविष्य में, इससे ऑटोमोटिव मिशन योजना (एएमपी) को बढ़ाने में, ऑटोमोबाइल और ऑटो कलपुर्जों के लिए भारत को एक वैश्विक आउट सोर्सिंग केन्द्र बनाने मे भी मदद मिलेगी।

सरकारी निजी भागीदारी (पीपीपी) पद्धति पर केन्द्रें के प्रचालन हेतु संभावनाओं का पता लगाया जा रहा है।

5.3 ऑटोमोटिव रिसर्च एसोशिएशन ऑफ इंडिया (एआरएआई), पुणे में स्थित है और लगभग 15000 वर्ग मीटर क्षेत्र में बना है। एआरएआई में निम्नलिखित सुविधाएं हैं:

एआरएआई एक कॉपरेटिव अनुसंधान संगठन है जिसे

वर्ष 1966 में भारतीय वाहन एवं ऑटोमोटिव सहायक विनिर्माताओं तथा भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। एआरएआई भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय से सम्बद्ध है और वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त है। यह एक आईएसओ 9001–2008, आईएसओ 14001–2004 और ओएचएसएएस 18001–2007 प्रमाणित संगठन है और अपनी मुख्य प्रमाणन सुविधाओं के लिए परीक्षण एवं केलिब्रेशन प्रयोगशालाओं हेतु राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) से भी मान्यता प्राप्त है।

एआरएआई 1860 के सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम XXI तहत एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत है और मुख्य ऑटोमोबाइल एवं सहायक विनिर्माता इसके सदस्य हैं। शासी परिषद में भारत सरकार के प्रतिनिधि और भारतीय ऑटोमोटिव उद्योग के सदस्य शामिल हैं।

एआरआई सुरक्षा, प्रदुषण को कम करने और अधिक दक्ष वाहन सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यह अनुसंधान एवं विकास, परीक्षण, प्रमाणन, होमोलोगेशन और वाहन संबंधी विनियम बनाने में तकनीकी विशेषज्ञता उपलब्ध कराता है।

एआरएआई में नवीनतम अनुसंधान एवं विकास और परीक्षण सुविधाओं का घरेलू सीएमवीआर टाइप अनुमोदन और विशेषज्ञ होमोलोगेशन गतिविधियों के साथ इन–हाउस अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं प्रायोजित करने हेतु अधिक उपयोग किया जाता है।

सितम्बर, 2019 तक वर्ष 2018 का एआरएआई की उपलब्धियां निम्नानुसार हैं:

- ओवर ड्राइव द्वारा ''हॉल ऑफ फ्रेम अवार्ड–सीएनबीसी टीवी 18'' से मान्यता प्राप्त।
- निदेशक एआरएआई को एसएई फाउंडेशन द्वारा ''इंजीनियरिंग उत्कृष्टता पुरस्कार'' प्रदान किया गया।
- एआरएआई द्वारा जारी भारत में पहला बीएस VI प्रमाण–पत्र।
- वर्चुअल केलिब्रेशन केन्द्र और पर्यावरण अनुसंधान प्रयोगशाला का उद्घाटन।
- कॉपीराइट ऑफिस, भारत सरकार द्वारा '' डाटा बैक ऑल केमिकल, मेकेनिकल, फीजीकल एंड डायनामिक प्रोपर्टिज का ऑटोमोटिव ग्रेड हाई स्ट्रैन्थ स्टील्स (एएचएसएस)'' को कॉपीराइट प्रदान किया गया।
- निदेशक एआरएआई को *''ई–मोबिलीटी + लीडरशिप अवार्ड 2018''* प्रदान किया गया।
- पेटेंट कार्यालय, भारत सरकार द्वारा ''घरेलू उपकरणों के लिए बायो डीजल उत्पादन हेतु उन्नत प्रक्रिया एवं उपकरण'' हेतु पेटेंट प्रदान किया गया।
- टीआरआईएएस 31 परीक्षणों के लिए जापान द्वारा राष्ट्रीय ट्रैफिक सुरक्षा और पर्यावरण प्रयोगशाला (एनटीएसईएल) द्वारा मान्यता प्राप्त।
- सीएचएडीईएमओ के लिए सीसीएस और सीएचएडीईएमओ हेतु सीएचएआरआईएन संघ से सहयोग।
- इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एसी और डीसी सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन और ईवी एंड ईवीएसई सिमुलेटर का विकास।
- एसआईएटी 2019 और आईआरसीओबीआई एशिया 2018 सम्मेलनों सर्वश्रेष्ठ तकनीकी पेपर पुरस्कार।
- टेलिकॉम उपकरण के परीक्षण हेतु 'कन्फर्मिटी एसेसमेंट बॉडी' के रूप में टेलिकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग केन्द्र, टेलिकम्युनिकेशन विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त।
- स्वर्ण श्रेणी में ऊर्जा एवं पर्यावरण फाउंडेशन वैश्विक सततता पुरस्कार 2019।
- महाराष्ट्र ऊर्जा विकास एजेंसी (एमईडीए) द्वारा ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार दिया गया।
- एनसीएल और आईआईएसईआर, पुणे के साथ हार्डवेयर एडिशन ऑफ स्मार्ट इंडिया हेकाथन (एसआईएच) 2019 का आयोजन।

5.4 फ्लूइड कंट्रोल रिसर्च इंस्टिट्यूट (एफसीआरआई), पलक्कड़, केरल

फ्लूइड कंट्रोल रिसर्च इंस्टिट्यूट (एफसीआरआई) भारी उद्योग विभाग, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन है जो पलक्कड़, केरल में स्थित है। एफसीआरआई को सोसाइटी अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत यूएनडीपी से सहायता के साथ वर्ष 1987 में स्थापित किया गया था। इस संस्थान में जल, तेल और एयर मीडिया में प्रवाह उत्पादों की केलिब्रेशन/परीक्षण के लिए पूर्ण रूप से विकसित एनएबीएल से मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाएं हैं। यह उद्योग को औद्योगिक सेवाएं और समाधान प्रदान करने वाला प्रमुख संस्थान है।

प्रवाह मापन के लिए एफसीआरआई की फ्लूइड फ्लो प्रयोगशालाएं राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय मानकों के समान हैं और एनएबीएल द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। ये सुविधाएं प्रवाह इंजीनियरिंग के लिए काफी व्यापक हैं और भारत तथा विदेश में उद्योग के लिए एक विशिष्ट संसाधन उपलब्ध कराती हैं। प्रवाह उत्पादों के लिए केलिब्रेशन/मूल्यांकन के साथ–साथ प्रायोजित अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रमों के लिए सभी सुविधाओं का उपयोग किया जाता है। एनएबीएल की पात्रता के अनुपालन के आधार पर और आईएसओ मानक 17025–2005 के अनुसार मान्यता दी गई है। एनएबीएल से मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं को स्वतः ही एशिया–प्रशांत प्रमाणन निगम (एपीएलएसी) और अंतर्राष्ट्रीय प्रयोगशाला प्रमाणन निगम (आईएलएसी) से अनुमोदन मिल जाता है।

एफसीआरआई में प्रवाह प्रयोगशालाएं यूरोप में इसी प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय सुविधाओं के अनुसार हैं, जैसाकि नेशनल इंजीनियरिंग लेबोरेट्री–यूके, डेल्फी हाइड्रोलिक लेबोरेट्री–नीदरलैंड, डेनमार्क टेक, इंस्टिट्यूट –डेनमार्क, एनआईएसटी–यूएसए और चेक मेट्रोलॉजी इंस्टिट्यूट आदि के साथ नियमित अंतर–प्रयोगशाला तुलना से साबित किया गया है। संस्थान का प्रमुख उद्देश्य देश में प्रवाह उत्पाद उद्योग के लिए अनुसंधान एवं विकास सहायता स्थापित करना और प्रवाह मापन तथा यंत्र विन्यास की गुणवत्ता और विश्वसनीयता का उन्नयन करना है। उच्च स्तरीय कौशल विकास और औद्योगिक कर्मियों का प्रशिक्षण भी एक अभिन्न गतिविधि है।

एफसीआरआई में प्रवाह उत्पादों की गुणवत्ता की गारंटी अधिकांशतः आईएसओ, आईएसए, एपीआई, एएसटीएम और ओआईएमएल जैसे अंतर्राष्ट्रीय मानकों के संदर्भ में की जाती है।

एफसीआरआई द्वारा जारी/हाल ही में पूर्ण की गई परियोजनाएं निम्नालिखित हैं:

(क) **लोटस (भारत में शहरी और ग्रामीण जल प्रणालियों के लिए पानी की गुणवत्ता की निगरानी करने तथा जल संसाधन हेतु कम लागत वाली अभिनव प्रौद्योगिकी):** एफसीआरआई आईआईटी, गुवाहाटी और आईआईटी, मद्रास के साथ भागीदारी कर रहा है और जल प्रबंधन व्यावस्था में प्रचालन संबंधी दक्षता को ईष्टतम करने तथा नगर परिषदों एवं उपभोक्ताओं के लिए पानी की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए डिजीटल वाटर सोल्युसंस पर यूरोपीय संघ तथा डीएसटी द्वारा वित्तपोषित परियोजना पर कार्य कर रहा है। डिजीटल वाटर सोल्युसंस में पानी के प्रचालनों, नागरिकों और प्राधिकरणों को वितरण से जोड़ने की संभाव्यता है जो कि पेय जल, सिंचाई और अपशिष्ट जल जैसी पूर्ण महत्वपूर्ण श्रृंखला तक फैला है।

(ख) **पानी निकालने के पम्प '' पेट्टी एवं पारा'' की दक्षता में सुधार करने की संभावनाओं संबंधी परियोजना:** कुट्टानड, धान की कम खेती वाले क्षेत्र में उपयोग होने वाले 'पेट्टी और पारा' के रूप में जाने जाने वाले डीवाटरिंग पम्प की दक्षता में सुधार करने के उद्देश्य से ''पेट्टी और पारा की दक्षता में सुधार'' पर अनुसंधान परियोजना के लिए ऊर्जा प्रबंधन केन्द्र (ईएमसी), केरल सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(ग) **वायकुल्ला में एमसीजीएम बल्क वाटर मीटर परीक्षण सुविधाः** एमसीजीएम, मुम्बई में बल्क वाटर मीटर परीक्षण सुविधा (50 एमएम से 300 एमएम) की डिजाइन, स्थापना और कमीशनिंग पूर्ण की गई।

(घ) **आरआरएसएल वाटर मीटर परीक्षण सुविधा परियोजनाः** रिजनल रेफरेंस स्टेन्डर्ड लेबोरेट्रिज (आरआरएमएल) के लिए वाटर मीटर परीक्षण बैंचों की डिजाइन, स्थापना और कमीशनिंग पूर्ण की गई।

(ड) **ट्रांजियट केविटेशन फ्लो में फ्लूइड स्ट्रक्चर इंटर एक्शन पर प्रायोगिक जाँचः** ट्रांजियट के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए 2'' आकार के लिए विभिन्न पाइप सामग्रियों के साथ सरकारी इंजीनियरिंग कालेज, त्रिसुर, के लिए प्रायोगिक जांच की गई।

5.5 केन्द्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान, तुमकुर रोड, बेंगलूरू – 560022

केंद्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान (सीएमटीआई) वर्ष 1962 में स्थापित विनिर्माण प्रौद्योगिकी में एक प्रमुख अनुसंधान एवं विकास संगठन, सोसायटी के रूप में पंजीकृत और भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन एक स्वायत्त निकाय है। यह संस्थान प्रौद्योगिकी और आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहित करने में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए भारतीय उद्योगों की सहायता कर रहा है। यह संस्थान मेटल वर्किंग प्रौद्योगिकी में सक्रिय है, राष्ट्रीय रणनीतिक पहलों का समाधान कर रहा है और विनिर्माण प्रौद्योगिकी लगाने में एंड–टू–एंड समाधान के लिए एक सम्पूर्ण केन्द्र है। एक शासी परिषद इस संस्थान का मार्गदर्शन करता है, जिसमें विनिर्माण क्षेत्र में उद्योगों, मशीन टूल विनिर्माताओं के प्रतिनिधि, सरकारी नामित व्यक्ति और अन्य हितधारक शामिल हैं।

सीएमटीआई विनिर्माण प्रौद्योगिकी और उत्पाद विकास/विक्रय की गतिविधियों में अपनी मूल्यवर्धित सेवाओं के माध्यम से भारतीय इंजीनियरिंग उद्योग और अनेक क्षेत्रों में सहायता कर रहा है। यह संस्थान विनिर्माण प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग में एक उत्प्रेरक की महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। संस्थान डिजाइन, अनुसंधान, प्रोटोटाइप उत्पादन, विनिर्माण, परीक्षण, निरीक्षण केलिब्रेशन, उत्पाद विकास, प्रशिक्षण और तकनीकी सूचना के लिए प्रशिक्षित मानवशक्ति, उपकरण और सुविधाओं से युक्त है।

सीएमटीआई द्वारा अपेक्षित उपकरण, सुविधाएं और विशेषज्ञता प्राप्त कर ली गई हैं और नैनो विनिर्माण प्रौद्योगिकी केंद्र (एनएमटीसी) के लिए विशेष सिविल अवसंरचना सुविधाएं बनाई गई हैं और अल्ट्रा प्रिसिजन डायमंड टर्निंग मशीन नैनो शेप टी 250 विकसित की गई है। अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं अब वाणिज्यिक अनुप्रयोग हेतु तैयार हैं। नॉन–कांटेक्ट मापन आधारित विजन की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विजन लैब स्थापित की गई है। सीएमटीआई बेंगलुरु में, एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस एडवांस्ड मेन्यूफेक्चिरिंग टैक्नोलॉजी (एईएएमटी) के माध्यम से मानव संसाधन विकास (एचआरडी) गतिविधियों को बढ़ाने के लिए नया ''कौशल विकास'' प्रशिक्षण पाठयक्रम आरंभ किया गया है। विनिर्माणकारी यूनिटों के राजकोट क्लस्टर की मेट्रोलॉजी आवश्यकताओं का समाधान करने के लिए नई मापन सुविधाओं के साथ राजकोट में क्षेत्रीय केंद्र बनाया गया है।

450 आरपीएम के लिए हाई स्पीड शटल लैस रेपियर लूम प्रौद्योगिकी का विकास पूर्ण कर लिया गया है और परीक्षण किया जा रहा है।

सीएमटीआई में जारी परियोजनाओं में निम्नलिखित शामिल हैं:–

(क) भारतीय कैपिटल गुड्स क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मकता की वृद्धि संबंधी योजना के तहत साझा इंजीनियरिंग सुविधा केन्द्र (सीईएफसी) के तहत ''स्मार्ट विनिर्माणकारी प्रदर्शन एव विकास सेल'' की स्थापना, सीएमटीआई इनकम्पासिंग

उद्योग 4.0 में एक स्मार्ट विनिर्माणकारी (मशीन टूल केंद्रित) सीएमटीआई में इंटरनेट ऑफ थिंग्स प्लेटफॉर्म की स्थापना की जा रही है।

(ख) भारतीय कैपिटल गुड्स क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मकता की वृद्धि संबंधी योजना और कर्नाटक सरकार से वित्तपोषण के तहत साझा इंजीनियरिंग सुविधा केन्द्र (सीईएफसी) घटक के तहत सीएमटीआई को प्रेसीसन मेट्रोलॉजी प्रयोगशाला का आधुनिकीकरण।

(ग) नैनो मैन्यूफेक्चरिंग प्रौद्योगिकी केन्द्र (एनएमटीसी)।

(घ) सेंसर प्रौद्योगिकी विकास सुविधा (एसटीडीएफ)।

5.6 केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के कुछ उद्यमों (सीपीएसई) द्वारा अनुसंधान एवं विकास संबंधी पहलें

भारी उद्योग विभाग के अधीन केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के कुछ प्रौद्योगिकी उन्नयन और अनुसंधान एवं विकास संबंधी प्रयासों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

5.6.1 भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल)

2018–19 में अनुसंधान एवं विकास / प्रौद्योगिकी उन्नयन की प्रमुख उपलब्धियां

2018–19 के लिए कंपनी का अनुसंधान एवं विकास व्यय ₹820 करोड़ था जो कुल कारोबार का लगभग 2.8% है। कंपनी ने वर्ष के दौरान 558 पेटेंट और कॉपीराइट एप्लिकेशन दायर किए, जिससे कंपनी की बौद्धिक पूंजी 4561 तक बढ़ गई। कंपनी के घरेलू संसाधनों से विकसित उत्पादों से 5761 करोड़ रू का कारोबार किया गया जो कुल कारोबार का लगभग 19.6% है।

वर्ष के दौरान किए गए कुछ महत्वपूर्ण विकास कार्य निम्नानुसार हैं:

- बीएचईएल ने 625एम टरबाइन आवरण मिश्र धातु से (निचला आधा और ऊपरी आधा) विकसित किया/ बनाया है। लोअर हाफ केसिंग किसी भी उपकरण के लिए मिश्र धातु 625 दुनिया की सबसे भारी कास्टिंग है (ढाले गए का भार लगभग 50 टन)।
- भारत में पहली बार, उन्नत अल्ट्रा सुपरक्रिटिकल (एयूएससी) अनुप्रयोगों के लिए सुपर हीटर सेफ्टी वाल्व का डिज़ाइन, विकास और निर्माण किया गया।
- इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए कॉम्पैक्ट 67 kW और 130 kW लिक्विड कूल्ड इंडक्शन मोटर्स को पूर्णतः घरेलू तकनीक से डिजाइन, विकसित और निर्मित किया गया।
- फायर साइड कोराईजन टेस्ट रिग (एफ़एससीटीआर) को एनटीपीसी दादरी थर्मल पावर प्लांट में सफलतापूर्वक कमीशन किया गया है।
- भारत में पहली बार, बीएचईएल ने घरेलू अनुसंधान एव विकास द्वारा भारतीय रेलवे के लिए डीसी संचालन शक्ति प्रणाली वाले डब्ल्यूएजी 7 मालवाहक इलेक्ट्रिक इंजनों के आईजीबीटी आधारित पुनःउत्पादन प्रणाली को सफलतापूर्वक विकसित किया
- बीएचईएल ने 125 किलोवाट परमानेंट मेगनेट सिन्क्रोनस मोटर (पीएमएसएम) का सफलतापूर्वक विकास और परीक्षण भी किया है।
- सोलर पैनल क्लीनिंग रोबोट को स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है जो सौर पैनलों की धूल और अन्य अपशिष्टों की सफाई करता है।
- कोयला से मेथनॉल (सीटीएम) परियोजना के पायलट संयंत्र के लिए सिंगैस से मेथनॉल रूपांतरण प्रक्रिया के लिए संरचना का निर्माण एवं क्रियान्वयन सफलतापूर्वक पूरा किया।
- 1 एमडब्ल्यूएच ग्रिड कनेक्टेड बैटरी आधारित एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (बीईएसएस) के साथ हाइब्रिड बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम शामिल है जिसमें लि–ओनबैटरी, फ्लो बैटरी और एडवांस्ड लेड एसिड बैटरी को कॉर्पो. आर एवं डी, हैदराबाद में इन–हाउस स्थापित किया गया है।
- बीएचईएल ने मैसर्स टीईएनजीईडीसीओ की उत्तरी चेन्नई परियोजना के लिए 21.5 मेगावाट, 11 केवी, 4

पोल, क्लोज्ड एयर सर्किट वाटर कूल्ड (सीएसीडब्ल्यू) बॉयलर फीड पंप मोटर विकसित की है। इस प्रकार की उच्च रेटिंग मोटर्स की आपूर्ति करने वाला बीएचईएल एकमात्र भारतीय निर्माता है।

- पहली बार, बीएचईएल ने डिजिटल सब–स्टेशन एप्लिकेशन के लिए एनालॉग और डिजिटल दोनों आउटपुट प्रदान करने वाले 245 कि.वा.फाइबर ऑप्टिक करंट ट्रांसफॉर्मर का डिज़ाइन और विकास किया है।
- बीएचईएल ने स्वदेशी रूप से पुनास्तासंगछू, भूटान हाइड्रो पावर प्लांट के लिए सबसे बड़े आकार के बटर फ्लाई वाल्व (6 मीटर) और स्फेरिकल वाल्व (3 मीटर) डिजाइन किए हैं।
- इलेक्ट्रिक वाहनों के ड्राइव रेंज विस्तार के लिए प्रोटॉन–एक्सचेंज मेम्ब्रेन (पीईएम) ईंधन सेल संचालित 1.25 किलोवाट हाइब्रिड इलेक्ट्रिक गोल्फ कार्ट वाहन को विकसित और प्रदर्शित किया गया है। यह गाड़ी एक बार हाइड्रोजन सिलेंडर भंडारण कर लगभग 130 किमी चल सकती है।
- बीएचईएल ने 7x116 एमडब्ल्यू कलेश्वरम लिफ्ट सिंचाई योजना के लिए सबसे बड़ी रेटिंग (116 एमडब्ल्यू प्रत्येक) के वर्टिकल पंप–मोटर सेट (सहायक यंत्रों के सहित) का डिज़ाइन, निर्माण और कमीशन किया है।

2019–20 में सितम्बर 19 तक अनुसंधान एवं विकास / प्रौद्योगिकी उन्नयन की प्रमुख उपलब्धियां

- एडवांस अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल (एयूएससी) परियोजना के लिए मिश्र धातु 617 ट्यूब और पाइप हेतु विनिर्माण प्रौद्योगिकी बनाई।
- एयूएससीएचपी / आईपीटर्बाइन में उपयोग के लिए आईएन 625 मिश्र धातु हेतु सामग्री परीक्षण (क्रीप एवं फटीग अध्ययन), जो एयूएससीएचपी / आईपीटर्बाइन विनिर्माण प्रौद्योगिकी को स्थापित करने में सहायक होगा।
- सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांटों के स्टीम तापमान नियंत्रण के लिए सुपर हीटर (एसएच) और री–हीटर (आरएच) के लिए एक जेनरिक मॉडल प्रीडिक्टिव कंट्रोलर (एमपीसी) विकसित किया।
- परिसंकटमय क्षेत्र के अनुप्रयोगों के लिए स्लीव बियरिंग के साथ 900 कि.वा., 11 कि.वा, 2 पोल फ्लेम प्रूफ मोटर विकसित की गई और एचपीसीएल, वाइजैग को इसकी आपूर्ति की गई।
- विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर (वीएससीसी) के साथ प्रौद्योगिकी सहयोग समझौते (टीसीए) के अनुरूप स्पेस ग्रेड लीथियम–आयन सेल के निर्माण की सुविधा स्थापित की गई।
- औद्योगिक उपकरणों के परिचालन जीवन काल को बढाने के लिए रोटर शाफ्ट की विभिन्न मरम्मत / निर्माण के लिए आईएन 625 पाउडर का उपयोग करके लेजर क्लैडिंग प्रक्रिया की स्थापना की गई।

5.6.2 राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड, जयपुर (आरईआईएल)

नवाचार और कारोबार के नए अवसरों की तलाश करना संगठन की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कंपनी की अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों का उद्देश्य उपभोक्ताओं की विद्यमान और उभरती आवश्यकताओं को पूरा करके तथा उन्हें विकास/विपणन तथा गुणवत्ता वाले उत्पाद का वितरण और एक विश्वसनीय बिक्री बाद सेवा देकर कार्पोरेट मिशन को प्राप्त करना है। कंपनी अपने योजनाबद्ध दृष्टिकोण के माध्यम से अपने माननीय उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं की पहचान करके उन्हें गुणवत्ता वाले उत्पाद प्रदान करती है। अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों का लक्ष्य न केवल नए विकास करना है बल्कि उत्पादकता और समग्र कार्य–निष्पादन में सुधार करने के लिए ही मौजूदा उत्पादों /प्रक्रियाओं में सुधार करना है।

आरईआईएल सामान्यतः पूरे देश और विशेषकर ग्रामीण लोगों को डेयरी इलेक्ट्रानिक्स और अक्षय ऊर्जा क्षेत्र

में किफायती समाधान उपलब्ध करा रही है। उपकरण और कौशल संसाधनों पर आधारित नवीनतम टूल्स एवं प्रौद्योगिकी से लैस अनुसंधान एवं विकास केन्द्र, विज्ञान एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है और विभिन्न डेयरी इलेक्ट्रानिक्स तथा सौर परियोजनाओं के विकास में लगा है।

प्रचालन के मुख्य क्षेत्रः

- परियोजना संकल्पना, डिजाइन और विकास।
- तकनीकी ज्ञान को ग्रहण करना और अंतरण करना।
- उत्पादों की विद्यमान श्रेणी का स्वदेशीकरण।
- सामग्री प्रबंधन, उत्पादन और कारोबार प्रभागों को इंजीनियरिंग सहायता।
- तकनीकी प्रलेखन/परियोजना प्रस्ताव एवं रिपोर्ट तैयार करना।
- डिजाइन, ड्राइंग एवं ड्राफ्टिंग सेक्शन और तकनीकी पुस्तकालय का प्रबंधन।
- कंपनी के आईपीआर को सहेजना।

वर्ष 2017–18 और 2018–19 के दौरान निम्नलिखित अनुसंधान एवं विकास गतिविधियां आरंभ की गई हैं:–

(क) सौर जल पंपन प्रणाली हेतु रिमोट मॉनिटरिंग यूनिट।

(ख) विद्यमान एसी पंपों हेतु सौर पंप कंट्रोलर।

(ग) सौर हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्रणालियां।

(घ) नेक्स्ट जेनरेशन का डीपीयू (एनजी–डीपीयू)।

(ड) बल्क मिल्क कूलर (बीएमसी) हेतु रिमोट मॉनिटरिंग, कंट्रोल और आंकड़े प्राप्त करना।

(च) ग्रामीण अनुप्रयोग हेतु सौर चालित पेल्टीयर रेफ्रिजरेटर का विकास।

(छ) बल्क मिल्क कूलर को सौर चालित बनाने हेतु प्रणाली का विकास।

5.6.3 एचएमटी लिमिटेड

एचएमटी ने उत्पाद प्रौद्योगिकी सुधारने और उत्पाद की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने पर ध्यान केन्द्रित करते हुए अलग–अलग उत्पादों की अनुसंधान एवं विकास संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए अपनी सभी विनिर्माण इकाइयों में अनुसंधान एवं विकास केन्द्रों की स्थापना की है। अपने ग्राहकों को बेहतर सेवाएं देने और नए उत्पाद विकसित करने के अपने प्रयासों में अनुसंधान एवं विकास पर कंपनी का फोकस रहा है। उत्पाद प्रौद्योगिकी गुणवत्ता, विश्वसनीयता और मूल्य प्रतिस्पर्द्धात्मकता में ग्राहकों की आवश्यकताओं के विशिष्ट संदर्भ में प्रत्येक सहायक कंपनी में अनुसंधान एवं विकास गतिविधियां संचालित की जाती हैं। मुख्य जोर वर्तमान उत्पादों का अतिरिक्त विशिष्टताओं के साथ उन्नयन करना, डिजाइन को इष्टतम बनाने और सौन्दर्यता में सुधार पर है। इन प्रयासों के फलस्वरूप कई नए उत्पाद सामने आए हैं और साथ ही वर्तमान उत्पादों का उन्नयन हुआ है।

एचएमटी के अधिकार क्षेत्र के अलग–अलग उत्पाद क्षेत्रों में किए गए/नियोजित अनुसंधान एवं विकास कार्यकलापों को विशिष्ट रूप से निम्नानुसार दर्शाया गया है:

(खाद्य प्रसंस्करण मशीनरी प्रभाग)

(क) 600 केन/घंटा की केन वाशर क्षमता का विकास

(क) 2000 किग्रा./घंटा की क्षमता के साथ मक्खन बनाने की मशीन का विकास

5.6.4 एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड

कंपनी की सभी विनिर्माता इकाइयों के पास अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपनी स्वयं की अनुसंधान एवं विकास सुविधाएं हैं। अनुसंधान एवं विकास का मुख्य बल उत्पाद प्रौद्योगिकी में आत्म–निर्भरता प्राप्त करने, मौजूदा उत्पादों को अतिरिक्त विशेषताओं के साथ उन्नत बनाने पर है।

अनुसंधान एवं विकास एक सतत प्रक्रिया है और कंपनी के विभिन्न प्रचालनों से इसका निकट संबंध है तथा उपर्युक्त अनुसंधान एवं विकास के परिणामस्वरूप लाभ प्राप्त हो सकते हैं। उपलब्ध प्रौद्योगिकियों तथा अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी केन्द्रित विशेष प्रयोजन वाली मशीनों के अनुसार नए उत्पाद डिजाइन, विकसित और निर्मित करने के निरन्तर प्रयास किए जा रहे हैं। प्रौद्योगिकी विकास आयोजनाएं वैल्यू इंजीनियरिंग के माध्यम से उत्पादन की लागत में कटौती को सुसाध्य बनाने पर केन्द्रित हैं, जिनसे कि विदेशी संस्थानों तथा आईआईटी आदि से व्यवहार्य आयात प्रतिस्थापन के साथ–साथ संयुक्त कार्य व्यवस्था मुहैया कराई जा सके। इस दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप वर्ष 2018–19 के दौरान नए उत्पादों का विकास हुआ।

एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड ने ''हेडस्टाक ऑफ फोर गाइड वे लेथ'' तथा ''वाई–एक्सिस एसबी सीएनसी 30 टीएमवाई के साथ टर्न मिल सेन्टर का विकास'' के विश्लेषण हेतु डिजाइन एवं विकास के प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए भारत सरकार से निधियन प्राप्त एक अन्तरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त फर्म मैसर्स फ्रानहोफर के साथ तकनीकी अनुबंध किया है। इस परियोजना का निधियन भारी उद्योग विभाग, भारत सरकार द्वारा किया गया है। बेंगलूरू यूनिट में मार्च, 2018 में हेडस्टाक ऑफ फोर गाइड वे लेथ परियोजना का डिजाइन एवं विकास पूर्ण कर लिया गया है। कलामसेरी यूनिट में सितम्बर, 2018 में ''वाई–एक्सिस एसबी सीएनसी 30 टीएमवाई के साथ टर्न मिल सेन्टर का प्रोटोटाइप'' पूर्ण कर लिया गया।

उत्पाद और विकास प्रौद्योगिकी उन्नयन आयोजनाएं

- मैसर्स सेंट्रल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट (सीएमटीआई), बेंगलुरु के साथ तकनीकी सहयोग से सीएनसी मल्टी स्पिंडल ऑटोमैट्स का विकास। सीएमटीआई व्यावसायिक उत्पादन के लिए एचएमटी एमटीको प्रौद्योगिकी का डिजाइन, विकास और हस्तांतरण करेगा। सीएमटीआई के पास प्रस्ताव लंबित है।
- एचएमटी एमटीएल, बंगलौर ने मेसर्स एफ.टी, मशीन्स, जर्मनी के साथ प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण हेतु सहयोग के साथ एक फ्लो फोर्मिंग मशीन का विकास किया और आयुद्ध फैक्टरी, अंभाजारी को इसकी आपूर्ति की अन्य दो मशीनें प्रगति पर हैं।
- एचएमटी एमटीएल, हैदराबाद ने इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के लिए मशीन सॉलिड रॉकेट मोटर्स के लिए दो 3 एक्सिस सीएनसी वर्टिकल फेसिंग मिल की आपूर्ति की।

5.6.5 एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड (एवाईसीएल)

कंपनी के विभिन्न प्रभागों द्वारा किए गए अनुसंधान एवं विकास कार्य निम्नानुसार हैं:–

(I). विषय गतिविधियों की स्थिति:

(क) एवाईसीएल की डिजाइनर/विशेष चाय के लिए चाय प्रभाग का नवाचार सेल प्रचालन में है।

(ख) इंजीनियरिंग डिवीजन ने पहले ही अनुसंधान एवं विकास यूनिट की स्थापना की है और उत्पाद विकास तथा प्रक्रिया विकास पर कार्य कर रहा है।

(ग) इलेक्ट्रिकल प्रभाग ने अधिक ऊर्जा दक्ष ट्रांसफार्मरों को लगाने हेतु कार्रवाई आरंभ कर दी है और इन–हाउस परीक्षण सुविधाओं के लिए एनएबीएल मान्यता के लिए पहल की गई है।

(II). प्राप्त लाभ जैसे कि उत्पाद विकास, लागत कटौती अथवा आयात प्रतिस्थापन:

(क) मूल्य वर्धन में सुधार करने के लिए खुदरा चाय बाजार में 'यूल टी' की ब्रांड इमेज में वृद्धि करने हेतु उपाय किए गए हैं।

(ख) समूह के सभी बागानों के पास अब चाय के प्रचालन एवं विनिर्माण के लिए एफएसएसएआई का लाइसेंस है। सभी एस्टेट ट्रस्टी प्रमाणित हैं।

(ग) पूर्व के वर्ष की तुलना में डिवीजन को अधिक कारोबार करने का अनुभव है।

(घ) इलेक्ट्रिकल आपरेशन (ईडी–सीओ) ने पहली बार अप्रैल–दिसम्बर, 2019 के लिए आईएनआर 22.03 करोड़ का आउटसोर्सड कारोबार प्राप्त किया।

(ड.) इलेक्ट्रिक डिवीजन–आपरेशन (ईडी–सीओ) ने चालू राजकोषीय वर्ष के दौरान नए उपभोक्ता को जोड़ा, जैसे–बजाज इलेक्ट्रिकल्स।

(च) इलेक्ट्रिक डिवीजन–आपरेशन (ईडी–केओ) ने इस राजकोषीय वर्ष के दौरान अपने उत्पाद आधार में 2 नए उत्पाद जोड़े, जैसे ऊर्जा दक्षता स्तर–2 वितरण ट्रांसफार्मर (11/0.433 केवी, 100 केबीए ग्रेड) और ऊर्जा दक्षता सार–1 वितरण ट्रांसफार्मर (33/0.433 केवी, 63 केवीए ग्रेड)

(छ) इंजीनियरिंग डिवीजन ने ''थोरोली रिवर्सिबल एक्सियल फ्लो फैन'' को सफलतापूर्वक, विकसित, निष्पादित एवं आपूर्ति किया है। इससे अनेक चाय बागानों की आवश्यकता की पूर्ति होगी।

(ज) इंजीनियरिंग डिवीजन ने आईएनआर 101.51 लाख की लागत से राष्ट्रीय इस्पात निगम लि., वाइजैग स्टील प्लांट ने प्रतिस्थानिक अपशिष्ट गैस फैन का निर्माण और आयात किया है।

(झ) इंजीनियरिंग डिवीजन ने रसियन डिजाइन फैन इम्पैलर के आयात प्रतिस्थानक–एसएआईएल–भिलाई के लिए शाफ्ट एसेंबली का सफलतापूर्वक विकास किया और सेल, भिलाई से ₹106,00 करोड़ का 02 इम्पैलर–शाफ्ट असेंबली का आर्डर प्राप्त किया। पहले इम्पैलर/शाफ्ट को अवधि के दौरान पहले ही वितरण कर दिया गया और दूसरे इम्पैलर/शाफ्ट का निर्माण किया जा रहा है।

(ञ) इंजीनियरिंग डिवीजन ने विभिन्न सीमेंट संयंत्रों अर्थात अल्ट्राटेक, एसीसी, उदयपुर सीमेंट आदि को ऊर्जा दक्ष औद्योगिक पंखों की आपूर्ति को बढ़ाया और अब तक इस राजकोषीय वर्ष के दौरान इसमें ₹2.5 करोड़ का कारोबार किया।

(ट) इंजीनियरिंग डिवीजन ने नए उद्योग सेगमेंट अर्थात कागज उद्योग जैसे– नैनी पेपर, क्वांटम पेपर, केआर पल्प आदि को समीक्षाधीन चालू अवधि के दौरान औद्योगिक पंखों की आपूर्ति भी आरंभ की।

5.6.6 ब्रेथवेट, बर्न एंड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (बीबीजे)

नई प्रौद्योगिकियों और उत्पादों का उपयोग करने के लिए वरिष्ठ प्रबंधन को जागरुक किया जा रहा है। नई और अभिनव प्रौद्योगिकियों पर प्रस्तुतीकरण आयोजित किया जा रहा है। विभिन्न कारणों जैसे कार्य की पारंपरिक प्रकृति, लागत एवं आकार की बाध्यता आदि, से कंपनी द्वारा इस समय अनुसंधान एवं विकास कार्यकलाप आरंभ नहीं किए गए हैं।

तथापि, बढ़ते प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण में बीबीजे ने अपनी नेतृत्व स्थिति को बरकरार रखने के लिए अनुसंधान एवं विकास की महत्ता को समझा है। सीमित संसाधनों और कर्मचारियों के सम्मिलित प्रयासों के बीच प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए बीबीजे ने इस्पात पुलों के लिए नई लांचिग स्कीम विकसित की है। बीबीजे ने क्रियाशील लाइनों पर पूर्व स्टील ब्रिज को बहुत कम समय में नव निर्मित गर्डरों से प्रतिस्थापित करने के लिए एक प्रभावी निर्माण स्कीम विकसित की है। हाल ही में, बीबीजे ने डीएमआरसी परियोजना, मुंगेर में गंगा पर पुल और अन्य परियोजनाओं के लिए भी फॉरवर्ड लांचिंग योजना विकसित की है। बीबीजे ने अपव्यय कम करने के लिए संरचना के लिए उपयुक्त कटिंग योजनाएं विकसित की हैं। डिजीटल इंडिया अभियान का संवर्धन, परियोजना के निष्पादन की निगरानी और संबंधित टूल्स की अकाउंटिंग के लिए नए सॉफ्टवेयर

की स्थापना करके प्रचलानात्मक आवश्यकता के आधार पर समय–समय पर प्रौद्योगिकी का उन्नयन किया जाता है।

5.6.7 इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड (ईपीआई)

कंपनी के कार्य की प्रकृति को देखते हुए, अनुसंधान एवं विकास के लिए क्षेत्र सीमित हैं, क्योंकि ईपीआई ग्राहक की आवश्यकताओं पर आधारित कार्य कर रही है। तथापि, ईपीआई ने तीव्र और किफायती निर्माण के लिए एल्यूमा फोर्मवर्क सिस्टम आदि का उपयोग करके पारंपरिक आरसीसी फ्रेम्ड स्ट्रक्चर जैसे प्रीकास्ट, मॉडुलर मोनोलिथिक कंक्रीटिंगके अलावा न्यूट्रल टेक्नालॉजी जैसी नवीनतम प्रौद्योगिकी सक्रिय रूप से उपलब्ध कराई है।

कंपनी प्रौद्योगिकी और विनिर्माण तकनीक का उन्नयन करने के निरन्तर प्रयास कर रही है। भारत सरकार ने बड़ी धूमधाम से स्मार्ट सिटी मिशन (एससीएम) का शुभारंभ किया जो सरकार की एक बड़ी पहल है जिसमें 100 शहरों को उन्नयन करने का लक्ष्य है। एससीएम में अन्य के साथ–साथ परियोजनाओं में किफायती आवास, एकीकृत मल्टी–मॉडल परिवहन, खुले स्थलों का सृजन एवं उनका रख–रखाव, अवशिष्ट एवं ट्रैफिक प्रबंधन है। एससीएम में परियोजनाएं या तो शहर के किसी विशेष क्षेत्र अथवा समूचे शहर पर फोकस करती हैं। ईपीआई ने सरकार के स्मार्ट सिटी मिशन के कार्यान्वयन में भागीदारी हेतु फ्रांस की कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

इसके अलावा, ईपीआई ने निम्नालिखित प्रौद्योगिकी उपलब्धकर्ताओं के साथ परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं:

- भारत में तापीय विद्युत संयंत्रों के ईंधन गैस डिसल्फराइजेशन (एफडीडी) प्रणाली कार्यों के लिए युहान कैदी इलेक्ट्रिक पावर एनवायरमेंट कंपनी लि. चीन (केडीपीई) के साथ।
- भारत और विदेश में औद्योगिक अपशिष्ट जल शोधन संयंत्र प्रणालियों के लिए पर्यावरण नियंत्रण एवं उपाय तथा ओ एंड एम सेवाओं सहित समुद्र जल रिवर्स ओसमोसिस (एसडब्लूआरओ) डिसेलिनेशन संयंत्र के कार्यों हेतु युहान कैदी वाटर सर्विस कंपनी लि., चीन के साथ।
- भारत और विदेश में लैंडफिल रिमेडिटेशन एवं प्रबंधन की विपणन और विकास परियोजनाओं का पता लगाने के लिए तियांजिन शिदाई तियांचेंग एन्वायरमेंट टेक कंपनी लि. (टीसीईपी), चीन के साथ।

कंपनी ने अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाओं के लिए नवीनतम बार्डर अवसंरचना और निगरानी प्रणाली विकसित की है जिसमें सेंसरों, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स और एचआरसी कैमरों का उपयोग करके आसूचना प्रणाली के साथ वास्तविक और इलेक्ट्रानिक रूप से नियंत्रित बैरियर, रियल टाइम डिस्प्ले मॉनिटरिंग को अपनाया गया है जिससे घुसपैठ/दुर्व्यापार से अंतर्राष्ट्रीय सीमा सुरक्षित रहेंगी।

ईपीआई ने सड़कों और चाहरदीवारी आधार आदि के निर्माण के लिए रेत के टीलों के स्थिरीकरण हेतु चूना पत्थर/खंगर जैसी खुदाई से निकाली गई सामग्री का प्रयोग किया। ईपीआई ने बड़ी आवासीय और अन्य निर्माण परियोजनाओं के निर्माण में रेपिड मोनोलिथिक आपदारोधी टेक्नोलॉजी का उपयोग आरंभ कर दिया है।

5.6.8 स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड (एसआईएल)

कंपनी ने वर्ष 2017 में बीएस IV मानकों के अनिवार्य अनुपालन हेतु वर्तमान तिपहिया मॉडलों का भारत स्टेज (बीएस–III) से भारत स्टेज–IV में उन्नयन किया है। उन्नयन किए गए वाहन मॉडलों में विक्रम 1000 सीजी, विक्रम 1500 सीजी, विक्रम 450 डी, विक्रम 750 डी शामिल हैं। कंपनी को एआरएआई, पुणे से वाहन के सभी मॉडल के लिए टाइप अनुमोदन प्रमाण–पत्र मिला है।

धीरे–धीरे स्वच्छ ईंधन को अपनाने हेतु ऑटोमोबाइल क्षेत्र के लिए भारत की नीति के अनुसार, कंपनी ने 6

यात्री+1 ड्राइवर यात्री विन्यास के लिए सफलतापूर्वक इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहन बनाया है। मै. आईकैट, मानेसर से इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए टाइप अनुमोदन प्रमाण–पत्र मिल गया है।

कंपनी ने सी.आई. ड्रम्स और बैक प्लेट एसेम्बली के नए डिजाइन के साथ विक्रम 1500 सीजी मॉडल के लिए उन्नत स्वतः संयोजन ब्रेक प्रणाली का सफलतापूर्वक विकास किया है।

कंपनी ने 1 मेगावाट के रूफ टॉप सौर विद्युत संयंत्र की भी स्थापना की है जिससे ऊर्जा की लागत में काफी बचत हो रही है।

अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./ दिव्यांगों और अल्पसंख्यकों का कल्याण

6

अध्याय

6.1 इस विभाग का सतत प्रयास रहा है कि अल्पसंख्यकों के कल्याण को बढ़ावा देने के विषय में सरकार के निदेशों के परिप्रेक्ष्य में, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के दायित्वों पर नज़र रखी जाए। अ.जा./अ.ज.जा./ अ.पि.व., दिव्यांगों और अल्पसंख्यक समुदायों के लिए नियुक्ति/पदोन्नति में आरक्षण के संबंध में सरकार द्वारा जारी अनुदेशों का इस विभाग के अधीनस्थ सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यम अनुपालन करते हैं।

6.2 भारत सरकार की आरक्षण नीति के कार्यान्वयन की उचित मॉनीटरिंग के लिए निदेशक/उप–सचिव रैंक के संपर्क अधिकारी की देख–रेख में विभाग में अ.जा./ अ.ज.जा. प्रकोष्ठ काम कर रहा है।

6.3 सीपीएसईज के कार्यबल में विभिन्न अल्पसंख्यक समुदायों के व्यक्ति बड़ी संख्या में शामिल हैं। सभी सीपीएसईज में उन्हें मुख्यधारा के कार्यबल के साथ जोड़े जाने पर जोर दिया जाता है और उनकी जाति, धर्म और धार्मिक आस्थाओं के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। आवास आदि सुविधाएं सभी कर्मचारियों को समान शर्तों पर प्रदान की जाती हैं। हर वर्ष कौमी एकता/सद्भावना दिवस का आयोजन किया जाता है जिसमें एकता, राष्ट्रीय अखंडता और सौहार्द की भावना को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं और बच्चों सहित समाज के सभी वर्गों के लोग भाग लेते हैं।

6.4 इस विभाग के अंतर्गत प्रचालनरत सभी सीपीएसईज दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम, 2016 के उपबंधों के अधीन हैं।

6.5 भारी उद्योग विभाग शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को आशोधित कारें खरीदने के लिए उत्पाद शुल्क पर पात्रता छूट का लाभ लेने के लिए अनिवार्यता प्रमाण–पत्र जारी करता है। सरकारी प्रक्रिया के सरलीकरण की दिशा में एक कदम के तौर पर, इस संबंध में आवेदक को शपथ–पत्र की बजाय अब स्व–सत्यापित प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होता है। विस्तृत पात्रता शर्तें विभाग की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाती हैं। वर्ष 2018–19 के दौरान, कुल 381 आवेदन–पत्र प्राप्त हुए और 336 व्यक्तियों को प्रमाण–पत्र जारी किए गए तथा 01.04.2019 से 30.09.2019 तक की अवधि के दौरान 463 आवेदन–पत्र प्राप्त हुए और 173 व्यक्तियों को प्रमाण–पत्र जारी किए गए।

6.6 प्रत्येक वर्ष की 01 जनवरी के अनुसार भारी उद्योग विभाग में अ.जा., अ.ज.जा., अ.पि.व. और दिव्यांगों के प्रतिनिधित्व के बारे में वार्षिक आंकड़े पदों एवं सेवाओं में आरक्षित श्रेणी के प्रतिनिधित्व हेतु कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा आरंभ किए गए पोर्टल (www.rrcps.nic.in) के माध्यम से डीओपीटी को ऑन–लाइन भेजे जाते हैं।

7 अध्याय

महिला सशक्तिकरण/ कल्याण

7.1 विशेषकर महिला कर्मचारियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए भारी उद्योग विभाग ने सरकार द्वारा लैंगिक (स्त्री–पुरुष) समानता के अधिकारों के संरक्षण और प्रवर्तन तथा कामकाजी महिलाओं के प्रति न्याय के लिए सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप विभाग में शिकायत समिति का गठन किया गया है ताकि कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण), अधिनियम, 2013 के अनुसार यौन उत्पीड़न संबंधी शिकायतों का निपटारा किया जा सके।

7.2 भारी उद्योग विभाग और इसके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सीपीएसईज लगातार यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी रूप में महिलाओं के साथ भेदभाव न हो। सभी कर्मचारियों को स्त्री–पुरुष को समान रुप से मुख्यधारा से जोड़ने और दोनों के लिए न्याय के बारे में भारत के संविधान में उल्लिखित सिद्धांतों के प्रति सचेत किया जाता है।

7.3 खासकर महिला कर्मचारियों के मानवाधिकारों के संबंध में जागरुकता सृजन के प्रयोजन से, लैंगिक समानता और महिलाकर्मियों के प्रति न्याय के अधिकारों के संरक्षण और प्रवर्तन के लिए सरकार द्वारा जारी निदेशों के अनुरुप विभाग में शिकायत समिति का गठन किया गया है ताकि महिलाओं की यौन उत्पीड़न संबंधी शिकायतों का समाधान किया जा सके। विभाग महिलाकर्मियों को बैठकों, संगोष्ठियों, प्रतियोगिताओं, प्रशिक्षणों आदि में मुक्त सहभागिता के लिए तत्परतापूर्वक प्रोत्साहित करता है। इससे मुख्यधारा के कार्यबल में उनका और अधिक समेकन सुनिश्चित करने में मदद मिलती है।

7.4 जेंडर बजटिंग के संबंध में महिला एवं बाल विकास मंत्रलय द्वारा जारी अनुदेशों का भारी उद्योग विभाग और विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में अनुपालन किया जाता रहा है ताकि उन क्षेत्रों/सेवाओं का पता लगाया जा सके जहाँ स्त्री–पुरुष समानता को बढ़ावा देने संबंधी स्कीमों/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु विभाग द्वारा पहल की जा सकती है।

सतर्कता

8
अध्याय

8.1 इस विभाग में, विभाग के कर्मचारियों और इसके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों तथा संगठनों के बोर्ड स्तर के अधिकारियों के सतर्कता मामलों पर गौर करने के लिए संयुक्त सचिव के स्तर का एक मुख्य सतर्कता अधिकारी है। उनके सहयोग के लिए एक निदेशक तथा एक अवर सचिव के साथ–साथ सतर्कता अनुभाग हैं।

8.2 सतर्कता अनुभाग के मुख्य कार्य क्षेत्र हैं:–

- भारी उद्योग विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के बोर्ड स्तर के नियुक्त व्यक्तियों के साथ–साथ विभाग के अधिकारियों के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों से निपटना;
- सतर्कता मामलों की आवधिक समीक्षा करना;
- सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में बोर्ड स्तर की नियुक्तियों और पीईएसबी की सिफारिशों के आधार पर अन्य सभी नियुक्तियों के संबंध में, जिनमें एसीसी की स्वीकृति अपेक्षित होती है, के साथ–साथ भारी उद्योग विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों की सतर्कता निकासी जारी करना;
- सतर्कता मामलों के संबंध में सूचना के प्रवाह को व्यवस्थित बनाने के लिए सीवीसी, सीबीआई और भारी उद्योग विभाग के अधीन सीपीएसई के सीवीओज के साथ संपर्क रखना;
- प्रक्रियागत अनियमितताओं के मुद्दों पर सलाह देना;
- बोर्ड स्तर के नियुक्त व्यक्तियों के विरूद्ध सतर्कता मामलों में आरोप–पत्र की विधीक्षा करना;
- विभाग के साथ–साथ सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के बोर्ड–स्तर के अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्य–निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्टों की मॉनिटरिंग करना, उन्हें पूरा करना तथा उनका अनुरक्षण करना;
- भारी उद्योग विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ–साथ सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के बोर्ड स्तर के अधिकारियों की वार्षिक संपत्ति विवरणिकाओं की प्रस्तुति की मॉनीटरिंग करना;
- आईएएस/आईपीएस/आईईएस/आईएफएस अधिकारियों और सीएसएस/सीएसएसएस के ग्रुप ''ए'' के अधिकारियों के संबंध में स्पैरो (स्मार्ट परफॉर्मेंस एप्रेजल रिपोर्ट रिकार्डिंग ऑनलाइन विंडो) के तहत एपीएआर भरना।

8.3 सतर्कता अनुभाग निवारक सतर्कता पर भी पर्याप्त जोर देता है और अधिक पारदर्शिता लाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग को प्रोत्साहन दे रहा है। जहां कहीं अपेक्षित है, उपयुक्त मामलों में दंडात्मक उपाय भी किए जाते हैं और अनुवर्तन किया जाता है।

8.4 भ्रष्टाचार के विरुद्ध जागरूकता उत्पन्न करने और प्रसार के लिए भारी उद्योग विभाग द्वारा 29.10.2019 से 02.11.2019 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया गया।

8.5 सतर्कता मामले सामान्यतः जटिल प्रकृति के होते हैं जिनके लिए विभिन्न प्रकार की और विस्तृत सूचना, टिप्पणियों और पीएसईज के सीवीओ की सहायता के आरोपों के विश्लेषण की जरूरत होती है। लंबे समय से लंबित मामलों की पहचान के लिए भरसक प्रयास किए गए और सबसे पुराने मामलों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि तर्कपूर्ण निष्कर्ष निकालने हेतु जांच कराई जा सके। वर्ष 2018 की शुरूआत में 26 सतर्कता मामले/शिकायतें थीं। 08.11.2019 तक 28 नए मामले/शिकायतें प्राप्त हुई। 13 मामलों में जांच पूरी की गई और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन तथा यथावश्यक रुप से सतर्कता आयोग के परामर्श से उनका निपटान कर दिया गया।

8.6 भारी उद्योग विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बोर्ड स्तर के 16 अधिकारियों के भर्ती/पुष्टि/विस्तार/सेवा–निवृत्ति/त्याग–पत्र संबंधी मामलों में सीवीसी द्वारा सतर्कता निकासी प्राप्त की गई थी तथा भारी उद्योग विभाग के सीवीओ द्वारा 125 अधिकारियों को सतर्कता निकासी प्रदान की गई थी।

हिन्दी का प्रगामी प्रयोग

9 अध्याय

9.1 भारी उद्योग विभाग का हिन्दी अनुभाग 'श्रमेव जयते' उद्घोष का पालन करते हुए भारत की अस्मिता राजभाषा हिन्दी को सरकारी कामकाज की भाषा बनाने की दिशा में राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने का भरसक प्रयास कर रहा है। इस दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए राजभाषा प्रभारी, संयुक्त सचिव महोदय की अध्यक्षता में विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की आवधिक बैठकें नियमित रूप से आयोजित की गईं और राजभाषा हिन्दी में कार्य करने में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के उपाय सुझाए गए।

9.2 वर्ष 2019.20 के दौरान विभाग के राजभाषा निरीक्षण दल ने हिन्दी के प्रयोग में हुई प्रगति का जायजा लेने के लिए विभाग के नियंत्रणाधीन उद्यमों की 07 यूनिटों/कार्यालयों का निरीक्षण किया और उनके कार्यपालकों को राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने हेतु उपयुक्त सुझाव व दिशा–निर्देश दिए।

9.3 मंत्रिमंडल नोट, अधिसूचनाएं, संकल्प, टिप्पणियां, परिपत्र, संसदीय प्रश्न तथा संसद के दोनों पटलों पर रखे जाने वाले कागजात, वार्षिक रिपोर्ट, सीएजी रिपोर्ट, विलंब विवरण, सामान्य आदेश तथा नागरिक चार्टर आदि द्विभाषी रूप में जारी किए गए। विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को कंप्यूटर पर अपना कार्य स्वयं हिन्दी में करने के लिए कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।

9.4 विभाग में अधिकारियों/कर्मचारियों की राजभाषा के प्रति अभिरूचि बढ़ाने और अपना समस्त कार्य हिन्दी में करने हेतु दिनांक 01.09.2019 से 15.09.2019 तक हिन्दी पखवाड़े का आयोजन किया गया, जिसमें विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। दिनांक 06.11.2019 को माननीय भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्री के कर–कमलों द्वारा प्रतिभागियों को पुरस्कार एवं प्रमाण–पत्र दिए गए।

5. विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम भी राजभाषा अधिनियम और उसके प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए सशक्त प्रयास करते रहे हैं। सरकारी क्षेत्र के इन उद्यमों में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए संगोष्ठियां, प्रतियोगिताएं एवं हिन्दी कार्यशालाएं आयोजित की गईं। सार्वजनिक क्षेत्र के इन उद्यमों में भी हिन्दी पखवाड़ा/हिन्दी सप्ताह/हिन्दी माह बड़े उत्साह के साथ मनाया गया।

हिन्दी पखवाड़ा पुरस्कार वितरण समारोह 2019–20 का एक चित्र

सेवोत्तम का कार्यान्वयन

10 अध्याय

10.1 भारी उद्योग विभाग प्रभावी और जिम्मेदार प्रशासन के लक्ष्य और उत्कृष्टता सेवा प्रदान करने के प्रति वचनबद्ध है। भारत सरकार के सेवोत्तम ढांचे को इस विभाग में कार्यान्वित किया गया है। इस दिशा में निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं। उपरोक्त के अलावा, विभाग के कार्यों को सुचारु रूप से चलाने के साथ–साथ अपने कर्मचारियों और जनता की सहायता करने हेतु विभाग ने उपयुक्त स्तरों पर विभिन्न नोडल अधिकारियों को नियुक्त/नामित किया है। इनमें से ऐसे कुछ क्षेत्रों का विवरण निम्न प्रकार से है:

जन शिकायतों के निवारण की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के प्रयास में, इस विभाग में एक संयुक्त सचिव, संयुक्त सचिव (जन शिकायत) के रूप में कार्य कर रहे है।

कानूनी मामलों पर कार्रवाई करने और आगे समन्वय के लिए समय पर कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु एक नोडल अधिकारी को नामित किया गया है।

10.1.1 शिकायत निवारण तंत्रः विभाग ने शिकायतों के निवारण की मॉनिटरिंग के लिए श्री ए. के. पाण्डा, आर्थिक सलाहकार को जन शिकायत अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। ''शिकायत निवारण तंत्र'' विभाग सीपीजीआरएएम पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन शिकायत प्राप्त करता है। इसके अतिरिक्त, ऑफलाइन शिकायतें भी प्राप्त होती हैं। शीघ्र निपटान के लिए शिकायतों को नियमित रूप से मॉनिटर किया जा रहा है। दिनांक 01.01.2019 से 31.12.2019 की अवधि के दौरान 1363 शिकायतें प्राप्त हुई और 72 शिकायतों को अग्रसारित किया गया, कुल 1435 शिकायतें प्राप्त हुई। 1435 शिकायतों में से 1382 शिकायतों का निपटान किया गया, जो दिनांक 31.12.2019 तक कुल शिकायतों के निपटान का 96% है। पिछले छः महीने में शिकायतों की लंबित अवधि औसतन 19 दिन है।

10.2 भारी उद्योग विभाग में आईटी संबंधी पहल

''मिनिमम गर्वनमेंट और मैक्सिमम गर्वनेन्स' के नारे के साथ सरकार का फोकस नागरिक–केन्द्रित दृष्टिकोण और जवाबदेह प्रशासन पर है।अनेक कदमों में प्रक्रियाओं में सरलीकरण, अप्रचलित पुरातन कानूनों/नियमों को पहचानना और उन्हें निरस्त करना, विभिन्न फार्मों की पहचान करना और संक्षिप्त करना, सार्वजनिक इंटरफेस में पारदर्शिता लाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना आदि शामिल हैं। सूचना प्रौद्योगिकी की शक्ति का लाभ उठाकर यह पारदर्शिता लाता है, गुणवत्तापूर्ण नागरिक सेवा प्रदान करता है और गवर्नेंस के तरीके में सुधार होता है। 'डिजिटल भारत योजना' और 'व्यापार करने में आसानी' एक सिक्के के दो पहलू हैं। गर्वनेन्स को और अधिक कुशल और प्रभावी बनाने के लिए मौजूदा नियमों के सरलीकरण और युक्तिसंगतिकरण तथा सूचना प्रौद्योगिकी के समावेश पर जोर दिया जा रहा है। भारी उद्योग विभाग ने पहले से ही इसमें बहुत प्रगति की है और यह डेटा संचालित निर्णय लेने के लिए बड़े डेटा विश्लेषणात्मकता के साथ एक कदम आगे है। इसके अलावा, डिजिटल मंच को बढ़ावा देने और ऑनलाइन सेवाओं के लिए यह अपने अधिकार–क्षेत्र के अधीन अपने सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और स्वायत्त निकायों को निदेशित और मॉनिटर करता है।

वर्ष 2019–20 के दौरान कई आईटी उपलब्धियाँ पूरी की गई हैं जो ई–ऑफिस/ई–फाईल समेत दिनांक 31.03.2019 तक 98.3% हो चुकी हैं। डीबीटी वेब सर्विस एकीकरण के साथ फेम–इंडिया– I के फीचर में वृद्धि, डीबीटी वेब सर्विस एकीकरण के साथ फेम इंडिया–II पोर्टल का शुभारंभ जीएसटी छूट प्रमाण–पत्र पोर्टल एमआईएस एप्लिकेशन पोर्टल, एमआईएस द्वारा इसकी कंटेंट गतिविधियों को मॉनिटर करने के साथ क्लाउड़ प्लेटफार्म में वेबसाइट का उन्नयन, क्षेत्रीय विकास के प्रमुख प्रदर्शन संकेत पर समर्थित डैश बोर्ड का शुभारंभ, डीएचआई दर्पण पोर्टल विभिन्न इन–हाऊस इन्टरनेट एप्लिकेशन्स/एमआईएस आदि के परिचालन पर प्रकाश डालना है। उद्योग 4.0 के लिए एक समर्पित खंड के साथ वेबसाइट को बढ़ाया गया है।

राष्ट्रीय सूचना–विज्ञान केंद्र, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का भारी उद्योग विभाग में स्थित सूचना–विज्ञान प्रभाग भारी उद्योग विभाग और इसके सभी संगठनों में एनआईसी समर्थित सेवाएं परामर्शी सेवाएं, ई–गवर्नेंस के विकास एवं कार्यान्वयन संबंधी सेवाएं प्रदान करता है। यह विभाग की वेबसाइट की भी देखरेख करता है। यह भारी उद्योग विभाग के ऑन–लाइन ई–गवर्नेंस सेवा पोर्टल को ऐक्सेस करने को सुविधाजनक बनाता है तथा जरूरत के अनुरूप विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण/कार्यशालाओं का आयोजन करता है।

10.2.1 भारी उद्योग विभाग की वेबसाइट

अधिक क्षमता, एसएसएल एन्क्रेप्शन के अनुरूप क्लाउड वातावरण में भारी उद्योग विभाग की वेबसाइट http://heavyindustry.gov.in, http://dhi.nic.in को अपग्रेड किया गया है। भारी उद्योग विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ पाने के लिए भारी औद्योगिक क्षेत्रों के साथ–साथ भारतीय नागरिकों से संबंधित नीतियों, प्रक्रियाओं, फीडबैक, कार्य–निष्पादन, बजट, सूचना का अधिकार आदि पर सूचनाओं के प्रसार के लिए यह सर्वाधिक प्रभावी मंच है।

नया क्या है टैग के तहत नवीनतम पहलों, स्कीम नीतियों, नोटिस और घटनाओं का प्रसारण वैश्विक आगन्तुक के बीच सर्वाधिक प्रसिद्ध है। नीति–निर्माण में उद्योग की भागीदारी को प्रोत्साहित करना, निर्धारित तारीख के भीतर उनसे फीडबैक लेना भी व्यवहार में है। योजना–वार नीति, प्रक्रिया, कार्य–निष्पादन, उद्योग 4.0 कार्यान्वयन नागरिक चार्टर, मिशन प्लान, बजट, सहायता अनुदान का ब्यौरा, जीएसटी कार्यान्वयन आदि इस वेबसाइट में प्रकाशित कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं। विभिन्न योजनावार नीतियों, प्रक्रियाओं, निष्पादन रिपोर्ट, उद्योग 4.0 प्रतिस्पर्धाओं, सिटीजन चार्टर, बंजट अनुदान और अनुदान विवरणों, जीएसटी कार्यान्वयन आदि से संबंधित सामग्री को भी लगातार मॉनिटर किया जा रहा है। वेबसाइट मे नवीनतम सूचनाओं को डालने और अद्यतन करने के लिए, भारी उद्योग विभाग के कंटेंट मोडरेटर्स को अपने संबंधित वेब कंटेंट का ध्यान रखने के लिए कंटेंट प्रबंधन फ्रेमवर्क के माध्यम से सुविधा दी जाती है। नियमित रूप से प्रकाशित होने वाली सामग्री को मॉनिटर करने के लिए एक आटोमेटिक ईमेल अलर्ट सक्रिय किया गया है। वेबसाइट की सामग्री मॉडरेशन गतिविधि की मॉनिटरिंग करने और ऑडिट लॉग का पता लगाने हेतु इंट्रानेट में एक एक्सक्लूसिव एमआईएस सिस्टम विकसित और लागू किया गया है। इस वेबसाइट के लिए साइबर सुरक्षा आडिट और एसटी क्यूसी प्रमाण पत्र दोनों प्राप्त किए गए थे। इस वेबसाइट का हिंदी रूपान्तर भी उपलब्ध कराया गया है, जिसे हिंदी अनुभाग द्वारा नियमित रूप से अपडेट किया जाता है। मार्च, 2019 तक कुल 65 लाख की तुलना में नवम्बर, 2019 तक 79 लाख विजिटर्स की गिनती पहुंच गई है। नवम्बर, 2019 के दौरान प्रतिमाह 1,34,918 के अनुमान से लगभग 16,21,036 विजिटर्स ने भारी उद्योग विभाग की वेबसाइट को देखा है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 110000 से ज्यादा है।

10.2.2 ई–ऑफिस कार्यान्वयन

नेशनल ई–गवर्नेंस डिवीजन (एनईजीडी) परियोजना के तहत भारी उद्योग विभाग में इसके सभी मॉड्यूल्स के साथ http://dhi.eoffice.gov.in ई–ऑफिस लागू

कर दिया गया है तथा सभी ने कार्य करना शुरू कर दिया है।

कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेशन मंत्रालय के केन्द्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेन्द्र सिंह ने 90% से ज्यादा ई–ऑफिस लागू करने के लिए भारी उद्योग विभाग को प्रशस्ति–पत्र से सम्मानित किया है।

ई–फाइल मॉड्यूल्स के सफल कार्य–निष्पादन हेतु व्यावहारिक प्रशिक्षण के साथ 5.6 संस्करण में अपग्रेड कर दिया गया है। ईएमडी, ई–अवकाश, पीआईएमएस जैसे अन्य मॉड्यूल्स को भी नवीनतम संस्करण में अपग्रेड कर दिया गया है। एनआईसी द्वारा डीएससी/ई–हस्ताक्षर एकीकरण, ई–मेल द्वारा डायरी करना, फाइलों का स्थानांतरण, ई–आवतियां, विशिष्ट परिचालन आदि विषयों पर कार्यशालाएं भी आयोजित की गई थीं। केएमएस के माध्यम से परिपत्र/नोटिस प्रकाशित करने के लिए ई–ऑफिस के 259 उपयोगकर्ताओं में से लगभग 25 अधिकारियों को अधिकृत किया गया है। डीएससी, ई–हस्ताक्षर और ई–मेल द्वारा डायरी करने के साथ एकीकरण हेतु आवश्यक सुविधा भी शुरू की गई है। 15 मई से 15 नवम्बर, 2019 तक लगभग 4507 डीएससी साइन और 777 ई–साइन किए जा चुके हैं। कार्य–निष्पादन की निगरानी करने के उद्देश्य से भारी उद्योग विभाग की एनआईसी टीम द्वारा इंट्रानेट आधारित प्रबंधन सूचना प्रणाली विकसित एवं लागू की गई है।

10.2.3 डीएचआई डैशबोर्ड

लोगों से संपर्क स्थापित करने के लिए विभाग द्वारा एक डैशबोर्ड पोर्टल विकसित किया गया है। इस पोर्टल में ई–मोबिलिटी, 100 दिनों की योजना, क्षेत्रवार जानकारी और भारी उद्योग विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की प्रगति से संबंधित सूचनाएं है।

10.2.4 डीएचआई दर्पण पोर्टल

गैर–सरकारी संगठनों को निधियां जारी करने से पूर्व उनके ब्यौरे सत्यापित करने के लिये नीति आयोग के *एनजीओ दर्पण* पोर्टल से डीएचआई इन्टरफेस को लिंक किया गया है।

10.2.5 इन्टरनेट एप्लिकेशंस

वेब आधारित विभिन्न इन्ट्रानेट ऑफिस ऑटोमेशन एप्लिकेशंस और सेक्टोरल एप्लिकेशंस संचालित की जाती हैं। ऑफिस ऑटोमेशन एप्लिकेशन्स जैसे ई–ऑफिस कार्यान्वयन हेतु एमआईएस, वेबसाइट की सामग्री प्रबंधन हेतु एमआईएस, भारी उद्योग विभाग की महत्वपूर्ण गतिविधियों की वस्तु–स्थिति हेतु एमआईएस, भारी उद्योग विभाग की योजनाओं (डीबीटी, एमआईएस) हेतु एमआईएस, प्रगति एजेंडा के अद्यतनीकरण हेतु एमआईएस, सीपीएसईज कार्य–निष्पादन मॉनिटरिंग सिस्टम, प्रयोक्ता शिकायत मॉनिटरिंग सिस्टम, भारी उद्योग विभाग में साइबर घटनाओं (कर्ट–इन) हेतु एमआईएस, सीपीएसईज डैशबोर्ड, वेबसाइट/ई–मेल के माध्यम से प्राप्त होने वाले फीडबैक हेतु एमआईएस, ऑनलाइन उपभोग्य वितरण प्रणाली, प्रधानमंत्री कार्यालय से संबंधित संदर्भों हेतु एमआईएस प्रणाली, न्यायालयी मामले, वीआईपी संदर्भ, संसद संदर्भ, ऑन–लाइन एंगेजमेंट आदि जैसे ऑफिस आटोमेशन संचालित किए गए हैं। समय–वार लंबित मामले, संयुक्त सचिव/निदेशक/अनुभाग/सीपीएसईज–वार लंबित मामले, निपटाए गए मामलों की सूची जैसी विभिन्न रिपोर्टें भी उबलब्ध कराई जाती हैं। सीपीएसईज निष्पादन मॉनिटरिंग प्रणाली, ऑटो सेक्टर और केपिटल गुड्स सेक्टर के प्रदर्शन जैसे सेक्टोरल डेटाबेस को भी उपलब्ध कराया जाता है।

10.2.6 ऑनलाइन ई–गवर्नेंस सेवाएं

आंतरिक सेवाओं के अलावा, सामान्य सेवाओं के साथ–साथ कई ऑनलाइन ई–गर्वनेंस पोर्टल्स जैसे आईएएस, सीएसएस, आईपीएस अधिकारियों के लिए स्पैरो (स्मार्ट परफॉर्मेंस एप्रैजल रिपोर्ट रिकार्डिंग विंडो), प्रो एक्टिव गर्वनेंस एण्ड टाइमली इम्पलिमेंटेंशन (प्रगति) प्रधानमंत्री कार्यालय, ऑनलाइन सिंगल यूजर प्लेटफार्म रिलेटड टू एम्पलाइज ऑनलाइन (सुप्रेमो), लिगल

इंफोरमेशन ऑनलाइन मैनेजमेंट एवं ब्रिफिंग सिस्टम (लिम्बस), ऑन लाइन ई–निविदा और ई–खरीद, बायोमिट्रिक अटेन्डेंस सिस्टम (बीएएस), भवनों के लिए आगन्तुक प्रबंधन (गृह मंत्रालय), आरटीआई आवेदन/प्रथम अपील ऑनलाइन (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) केन्द्रीकृत सार्वजनिक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, अनुवर्ती कार्रवाई (ई–समीक्षा) (सीएस) की निगरानी हेतु ऑनलाइन प्रणाली, इंडिया कोड पोर्टल, विदेश यात्रा प्रबंधन प्रणाली, ई–मार्केटिंग पोर्टल, पीएफएमएस (पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम), आदि भारी उद्योग विभाग द्वारा संचालित हो रही है।

10.2.7 वीडियो कान्फ्रैंसिंग

आंतरिक रूप से, अंतर–मंत्रालयी तथा बाह्य स्तर पर पारस्परिक क्रियाओं को प्रभावी और सक्षम बनाने के लिए, पिछले चार वर्षों से भारी उद्योग विभाग के कान्फ्रैंस रूम में वीडियो कान्फ्रैसिंग का संचालन हो रहा है। एनआईसी वीसी नियंत्रण की सहायता से मासिक प्रगति बैठकों का आयोजन किया गया था। इसके अतिरिक्त जर्मन, सिंगापुर प्रतिभागियों सहित विभिन्न हस्तियों के साथ विभिन्न मुद्दों पर दस बड़ी कान्फ्रैंस की गई। भारी उद्योग विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और सीपीएसईज के सीएमडीज के कार्य को सुगम बनाने के लिए लघु टीम कान्फ्रैंस के लिए एक डेस्कटॉप/वेब वीडियो कान्फ्रैंस सुविधा का आयोजन किया गया है। वर्ष 2019–20 के दौरान, प्रगति मासिक बैठकों के अलावा, 08 वीसी सत्रों का आयोजन किया गया था। सीपीएसईज की बोर्ड मीटिंग पर विभिन्न मुद्दों की समीक्षा करते है, जो स्काईप के माध्यम से भी आयोजित की गई थी।

10.2.8 आईसीटी अवसंरचना

नवीनतम सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए अनुभागों से साथ–साथ अधिकारियों के स्तर पर भी नए हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर/सहायक उपकरण शामिल किए गए हैं ताकि कार्य–निष्पादन बेहतर किया जा सके। भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी सुरक्षा दिशानिर्देशों के अनुसार और अधिक फॉयरवाल, प्रबंधनीय नेटवर्क उपकरण लगाकर साइबर सुरक्षा के उपाय किए गए हैं। लैन/वैन/ईमेल/वाईफाई सेवाओं को वायरस मुक्त बनाना सुनिश्चित करने के लिए स्वचालित पैच मैनेजमेंट और वायरस डिटेक्शंस सिस्टम को भी उन्नत किया गया डेस्कटॉप बीएएस डिवाइसेस (38 एक्स), टेबलेट (6 एक्स) एबेस्ड बीएएस डिवाइसेस को भी संस्थापित और सक्रिय किया गया है।

10.2.9 सोशल मीडिया

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार भारी उद्योग विभाग का एक आधिकारिक ट्विटर एकाउन्ट (@heindustry) शुरू किया गया है और इसका भारी उद्योग विभाग द्वारा रखरखाव किया जा रहा है। यह उद्योग/नागरिकों के साथ और अधिक प्रभावकारी रूप से आपस में सूचना साझा करने का सीधा माध्यम होगा।

10.2.10 भारी उद्योग विभाग के सीपीएसईज मे आईटी

सभी सीपीएसईज को, आईपीवी 6 के अनुपालन के साथ आईसीटी अवसंरचना का उन्नयन करने हेतु कहा गया है। अधिकतर सीपीएसईज के पास अपने स्वयं के डोमेन नाम हैं और उन्होंने अपनी प्रगति का प्रचार–प्रसार करने के लिए अपनी वेबसाइट लांच की है। उनके वेब लिंक्स भारी उद्योग विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। वीसी बैठकों और सम्मेलनों का आयोजन करने के उद्देश्य से कुछ सीपीएसईज ने पहले से ही वीसी स्टूडियो स्थापित कर दिए हैं। कुछ के पास एनआईसी डेस्कटॉप वीसी सुविधा मौजूद है, जिनमें वे आंतिरक बैठकों का भी आयोजन करते हैं। सभी को ऑनलाइन ई–गवर्नेंस एप्लिकेशन्स जैसे ई–टेंडरिंग, सरकारी ई–मार्केट, पीएफएमएस आदि से जुड़ने के अनुदेश दिए गए हैं। छह सीपीएसईज अधिक उन्नत वीसी स्टूडियो के साथ सज्जित हैं। ईपीआईएल और नेट्रीप पहले से ही एनआईसी की ई–मेल सेवा के साथ जुड़े हैं। नेपा, ईपीआईएल मेघराज क्लाउड से पहले से ही जुड़े है। ई–ऑफिस और ऑनलाइन लर्निंग सर्विस पोर्टल

को बीएचईएल द्वारा पहले से प्रयोग किया जा रहा है।

10.3 अंतरराष्ट्रीय सहयोग

उद्योग में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियां लाने के उद्देश्य को हासिल करने के लिए भारी उद्योग विभाग ने विभिन्न देशों से सहयोग किया है और निम्नलिखित अंतरराष्ट्रीय बैठकों/संगोष्ठियों/सम्मेलनों में भाग लिया है:

- सचिव, भारी उद्योग विभाग ने संयुक्त सचिव (एचई एंड एमटी) के साथ दिनांक 01 से 05 अप्रैल, 2019 तक हनोवर मैसे 2019 अंतराष्ट्रीय मेले के प्रतिनिधिमंडल के सदस्य के रूप में अगुआई की। हनोवर मैसे सबसे बड़ा वैश्विक औद्योगिक मेला है, जिसमें औद्योगिक क्षेत्र में आधुनिक प्रौद्योगिकियों और प्रचलनों की प्रदर्शनी की गई। डौएचे मैसे एजी द्वारा आयोजित हनोवर मैसे कारोबार और सरकारी अग्रणियों के लिए विश्व का नम्बर एक प्रौद्योगिकी एक्सपो और प्रमुख संवाद हब है। हनोवर मैसे के वर्ष 2015 के संस्करण के दौरान 'भागीदार देश के रूप में भारत ने अपने इंजीनियरिंग और विनिर्माण कौशल के उत्कृष्ट प्रदर्शन के माध्यम से एक प्रभावशाली पहचान बनाई है। वर्ष 2015 से, भारी उद्योग विभाग इस में नियमित रूप से भाग ले रहा है। भाग लेने का उद्देश्य ''मेक इन इंडिया'' के अंतर्गत ब्रांड निर्माण अभ्यास को बनाए रखना है, जिससे नवीनतम विनिर्माण प्रौद्योगिकियों में अद्यतन जानकारी हासिल की जा सके और उन्नत विनिर्माण के क्षेत्रों में भारत और विकसित राष्ट्रों के बीच सहयोग प्राप्त किया जा सके। इस समय पूरा फोकस विशेष रूप से विनिवेश के अवसरों, संयुक्त उद्यम के अवसरों, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, अद्यतन स्वचालन अवधारणाओं और उद्योग 4.0 से संबंधित अवधारणाओं को खोजना और प्रमुख इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थानों का स्थल दौरा है।

- चेक रिपब्लिक में आयोजित 7 से 11 अक्तूबर, 2019 में एमएसवी बर्नों के 61वें संस्करण में भारी उद्योग विभाग, भारत सरकार ने भाग लिया। मेले में भाग लेने के लिए सचिव, भारी उद्योग विभाग ने संयुक्त सचिव (एचईएंडएमटी) समेत एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल की अगुआई की जिन्होने एमएसवी बर्नों के साथ–साथ 08 अक्तूबर, 2019 को आयोजित हेवी इंजीनियरिंग और उन्नत विनिर्माण में इण्डो चेक संयुक्त कार्यकारी समूह की बैठक की अध्यक्षता की। एमएसवी ब्रनो केन्द्रीय और पूर्वी यूरोप में अग्रणी औद्योगिक व्यापार मेला है और हर वर्ष इसका आयोजन चेक रिपब्लिक में होता है। एमएसवी ब्रनो के 61वें संस्करण में उत्पाद क्षेत्रों जैसे–मशीन टूल बनाने की मशीन, क्लच, बेयरिंग आरा मशीन, सतह प्रौद्योगिकी, प्लास्टिक, वेल्डिंग एवं ऑटोमेशन, इंजीनियरिंग के लिए सामग्री, ड्राइव्स, हाइड्रोलिक्स, न्यूमैटिक्स, फाउन्ड्री, 3डी प्रिन्टिंग, पावर इंजीनियरिंग और मशीन टूल्स को दिखाया गया। चेक रिपब्लिक में भारी उद्योग विभाग के प्रतिनिधिमंडल के दौरे से उन अपार सुअवसरों पर प्रकाश डाला गया जो दोनों देशों के बीच मौजूद हैं, विशेष रूप से भारत में संयंत्र और मशीनरी का विनिर्माण की स्थापना और आधुनिकीकरण, ऑटोमेशन और उद्योग 4.0 और निवेश के अवसरों की प्रौद्योगिकी हस्तांतरण आदि।

- वैकल्पिक ऑटोमोबाइल प्रौद्योगिकी, विशेषरूप से वैकल्पिक ईंधन, हाइड्रोजन ईंधन और कम कार्बन ईंधन प्रौद्योगिकी पर लिथियम आयन बैटरी फैक्टरी, एक्सईवी सुविधाओं अनुसंधान एवं विकास केन्द्र, हाइड्रोजन स्टेशन और बैटरी रिसाइक्लिंग सुविधा आदि पर दौरे के माध्यम से विचारों को आदान–प्रदान करने के लिए दिनांक 05 से 09 नवम्बर, 2019 तक सचिव, भारी उद्योग विभाग ने संयुक्त सचिव (ऑटो) समेत जापान सरकार के साथ बैठक में भाग लिया।

राजस्व विभाग से (संयुक्त सचिव) और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग से (संयुक्त सचिव) के प्रतिनिधिमंडल ने भी उक्त बैठक में भाग लिया।

- जापान की तरफ से उन्नत प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन और विचारों का आदान–प्रदान किया गया जिसके परिणामस्वरूप जापान सरकार के साथ वैकल्पिक ऑटोमोबाइल प्रौद्योगिकी हेतु संयुक्त कार्यकारी समूह का गठन हो सकता है।

- इस दौरे के दौरान, भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने लिथियम आयन बैटरी फैक्ट्री, एक्सईवी सुविधाओं, अनुसंधान एवं विकास केन्द्र, हाइड्रोजन स्टेशन और बैटरी रिसाइक्लिंग सुविधा आदि का दौरा किया।

- रामफल, बांग्लादेश में मैत्री सुपर थर्मल पावर परियोजना (एसटीटीपी) की 7वीं उच्च स्तरीय मॉनिटरिंग समिति (एचएलएमसी) की बैठक में भाग लेने हेतु सचिव, भारी उद्योग विभाग ने संयुक्त सचिव और सीएमडी, बीएचईएल सहित दिनांक 27 से 28 नवम्बर, 2019 तक बांग्लादेश का दौरा किया। इस बैठक में विद्युत मंत्रालय (बांग्लादेश सरकार), भारी उद्योग विभाग (भारत सरकार), विद्युत मंत्रालय (भारत सरकार), ढाका, बंग्लादेश में भारत का उच्चायुक्त, बांग्लादेश ऊर्जा विकास बोर्ड (बीपीडीपी), पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ बांग्लादेश (पीजीडीपी), सीईए (भारत सरकार), एनटीपीसी एवं बीएचईएल के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

- बैठक के दौरान, परियोजना के जटिल मुद्दों पर विवेचना और चर्चा का आयोजन किया गया। देरी का विश्लेषण किया गया, एजेन्सियों को साइट पर बहाली की योजना/तर्क संसाधन पर काम करने और पूरी परियोजना को वास्तविक समय सीमा के अनुसार पूरा करने के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने को कहा गया।

- दिनांक 02 से 03 दिसम्बर, 2019 को सीओपी 25 मेडरिड, स्पेन में विभाग द्वारा आयोजित साइड इन्वेंट में सचिव, भारी उद्योग विभाग के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल के साथ निदेशक (ऑटो) भारी उद्योग विभाग और निदेशक (एआरएआई) प्रतिनिधिमंडल में शामिल थे।

- ''भारत में स्थायी परिवहन की दिशा में तेजी'' के नाम के साइड इंवेन्ट का आयोजन दिनांक 03 दिसम्बर, 2019 को इंडिया पवेलियन में किया गया। भारत ने सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैनुफैक्चर्स (एसआईएएम), ऑटोमोटिव रिसर्च इस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (एआरएआई), इन्टरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी (आईसीएटी), रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट एंड वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल फॉर सस्टेनेबल डवलपमेंट (डब्लूबीएससीडी) की सहभागिता के साथ भारी उद्योग विभाग ने साइड इवेंट का सफलतापूर्वक आयोजन किया।

- इस आयोजन में भारत मे ऑटोमोटिव उद्योग की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया और उद्योग और अन्य संबंधित हितधारकों के सहयोग से स्थायी मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए विभाग द्वारा की गई विभिन्न पहलुओं की प्रदर्शनी की गई। इस आयोजन के एजेन्डों में ई–मोबिलिटी परिवहन क्षेत्र के विद्युतीकरण के विभिन्न पहलुओं को बढ़ावा देने में सरकार के प्रयासों की प्रस्तुति और चर्चा शामिल थे। इस आयोजन का मुख्य अंश सचिव, भारी उद्योग के साथ ''सस्टेनेबल मोबिलिटीः इंडिया इन 2030 एंड बियोन्ड'' पर की गई गहन चर्चा है।

- इस सत्र का मुख्य अंश डॉ. एआर सिहाग, सचिव, भारी उद्योग विभाग के साथ–साथ सी. के मिश्रा, सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के साथ की गई फायर साइट गहन चर्चा है। दौरे के दौरान टेस्ट ट्रैक्स और ई–मोबिलिटी केन्द्रों के दौरे का भी आयोजन किया गया।

सूचना का अधिकार

11 अध्याय

11.1 भारी उद्योग विभाग में सूचना का अधिकार अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों और भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग और केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा जारी अनुदेशों को कार्यान्वित किया गया है। विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में, आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए अलग से लोक प्राधिकारी बनाने के आदेश दिए गए हैं।

11.2 कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा शुरू किए गए 'आरटीआई ऑनलाइन' वेब पोर्टल को 18.07.2013 से भारी उद्योग विभाग में चालू कर दिया गया है। अवर सचिव अथवा समकक्ष स्तर के सभी अधिकारियों को सीपीआईओ पदनामित किया गया है तथा निदेशक/उप सचिव अथवा समकक्ष स्तर के सभी अधिकारियों को आरटीआई अधिनियम के तहत प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के रूप में पदनामित किया गया है। इसके अतिरिक्त, आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(बी) के अनुरूप विभाग की वेबसाइट पर सूचना का स्वतः प्रकटीकरण सुनिश्चित करने के लिए निदेशक/उप सचिव रैंक के अधिकारी को पारदर्शिता अधिकारी के रूप में पदनामित किया गया है।

11.3 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 (1)(बी) के निबन्धनों के अनुसार सूचना के स्वतः प्रकटीकरण के कार्यान्वयन हेतु कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा टॉस्क फोर्स की सिफारिशों के आधार पर जारी दिशा. निर्देशों के आधार पर विभाग में कई कदम उठाए गए हैं ताकि विभाग की वेबसाइट पर सूचना स्वतः प्रकट और अद्यतन हो सके। सक्रिय रूप से तुरत प्रकटीकरण संबंधी दिशा.निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त सचिव रैंक के एक अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में पदनामित किया गया है।

11.4 आरटीआई आवेदनों/अपीलों के प्रभावी और तत्काल निपटान के लिए सरकार ने सीपीएसईज/स्वायत निकायों को डीओपीटी के 'आरटीआईऑनलाइन' पोर्टल से जोड़ने का निर्णय लिया है। सरकार के इस फैसले के क्रियान्वयन के एक भाग के रूप में भारी उद्योग विभाग के नियंत्रणाधीन सीपीएसईज के आरटीआई मामलों से सम्बन्धित नोडल अधिकारी को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के माध्यम से आवश्यक प्रशिक्षण दिलाया गया है।

11.5 विभाग में उपयोग में लाई जाने वाली मुद्रित लेखन. सामग्री पर आईटीआई का लोगो लगाया जा रहा है। भारी उद्योग विभाग और इसके नियंत्रणाधीन सीपीएसईज में सीआईसी को तिमाही आरटीआई रिटर्न ऑनलाइन प्रस्तुत की गई।

11.6 विभाग में वर्ष 2018–19 के दौरान, आरटीआई के तहत 880 आवेदन और 45 अपीलें प्राप्त हुईं, जिनमें से 849 आवेदनों और 42 अपीलों का निपटान किया गया। 01.04.2019 से 30.09.2019 की अवधि में, 351 आवेदन और 7 अपीलें प्राप्त हुईं, जिनमें से 302 आवेदनों और 7 अपीलों का निपटान किया गया।

अनुबंध–I

भारी उद्योग विभाग के बीच कार्य आबंटन
प्रशासन अनुभाग के संबंध में सूचना

भारी उद्योग विभाग, उद्योग मंत्रालय का एक विभाग था। 15 अक्टूबर, 1999 से एक अलग मंत्रालय अर्थात् भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय बनाया गया है। इस मंत्रालय में भारी उद्योग विभाग और लोक उद्यम विभाग हैं। भारी उद्योग विभाग निम्नलिखित मदों को देखता है:.

(क) केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के निम्नलिखित उद्यमों से संबंधित कार्य:.

1 हेवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन लिमिटेड

2 इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड

3 भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड

सहायक कंपनियां:

(i) बीएचईएल इलेक्ट्रिकल मशीन्स लिमिटेड

संयुक्त उद्यम

(i) एनटीपीसी बीएचईएल पावर प्रोजेक्ट्स (प्रा.) लिमिटेड

4 एचएमटी लिमिटेड

सहायक कंपनियां:

(i) एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड

(ii) एचएमटी (मशीन्स टूल्स) लिमिटेड

5 स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड

6 एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड

सहायक कंपनियां:

(i) हुगली प्रिंटिंग कंपनी लिमिटेड

7 सीमेन्ट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

8 हिन्दुस्तान पेपर कार्पोरेशन लिमिटेड

सहायक कंपनियां:

(i) नागालैण्ड पल्प एंड पेपर कंपनी लिमिटेड

(ii) हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड

(iii) जगदीशपुर पेपर मिल्स लिमिटेड

9 हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड

सहायक कंपनी:

(i) सांभर साल्ट्स लिमिटेड

10 राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेन्ट्स लिमिटेड

11 नेपा लिमिटेड

12 ब्रेथवेट, बर्न एंड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

13 भारत पंप्स एण्ड कंप्रेशर्स लिमिटेड

14 रिचर्डसन एंड क्रूडास (1972) लिमिटेड

15 ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड

परिसमाप्त / परिसमापनाधीन, समाप्त / समापनाधीन/ बंद हो गई/बंदीकरण के अधीन, अन्य विभागों/संगठनों को हस्तांतरित कर दिए गए केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों/केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की सहायक कंपनियां:

1. भारत ऑफ्थैल्मिक ग्लास लिमिटेड
2. भारत लैदर कार्पोरेशन लिमिटेड
3. टेनरी एण्ड फुटवियर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड

4. रिहैबिलिटेशन इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन
5. भारत यंत्र निगम लिमिटेड
6. नेशनल बाइसिकल कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड
7. नेशनल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड
8. माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कार्पोरेशन लिमिटेड
9. साइकिल कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड
10. जेसप एण्ड कंपनी लिमिटेड
11. लगन जूट मशीनरी कंपनी लिमिटेड
12. रेरॉल बर्न लिमिटेड
13. वेबर्ड (इंडिया) लिमिटेड
14. भारत ब्रेक्स एण्ड वाल्व्स लिमिटेड
15. भारत प्रोसेस एण्ड मैकेनिकल इंजीनियर्स लिमिटेड
16. मांडया नेशनल पेपर मिल्स लिमिटेड
17. टायर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
18. त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड
19. एचएमटी (बेयरिंग्स) लिमिटेड
20. एचएमटी (वाचिज) लिमिटेड
21. एचएमटी (चिनार वाचिज) लिमिटेड
22. एचएमटी लिमिटेड. (केवल ट्रैक्टर डिवीजन, पिंजौर)
23. तुंगभद्रा स्टील प्लांट्स लिमिटेड
24. हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड
25. हिन्दुस्तान फोटोफिल्म्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड
26. इंस्ट्रूमेन्टेशन लिमिटेड (कोटा इकाई. बंद होने की प्रकिया में है और पलक्काड़ इकाई–संबंधित राज्य सरकार को हस्तांतरणाधीन)

(ख) स्वायत्त निकायः

i) फ्लूइड कंट्रोल रिसर्च इंस्टिट्यूट (एफसीआरआई)

ii) दी ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एआरएआई)

iii) नेट्रिप इंपलीमेंटेशन सोसाइटी (नेशनल ऑटोमोटिव टेस्टिंग एण्ड रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन के लिए)

iv) नेशनल ऑटोमोटिव बोर्ड (एनएबी)

v) सेन्ट्रल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नालॉजी इंस्टिट्यूट (सीएमटीआई)

(ग) अन्य विषयः

1 सभी उद्योगों के लिए भारी इंजीनियरिंग उपकरण का विनिर्माण

2 हेवी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज

3 मशीन टूल्स एवं स्टील प्लांट उपकरण सहित मशीनरी उद्योग

4 ट्रैक्टर और अर्थमूविंग उपकरण सहित ऑटो उद्योग

5 ऑटोमोबाइल इंजन सहित सभी प्रकार के डीजल इंजन

6 डेवलपमेंट काउंसिल फॉर हेवी इलेक्ट्रिकल एण्ड एलाइड इंडस्ट्रीज

7 डेवलपमेंट काउंसिल फॉर टेक्सटाइल मशीनरी इंडस्ट्री

8 डेवलपमेंट काउंसिल फॉर मशीन टूल्स इंडस्ट्री

9 डेवलपमेंट काउंसिल फॉर ऑटोमोबाइल एण्ड एलाइड इंडस्ट्रीज

10 इलेक्ट्रिकल कंस्ट्रक्शन कंपनी (भारत सरकार और लीबिया सरकार का एक संयुक्त उद्यम)

अनुबंध–I (क)

भारी उद्योग विभाग के अंतर्गत केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की सूची (विनिवेश/बंद किए जाने की स्थिति के साथ)

क्र.सं.	केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (सीपीएसई) का नाम	सीपीएसई की स्थिति
1	एंड्रयू यूल एण्ड कंपनी लिमिटेड (एवाईसीएल)	...
2	भारत हेवीइलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल)	महारत्न
3	भारतपंप्स एण्ड कंप्रेशर्स लिमिटेड (बीपीसीएल)	मिनिरत्न/विनिवेश के अधीन
4	बीएचईएल.इलेक्ट्रिकल मशीन्स लिमिटेड (बीएचईएल–ईएमएल)	...
5	ब्रेथवेट, बर्न एंड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (बीबीजे)	...
6	ब्रिज एण्ड रूफ कंपनी लिमिटेड (बीएण्डआर)	मिनिरत्न /विनिवेश के अधीन
7	सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि. (सीसीआई)	विनिवेश के अधीन
8	इंजीनियरिंगप्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड (ईपीआई)	मिनिरत्न /विनिवेश के अधीन
9	एचएमटी इंटरनेशनल लिमिटेड	मिनिरत्न
10	एचएमटी लिमिटेड	...
11	एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड	...
12	हेवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन लिमिटेड (एचईसी)	...
13	हिन्दुस्तान केबल्स लि. (एचसीएल)	बंद होने की प्रक्रिया में है
14	हिन्दुस्तान न्यूजप्रिण्ट लि.	मिनिरत्न / विनिवेश के अधीन
15	हिन्दुस्तान पेपर कार्पोरेशन लि. (एचपीसी)	मिनिरत्न
16	हिन्दुस्तान फोटोफिल्म्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड (एचपीएफ)	बंद होने की प्रक्रिया में है
17	हिन्दुस्तान साल्टस लि. (एचएसएल)	...
18	एचएमटी बेयरिंग्स लि.	बंद होने की प्रक्रिया में है
19	एचएमटी चिनार वाचेज लि.	बंद होने की प्रक्रिया में है
20	एचएमटी वाचेज लि.	बंद होने की प्रक्रिया में है
21	हुगली प्रिंटिंग कंपनी लिमिटेड (हुगली)	विलय किया जा रहा है
22	इंस्ट्रूमेंटेशन लि. (आईएलके)	बंद होने की प्रक्रिया में है
23	नेपा लिमिटेड (नेपा)	...
24	नगालैण्ड पल्प एण्ड पेपर कंपनी लिमिटेड (एनपीपीसी)	...
25	राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड इंस्ट्रूमेंट्स लि. (आरईआईएल)	मिनिरत्न
26	रिचर्डसन एण्डक्रुडास लि. (आर एण्ड सी)	...
27	सांभर साल्ट्स लि. (एसएसएल)	...
28	स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड (एसआईएल)	विनिवेश के अधीन
29	तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्टस लिए (टीएसपीएल)	बंद होने की प्रक्रिया में है

अनुबंध–IJ

भारी उद्योग विभाग के अंतर्गत केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की सूची
(लाभ कमाने वाले/घाटे में चल रहे/परिसमापन के अधीन)

लाभ कमाने वाले सीपीएसईज	
क्रम सं.	**सीपीएसई का नाम**
1	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लि.
2	एंड्रयू यूल एंड कंपनी लि.
3	ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लि.
4	ब्रेथवेट, बर्न एंड जेसोप कंस्ट्रक्शन लि.
5	एचएमटी लि.
6	एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड (एचएमटी लि.) की सहायक कंपनी)
7	राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लि।
8	रिचर्डसन और क्रूडस (1972) लिमिटेड
9	हिंदुस्तान साल्ट्स लिमिटेड (एसएसएल)
10	भारतीय सीमेंट निगम लिमिटेड
घाटे में चल रहे सीपीएसईज	
1	भारत पंप्स एंड कम्प्रेशर लिमिटेड
2	स्कूटर इंडिया लि।
3	एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड (एचएमटी लि.की सहायक कंपनी)
4	हिंदुस्तान पेपर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसी लि.)
5	नागालैंड पल्प एंड पेपर कंपनी लिमिटेड (एचपीसी लिमिटेड की सहायक कंपनी)
6	हिंदुस्तान न्यूज़प्रिंट्स लिमिटेड (एचपीसी लिमिटेड की सहायक कंपनी)
7	नेपा
8	सांभर साल्ट्स लिमिटेड (एचएसएल की सहायक कंपनी)
9	भेल–ईएमएल (भेल की सहायक कंपनी)
10	हुगली प्रिंटिंग कंपनी लिमिटेड (विलय प्रक्रिया से गुजरने वाली एवाईसीएल की सहायक कंपनी)
11	इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड
12	हेवी इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड
बंदीकरण के अधीन सीपीएसईज	
1	एचएमटी घड़ियाँ लिमिटेड (एचएमटीएल की सहायक कंपनी)

2	एचएमटी चिनार घड़ियाँ लिमिटेड (एचएमटीएल की सहायक कंपनी)
3	इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड
4	एचएमटी बियरिंग्स लिमिटेड (एचएमटीएल की सहायक कंपनी)
5	हिंदुस्तान केबल्स लि।
6	तुंगभद्रा स्टील प्लांट्स लि।
7	हिन्दुस्तान फोटोफिल्म्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड (एचपीएफ)
*	एचएमटी लिमिटेड का ट्रैक्टर डिवीजन भी बंद है

परिसमापन के अधीन सीपीएसईज	
क्रम सं.	**सीपीएसई का नाम**
1	रेरोल बर्न लि।
2	टायर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि।
3	भारत ऑप्थेल्मिक ग्लास लि।
4	वजाइब्रिड (इंडिया) लिमिटेड
5	खनन और संबद्ध मशीनरी निगम लिमिटेड
6	भारत प्रक्रिया और मैकेनिकल इंजीनियरिंग लिमिटेड
7	भारत ब्रेक एंड वैल्यूज़ लि।
8	साइकल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि.
9	पुनर्वास उद्योग लिमिटेड
10	भारत यंत्र निगम लि।
11	त्रिवेणी स्ट्रक्चर्स लिमिटेड
12	टेनरी एंड फूटवियर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
13	भारत चमड़ा निगम लिमिटेड
14	राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लि

01.01.2020 की स्थिति के अनुसार संगठन चार्ट

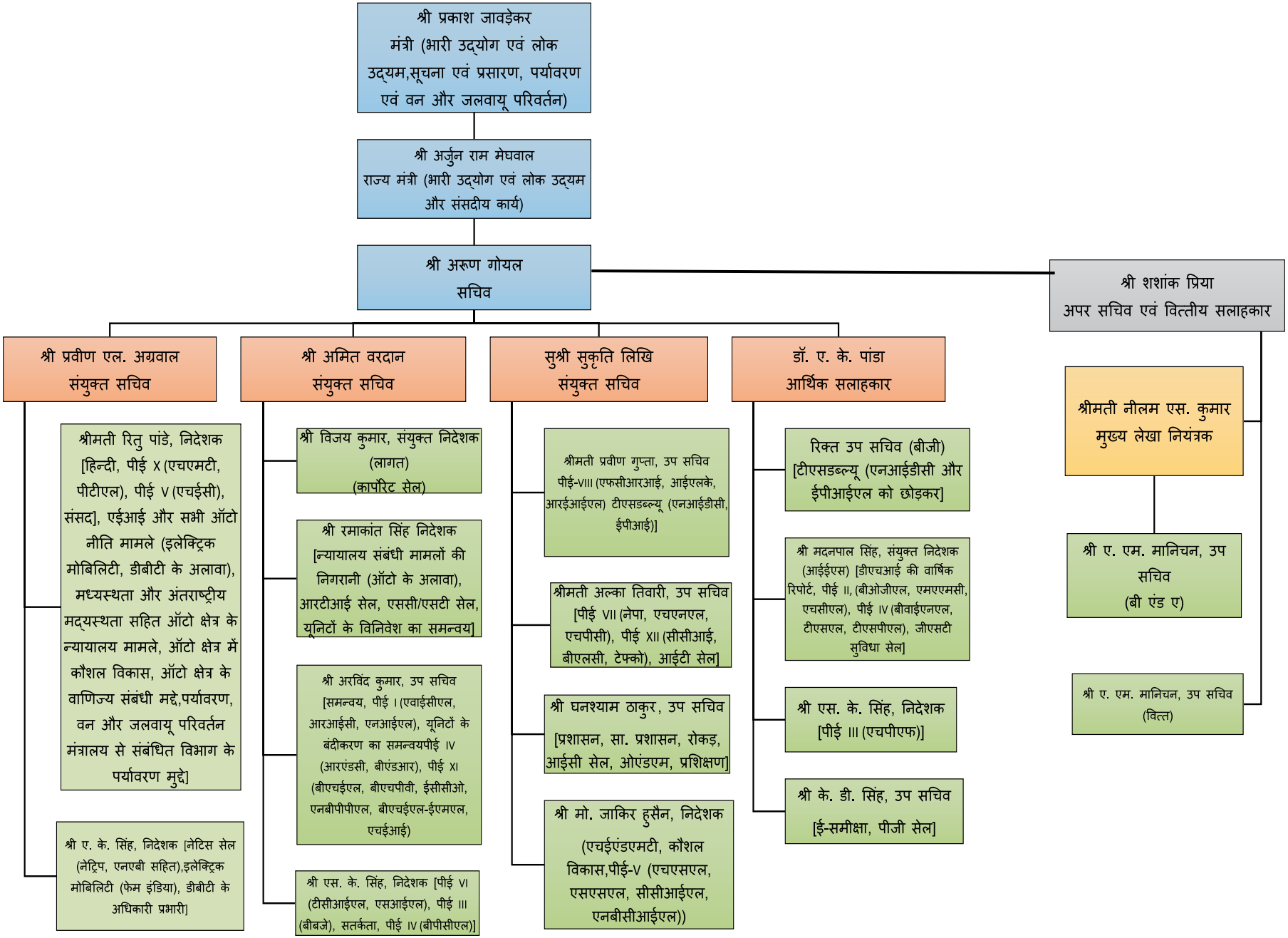

अनुबंध–IV

भारी उद्योग विभाग के अधीन सीपीएसई के बारे में सामान्य जानकारी

क्र. सं.	सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का नाम और उनके पंजीकृत कार्यालय की अवस्थिति	सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का स्थापना वर्ष	31.3.2019 की स्थिति के अनुसार सकल ब्लॉक (रिकरोड में)
1	एंड्रयू यूल एण्ड कंपनी लिमिटेड (एवाई एंड सीएल), कोलकाता	1919	192.11*
2	हुगली प्रिंटिंग कंपनी लिमिटेड, कोलकाता	1979	6.35
3	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लि. (बीएचईएल), नई दिल्ली	1964	6232.00
4	बीएचईएल–ईएमएल	2011	10.50
5	ब्रेथवेट, बर्न एंड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लि. (बीबीजे) कोलकाता	1987	22.9*
6	भारत पंप्स एण्ड कंप्रेशर्स लि. (बीपीसीएल) इलाहाबाद	1970	105.22
7	रिचर्डसन एण्ड क्रुडास (1972) लि., (आरएण्डसी) मुम्बई	1973	28.62
8	ब्रिज एण्ड रुफ कंपनी (इंडिया) लि., (बीएण्डआर) कोलकाता	1920	86.26
9	हेवी इंजीनियरिंग कार्पो. लि., (एचईसी), रांची	1958	391.38
10	एचएमटी लि.,(धारक कं.), बेंगलोर	1953	145.26*
11	एचएमटी (मशीन टूल्स) लि., बेंगलोर	2000	321.93*
12	एचएमटी (इंटरनेशनल)	1974	8.40*
13	राजस्थान इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड इंस्ट्रूमेंट्स लि., (आरईआईएल) जयपुर	1981	51.28
14	स्कूटर्स इण्डिया लि. (एसआईएल), लखनऊ	1972	71.64
15	सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि. (सीसीआई), नई दिल्ली	1965	727.15
16	हिन्दुस्तान पेपर कार्पोरेशन लि. (एचपीसी), कोलकाता	1970	0
17	हिन्दुस्तान न्यूजप्रिण्ट लि. (एचएनएल), वेल्लोर कोट्टयम	1983	487.00
18	हिन्दुस्तान साल्टस लि. (एचएसएल), जयपुर	1958	18.14
19	सांभर साल्ट्स लि. (एसएसएल) जयपुर	1964	47.86
20	नेपा लि. (नेपा), नेपा नगर	1947	107.62
21	इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लि. (ईपीआई), नई दिल्ली	1970	26.62
22	नागालैण्ड पल्प एण्ड पेपर कंपनी लिमिटेड (एनपीपीसी), जिला–मोकोकचुआंग, नगालैण्ड	1971	0
	योग		9088.24

*31.12.2019 के अनुसार

अनुबंध–V

31.3.2019 की स्थिति के अनुसार भारी उद्योग विभाग के अधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में अजा, अजजा और अपिव सहित कर्मचारियों की स्थिति

क्र. सं.	केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का नाम	कर्मचारियों की कुल संख्या				कर्मचारियों की संख्या			
		कार्यपालक	सुपरवाइजर	कामगार/अन्य	कुल	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	पीडब्ल्यूडी और उनकी प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	एवाईसीएल	193	92	14363	14648	2344	4101	6885	23*
2	हुगली प्रिंटिंग	0	0	0	0	0	0	0	0
3	बीएचईएल	10420	6862	18189	35471	7255	2522	11846	911
4	बीबीजे	49	6	45	100	8	0	5	0*
5	बीएचईएल–ईएमएल	17	6	145	168	12	6	113	3
6	बीपीसीएल	53	15	150	218	39	1	58	1
7	आरएण्डसी	4	2	3	9	1	0	4	0
8	बीएण्डआर	684	314	208	1206	153	10	82	19
9	एचईसी	676	107	719	1502	328	335	297	18
10	एचएमटी (धारक कंपनी)	26	8	57	91	17	3	17	2*
11	एचएमटी (एमटी)	221	137	752	1110	225	48	323	17*
12	एचएमटी (इंटरनेशनल)	13	11	0	24	1	1	6	0′
13	आरईआईएल	84	70	85	239	48	9	55	4
14	एसआईएल	70	9	365	444	96	3	171	0
15	सीसीआई	149	158	247	554	85	48	115	3
16	एचपीसी	193	83	957	1233	152	136	14	0
17	एचएनएल	80	22	297	399	43	1	159	12
18	एचएसएल	19	22	52	93	14	2	22	3
19	एसएसएल	8	16	63	87	22	5	32	1
20	नेपा	148	0	378	526	30	8	47	0
21	ईपीआईएल	275	30	10	315	50	11	62	2+
22	एनपीपीसी	1	1	93	95	2	77	6	0
	योग	**13383**	**7971**	**37178**	**58532**	**10925**	**7327**	**20319**	**1019**

* 31.12.2019 के अनुसार

$ 30.09.2019 के अनुसार

अनुबंध–VI

भारी उद्योग विभाग के अधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का उत्पादन निष्पादन

(₹करोड़ में)

क्र. सं.	केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का नाम	2016–17 (वास्तविक)	2017–18 (वास्तविक)	2018–19 (वास्तविक)	01.01.2019 से 31.12.2019 (वास्तविक)	जनवरी–मार्च 2020 (अनुमानित)	2019–20 (अनुमानित)	2020–21 (अंनतिम)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	एवाईसीएल	418.38	354.29	302.78	276.36[&]	82.64	359.00	399
2	हुगली प्रिंटिंग	16.18	9.34	1.09			17.00	
3	बीएचईएल	27740.00	27850.00	29349.00			27500.00	28500
4	बीएचईएल–ईएमएल	32.13	14.42	18.65			42.49	
5	बीबीजे	98.30	72.88	104.99	130.58	55.26	150.00	165
6	बीपीसीएल	76.01	76.28	54.56			77.08	120.75
7	आरएण्डसी	20.76	17.00	13.00			15.00	17
8	बीएण्डआर	1746.44	2048.24	3074.64			3300.00	3500
9	एचईसी	364.84	393.38	340.22	97.38[%]		304.18	440.8
10	एचएमटी (धारक कंपनी)	9.58	12.05	17.01	17.39	7.25	18.00	22
11	एचएमटी (एमटी)	183.83	163.15	238.83	225.72	105.08	211.00	231
12	एचएमटी (इंटरनेशनल)	23.98	24.95	57.07	92.25	10.40	55.00	60
13	आरईआईएल	230.37	242.88	269.31			300.00	371
14	एसआईएल	99.82	31.08	66.92			73.95	122.11
15	सीसीआई	336.30	321.45	276.66			355.28	388.2
16	एचपीसी	183.72	0.00	0.00		0.00	0.00	0
17	एचएनएल	338.00	261.00	167.00	0.00	0.00	0.00	0
18	एचएसएल	5.82	6.88	7.93			13.12	19.8
19	एसएसएल	20.51	20.62	17.81			34.70	41.55
20	नेपा	33.54	0.00	0.00		0.00	0.00	0
21	ईपीआईएल	1621.45	1607.41	1791.05			1600.00	1800.00
22	एनपीपीसी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
	योग:	33599.96	33527.30	36168.52	839.68	260.63	34425.80	36198.21

[&] दिनांक 01.04.2019 से 31.12.2019 तक

[%]अप्रैल, 2019 से सितम्बर, 2019 तक

अनुबंध–VII

भारी उद्योग विभाग के अधीन केसाक्षे के उद्यमों का (कर पूर्व) लाभ (+) हानि (-)

(₹करोड़ में)

क्र. सं.	केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का नाम	2016–17 (वास्तविक)	2017–18 (वास्तविक)	2018–19 (वास्तविक)	01.01.2019 से 31.12.2019 (वास्तविक)	जनवरी–मार्च 2020 (अनुमानित)	2019–20 (पूर्वानुमान)	2020–21 (अंनतिम)
1	2	3	4	5	6	8	9	10
(क) केसाक्षे के लाभ में चल रहे उद्यम								
1	एवाईसीएल	38.50	23.57	10.51	6.19[&]	1.45	7.64	8.75
2	आरएण्डसी	14.94	16.45	23.78			25.00	26
3	बीएण्डआर	30.08	26.07	51.42			66.00	70
4	बीबीजे	27.05	4.62	1.60	5.37	2.29	7.00	12.65
5	सीसीआई	42.33	17.99	6.35			2.31	7.79
6	एचएमटी (धारक कंपनी)	-236	-2.05	16.93	23.15	4.48	27.55	19.16
7	एचएमटी (इंटरनेशनल)	0.06	0.14	1.51	3.67	2.00	5.53	6.6
8	बीएचईएल	628.00	1585.00	2058.00			646.00	589
9	एचएसएल	0.40	1.84	1.26			0.06	2.4
10	आरईआईएल	17.37	6.22	14.36			14.00	24.5
(क) लाभ में चल रही कंपनियों का उप–योग		-1037.43	562.72	1679.85	2180.68	1392.01	2180.68	1392.01
(ख) केसाक्षे के हानि में चल रहे उद्यम								
11	हुगली प्रिंटिंग	-0.03	-3.67	-3.09			0.25	
12	एसआईएल	-10.26	-18.70	-5.09			-4.33	7.78
13	बीपीसीएल	-81.89	-46.30	-38.42			-37.65	-34.84
14	एचईसी	-82.27	446.00	-93.67			-286.22	-162.63
15	एचएनएल	-60	-102	-132.00	0.00	0.00	0.00	0
16	एचपीसी	-369.26	-389.96	-369.26			-254.05	0

क्र. सं.	केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का नाम	2016–17 (वास्तविक)	2017–18 (वास्तविक)	2018–19 (वास्तविक)	01.01.2019 से 31.12.2019 (वास्तविक)	जनवरी–मार्च 2020 (अनुमानित)	2019–20 (पूर्वानुमान)	2020–21 (अंनतिम)
1	2	3	4	5	6	8	9	10
17	एचएमटी (मशीन टूल्स)	-127.95	-125.42	-74.8	-81.78	-39	-123.76	-105.39
18	नेपा	-72.39	-30.08	-78.57			0.00	0
19	बीएचईएल–ईएमएल	-3.79	-6.05	-5.46			-3.68	
20	एनपीपीसी	0	0	0	0	0	0	0
21	एसएसएल	-8.55	-2.58	-10.83			-6.05	0.35
22	ईपीआई	4.12	1.71	-29.62			-15.09	7.14
(ख) हानि में चल रही कंपनियों का उप–योग		-812.27	-277.05	-840.81	-81.78	-39.00	-730.58	-287.59
सकल योग (क और ख)		-249.54	1402.80	1344.91	-43.40	-28.78	70.51	479.26

[&] 01.04.2019 से 31.12.2019 तक

अनुबंध–VIII

भारी उद्योग विभाग के अधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के कारोबार के प्रतिशत के रूप में वेतन/मजदूरी बिल और सामाजिक उपरिव्यय

कारोबार के प्रतिशत के रूप में वेतन और मजदूरी									कारोबार के प्रतिशत के रूप में सामाजिक उपरिव्यय						
क्र. सं.	केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का नाम	2016–17 (वास्तविक)	2017–18 (वास्तविक)	2018–19 (वास्तविक)	1.1.2019 से 31.12.2019 (वास्तविक)	जनवरी–मार्च 2020 (अनुमानित)	2019–20 (पूर्वानुमान)	2020–21 (अंनतिम)	2016–17 (वास्तविक)	2017–18 (वास्तविक)	2018–19 (वास्तविक)	1.1.2019 से 31.12.2019 (वास्तविक)	जनवरी–मार्च 2020 (अनुमानित)	2019–20 (पूर्वानुमान)	2020–21 (अंनतिम)
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	एवाईसीएल	37.60	45.88	53.66	49.97[&]	33.35		44.75	3.89	4.89	5.80			4.51	4.5
2	हुगली प्रिंटिंग	18.19	37.23	248.00			16.35		0.00	0.00	0.00			0.00	
3	बीएचईएल	19.00	22.00	21.00			21.00	21.00	2.6	2.7	2.6			2.7	2.6
4	बीबीजे	17.35	21.77	19.27	15.54	7.59	14.14	13.06	0.91	0.87	0.62	0.69	0.18	0.50	0.48
5	बीएचईएल–ईएमएल	25.30	57.00	41.00			20.90		0.00	0.00	0.00			0.00	
6	बीपीसीएल	80.90	64.60	46.77			30.00	27.50	1.40	1.35	1.88			1.25	1.2
7	आरएण्डसी	3.31	2.68	3.75			3.90	4.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0
8	बीएण्डआर	9.46	8.29	6.94			7.27	7.34	1.54	1.94	0.99			1.21	1.23
9	एचईसी	26.73	29.12	34.75	77.05[%]		46.71	31.55	2.45	2.39	2.65	5.89[%]		4.23	2.85
10	एचएमटी (धारक कंपनी)	95.00	77.00	48.00	54.00	37.00	51.00	48.00	6.00	4.00	3.00	3.00	4.00	3.00	3
11	एचएमटी (एमटी	64.00	67.00	44.00	37.00	26.00	41.00	39.00	11.00	10.00	7.00	6.00	9.00	7.00	8
12	एचएमटी (इंटरनेशनल)	16.00	11.00	5.00	3.00	6.00	7.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
13	आरईआईएल	9.70	11.50	11.27			10.50	10.63	1.43	2.32	1.49			1	1.5
14	एसआईएल	28.48	45.90	34.93			29.37	18.23	उ. नहीं	उ. नहीं	उ. नहीं			उ. नहीं	उ. नहीं
15	सीसीआई	15.11	15.32	16.00			10.95	5.15	9.54	6.87	8.02			5.15	5
16	एचपीसी	17.98	31.71	73.94			77.64	0.00	7.32	9.44	9.62			10.10	0
17	एचएनएल	20.78	21.09	25.56			0.00	0.00	1.02	1.11	1.61			0.00	0

कारोबार के प्रतिशत के रूप में वेतन और मजदूरी									कारोबार के प्रतिशत के रूप में सामाजिक उपरिव्यय						
क्र. सं.	केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का नाम	2016–17 (वास्तविक)	2017–18 (वास्तविक)	2018–19 (वास्तविक)	1.1.2019 से 31.12.2019 (वास्तविक)	जनवरी–मार्च 2020 (अनुमानित)	2019–20 (पूर्वानुमान)	2020–21 (अंनतिम)	2016–17 (वास्तविक)	2017–18 (वास्तविक)	2018–19 (वास्तविक)	1.1.2019 से 31.12.2019 (वास्तविक)	जनवरी–मार्च 2020 (अनुमानित)	2019–20 (पूर्वानुमान)	2020–21 (अंनतिम)
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
18	एचएसएल	104.26	100.67	76.12			59.08	42.93	3.67	3.4	3.14			2.63	2.02
19	एसएसएल	43.35	41.10	32.55			30.72	25.99	3.74	1.86	3.81			2.54	2.17
20	नेपा	138.28	382.65	138.40			0.00	31.08	6.77	17.18	12.60			0.00	0
21	ईपीआईएल	4.21	4.12	3.83			4.38	4.01	0.58	0.77	0.43			0.31	0.30
22	एनपीपीसी	8.32	8.15	8.40			8.65	8.91	0.00	0.00	0.00			0.00	0

&दिनांक 01.04.2019 से 31.12.2019 तक

%अप्रैल, 2019 से सितम्बर, 2019 तक

अनुबंध–IX

भारी उद्योग विभाग के अधीन केसाक्षेउ के ऑर्डर बुक की स्थिति

(₹करोड़ में)

क्र. सं.	सीपीएसई	1.10.2015 के अनुसार	1.10.2016 के अनुसार	1.10.2017 के अनुसार	1.10.2018 के अनुसार	1.10.2019 के अनुसार	31.12.2019 के अनुसार	31.3.2020 के अनुसार	1.10.2020 के अनुसार
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	एवाईसीएल	65.43	113.81	141.69	161.77	129.07[&]			95
2	हुगली प्रिंटिंग	0	0.00	0.00	0.00	0.00			
3	बीएचईएल	112300	103300.00	97090.00	115532.00	108603.00			
4	बीबीजे	360.7	414.93	426.63	638.87	657.57[%]			794.8
5	बीएचईएल–ईएमएल	47.97	47.97	33.50	21.32	23.26			
6	बीपीसीएल	154.35	137.02	105.54	88.80	46.44			80
7	आरएण्डसी	15.92	15.92	19.17	11.67	8.60			10
8	बीएण्डआर	1255.79	834.10	1489.16	2004.07	1077.57			
9	एचईसी	1460.21	1139.26	1056.24	863.02	1138.33[#]			
10	एचएमटी (धारक कंपनी)	3.02	3.76	5.99	3.61	20.12[%]		15	
11	एचएमटी (एमटी)	82.18	291.72	264.16	322.86	338.51[%]		410	
12	एचएमटी (इंटरनेशनल)	3.29	9.19	4.38	80.90	24.24[%]		54.54	
13	आरईआईएल	67.4	67.00	167.86	129.43	173.86			150
14	एसआईएल*	उ. नहीं	उ. नहीं	उ. नहीं	उ. नहीं	उ. नहीं	उ. नहीं	उ. नहीं	उ. नहीं
15	सीसीआई	5.93	6.67	5.26	3.83	4.74			5
16	एचपीसी	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0
17	एचएनएल	0	0	0	0	0	0		0
18	एचएसएल	5.46	3.45	3.63	5.51	0.70			7
19	एसएसएल	8.23	8.84	10.20	9.98	10.53			17
20	नेपा	53.26	7.99	53.26	0.00	0.00	0.00		
21	ईपीआईएल	9811.61	9669.89	8651.67	5805.79	3285.45			
22	एनपीपीसी	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	योग	125700.75	116071.52	109528.34	125683.43	115541.99	0.00	479.54	1158.8

*स्टॉक एवं बिक्री के लिए माल उत्पादित किया जाता है इसलिए लागू नहीं है।

31 मार्च, 2019 के अनुसार

& 01.12.2019 के अनुसार

% 31.12.2019 के अनुसार

अनुबंध–X

भारी उद्योग विभाग के अधीन केसाक्षेउ का निर्यात निष्पादन

(₹करोड़ में)

क्र. सं.	सीपीएसई	2014–15 (वास्तविक)			2015–16 (वास्तविक)			2016–17 (वास्तविक)			2017–18 (वास्तविक)			2018–19 (वास्तविक)			2019–20 (पूर्वानुमान)		
		वास्तविक	डीम्ड	कुल	वास्तविक	डीम्ड	कुल	वास्तविक	डीम्ड	कुल	वास्तविक	डीम्ड	कुल	वास्तविक	डीम्ड	कुल	वास्तविक	डीम्ड	कुल
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	एवाईसीएल	1.85		1.85	4.49		4.49	1.83		1.83	3.63		3.63	2.23		2.23	3.53		3.53[&]
2	बीएचईएल	1418	11539	12957	1265.00	10300.00	11565.00	1178.00	8779.00	9957.00	824.00	4051.00	4875.00	3808.00	2019.00	5827.00			
3	बीपीसीएल		12.03	12.03		9.76	9.76		1.75	1.75		1.55	1.55		2.00	2.00			
4	बीएंडआर	3.7		3.7	0.00		0.00	0.00		0.00	0.25		0.25	0.00		0.00			
5	एचईसी	0		0			0.00			0.00			0.00			0.00			
6	एचएमटी (एमटी)	0		0									0.00			0.00			
7	एचएमटी (आई)	33.4		33.4	12.61		12.61	3.11		3.11	2.13		2.13	2.35		2.35	2.95		2.95[*]
8	आरईआईएल	1.54		1.54	0.23	0	0.23	0.22	0	0.22	0.19	0	0.19	0.04	0	0.04	0.5		0.5
9	एसआईएल	0		0	0		0.00	0		0.00			0.00	0		0.00			
10	एचएसएल	0		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00			0.00			
11	बीएचईएल–ईएमएल	0.77		0.77	0.49	0.00	0.49	1.45	0.00	1.45	0.34		0.34	0.58		0.58			
12	ईपीआईएल	591.42		591.42	497.78	0.00	497.78	550.97	0.00	550.97	795.45	0.00	795.45	1116.15	0.00	1116.15	752		752
13	एचपीसी	0.09		0.09	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00			0.00			
	योग	2050.77	11551.03	13601.8	1780.60	10309.76	12090.36	1735.58	8780.75	10516.33	1625.99	4052.55	5678.54	4929.35	2021.00	6950.35	759		759

*जनवरी 2019 से दिसम्बर, 2019

&01.04.2019 से 31.12.2019

अनुबंध–XI

31.3.2019 की स्थिति के अनुसार भारी उद्योग विभाग के अधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की प्रदत्त पूंजी, निवल मूल्य और संचयी लाभ

(₹करोड़ में)

क्र. सं.	सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का नाम	प्रदत्त पूंजी		निवल मूल्य	संचयी लाभ (+) /हानि (-)
		सरकारी /केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के धारित उद्यम	अन्य		
1	2	3	4	5	6
1	एवाईसीएल	87.27	10.52	190.13	58.75
2	हुगली प्रिंटिंग	1.03	0.00	-3.93	-3.09
3	बीएचईएल	439.92	256.49	31400.00	30703.00
4	बीबीजे	120.86	0.00	207.96$	96.82 4
5	बीएचईएल–ईएमएल	10.50	0	-8.28	-18.78
6	बीपीसीएल	53.53	0.00	-186.62	-270.17
7	आरएण्डसी	156.61	0.00	-249.69	-406.30
8	बीएण्डआर	54.63	0.36	362.18	307.19
9	एचईसी	606.08	0.00	10.98	-691.32
10	एचएमटी (धारक कंपनी)	279.57$	76.03$	140.28$	-215.32$
11	एचएमटी (मशीन टूल्स)	276.60 $	0.00$	-1389.91$	1689.22$
12	एचएमटी (इंटरनेशनल)	0.72$	0.00$	37.45$	36.73$
13	आरईआईएल	6.25	6.00	115.03	102.78
14	एसआईएल	81.94	5.33	66.05	21.27
15	सीसीआई	811.41#	0.00	8.59	-782.56
16	एचपीसी	835.30	0.00	-1087.24	-1960.00
17	एचएनएल	99.99	0.00	-146.00	-246.00
18	एचएसएल	52.06	0.00	47.02	-13.29
19	एसएसएल	1.00	0.00	-46.44	-55.73
20	नेपा	493.48	5.82	-19.29	77.78
21	ईपीआईएल	35.42	0.007	197.64	162.22
22	एनपीपीसी	117.75	0.00	-87.4	-162.03
	योगः	4621.92	360.56	29558.51	25052.73

#355.43 करोड़ ₹के अधिमान्य शेयर सहित

$31 मार्च, 2019 के अनुसार

मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियां

(अध्याय – 2019 की रिपोर्ट सं. 13 का अध्याय–IV भारी उद्योग विभाग से संबंधित है)

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड

1. देर रात जलपान भत्ते के लिए कर्मचारियों को अनुचित लाभ

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड ने लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के साथ–साथ अपनी कार्मिक संबंधी नीति के उल्लंघन में अपने कर्मचारियों को देर रात जलपान भत्ते के लिए ₹16.69 करोड़ के बराबर अनुचित लाभ दिया।

(पैरा सं. 41, 2019 की रिपोर्ट सं. 13)

बीएचईएल राइट–अप का ब्यौरा

बिजली क्षेत्र

2019–20 में सितंबर 19 तक प्राप्त हुए प्रमुख आदेश

- पावर सेक्टर ने ₹7,534 करोड़ के विद्युत परियोजनाओं के ऑर्डर प्राप्त किए।
- ~8.2 गीगावॉट (₹4,546 करोड़) की परियोजनाओं के लिए एनटीपीसी और उसके जेवी से एफजीडी पैकेज के ऑर्डर प्राप्त किए।
- बीएचईएल ने रूसी सहयोग से कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए ₹928 करोड़ के दो प्रतिष्ठित ऑर्डर हासिल किए हैं।

उद्योग क्षेत्र

परिवहन

वर्ष 2019–20 के दौरान सितंबर 19 तक प्राप्त प्रमुख ऑर्डर

- भारतीय रेलवे से 25 रीजनरेटिव ब्रेकिंग युक्त डबल्यूएजी –7 इलेक्ट्रिक इंजनों का ऑर्डर।
- सीएलडबल्यू, चित्तरंजन से इलेक्ट्रिक लोंको के लिए 77 आईजीबीटी आधारित इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन उपकरणों के ऑर्डर।

ट्रांसमिशन

वर्ष 2019–20 के दौरान सितंबर19 तक प्राप्त प्रमुख ऑर्डर

- पावरग्रिड से एआईएस (एयर इंसुलटेड स्विचगियर) सब स्टेशन पैकेज के विस्तार हेतु ऑर्डर प्राप्त हुए (i) 765 केवी (Kv) सोलापुर (ii) 765 केवी (Kv) औरंगाबाद (iii) 765 केवी (Kv) वर्धा (iv) 400 केवी (Kv) खंडवा (v) 400 केवी (Kv) राजगढ़ (vi) 400 केवी (Kv) चम्पा (vii) 400/220 केवी (Kv) इटारसी और (viii) 400/220 केवी (Kv)जबलपुर सब स्टेशन के लिए।
- महाराष्ट्र राज्य विद्युत प्रसारण कंपनी लिमिटेड (एमएसईटीसीएल) से 315 एमवीए का 1 ऑर्डर, 167 एमवीए के 9 ऑर्डर और 105 एमवीए 400 केवी इंटर कनेक्टिंग ट्रांसफॉर्मर के 3 ऑर्डर प्राप्त हुए ।

नवीकरणीय ऊर्जा

वित्तीय वर्ष 2019–20 में बीएचईएल को सोलर पीवी सेगमेंट में अब तक के सबसे अधिक ऑर्डर मिले हैं। जून 2019 में बीएचईएल के सौर फोटोवोल्टिक (एसपीवी) पोर्टफोलियो ने 1 गीगावॉट को पार कर लिया है।

वर्ष 2019–20 के दौरान सितंबर 19 तक प्राप्त प्रमुख ऑर्डर

- एनटीपीसी लिमिटेड से 147 मेगावाट के फ्लोटिंग सोलर पीवी प्लांट के ऑर्डर प्राप्त कर बीएचईएल भारत में फ्लोटिंग सोलर पीवी प्लांट सेगमेंट में मार्केट लीडर बना

वाटर (पानी) व्यवसाय

वर्ष 2019–20 के दौरान उपलब्धियां (सितंबर 2019 तक)

- अगस्त 19 में, रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड (आरएससीएल) के लिए, बीएचईएल द्वारा निष्पादित तेलीबांधा झील शोधन परियोजना को, राष्ट्रीय शहरी विकास शिखर सम्मेलन में 'राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार' से सम्मानित किया गया।

रक्षा और एयरोस्पेस

वर्ष 2019–20 के दौरान उपलब्धियां (सितंबर 2019 तक)

- इसरो ने ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण वाहन (पीएसएलवी) के एल्यूमीनियम टैंक निर्माण के लिए बीएचईएल को शॉर्टलिस्ट किया है।
- बीएचईएल ने 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किए गए चंद्रयान –2 के लिए सौर पैनल और बैटरी की आपूर्ति की है।

कैप्टिव पावर प्लांट

वर्ष 2019–20 के दौरान सितंबर 19 तक प्राप्त प्रमुख ऑर्डर

- विभिन्न ग्राहकों से 5 एसटीजी सैटों के ऑर्डर

औद्योगिक उत्पाद (तेल, गैस और विद्युत मशीनों सहित)

वर्ष 2019–20 के दौरान सितंबर 19 तक प्राप्त प्रमुख ऑर्डर

- आईओसी पानीपत से पेट्रो केमिकल के लिए पहली बार एथिलीन गैस कंप्रेसर का ऑर्डर
- ओआईएल इंडिया लिमिटेड से 125 टन क्षमता के 2 वर्कओवर रिग पैकेज के ऑर्डर

ऊर्जा भंडारण समाधान

वर्ष 2019–20 के दौरान उपलब्धियां (सितंबर 2019 तक)

- ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड (ईईएसएल) से 20 डीसी (DC)–001 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर्स के लिए ऑर्डर।
- बीएचईएल के होमोलोगेशन ने 12–मीटर ई–बस का निर्माण आईसीएटी, मानेसर में पूरा कर (प्रमाणपत्र प्राप्त) किया।

अंतर्राष्ट्रीय प्रचालन

वर्ष 2019–20 के दौरान सितंबर 19 तक प्राप्त प्रमुख ऑर्डर:

- एलओए ने 2x20 मेगावाट राहुघाट जल विद्युत परियोजना, नेपाल के लिए ऑर्डर प्राप्त किया।
- ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, मिस्र, इंडोनेशिया, इराक, मलावी, मोजाम्बिक, न्यू कैलेडोनिया, ओमान और संयुक्त अरब अमीरात से उत्पादों और बिक्री खंडों के बाद के ऑर्डर प्राप्त हुए हैं।

परियोजना संचालन

वर्ष 2018–19 के दौरान प्रमुख कमीशनिंग

पारंपरिक बिजली संयंत्रों के लिए उपयोगी खंड में, बीएचईएल ने वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान 2,130 मेगावाट की क्षमता को जोड़ा, जो इस वर्ष के दौरान किसी एक उपकरण निर्माता द्वारा जोड़ी गई सर्वाधिक विद्युत ऊर्जा क्षमता है।

वर्ष 2019–20 के दौरान सितंबर 2019 तक कमीशन किए गए प्रमुख प्रोजेक्ट्स :

- नबीनगर (660 मेगावाट) –1 की क्षमता में वृद्धि की गई, जहां बीएचईएल का केवल एसजी क्षेत्र है।
- भद्राद्री (270 मेगावाट)–1 और पारबती (4x200 मेगावाट) स्टेज–II की यूनिट–3 और 4 को सिंक्रोनाइज्ड किया।
- बीएचईएल ने भूटान में छोका यूनिट (4x84 मेगावाट)–1 को सफलतापूर्वक स्थापित किया, जिसके लिए ग्राहक ने कुशल निष्पादन की सराहना की।
- वानकबोरी (800 मेगावाट) और न्यूने वेली (500 मेगावाट) ने फूल लोड प्राप्त किया।

उपस्कर निष्पादन:

वर्ष 2019–20 के दौरान (सितंबर 19 तक)

देश के कुल विद्युत उत्पादन का 57.9% उत्पादन जो 508.97 बिलियन यूनिट है, वर्ष 2019–20 (अप्रैल–सित. 2019) के दौरान बीएचईएल द्वारा आपूर्ति थर्मल यूटिलिटी सेटों (कोयला और लिग्नाइट आधारित) से हुआ है। यह बीएचईएल द्वारा आपूर्ति किए गए सेटों के बेहतर प्रदर्शन को दिखाता है।

प्रमुख निष्पादन उपलब्धियों में शामिल हैं:

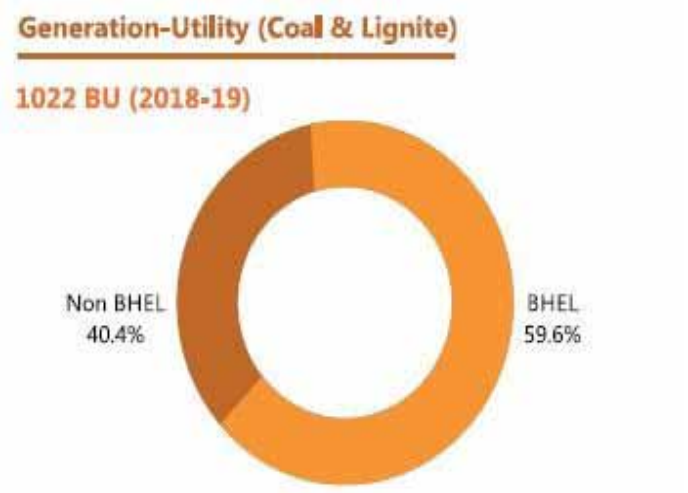

- 215 थर्मल सेट ने ओए (OA) को 90% से ऊपर पंजीकृत किया। सभी थर्मल सेटों का समग्र ओए(OA) 84.0% है।

- बीएचईएल की पहली सुपर क्रिटिकल इकाई (660 मेगावाट) बाढ़ (Barh)–4 करीब 40582 घंटे निरंतर चली। इसने ओए 100% और पीएलएफ 90.3% प्राप्त किया।

अन्य विशेषताएं

वर्ष 2019–20 के दौरान (सितम्बर 19 तक)

- माननीय मंत्री (भारी उद्योग एवं लोक उद्यम) द्वारा 5 सौर आधारित इलेक्ट्रिकल वाहन (EV) चार्जिंग स्टेशनों का उद्घाटन दिल्ली–चंडीगढ़ राजमार्ग पर स्थित हरियाणा टूरिज़्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड की साइटों पर किया गया।

- हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) के साथ उनके (एचपीसीएल) द्वारा चिन्हित स्थानों पर इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों के बुनियादी कार्यान्वयन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा बीएचईएल निर्मित मंगदेछु हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन

- भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा बीएचईएल निर्मित 4 x 180 मेगावाट के मंगदेछु हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया।

उत्कृष्टता का सम्मान

वर्ष 2018–19 के दौरान:

- **17 विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार (प्रदर्शन वर्ष 2016):** बीएचईएल के 82 कर्मचारियों को लागत में कमी, गुणवत्ता में सुधार, उत्पादकता और काम करने की स्थिति, आदि से संबन्धित उनके अभिनव सुझावों के लिए मिले।

- 'प्रोडक्ट ग्रुप – प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट्स – लार्ज एंटरप्राइज को वर्ष 2016–17 के लिए निर्यात श्रेणी में उत्कृष्टता के लिए ईईपीसी राष्ट्रीय पुरस्कार ।

- महारत्न श्रेणी में एससी (SC) / एसटी (ST) उद्यमी का समर्थन करने के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) मंत्रालय द्वारा पुरस्कार।

- **छह राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार (प्रदर्शन वर्ष 2016)** सबसे लंबी दुर्घटना मुक्त अवधि और सबसे कम दुर्घटना आवृत्ति दर के मामले में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए।

- **भारत के शीर्ष 12 नवप्रवर्तकों में से एक** के रूप में सम्मान प्राप्त है और कॉर्पोरेशन्स श्रेणी में क्लेरिवेट एनालिटिक्स इंडिया इनोवेशन अवार्ड 2018 से सम्मानित किया गया है।

- **सीबीआईपी अवार्ड 2019** नई और नवीकरणीय ऊर्जा तथा बिजली के लिए 'सर्वश्रेष्ठ विद्युत उपकरण विनिर्माण संगठन' के लिए

सीबीआईपी अवार्ड 2019 नई और नवीकरणीय ऊर्जा तथा बिजली के लिए 'सर्वश्रेष्ठ विद्युत उपकरण विनिर्माण संगठन' के लिए

- **आईसीसी पीएसई (ICC PSE)उत्कृष्टता पुरस्कार** – सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग में उत्कृष्ट योगदान के लिए सीएमडी (CMD), बीएचईएल का सम्मान।

- इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स (ICC) **पीएसई (PSE) उत्कृष्टता पुरस्कार** – रनर अप ट्रॉफी एचआरएम (HRM) उत्कृष्टता, सीएसआर (CSR) और स्थिरता (सस्टेनेबिलिटी) तथा अनुसंधान एवं विकास, प्रौद्योगिकी परिनियोजन और नवाचार के लिए।

2019–20 के दौरान (सितम्बर 19 तक)

- **नौ राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार (निष्पादन वर्ष 2017)** सबसे लंबी दुर्घटना मुक्त अवधि और सबसे कम दुर्घटना आवृत्ति दर के लिए।
- **बीएचईएल को अपेक्स इंडिया एचआर एक्सीलेंस अवार्ड 2019** में गोल्ड अवार्ड और अपेक्स इंडिया ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी अवार्ड्स 2019 में सिल्वर अवार्ड मिला।
- बीएचईएल को रोजगार के लिए ड्रीम कंपनी की श्रेणी के अंतर्गत **एचआर लीडरशिप में उत्कृष्टता के लिए गोल्डन ग्लोब टाइगर्स पुरस्कार–2019** मिला।
- डीएंडबी पीएसयू पुरस्कार **विनिर्माण, प्रसंस्करण और उत्पादन:** भारी और मध्यम इंजीनियरिंग श्रेणी में
- डीएसआईजे (दलाल स्ट्रीट इनवेस्टमेंट जर्नल) द्वारा **फास्टेस्ट ग्रोइंग महारत्न ऑफ द ईयर** (मैन्युफैक्चरिंग)।
- श्री एम पद्नाभन, बीएचईएल त्रिची ने जीवन रक्षा पदक प्राप्त किया। उद्योग भवन में सीएमडी, बीएचईएल की उपस्थिति में सचिव, डीएचआई द्वारा पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
- सीएमडी, बीएचईएल को राष्ट्र निर्माण श्रेणी के लिए **मानव रचना उत्कृष्टता पुरस्कार 2019** प्रदान किया गया।
- इंजीनियरिंग क्षेत्र में **पर्यावरण प्रबंधन के लिए गोल्डन** पीकॉक पुरस्कार।

मुख्य प्रौद्योगिकी सहयोग समझौते

- चयनित उत्प्रेरक मंदक (एससीआर) उत्प्रेरक नाईट्रोजन आक्साईड (De-NOx) अनुप्रयोगों के निर्माण के लिए 27 जून, 2018 को एनएएनओ कं. लिमिटेड, कोरिया गणराज्य के साथ प्रौद्योगिकी सहयोग समझौते (TCA) पर हस्ताक्षर किए गए।
- नाईट्रोजन आक्साईड (De-NOx) अनुप्रयोगों के लिए चयनित उत्प्रेरक मंदक (एससीआर) प्रणालियों के लिए 21 सितंबर, 2018 को बैबॉक पॉवर एन्वायर्नमेंट कं., यूएसए (बीपीई) के साथ प्रौद्योगिकी सहयोग समझौता (टीसीए) पर हस्ताक्षर किए गए।
- परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 700 मेगावाट स्टीम टर्बाइन पैकेज के लिए जनरल इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी जीएमबीएच, स्विट्जरलैंड के साथ लाइसेंस और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।

वर्ष 2018–19 एवं 19–20 में की गई कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियां (30 सितम्बर 2019 तक):

स्वच्छ भारत

- बीएचईएल ने सतना नगर निगम (म.प्र.) को 3 पांच सीटर चलित शौचालय वैन प्रदान की और बलिया जिले (यूपी) के ब्लॉक–सियार के ग्राम पंचायत चौरवन में स्थित पांच प्राथमिक स्कूलों में शौचालय निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है।
- बीएचईएल का हरिद्वार और ऋषिकेश में 25 बायो–डाइजेस्टर शौचालयों के निर्माण कार्य जारी है। इनमें से 18 समूहों को पूरा किया गया है और जनता इनका उपयोग कर रही है।

बीएचईएल ने हरिद्धार एवं ऋषिकेश में गंगा नदी के किनारे बायो डायजेस्टिव शौचालयों का निर्माण किया

शिक्षित भारत

- बीएचईएल ने देहरादून स्थित एक एनजीओ को उनके कार्यक्रम "लतिका विहार–सभी का स्वागत है" को सहयोग प्रदान किया है। यह कार्यक्रम बच्चों का समग्र विकास और समावेश और अपनी शिक्षा पूरी न कर सके वयस्कों के लिए है।

- बीएचईएल विनिर्माण इकाइयों और अन्य प्रभागों ने शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई अन्य सीएसआर पहलों पर कार्य किया है। इनमें प्रमुख है, हरिद्वार, भोपाल, हैदराबाद, चेन्नई, झांसी, गोइंदवाल में कारखानों के आसपास के विद्यालयों में स्कलों के कमरों का नवीनीकरण, शेड का निर्माण, फर्नीचर आपूर्ति, पुस्तकों का वितरण, शौचालयों का निर्माण, आईटी अधोसंरचना प्रदान करना, पेयजल की आपूर्ति में सुधार करना, खेल कूद का सामान प्रदान करना,आर ओ उपलब्ध कराना, आडिटोरियम का नवीनीकरण इत्यादि।

स्वस्थ भारत

- ''रामभाऊ म्हालगी प्रबोधिनी'', मुंबई के माध्यम से महाराष्ट्र के ठाणे जिले के कल्याण ब्लॉक की आशा कार्यकर्ताओं के रिटेनिंग और क्षमता उन्यन के लिए एक अनूठी सीएसआर परियोजना शुरू की गई ।

- पश्चिम बंगाल में ''कनक प्रवा मेमारिय चेरेटेबल सेंटर'' को एक एम्ब्यूलेंस प्रदान की गई।

हरित एवं अक्षय भारत (ग्रीन और सस्टेनेबल इंडिया)

- बीएचईएल ने 2018–19 के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड समकक्ष (MT CO_2-e) के उत्सर्जन में लगभग 26499 मीट्रिक टन की कमी की है जो कि 2017–18 के आंकड़ों की तुलना में लगभग 71.5% अधिक है।

- विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों के माध्यम से उत्पन्न कुल विद्युत ऊर्जा 2017–18 के दौरान 15.61 मिलियन यूनिट की तुलना में 2018–19 के दौरान 27.6 मिलियन यूनिट थी। बीएचईएल की अधिकांश इकाईयां एसटीपी के अवशिष्ट जल का उपयोग सिंचाई के लिए कर रहीं है।

- विश्व पर्यावरण दिवस (डबल्यूईडी) 2018 के अवसर पर वर्ष के दौरान हमारी इकाइयों में 21500 से अधिक पौधे लगाए गए ।

उत्तरदायी भारत, समावेशी भारत एवं आपदा राहत

- बीएचईएल के पीपीपीयू, तिरुमयम ने तमिलनाडु प्रदूषण बोर्ड द्वारा चलाए गए प्लास्टिक बैन जागरूकता अभियान का समर्थन किया। तिरुमयम इकाई ने तंजावुर जिला, तमिलनाडु में "गजा चक्रवात" से प्रभावित लोगों को भोज्य पदार्थों के पैकिट वितरित करके राहत कार्य में सहयोग किया।

निष्पदान में गुणवत्ता

विनिर्माण इकाइयों और पावर सेक्टर परियोजना साइटों में विद्यमान गुणता प्रणालियों को सशक्त करने के लिए, आंतरिक क्रॉस फ़ंक्शनल टीमों द्वारा आवधिक गुणवत्ता ऑडिट और गुणवत्ता प्रबंधन प्रभावशीलता समीक्षा (क्यूएमईआर–बीएचईएल का घरेलू कॉपीराइट गुणवत्ता मॉडल) का संचालन किया जा रहा है।

वर्ष 2018–19 के दौरान, बीएचईएल 22 इकाईयों/प्रभागों की गुणवत्ता प्रबंधन प्रभावशीलता की समीक्षा की गई। 20 विनिर्माण इकाइयों / इंजीनियरिंग केंद्रों में लगभग 100 उत्पाद / प्रक्रियाओं के गुणवत्ता ऑडिट किए गए और विभिन्न परियोजना साईटों पर 29 गुणवत्ता ऑडिट किए गए।

वर्ष 2018–19 के दौरान गुणवत्ता प्रबंधन विषय पर आयोजित प्रशिक्षण् कार्यक्रम में 820 कार्यपालकों को प्रशिक्षण दिया गया।

अनुबंध–XIV

बजट अनुमान का ब्यौरा6
मांग सं. 44 –भारी उद्योग विभाग
वर्ष 2019–20 के लिए योजना–वार आवंटन

(₹करोड़ में)

क्र. सं.	योजना/मदें	बीई 2017–18	आरई 2017–18	वास्तविक 2017–18	बीई 2018–19	आरई 2018–19	वास्तविक 2018–19	बीई 2019–20	30.09.2019 के अनुसार व्यय
1.	**सचिवालय**	28.60	31.60	29.69	36.85	36.85	35.67	39.05	17.88
2.	**ऑटोमोबाइल उद्योग का विकास**								
i.	नेशनल ऑटोमोटिव टेस्टिंग एंड रिसर्च एंड डेवेलपमेंट इनफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट (नेट्रिप) को अनुदान	485.89	307.01	307.00	378.88	400.00	400.00	259.23	259.23
ii.	भारत में (हाइब्रिड और) इलेक्ट्रिक वाहनों को तीव्र अंगीकरण के लिए स्कीम– फेम–इंडिया के लिए अनुदान	175.00	235.00	165.00	260.00	145.00	145.00	500.00	224.17
iii.	ऑटोमोबाइल एवं संबद्ध उद्योगों के लिए विकास परिषद (डीसीएएआई) को अनुदान	20.00	24.25	24.17	30.00	15.00	15.00	25.00	0.63
	कुल– ऑटोमोबाइल उद्योग का विकास	682.89	566.26	496.17	668.88	560.00	560.00	784.23	484.03
3.	**केपिटल गुड्स सेक्टर का विकास**								
i.	कैपिटल गुड्स उद्योग में प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए योजना।	150.00	110.00	109.72	120.00	110.00	110.46	110.00	49.81
ii	ताप विद्युत संयंत्रों के लिए उन्नत अल्ट्रा सुपर–क्रिटिकल (एयूएससी) प्रौद्योगिकी हेतु आर एंड डी परियोजना	120.00	90.00	120.00	100.00	220.00	220.00	134.00	110.00
iii	संवर्धनात्मक कार्यकलाप शुरू करने के लिए औद्योगिक एसोसिएशन और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	0.50	0.50	0.38	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00
	कुल– केपिटल गुड्स सेक्टर का विकास	270.50	200.50	230.10	220.50	330.50	330.46	244.50	159.81
4.	**केन्द्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय**								
	केन्द्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान (सीएमटीआई) को अनुदान	-	-	-	10.00	15.00	15.00	19.00	2.00
5.	**केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को सहायता**								
i.	हिंदुस्तान साल्ट्स लिमिटेड (एसएसएल) को अनुदान	2.00	1.92	1.92	2.00	2.00	2.00	2.30	1.00
ii	स्वच्छता कार्य योजना को सहायता अनुदान	1.00	1.00	1.00	1.00	0.10	0.10	0.01	0.00
iii	हिंदुस्तान पेपर कॉर्पोरेशन (एनपीपीसी) – पूर्वोत्तर क्षेत्र में निवेश	95.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
iv	एचसीएल में निवेश	243.51	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00
v	नेपा लि. में निवेश	0.01	0.01	0.00	0.01	49.54	49.54	248.31	100.00
vi	हिंदुस्तान साल्ट्स लि. (एचएसएल) में निवेश	24.81	10.00	10.00	14.50	0.00	0.00	5.00	0.00

क्र. सं.	योजना/मदें	बीई 2017–18	आरई 2017–18	वास्तविक 2017–18	बीई 2018–19	आरई 2018–19	वास्तविक 2018–19	बीई 2019–20	30.09.2019 के अनुसार व्यय
vii	सीपीएसईज की पुनरूद्धार योजना के कार्यान्वयन हेतु एकमुश्त प्रावधान	0.01	0.01	0.00	61.78	22.34	6.33	0.01	0.00
viii	स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति और पृथक्करण स्कीम (वीआरएस/वीएसएस) के कार्यान्वयन तथा सांविधिक देय राशि के भुगतान हेतु एकमुश्त प्रावधान	250.00	51.73	51.73	10.00	10.00	26.00	0.01	0.00
ix	रुग्ण सीपीएसईज के बंदीकरण को लागू करने हेतु ऋण	1001.46	244.01	244.01	10.00	10.00	10.00	24.41	24.39
x	अन्य	0.21	0.20	0.00	0.20	0.01	0.08	0.20	0.00
	कुल योग	2600.00	1107.26	1104.62 (42.49 %)	1125.73	1036.34	1035.02 (91.97 %)	1367.00	789.11 (57.73 %)

केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की सामान्य उद्देश्य वित्तीय रिपोर्ट– केन्द्र सरकार (वाणिज्यिक) – वर्ष 2019 की सं. 18

वर्ष 1984 में यथा संशोधित नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कर्त्तव्य, अधिकार एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19–क के तहत यह लेखा परीक्षा रिपोर्ट तैयार की गई है। इस रिपोर्ट में आठ अध्याय शामिल हैं। इस रिपोर्ट में कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों को केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसईज) द्वारा अनुपालन की स्थिति, कार्पोरेट शासन प्रणाली और कार्पोरेट सामाजिक दायित्व पर लोक उद्यम विभाग (डीपीई) तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिर्माण बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी दिशानिर्देशों, प्रशासनिक मंत्रालयों तथा सीपीएसईज के बीच समझौता ज्ञापन का विश्लेषण, चुनिन्दा सीपीएसईज में भारतीय लेखा मानकों के कार्यान्वयन का प्रभाव (चरण–II के तहत), सीपीएसईज द्वारा अनुसंधान एवं विकास पर व्यय, सीपीएसईज में विनिवेश का वर्णन है। रिपोर्ट की कुछ मुख्य विशेषताओं को नीचे रेखांकित किया गया है:

अध्याय–I केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का वित्तीय निष्पादन

31 मार्च, 2018 तक की स्थिति के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लेखा परीक्षा क्षेत्राधिकार के तहत 644 केन्द्रीय सार्वजिक क्षेत्र के उद्यम थे। इनमें 450 सरकारी कंपनियां, 188 सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियाँ और 6 सांविधिक निगम शामिल थे। इस रिपोर्ट में 420 सरकारी कंपनियों और निगमों (6 सांविधिक निगमों सहित) और सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य 165 कंपनियां शामिल हैं। 59 सीपीएसईज (सरकार द्वारा नियंत्रित 23 अन्य कंपनियों सहित) जिसके लेखे तीन या इससे अधिक वर्षों के लिए बकाया थे या बंद/परिसमापन के अधीन थे या पहले लेखे प्राप्त नहीं किए गए थे अथवा देय नहीं थे, उन्हें इस रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है।

भारत सरकार द्वारा किया गया निवेश

420 सरकारी कंपनियों और कॉर्पोरेशनों के लेखे यह दर्शाते हैं कि भारत सरकार ने शेयर पूंजी में ₹3,57,064 करोड़ का निवेश किया था। 31 मार्च, 2018 तक की स्थिति के अनुसार भारत सरकार को दिए गए ऋण पर ₹88.479 करोड़ की राशि बकाया है। पिछले वर्ष की तुलना में सीपीएसईज के इक्विटी में भारत सरकार द्वारा किए गए निवेश में ₹35,038 करोड़ की वृद्धि दर्ज की गई और 2017–18 के दौरान बकाया ऋण में ₹5,978 करोड़ की वृद्धि हुई है।

बाजार पूंजीकरण

47 सूचीबद्ध सरकारी कंपनियों (05 अनुषंगी कंपनियों सहित) जिन्हें वर्ष 2017–18 के दौरान ट्रेड (सक्रिय) किया गया था, उनके शेयर का कुल बाजार मूल्य 31 मार्च, 2018 तक की स्थिति के अनुसार ₹14,42,216 करोड़ है। 42 सूचिबद्ध सरकारी कंपनियों (05 अनुषंगी कंपनियों के अलावा) में भारत सरकार द्वारा धारित शेयरों का बाजार मूल्य 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार ₹13,63,194 करोड़ है।

इक्विटी पर रिटर्न

231 सरकारी कंपनियों और निगमों ने 2017–18 के दौरान ₹166197 करोड़ का मुनाफा कमाया, जिसमें से 71.83% (₹119379 करोड़) का योगदन 52 सरकारी कंपनियों और कॉर्पोरेशनों द्वारा तीन क्षेत्रों यथा पेट्रोल, कोयला और लिग्नाइट पावर में दिया गया। वर्ष 2016–17 इक्विटी पर रिटर्न 215 सीपीएसईज में 13.82% की तुलना में वर्ष 2017–18 में 231 सीपीएसईज में ₹13.16% था।

सीपीएसईज द्वारा दिया गया लाभांश

वर्ष 2017–18 के दौरान 101 सरकारी कंपनियों और कॉर्पोरेशनों ने ₹70,562 करोड़ का लाभांश घोषित किया था। इसमें से भारत सरकार द्वारा प्राप्त/प्राप्त करने योग्य लाभांश ₹42,229 करोड़ है जो कि सभी सरकारी कंपनियों और कॉर्पोरेशनों में भारत सरकार द्वारा किए गए कुल निवेश (₹3,57,064 करोड़) पर 11.83% रिटर्न है।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत 14 सरकारी कंपनियों ने ₹28,859 करोड़ का योगदान दिया जो सभी सरकारी कंपनियों और निगमों द्वारा घोषित कुल लाभांश का 40.90% है।

53 सीपीएसईज द्वारा लाभांश की घोषणा पर भारत सरकार के निर्देश का अनुपालन नहीं करने के परिणामस्वरूप वर्ष 2017–18 के लिए भारत सरकार को लाभांश के भुगतान में ₹9417.75 करोड़ की कमी हुई है।

सीपीएसईज द्वारा उठायी गई हानियाँ

वर्ष 2017–18 के दौरान 158 सीपीएसईज घाटे में रही। इन कंपनियों द्वारा उठाई गई हानियां वर्ष 2016–17 के ₹33574 करोड़ की तुलना में वर्ष 2017–18 में ₹41420 करोड़ है।

निवल लाभ/संचित हानि

31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार 184 सरकारी कंपनियों और निगमों को ₹142309.28 करोड़ की संचित हानि हुई। संचित हानियों के कारण 77 कंपनियों का निवल लाभ पूरी तरह से समाप्त हो गया था। परिणामस्वरूप, 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार इन कंपनियों का कुल निवल लाभ ₹83122.38 करोड़ तक नकारात्मक हो गया था। वर्ष 2017–18 के दौरान इन 77 कंपनियों में से केवल 12 ने ही ₹1344.45 करोड़ का लाभ कमाया।

निजी कंपनियों के साथ सूचीबद्ध सीपीएसईज का निष्पादन

पिछले पांच वर्षों के दौरान पांच पैरामीटर (आरओई, आरओसीई, ईपीएस, पी/ई अनुपात और आईसीआर) पर व्यवसाय की एक जैसी प्रकृति के आधार पर निजी कंपनियों के साथ 36 सूचीबद्ध सीपीएसईज के निष्पादन की तुलना की गई। यह देखा गया कि कुल 36 सीपीएसईज में से क्रमशः16,15,26,29 औ 17 सीपीएसईज में आरओसी, आरओसीई, ईपीएस, पी/ई अनुपात और आईसीआर कम था।

वर्तमान निवेश मूल्य के आधार पर रिटर्न

निवेश के ऐतिहासिक मूल्य की तुलना में भारत सरकार के निवेश के वर्तमान मूल्य पर रिटर्न/हानि की दर का आंकलन करने के लिए 25 उन सीपीएसईज के संबंध में भारत सरकार के निवेश के वर्तमान मूल्य की गणना की गई जो आठ या अधिक वर्षों से घाटे में थीं। 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार भारत सरकार के निवेश का वर्तमान मूल्य ₹112958.30 करोड़ था जिसके सापेक्ष रिटर्न की राशि (–)₹145.73 करोड़ थी ।

अध्याय–II सीएजी की निगरानी संबंधी भूमिका

वर्ष 2017–18 के लेखों को समय पर प्रस्तुत करना

सीएजी के लेखा परीक्षा क्षेत्राधिकार वाली 638 सीपीएसईज (06 सांविधिक निगमों के अलावा) मे से समय पर अर्थात 30 सितम्बर, 2018 तक 540 सीपीएसईज से वर्ष 2017–18 के विवरण प्राप्त हुए। जबकि 4 सीपीएसईज के वित्तीय विवरण देय नहीं थे, विभिन्न कारणों से 94 सीपीएसईज के वित्तीय विवरण बकाया थे।

समय पर वित्तीय विवरण भेजने वाले 540 सीपीएसईज में से 386 सीपीएसईज की पूरक लेखा परीक्षा की गई।

तीन चरणों वाली लेखा परीक्षा

87 सीपीएसईज की तीन चरणों की लेखा परीक्षा के परिणामस्वरूप, आस्तियों/देयताओं के मूल्य और लाभप्रदता में परिवर्तन क्रमशः ₹5,786.43 करोड़ और ₹9,831.24 करोड़ था।

पूरक लेखा परीक्षा का प्रभाव

तीन सीपीएसईज ने अपने वित्तीय विवरणों में संशोधन किया और 35 सीपीएसईज के संवैधानिक लेखा परीक्षकों की वार्षिक आम बैठक में वित्तीय विवरण रखने से पूर्व उनकी लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्राप्त हुई। इसके अलावा, वित्तीय विवरणों में कमियों को दर्शाने वाली अनेक टिप्पिणियां भी जारी की गई।

लाभ प्रदता और आस्तियों/देयताओं पर चुनिंदा सीपीएसईज के वित्तीय विवरणों पर जारी महत्वपूर्ण टिप्पणियों का प्रभाव क्रमशः ₹2,374.62 करोड़ और ₹51,014.59 करोड़ था।

संवैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा 14 सीपीएसईज में वित्तीय विवरणों को तैयार करने में लेखा मानकों/आईएनडी एएस के उपबंधों का उल्लंघन नोटिस किया गया। सीएजी ने भी 17 सीपीएसईज में ऐसा उल्लंघन नोटिस किया।

पूरक लेखा परीक्षा के दौरान वित्तीय रिपोर्टों अथवा रिपोर्टिंग प्रक्रिया में अनियमतता और कमियां देखी गई, जो महत्वपूर्ण नहीं थी, उन्हें उपचारात्मक कार्रवाई करने के लिए ''प्रबंधन पत्र'' के माध्यम से 98 सीपीएसईज के प्रबंधन को सूचित किया गया।

अध्याय–III कॉर्पोरेट शासन व्यवस्था

विभिन्न मंत्रालयों के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन 52 सूचीबद्ध सीपीएसईज के कार्पोरेट शासन प्रणाली की समीक्षा की गई। कुछ सीपीएसईज द्वारा, यद्यपि अनिवार्य थे, कर्पोरेट शासन प्रणाली के माध्यम से कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों, डीपीई के दिशानिर्देशों, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के विनियमों का अनुपालन नहीं किया जा रहा था। वर्ष के दौरान, निर्धारित दिशानिर्देशों से निम्नलिखित महत्वपूर्ण विचलनों को नोटिस किया गयाः–

- दो सीपीएसईज में गैर– कार्यपालक निदेशकों की संख्या निदेशक मंडल की कुल संख्या के 50% से भी कम है। एमएमटीसी लि. के बोर्ड में कोई भी महिला निदेशक नहीं है।
- 24 सीपीएसईज मे स्वतंत्र निदेशकों का प्रतिनिधित्व अपेक्षित संख्या से कम है। तीन सीपीएसईज के निदेशक मंडल में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं था।

- 42 सीपीएसईज में स्वतंत्र निदेशकों ने बोर्ड की बैठक/बोर्ड समिति में भाग नहीं लिया, और 19 सीपीएसईज मे स्वतंत्र निदेशकों ने आम बैठक में भाग नहीं लिया।
- दो सीपीएसईज में स्वतंत्र निदेशकों की अलग से बैठक आयोजित नहीं की गई और 13 सीपीएसईज में स्वतंत्र निदेशकों ने पृथक बैठकों में भाग नहीं लिया।
- 13 सीपीएसईज में स्वतंत्र निदेशकों की रिक्तियों को समय पर नहीं भरा गया। 15 सीपीएसईज में कार्यात्मक निदेशकों की रिक्तियों को समय पर नहीं भरा गया।
- जबकि स्कूटर्स इंडिया लि. के अलावा समीक्षाधीन सभी सीपीएसईज ने लेखा परीक्षा समिति का गठन किया, चार सीपीएसईज में लेखा परीक्षा समिति में स्वतंत्र निदेशकों की संख्या निर्धारित संख्या से कम थी।
- दो सीपीएसईज में कोई सचेतक तंत्र नहीं था।

अध्याय–IV कार्पोरेट सामाजिक दायित्व

10 मंत्रालयों/विभागों के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन 82 सीपीएसईज (7 महारत्न, 14 नवरत्न, 44 मिनीरत्न और 17 अन्य) की समीक्षा की गई । समीक्षा के दौरान मार्च, 2018 को समाप्त एक वर्ष की अवधि को शामिल किया गया। समीक्षा में निम्नलिखित महत्वपूर्ण टिप्पणियां की गई:

- 07 सीपीएसईज अर्थात अंतरिक्ष, बीएलआई, जीजीएल, एचएससीसी, आईआईएफसीएल, जेसीआई और एनएचडीसी द्वारा समिति में किसी स्वतंत्र निदेशक को नामित नहीं किया गया।
- जेसीआई की कोई सीएसआर नीति नहीं हैं.
- दो सीपीएसईज और एनटीपीएल ने वार्षिक सीएसआर बजट तैयार नहीं किया।
- 6 सीपीएसईज अर्थात सीसीआईएल, हुडको, केपीएल, एनसीएल, पीएफसीएल, यूसीआईएल का सीएसआर के लिए निधियों का आवंटन कम था।
- वर्ष के दौरान 48 सीपीएसईज ने सीएसआर निधियों का पूर्ण उपयोग किया और 34 सीपीएसईज ने सीएसआर निधियों का पूर्ण उपयोग किया।
- 4 सीपीएसईज अर्थात सीओएनआईआर, आईटीपीओ, केआरसीएल और एनटीपीवीएनएल ने वर्ष के दौरान सीएसआर में पिछले वर्ष की राशि को खर्च नहीं किया।
- सीएसआर के लेखों पर मार्गदर्शन टिप्पणी के उल्लंघन में बीडीएल, बीएचईएल और पीएचएल ने क्रमशः ₹9.58 करोड़ ₹31 करोड़ और ₹2.20 की खर्च न की गई राशि के लिए प्रावधान किया है। एएआई, ईसीजीसी, एचएससीसी और आईओसी ने क्रमशः ₹61.72 करोड़, ₹2.25 करोड़, ₹1.44 करोड़ और ₹1.32 करोड़ के लिए सीएसआर हेतु रिजर्व बनाया है।
- वर्ष 2017–18 में 82 सीपीएसईज द्वारा सीएसआर गतिविधियों पर कुल खर्च ₹3,338.60 करोड़ था। पेट्रोलियम सेक्टर ने सीएसआर के लिए ₹1,416.12 करोड़ की अधिकतम राशि खर्च की।

- बीडीएल ने सीएसआर की अतिरिक्त निधि को आवधिक जमा में निवेश किया और इस पर प्राप्त ब्याज को सीएसआर निधि में वापस डालने के बजाय कारोबार आय के रूप में लिया गया।
- सीएसआर व्यय के तहत स्वास्थ्य (32.66%) और इसके बाद शिक्षा (31.98%) पर बल था।
- 73 सीपीएसईज ने स्वच्छ भारत (एसबी) पर ₹1,019.16 करोड़ खर्च किए जो खर्च किए गए कुल सीएसआर का 30.52% है। डीपीई के निर्देशों के अनुसार सीपीएसईज को अक्तूबर, 2019 तक स्वच्छ भारत के मिशन के साथ एसबी के लिए सीएसआर निधि का 33% खर्च करना था। स्वच्छ भारत पर 2.48% की कमी थी। 26 सीपीएसईज ने 33% से अधिक खर्च किया और 47 ने 33% से कम खर्च किया।
- बीपीसीएल ने राष्ट्रीय तेल संग्रहालय के लिए ₹14.83 करोड़ की राशि का योगदान किया।

अध्याय–V प्रशासनिक मंत्रालयों और मिनिरत्न सीपीएसई के बीच समझौता ज्ञापन का विश्लेषण

ऑडिट ने वर्ष 2016–17 और 2017–18 के लिए 17 मिनिरत्न कंपनियों और उनके संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों के बीच समझौता ज्ञापन का विश्लेषण किया।

राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में समझौता ज्ञापन के दिशानिर्देशों में पैरामीटरों की बैंचमार्किंग को अनिवार्य बनाया गया, जिसे 11 सीपीएसईज ने नहीं अपनाया।

हालांकि, समझौता ज्ञापन के दिशानिर्देशों में सीपीएसई को अपने बोर्ड में गैर–सरकारी निदेशकों के पदों को भरने के लिए और स्वतंत्र और महिला निदेशक के संबंध में लिस्टिंग समझौता और कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन के लिए प्रशासनिक मंत्रालयों से आवश्यक प्रतिबद्धता को शामिल करने की जिम्मेदारी दी, पांच सीपीएसईज में स्वतंत्र और महिला निदेशकों के पद खाली पड़े थे।

वर्ष 2016–17 के लिए समझौता ज्ञापन के दिशानिर्देशों में आठ अतिरिक्त योग्यता मानदंडों के अनुपालन को अनिवार्य बनाया गया। किसी भी एक शर्त का अनुपालन न करने के परिणामस्वरूप सीपीएसईज को "उत्कृष्ट" से "बहुत अच्छा" में पदावनत किया जाएगा। ऑडिट ने ध्यान दिया है कि 10 सीपीएसई के निदेशक मंडल ने वर्ष 2016–17 के लिए समझौता ज्ञापन के आकलन को प्रस्तुत करते समय डीपीई दिशानिर्देशों के गलत अनुपालन को प्रमाणित किया है। डीपीई ने इन मामलों को दिशानिर्देशों के अनुरूप मानकर पाँच सीपीएसई से किसी अंक को कटौती नहीं की है, जिसके परिणामस्वरूप दो सीपीएसईज को "बहुत अच्छे" की जगह "उत्कृष्ट" के रूप में रेटिंग दी गई जिसके परिणामस्वरूप पीआरपी के उच्च भुगतान पर प्रभाव पड़ा।

अध्याय–VI चुनिंदा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में भारतीय लेखा मानकों (चरण–II के तहत) के क्रियान्वयन का प्रभाव

कार्पोरेट कार्य मंत्रालय ने भारतीय लेखा मानदंड (इंड एस) अधिसूचित किया था जो वित्त वर्ष 2016–17 से कंपनियों के लिए चरणबद्ध तरीके से लागू थे। चरण–I में 67 सीपीएसई के वित्तीय विवरण जिसमें महारत्न, नवरत्न, मिनिरत्न कंपनियां शामिल हैं जिन्होंने 01 अप्रैल, 2016 से प्रभावी उनके वित्तीय विवरण की तैयारी के लिए इंड एएस को अपनाया, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) पर भारतीय लेखा मानदंडों के प्रभाव की समीक्षा के लिए चयनित किए गए और इसका निष्कर्ष वर्ष 2018 की रिपोर्ट संख्या 18 में शामिल किया गया। वर्तमान अध्ययन में 25 सीपीएसईज शामिल हैं जिन्हें चरण–II में इंड एएस अपनाने की आवश्यकता थी या उन्होंने वर्ष 2017–18 के दौरान स्वैच्छिक रूप से इंड एएस को अपनाया। इन सीपीएसईज पर इंड एएस के कार्यान्वयन का प्रभाव उनके राजस्व, कर के बाद लाभ (पीएटी) सीपीएसई के निवल मूल्य और कुल परिसंपत्ति पर प्रभाव की समीक्षा की गई। इसका प्रभाव 31 मार्च, 2017 के इंड एएस की तुलना में इसी तारीख के इंडियन जेनरेली एक्सेपटेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स (आईजीएएपी) के अनुसार आकलन किया गया।

कर के बाद लाभ पर प्रभाव (पीएटी)

इंड एएस को अपनाने के परिणामस्वरूप, 10 सीपीएसई में पीएटी में ₹17.79 करोड़ की बढ़त देखी गई। इसकी तुलना में 6 सीपीएसई में पीएटी में ₹240.04 करोड़ की कमी देखी गई। पीएटी में ₹236.34 करोड़ की अधिकतम गिरावट महाराष्ट्र मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड में देखी गई जबकि पीएटी में अधिकतम बढ़त हासन मेंगलोर रेल विकास कंपनी लि. में देखी गई।

राजस्व पर प्रभाव

इंड एएस को अपनाने के परिणामस्वरूप समेक्षित 25 सीपीएसई में से 9 सीपीएसई ने राजस्व में समायोजन किया। इनमें से 9 सीपीएसईज में ₹258.80 करोड़ की बढ़त पाई गई और तीन सीपीएसई के राजस्व में ₹110.98 करोड़ की गिरावट पाई गई। ₹218.86 करोड़ की अधिकतम बढ़त कोटन कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में देखी गई जबकि ₹110.71 करोड़ की अधिकतम गिरावट भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड में पाई गई।

कुल परिसंपत्तियों पर प्रभाव

25 सीपीएसईज में से 15 सीपीएसईज ने इंड एएस को अपनाने के परिणामस्वरूप कुल परिसम्पत्तियों के मूल्य पर समायोजन किया। इनमें से 9 सीपीएसईज ने मूल्य में ₹1,209.73 करोड़ की बढ़ोतरी की सूचना दी और 06 ने कुल परिसम्पत्तियों के मूल्य में ₹109.48 करोड़ गिरावट की सूचना दी। ₹1,113.11 करोड़ की अधिकतम वृद्धि हिंदुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लि. के मामले में देखी गई जबकि कुल परिसम्पत्तियों के मूल्य में ₹69.01 करोड़ की अधिकतम कमी ब्रिथवेट बर्न एंड जेसोप कंस्ट्रकशन कंपनी लि. के मामले में देखी गई।

निवल लाभ पर प्रभाव

25 में से 16 सीपीएसईज का इंड एएस को अपनाने के परिणामस्वरूप निवल लाभ के मूल्य पर समायोजित किया गया। इनमें से, 11 सीपीएसईज ने निवल लाभ में ₹462.33 करोड़ की कमी की सूचना दी और पाँच सीपीएसईज ने निवल लाभ में ₹69.70 करोड़ की वृद्धि की सूचना दी। निवल लाभ में ₹49.75 करोड़ की अधिकतम वृद्धि हिन्दुस्तान फ्लूरोकार्ब्स लि. के मामले में देखी गई जबकि निवल लाभ में ₹270.0 करोड़ की अधिकतम कमी हिंदुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लि. के संबंध में देखी गई।

अध्याय–VII सीपीएसईज द्वारा अनुसंधान एवं विकास पर व्यय

वर्ष 2013–14 से 2017–18 की अवधि के दौरान लेखा परीक्षा में 21 सीपीएसईज (07 महारत्न, 8 नवरत्न, 3 मिनीरत्न और 03 अन्य) द्वारा अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों पर व्यय का विश्लेषण शामिल किया गया। वर्ष 2013–14 से 2017–18 की अवधि के दौरान लेखा परीक्षा में निम्नलिखित की जानकारी मिली:

- वर्ष 2013–14 से 2017–18 के दौरान 79 कंपनियों में पीएटी की प्रतिशतता के रूप में आर एंड डी व्यय निर्धारित प्रतिशतता से एक प्रतिशत अधिक था जबकि 94 कंपनियों में से 15 कंपनियों में एक प्रतिशत कम था।
- लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के उल्लंघन में 9 चुनिंदा सीपीएसईज के मामले में अगले तीन वर्षों के लिए अनुसंधान एवं विकास बजट को नहीं दर्शाया गया।
- लेखा परीक्षा में शामिल सभी पाँच वर्षों के दौरान केवल 4 सीपीएसईज ही आर एंड डी बजट का 100% उपयोग कर सकी लेखा में शामिल पाँच वर्षों में से चार वर्षों में ही केवल दो सीपीएसईज ने आर एंड डी बजट का 100% उपयोग किया।

- वर्ष 2013–14 से 2017–18 के दौरान 4046 आंतरिक आर एंड डी परियोजनाओं को पूरा करने का काम किया गया था जिनमें से 3595 परियोजनाओं को पूरा किया गया। 363 परियोजनाओं को पूरा किए जाने की निर्धारित अवधि में पूरा नहीं किया जा सका जिनमें से 80 परियोजनाओं के मामले में 1 वर्ष से भी अधिक का विलंब हुआ।

- वर्ष 2013–14 से 2017–18 के दौरान 439 आर एंड डी परियोजनाओं को विश्वविद्यालयों/संस्थानों के सहयोग से पूरा करने का कार्य किया गया था जिसमें से 178 परियोजनाओं को पूरा किया गया। 87 परियोजनाओं को निर्धारित अवधि में पूरा किया गया और 91 परियोजनाओं को निर्धारित अवधि के बाद पूरा किया गया।

- वर्ष 2013–14 से 2017–18 के दौरान बीएचईएल को 198 पेटेंट्स प्रदान किए गए थे। अन्य 9 सीपीएसईज द्वारा 600 परियोजनाएं पेटेंट पंजीकरण हेतु फाइल की गई थीं जिसमें से वर्ष 2013–14 से 2017–18 तक की अवधि के दौरान केवल 49 पेटेंट्स प्रदान किए गए थे, जबकि वर्ष 2013–14 से 2017–18 के दौरान 11 सीपीएसईज में कोई पेटेंट्स नहीं दिया गया था।

- केवल दो सीपीएसईज विकसित प्रौद्योगिकियों से महत्वपूर्ण राजस्व प्राप्त कर पाई और पांच सीपीएसईज ने अल्प राजस्व प्राप्त किया।

अध्याय– VIII सीपीएसईज में विनिवेश

05 नवम्बर, 2009 को भारत सरकार द्वारा वर्तमान विनिवेश नीति को चलाया गया। लेखा परीक्षा के दौरान निम्नलिखित समस्याएं पाई गईः–

- वर्ष 2017–18 के लिए विनिवेश प्रक्रिया के माध्यम से किया गया बजट प्राक्कलन, संशोधित प्राक्कलन और वास्तविक प्राप्ति क्रमशः ₹72,500 करोड़, ₹1,00,000 करोड़ और ₹1,00,057 करोड़ था। भारत सरकार ने विभिन्न पद्धतियों/तरीकों से 36 मामलों में अपने शेयर को वंचित किया जिसमें विनिवेश प्रक्रिया के भाग के रूप में एसयूयूटीआई निवेश से आय शामिल है, जो विनिवेश का हिस्सा नहीं होना चाहिए, जिसके परिणामस्वरूप विनिवेश प्रक्रिया की राशि ₹1400 करोड़ तक अधिक बताई गई।

- सीसीईए ने (13 मई, 2015) ओएफएस के माध्यम से एमएमटीसी लिमिटेड और स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड प्रत्येक में सरकारी शेयर धारिता के 15% विनिवेश को मंजूरी दी। प्रस्तावित विनिवेश को 21 अगस्त, 2017 तक क्रियान्वित किया जाना था। लेकिन, डीआईपीएएम, एमएमटीसी और एसटीसी में विनिवेश हेतु सीसीईए के निर्णय को निर्धारित अवधि में क्रियान्वित नहीं कर सका। इसके परिणामस्वरूप, 21 अगस्त, 2017 को विद्यमान व्यापार मूल्यों के आधार पर ₹974 करोड़ (एमएमटीसीः ₹836.97 करोड़ और एसटीसीः ₹137.03 करोड़) की अनुमानित प्राप्ति नहीं की जा सकी। यह पाया गया कि डीआईपीएएम शेयरों को अधिकतम मूल्य पर बिक्री करने के अवसर का उपयोग नहीं कर सका।

- भारत सरकार ने वर्ष 2017–18 के दौरान 24 सीपीएसईज के कार्यनीतिक विनिवेश का अनुमोदन दिया था जिसके लिए 2017–18 के दौरान केवल एक एचपीसीएल–ओएनजीसी समझौते को अंतिम रूप दिया गया था। सीसीईए के अनुमोदन में निर्दिष्ट निर्धारित अवधि में 23 सीपीएसईज के विनिवेश को पूरा नहीं किया जा सका। डीआईपीएम द्वारा दी गई सूचना के अनुसार चार सीपीएसईज को वर्ष 2018–19 के दौरान वंचित कर दिया गया था।

संकेताक्षर

एएआईएफआर	औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन हेतु अपीलीय प्राधिकारी
एसीएमए	ऑटो कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन
एआरएआई	ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इण्डिया
एवाईसीएल	एण्ड्रू यूल एण्ड कंपनी
बीबीजे	ब्रेथवेट, बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड
बीबीयूएनएल	भारतभारी उद्योग निगम लिमिटेड
बीईएमएल	बीएचईएल इलेक्ट्रिकल मशीन्स लिमिटेड
बीएचईएल	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
बीएचपीवी	भारत हेवी प्लेट एण्ड वेसल्स लिमिटेड
बीआईएफआर	औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड
बीएलसी	भारत लैदर कार्पोरेशन लिमिटेड
बीओजीएल	भारत ऑफ्थैल्मिक ग्लास लिमिटेड
बीपीसीएल	भारत पंप्स एण्ड कम्प्रेशर्स लिमिटेड
बीपीएमई	भारत प्रोसेस एण्ड मैकेनिकल इंजीनियर्स लिमिटेड
बीसीएल	ब्रेथवेट एण्ड कंपनी लिमिटेड
बीडब्ल्यूईएल	भारत वेगन एण्ड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड
बीवाईएनएल	भारत यंत्र निगम लिमिटेड
बीआरपीएसई	लोक उद्यम पुनर्गठन बोर्ड
सीसीआई	सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड
सीसीआईएल	साइकिल कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड
सीईए	केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण
सीसीईए	आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति
सीएनसी	कंप्यूटर न्यूमेरिकली कंट्रोल्ड
सीपीएसई	केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम
ईएफवी	पर्यावरण अनुकूल वाहन
ईओटी	इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड ट्रॉली
ईपीसी	इंजीनियरी अधिप्राप्ति और निर्माण
ईपीआई	इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड
एफसीआरआई	फ्लूइड कंट्रोल रिसर्च इंस्टिट्यूट
एफएफपी	फाउण्ड्री फोर्ज संयंत्र
एचसीएल	हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड
एचएमबीपी	हेवी मशीन बिल्डिंग पलांट
एचएमटी(आई)	एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड
एचएमटीपी	हेवी मशीन टूल्स प्लांट
एचपीसी	हिन्दुस्तान पेपर कार्पोरेशन लिमिटेड
एचएनएल	हिन्दुस्तान न्यूजप्रिण्ट लिमिटेड
एचपीएफ	हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड
एचएसएल	हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड
आईएल	इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड
आईसीजीसीसी	एकीकृत कोल गैसीकरण कंबाइंड साइकिल
आईसीईएमए	इंडियन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन
आईएमटीएमए	इंडियन मशीन टूल्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन
जेपीएमएल	जगदीशपुर पेपर मिल्स लिमिटेड

जेवीसी	संयुक्त उद्यम कंपनी
जेसप	जेसप कंपनी लिमिटेड
केवी	किलो वोल्ट
केडब्ल्यू	किलो वाट
लगन जूट	लगन जूट मशीनरी कंपनी लिमिटेड
ओए	प्रचालन एजेन्सी
एमएएमसी	माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कार्पोरेशन लिमिटेड
एमएएक्स	मेन ऑटोमैटिक एक्सचेंज
एमओयू	समझौता ज्ञापन
एमओएचआईएंडपीई	भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री
एमटी	मीट्रिक टन
एमयूएल	मारुति उद्योग लिमिटेड
एमवीए	मेगा वोल्ट एम्पियर्स
एमडब्ल्यू	मेगा वाट
एनबीसीआईएल	नेशनल बाइसिकल कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड
नेपा	नेपा लिमिटेड
एनपीसीआईएल	न्यूक्लिअर पॉवर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
एनआईडीसी	नेशनल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड
नैट्रिप	नेशनल ऑटोमोटिव टेस्टिंग एण्ड रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट
एनएबी	नेशनल ऑटोमोटिव बोर्ड
पीएटी	कर पश्चात् लाभ
पीबीटी	कर पूर्व लाभ
पीएसई	सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम
पीएमएमएआई	प्लास्टिक मोल्डिंग मशीनरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया
पीपीएमएआई	प्रोसेस प्लांट एण्ड मशीनरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया
पीटीएल	प्रागा टूल्स लिमिटेड
आरएण्डसी	रिचर्डसन एण्ड क्रुडास (1972) लिमिटेड
आरआईसी	रिहैबिलिटेशन इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड
आरटीआई	सूचना का अधिकार अधिनियम
एसआईएल	स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड
एसएसएल	सांभर साल्ट्स लिमिटेड
टीएएफसीओ	टनेरी एण्ड फुटवियर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड
टीएजीएमए	टूल्स एंड गेज मैन्युफैक्चर्रस एसोसिएशन ऑफ इंडिया
टीसीआईएल	टायर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड
टीएमएमए	टेक्सटाइल मशीनरी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन
टीएसएल	त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड
टीएसपीएल	तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड
वीआरडीई	व्हीकल रिसर्च डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट
डब्ल्यूआईएल	वेबर्ड (इंडिया) लिमिटेड

लोक उद्यम विभाग

विज़न

''प्रभावी, लाभप्रद एवं वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी
केंद्रीय सरकारी लोक उद्यम''

मिशन

''कॉरपोरेट अभिशासन, निष्पादन मूल्यांकन, मानव संसाधन प्रबंधन, अनुसंधान एवं विकास के जरिए सीपीएसईज़ के प्रबंधन और निष्पादन में सतत सुधार करना ताकि उनकी वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बेहतर बनाया जा सके।''

लोक उद्यम विभाग (डीपीई)

1. अपनी 52वीं रिपोर्ट में, तीसरी लोक सभा (1962–67) की प्राक्कलन समिति ने एक केन्द्रीकृत समन्वय यूनिट के गठन की जरूरत पर बल दिया जो लोक उद्यमों की निष्पादकता का निरन्तर मूल्यांकन भी कर सके। इसके फलस्वरूप, वर्ष 1965 में वित्त मंत्रालय में सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो (बीपीई) की स्थापना की गई। तदनुपरांत, सितम्बर 1985 में केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों का पुनर्गठन होने पर, बीपीई को उद्योग मंत्रालय का हिस्सा बना दिया गया। मई 1990 में, बीपीई को एक पूर्ण विभाग बना दिया गया जिसका नाम 'लोक उद्यम विभाग' (डीपीई) है। वर्तमान में यह भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय का हिस्सा है।

2. लोक उद्यम विभाग सभी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसईज) का नोडल विभाग है और सीपीएसई से संबंधित नीतियां तैयार करता है। यह विशेष रूप से, सीपीएसई में निष्पादकता में सुधार एवं मूल्यांकन, स्वायत्तता तथा वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन और कार्मिक प्रबंधन के बारे में नीतिगत दिशानिर्देश तैयार करता है। इसके अलावा यह केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के संबंध में बहुत से क्षेत्रों के संबंध में सूचना भी एकत्र करता है और लोक उद्यम सर्वेक्षण के रूप में उसका रखरखाव करता है।

3. अपनी भूमिका का निर्वहन करने के क्रम में यह विभाग अन्य मंत्रालयों, केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों तथा संबंधित संगठनों के साथ समन्वय करता है। भारत सरकार के कार्य आबंटन नियमों के अनुसार लोक उद्यम विभाग को निम्नलिखित विषयों का आबंटन किया गया है:

- औद्योगिक प्रबंधन पूल सहित तत्कालीन लोक उद्यम ब्यूरो से संबंधित शेष कार्य।
- सभी लोक उद्यमों को प्रभावित करने वाले सामान्य नीति संबंधी मामलों का समन्वय।
- समझौता ज्ञापन तंत्र सहित केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन एवं निगरानी।
- लोक उद्यमों के लिए स्थायी मध्यस्थता तंत्र से संबंधित मामले।
- स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अंतर्गत केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों में कर्मचारियों को परामर्श, प्रशिक्षण एवं पुनर्वास।
- केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों में पूंजीगत परियोजनाओं एवं व्यय की समीक्षा।
- केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों के कार्य–निष्पादन में सुधार लाने तथा लोक उद्यमों की अन्य क्षमता निर्माण पहलों के लक्ष्यगत उपाय।
- लोक उद्यमों के पुनरुद्धार, पुनर्गठन या बन्द करने तथा उनके लिए तंत्र से संबंधित सलाह देना।
- लोक उद्यमों के स्थायी सम्मेलन से संबंधित मामले।

- इन्टरनेशनल सेन्टर फॉर पब्लिक इन्टरप्राइजेज़ से संबंधित मामले।
- 'रत्न' दर्जा देने सहित केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों का वर्गीकरण।
- लोक उद्यम सर्वेक्षण।

4. लोक उद्यम विभाग के प्रमुख भारत सरकार के सचिव होते हैं। विभाग की संस्वीकृत पद संख्या 119 अधिकारियों/कर्मचारियों की है। लोक उद्यम विभाग का संगठनात्मक ढांचा **अनुबंध– I** में दिया गया है।

लोक उद्यम सर्वेक्षण

1
अध्याय

1.1 लोक उद्यम सर्वेक्षण

लोक उद्यम विभाग केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों (सीपीएसई) के कार्यनिष्पादन पर लोक उद्यम सर्वेक्षण प्रकाशित करता है जिसे प्रत्येक वर्ष बजट सत्र के दौरान संसद में प्रस्तुत किया जाता है। लोक उद्यम सर्वेक्षण, 2018–19 (श्रृंखला में 59वां सर्वेक्षण) के लिए सूचना संकलन एवं इसे तैयार करने का कार्य किया जा रहा है और संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान इसे संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत किया जाएगा।

1.2 वर्ष 2018–19 के दौरान केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों के कार्य निष्पादन का सारांश नीचे दिया जा रहा है:

विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के प्रशासनिक नियंत्रण में दिनांक 31.03.2019 तक 348 केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यम थे। इन 348 केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों में से 249 प्रचालनरत हैं जबकि 86 केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों को अभी अपना व्यवसाय शुरु करना है और 13 केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों (क्लोजर/ परिसमापन के अधीन) ने वर्ष 2018–19 के लिए आंकडे प्रस्तुत नहीं किए हैं ।

249 प्रचालनरत केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों में से वर्ष 2018–19 के दौरान 184 केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों ने लाभ प्रदर्शित किया जबकि 70 केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों को इस वर्ष घाटा हुआ। 1 सीपीएसई ने न घाटा दर्शाया न लाभ। वर्ष 2018–19 में लाभ में चल रहे केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों (178) का 'लाभ' ₹1,74,587 करोड़ था। वर्ष के दौरान घाटे में चल रहे उद्यमों (70) का 'घाटा' ₹31,635 करोड़ रहा। 249 प्रचालनरत सीपीएसईज का समग्र निवल लाभ वर्ष 2017–18 में ₹1,23,751 करोड़ से 15.52 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2018–19 में ₹1,42,952 करोड़ हो गया। केन्द्रीय राजकोष के लिए सीपीएसईज का सहयोग गत वर्ष के ₹3,52,357 करोड़ की तुलना में वर्ष 2018–19 में 4.67 प्रतिशत बढकर ₹3,68,803 करोड़ हो गया।

संचयी निवेश (चुकता पूंजी जमा दीर्घ अवधि ऋण) जो दिनांक 31.03.1951 में 5 उद्यमों में ₹29 करोड़ था, वह 31.03.2019 तक 348 केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों में ₹16.41 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है। वर्ष 2017–18 में 'सभी केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों में 'निवेश' वर्ष 2017–18 की तुलना में 14.65% बढ़ा है, इसी प्रकार इस वर्ष के दौरान 'नियोजित पूंजी' में 11.71 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

पूर्व वर्ष अर्थात 2017–18 की तुलना में वर्ष 2018–19 के दौरान केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों का कार्यनिष्पादन **अनुबंध–2** में दिया गया है।

1.3 अनुसंधान विकास एवं परामर्शों (आरडीसी) के संबंध में योजना

लोक उद्यम विभाग केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों (सीपीएसईज़) तथा राज्य स्तरीय लोक उद्यमों (एसएलपीईज़) के कार्यपालकों के लिए अनुसंधान विकास एवं परामर्श (आरडीसी) की एक योजना कार्यान्वित कर रहा है। स्कीम के अंतर्गत विभिन्न उत्कृष्टता केंद्रों यथा आईआईएम्स, आईआईटीज़, आईआईपीए, नई दिल्ली आदि में सीपीएसईज़ तथा

एसएलपीईज़ के कार्यपालकों के ज्ञान एवं कौशल के उन्नयन के लिए विभिन्न विषयों पर प्रबंधन विकास कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। वर्ष 2017–18 के दौरान 14 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। सभी 14 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विवरण निम्नानुसार है:

2019–20 के दौरान प्रशिक्षण आयोजित किए गए

क्र.सं.	संस्थान का नाम	प्रशिक्षण का क्षेत्र	स्थान	प्रशिक्षण की अवधि
1	भारतीय लोक प्रशासन संस्थान	विनिवेश सहित आमेलन एवं अधिप्रापण – कंपनी नियम और सेबी नियमों/ विनियमों/ दिशा–निर्देशों के अंतर्गत अनुपालन	पोर्टब्लेयर	20–24 मई, 2019
2	आईसीएसआई	कारपोरेट गर्वेनेंस	मुंबई	29–31 मई, 2019
3	आईसीएआई	वित्त प्रबंधन संबंधी निर्णय लेना	गंगटोक	10–14 जून, 2019
4	भारतीय लोक प्रशासन संस्थान	व्यापार उत्कृष्टता प्राप्त करने के नेतृत्व और एनेबलर	नई दिल्ली	17–21 जून, 2019
5	आईआईएम लखनऊ	कुल गुणवत्ता प्रबंधन	लखनऊ	1–5 जुलाई, 2019
6	आईआईटी खड़गपुर	परियोजना आयोजना कार्यान्वयन, निगरानी मूल्यांकन	खड़गपुर	15–19 जुलाई, 2019
7	आईआईएम कोझिकोड	अनुबंध प्रबंधन और बातचीत कौशल और रणनीतियां	कोझिकोड़	22–26 जुलाई, 2019
8	आईसीएआई	जीएसटी कार्यान्वयन–मुद्दे और चुनौतियां	नई दिल्ली	29–31 जुलाई, 2019
9	राष्ट्रीय बैंकिंग प्रबंधन संस्थान	अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिर्पोटिंग मानक (आईएफआरएस) / इंड–एएस	पुणे	19–23 अगस्त, 2019
10	आईआईएम शिलॉंग	सीपीएसईज़ में लागत अनुकूलन	शिलॉंग	16–20 सितम्बर, 2019
11	एएससीआई	सीएसआर और धारणीयता	हैदराबाद	4–8 नवम्बर, 2019
12	आईआईटी गुवाहाटी	कृत्रिम सतर्कता और भारतीय संदर्भ में इसका संभावित कार्यान्वयन	गुवाहाटी	18–22 नवम्बर, 2019
13	आईआईटी बॉम्बे	पीएसयू में मानव क्षमता परिपक्वता मॉडल–व्यवहारिक दृष्टिकोण	मुंबई	27–29 नवम्बर, 2019
14	राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद	मानव संसाधन लेखा परीक्षा और मानव संसाधन विश्लेषण	पुरी	25–29 नवम्बर, 2019

3.1 लोक उद्यम विभाग की आरडीसी योजना स्कीम के अंतर्गत वर्ष 2019–20 के दौरान निम्नलिखित आठ कार्यशालाएं भी आयोजित की गईं:

2019–20 के दौरान प्रशिक्षण आयोजित किए गए

क्र.सं.	प्रशिक्षण संस्थान का नाम	कार्यशाला का विषय–क्षेत्र	स्थान	अवधि
1	आईआईपीए	कार्यस्थल पर लैंगिक समानता	दिल्ली	07.06.2019
2	आईआईटी बॉम्बे	साइबर सुरक्षा की मूल बातें	मुंबई	21.06.2019
3	आईआईसीए	कंपनी अधिनियम के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण	कोलकाता	28.06.2019
4	आईसीएआई	जीएसटी– मुद्दे और चिंता	पुरी	19.07.2019
5	एनआईएफएम	लोक उद्यम सर्वेक्षण, 2018–19 की डाटा शीट भरने के लिए निर्देश	दिल्ली	06.09.2019
6	एनपीसी	निविदा प्रक्रिया, प्रापण और संविदा के लिए किए गए रक्षोपायों पर कार्यक्रम	हैदराबाद	17.09.2019
7	इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्ट अकांउटेंटस् ऑफ इंडिया	जीएसटी के अंतर्गत रिटर्न्स/ई–आकलन	चंडीगढ़	27.09.2019
8	आईसीएसआई	सीपीएसईज़ द्वारा सेबी विनियमों/श्रमिक कानूनों/ एमएसएमई नियमावली/डीपीई दिशा निर्देशों का अनुपालन	अजमेर	11.10.2019

******

2 केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों को स्वायत्तता

अध्याय

2.1 सरकार का प्रयास केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों को स्वायत्त निदेशक मण्डल द्वारा प्रबन्धित कम्पनियाँ बनाना है। संस्था के अंतर्नियमों के तहत, केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों के निदेशक मंडल, बोर्ड स्तर से नीचे के कर्मचारियों की भर्ती, पदोन्नति और सेवा संबंधी अन्य मामलों में स्वायत्त होते हैं। केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यम का निदेशक मण्डल सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गए व्यापक नीति दिशानिर्देशों के अध्यधीन प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करता है। सरकार ने महारत्न, नवरत्न और मिनीरत्न जैसी विभिन्न योजनाओं के अधीन लाभ अर्जित करने वाले उद्यमों के निदेशक मण्डलों को अधिक शक्तियां प्रदान की हैं जिनका उल्लेख निम्नलिखित पैराग्राफों में किया गया है।

2.2 महारत्न योजना

2.2.1 महारत्न योजना जिसे 2010 में लागू किया गया था, का मुख्य उद्देश्य बड़े केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों को सशक्त करना है ताकि वे अपने संचालनों का विस्तार कर सकें और वैश्विक रूप से बड़ी कंपनी के रूप में उभर सकें।

2.2.2 महारत्न स्कीम की मुख्य विशेषताएं **अनुबंध–3** पर हैं।

2.2.3 वर्तमान में दस महारत्न केन्द्रीय सरकारी उद्यम हैं अर्थात् (i) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि. (ii) भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि. (iii) कोल इण्डिया लिमिटेड (iv) गेल इण्डिया लि. (v) इण्डियन ऑयल कॉरपोरेशन लि. (vi) एनटीपीसी लि .(vii) ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लि (viii) स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लि. (ix) हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड तथा (ग) पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड ।

2.2.4 वर्ष 2019–20 के दौरान 2 सीपीएसईज नामतः हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड तथा पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड को महारत्न दर्जा प्रदान किया गया था ।

2.3 नवरत्न योजना

2.3.1 सरकार ने 1997 में नवरत्न योजना लागू की थी ताकि उन केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों की पहचान हो सके जिन्हें तुलनात्मक रूप से अधिक लाभ प्राप्त हैं और वैश्विक रूप से अग्रणी कंपनी बनने के उनके अभियान में सहयोग दिया जा सके। इस स्कीम के अंतर्गत, नवरत्न केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों के बोर्ड को (i) पूंजीगत व्यय (ii) संयुक्त उद्यमों/सहायक कंपनियों में निवेश (iii) विलयन एवं अधिग्रहण (iv) मानव संसाधन प्रबंधन आदि जैसे क्षेत्रों में और अधिक शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं।

2.3.2 इस समय 16 नवरत्न केंद्रीय सरकारी लोक उद्यम है जो निम्नानुसार हैं:–

(i) भारत इलैक्ट्रॉनिक्स लि0

(ii) कंटेनर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि.

(iii) इंजीनियर्स इंडिया लि.

(iv) हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लि0

(v) हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि.

(vi) महानगर टेलीफोन निगम लि.

(vii) नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लि.

(viii) नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लि.

(ix) नेवेली लिग्नाइट कारपोरशन लि.

(x) एनएमडीसी लि.

(xi) ऑयल इंडिया लि.

(xii) पॉवर फाइनेंस कारपोरशन लि.

(xiii) पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि.

(xiv) राष्ट्रीय इस्पात निगम लि.

(xv) रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लि.

(xvi) शिपिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि.

2.3.3 नवरत्न केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों के बोर्डों को प्रत्यायोजित शक्तियों तथा प्रत्यायोजित नवरत्न शक्तियों के प्रयोग करने की शर्तें/दिशानिर्देश **अनुबंध–4** में हैं।

2.4 मिनीरत्न योजना

2.4.1 अक्तूबर 1997 में, सरकार ने यह निर्णय भी किया था कि लाभ अर्जित करने वाली कुछ अन्य कम्पनियों को कुछ पात्रता शर्तों के अध्यधीन अधिक स्वायत्तता दी जाए तथा अधिक वित्तीय शक्तियाँ प्रत्यायोजित की जाएँ ताकि उन्हें और अधिक दक्ष व प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके। इन कम्पनियों को मिनीरत्न कहा जाता है और इनकी दो श्रेणियाँ हैं, श्रेणी–I तथा श्रेणी–II.

2.4.2 मिनीरत्न स्कीम की मुख्य विशेषताएं **अनुबंध–5** पर हैं।

2.4.3 वर्तमान में 73 मिनीरत्न केंद्रीय सरकारी लोक उद्यम (श्रेणी–I के 61 तथा श्रेणी–II के 12) हैं। इन 73 मिनीरत्न केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों की सूची **अनुबंध–6** पर है।

3 केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों के बोर्डों का कारपोरेट अभिशासन और व्यावसायिकता

अध्याय

3.1. कारपोरेट अभिशासन –पृष्ठभूमि

3.1.1 कॉरपोरेट अभिशासन में शेयरधारकों, कर्मचारियों, ग्राहकों एवं आपूर्तिकर्ताओं, विनियामक प्राधिकरणों तथा समुदाय के संबंध में उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कॉरपोरेट निकायों द्वारा अपनाई जाने वाली नीतियां एवं प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। सामान्य भाषा में इसका अर्थ सभी हितधारकों के संबंध में कारपोरेट आचरण से है चाहे वे आंतरिक हों या बाह्य। कॉरपोरेट अभिशासन का अर्थ प्रबन्धन प्रणाली की पारदर्शिता है और इसमें कम्पनी के कार्यचालन से सम्बन्धित सम्पूर्ण क्रियाविधि शामिल हैं। यह एक ऐसी प्रणाली की व्यवस्था करता है, जिसके द्वारा शेयरहोल्डरों, निदेशकों, लेखापरीक्षकों एवं प्रबंधन के बीच नियंत्रण एवं संतुलन की एक पद्धति तैयार करने के प्रयास के अलावा कॉर्पोरेट सत्ताओं को निदेशित एवं नियंत्रित किया जाता है।

3.1.2 पारदर्शिता सुनिश्चित करने तथा हितधारकों के विश्वास में वृद्धि करने के लिए कॉर्पोरेट अभिशासन सिद्धांतों के महत्व को ध्यान में रखते हुए तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उन केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में जहां बड़ी मात्रा में सार्वजनिक धन का निवेश होता है, के संदर्भ में अच्छी कारपोरेट अभिशासन प्रक्रियाओं को अपनाने एवं लागू करने की निरन्तर जरूरत है, मार्च, 2010 में सरकार द्वारा सभी केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों के लिए अनिवार्य कारपोरेट अभिशासन संबंधी दिशानिर्देशों का अनुमोदन किया गया था।

3.1.3 इन दिशानिर्देशों में केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के निदेशक मण्डल का संघटन, लेखा परीक्षा समिति, पारिश्रमिक समिति, सहायक कम्पनियां, प्रकटन, आचार एवं नीति संहिता, जोखिम प्रबन्धन तथा रिपोर्टिंग शामिल हैं। इसमें केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों द्वारा दिशानिर्देशों के अनुपालन की मॉनीटरिंग और पारिश्रमिक समिति के गठन से संबंधित उपबंध भी शामिल किए गए हैं। चूंकि कारपोरेट अभिशासन की अवधारणा गत्यात्मक प्रकृति की है, अतः यह भी प्रावधान किया गया है कि इन दिशानिर्देशों में उपयुक्त संशोधन किया जाएगा ताकि इन्हें समय–समय पर प्रचलित विनियमों, अधिनियमों, आदि के अनुरूप बनाया जा सके।

3.1.4 इन दिशानिर्देशों की मुख्य विशेषताएं **अनुबंध–7** पर हैं।

3.1.5 सौ दिवसीय कार्य योजना के भाग के रूप में लोक उद्यम विभाग ने कंपनी अधिनियम 2013 के कतिपय प्रावधानों से सरकारी कंपनियों को छूट देने के संबंध में समीक्षा करने हेतु 2 सितम्बर, 2019 को विभिन्न सीपीएसईज़ और प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के साथ एक इंटरएक्टिव बैठक की और इसके पश्चात सरकारी कंपनियों को दी गई कतिपय छूट वापस लेने संबंधी सिफारिशों के लिए कार्पोरेट कार्य मंत्रालय को एक व्यापक संदर्भ दिया गया।

3.1.6 डीपीई ने सीपीएसईज़ को 2018–19 के लिए कार्पोरेट गर्वनेंस संबंधी दिशा–निर्देशों के उनके अनुपालन के आधार पर श्रेणीबद्ध किया है। सीपीएसईज़ की श्रेणीबद्ध रिर्पोट **अनुबंध–8** पर है।

3.2 केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के बोर्डों का व्यवसायीकरण

3.2.1 लोक उद्यम विभाग (डीपीई) केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों बोर्ड की संरचना पर नीतिगत दिशा–निर्देश तैयार करता है। वर्ष 1991 से अपनाई जा रही लोक उद्यम नीति का अनुसरण करते हुए लोक उद्यमों के बोर्डों को व्यावसायिक बनाने के लिए लोक उद्यम विभाग द्वारा कई उपाय किए गए हैं। वर्ष 1992 में जारी दिशानिर्देशों में प्रावधान है कि केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों में अंशकालिक गैर सरकारी निदेशकों के रूप में बाहर से व्यावसायिकों को शामिल किया जाना चाहिए तथा ऐसे निदेशकों की संख्या बोर्ड की वास्तविक संख्या का कम–से–कम एक तिहाई होनी चाहिए। कार्यपालक अध्यक्ष की अध्यक्षता वाले सूचीबद्ध केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों के मामले में गैर सरकारी निदेशकों (स्वतंत्र निदेशकों) की संख्या कम से कम बोर्ड की संख्या की आधी होनी चाहिए। दिशानिर्देश में यह प्रावधान भी है कि बोर्ड में सरकारी निदेशकों की संख्या बोर्ड की वास्तविक संख्या के छठे हिस्से से अधिक नहीं होनी चाहिए और अधिकतम दो होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त प्रत्येक बोर्ड में कुछ कार्यात्मक निदेशक होने चाहिए जिनकी संख्या बोर्ड की वास्तविक संख्या की आधी से अधिक नहीं होनी चाहिए।

3.2.2 जहां तक केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यम के बोर्ड में गैर सरकारी निदेशकों के चयन एवं नियुक्ति का संबंध है, इनके लिए निम्नलिखित मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं :

अनुभव के मानदण्ड

(i) सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी जिनके पास संयुक्त सचिव या इससे ऊपर के पद पर 10 वर्षों का अनुभव हो।

(ii) व्यक्ति जो केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों के सीएमडी/सीईओ के रूप में या अनुसूची 'ए' केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों के कार्यात्मक निदेशकों के रुप में सेवानिवृत्त हुए हों। उन केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों के पूर्व मुख्य कार्यपालक तथा पूर्व कार्यात्मक निदेशकों के नामों पर उस केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों के बोर्ड में गैर सरकारी निदेशक के रूप में विचार नहीं किया जाएगा जिससे वे सेवानिवृत्त हुए हों। केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों के सेवारत मुख्य कार्यपालक/निदेशक किसी भी केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों के बोर्डों में गैर सरकारी निदेशकों के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे।

(iii) संस्थानों के शिक्षाविद् / निदेशक / विभागाध्यक्ष तथा प्रोफेसर जिनके पास प्रबंधन, वित्त, मार्केटिंग, प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन या कानून जैसे प्रासंगिक डोमेन में अध्यापन या अनुसंधान का 10 वर्षों का अनुभव हो।

(iv) सुविख्यात पेशेवर व्यक्ति जिनके पास कम्पनी के प्रचालन क्षेत्र से संबंधित क्षेत्र का 15 वर्षों से अधिक का अनुभव हो।

(v) निजी कंपनियों, यदि कम्पनी (क) स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हो या (ख) असूचीबद्ध हो परन्तु लाभ अर्जित करने वाली हो तथा जिसका वार्षिक कारोबार ₹250 करोड़ से कम न हो, के पूर्व मुख्य कार्यपालक।

(vi) महत्वपूर्ण व्यक्ति जिनके पास उद्योग, व्यवसाय अथवा कृषि या प्रबंधन का प्रामाणिक ट्रैक रिकॉर्ड हो।

(vii) विशेष परिस्थितियों में केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों के बोर्ड में अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक के रुप में नियुक्ति के लिए स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध निजी कम्पनियों के सेवारत मुख्य कार्यपालकों तथा निदेशकों के नाम पर भी विचार किया जा सकता है।

शैक्षणिक योग्यता के मानदण्ड

मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम स्नातक डिग्री

आयु संबंधी मानदण्ड

आयु का दायरा 45 से 65 वर्ष (न्यूनतम/अधिकतम आयु) के बीच होना चाहिए।

तथापि, इसमें प्रख्यात व्यवसायिकों के लिए स्पष्ट कारण दर्ज करते हुए अधिकतम 70 वर्ष तक छूट दी जा सकती है।

3.2.3 गैर–सरकारी निदेशकों के रुप में नियुक्ति संबंधी प्रस्तावों पर कार्रवाई संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों द्वारा की जाती है। सभी केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों में गैर–सरकारी निदेशकों का चयन सर्च समिति द्वारा किया जाता है जिससे वर्तमान में अध्यक्ष, सचिव (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) हैं, सचिव (लोक उद्यम विभाग), केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यम के प्रशासनिक मंत्रालय / विभाग के सचिव तथा दो गैर सरकारी सदस्य हैं। सर्च समिति की सिफारिश के आधार पर सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग गैर सरकारी निदेशकों की नियुक्ति करता है।

3.2.4 वर्ष 2019–20 (अक्टूबर, 2019 तक) के दौरान सर्च समिति ने 4 बैठकें कीं और विभिन्न सीपीएसई के निदेशक मण्डल पर गैर सरकारी निदेशकों के 191 पदों को भरने के लिए नामों की सिफारिश की।

3.2.5 कार्यात्मक निदेशकों की नियुक्ति लोक उद्यम चयन मण्डल की सिफारिश से तथा सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा की जाती है। सरकारी निदेशकों की नियुक्ति संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों / विभागों द्वारा पदेन क्षमता में की जाती है।

3.2.6 एसीसी के निदेशानुसार उक्त सीपीएसई के अन्य कार्यात्मक निदेशक को सीपीएसई के कार्यात्मक निदेशक के पद का अतिरिक्त प्रभार सौपनें के संबंध में प्रशासनिक मंत्रालयों/विभाग को निदेश जारी किए गए।

3.2.7 वर्ष 2019–20 के दौरान (अक्टूबर, 2019 तक) लोक उद्यम विभाग ने नए नियुक्त गैर–सरकारी निदेशकों और सीपीएसई के सरकारी निदेशकों के क्षमता निर्माण के लिए निम्नलिखित विवरणों के अनुसार तीन ओरिएन्टेशन कार्यक्रम आयोजित किए। भाग ले रहे निदेशकों को नए अधिनियमित कम्पनी अधिनियम, 2013 के संदर्भ में उनकी भूमिका और उत्तरदायित्वों और बोर्डों के बेहतर कार्यकलाप से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में बताया गया।

(i) 9 और 10 मई, 2019 को गैंगटोक में आईआईसीए के सहयोग से आयोजित किया गया जिसमें विभिन्न सीपीएसई के 18 सरकारी निदेशकों ने भाग लिया।

(ii) 27 और 28 मई, 2019 को शिलांग में निपको के सहयोग से आयोजित की गई जिसमें विभिन्न सीपीएसई के 14 सरकारी निदेशकों ने भाग लिया।

(iii) 5 और 6 सितम्बर, 2019 को आईआईसीए के सहयोग से पुरी में आयोजित की गई जिसमें विभिन्न सीपीएसई के 14 सरकारी निदेशकों ने भाग लिया।

3.3 अंतरराष्ट्रीय सहयोगः लोक उद्यम विभाग ने दिनांक 24 जुलाई, 2019 को चाइना बिज़नेस एक्सीकयूटिक अकादमी दलियान (सीबीईएडी), चीन से पांच–सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल जिसका नेतृत्व श्री डोंग दहाई, कार्यपालक उपाध्यक्ष, सीबीईएडी द्वारा किया जा रहा था, का स्वागत किया। एसओई द्वारा अपने संबंधित देशों में कार्य करने के बारे में दौरा कर रहे प्रतिनिधिमंडल को जानकारी दी गई। डा. मधुकर गुप्ता, अपर सचिव, लोक उद्यम विभाग ने मनिला, फिलिपाइन्स में 4 और 5 सितम्बर, 2019 को आयोजित राज्य स्वामित्व वाले उद्यमों के कारपोरेट अभिशासन पर आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) एशिया नेटवर्क की 12वीं बैठक में व्याख्यान दिया।

3.4 सीपीएसई कन्क्लेव, 2018 के कार्रवाई मुद्दों की प्रगति की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता के अंतर्गत 9 मई, 2019 को सचिवों की समिति की बैठक आयोजित की गई।

3.5 लोक उद्यम विभाग ने ग्लोबल प्रापण परामर्शी लिमिटेड के सहयोग से मल्टीलेटरल विकास बैंको की प्रापण प्रक्रियाओं और भारत सरकार की प्रोक्योरमेंट कसंल्टेंट पर 7 अगस्त, 2019 को नई दिल्ली में एक दिवसीय ओरिएन्टेशन कार्यक्रम का आयोजन किया। जिसमें विभिन्न सीपीएसई के 80 से अधिक अधिकारियों ने भाग लिया।

केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों में समझौता ज्ञापन प्रणाली

अध्याय 4

4.1 **समझौता ज्ञापनः** समझौता ज्ञापन, सामान्यतया नए वित्त वर्ष के आरम्भ होने से पहले निर्धारित लक्ष्यों और वर्ष के अंत में परिणामों के आकलन संबंधी चयनित मानदंडों पर सीपीएसईज़ के कार्यनिष्पादन के परिमापन हेतु भारत सरकार/विभाग होल्डिंग सीपीएसई अर्थात मुख्य शेयर होल्डर और केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों के प्रबंधन के बीच परस्पर किया गया एक वार्तासम्मत करार और अनुबंध है।

4.2 **एमओयू का प्रयोजनः** एमओयू का प्रयोजन, सहमत लक्ष्यों को देखते हुए प्रमुख चयनित मानकों पर सीपीएसई के प्रबंधन के कार्यनिष्पादन का मापन करना है ताकि संगठन के महत्वपूर्ण कार्यनिष्पादन संकेतकों में सुधार हो सके।

4.3 **समझौता ज्ञापन प्रणाली नीति के कार्यान्वयन के लिए संस्थानात्मक व्यवस्थाएंः**

(क) **समझौता ज्ञापन प्रणाली पर उच्चाधिकार प्राप्त समिति (एचपीसी)** : समझौता ज्ञापन प्रणाली पर उच्चाधिकार प्राप्त समिति (एचपीसी) समझौता ज्ञापन प्रणाली पर हस्ताक्षर करने वाले सीपीएसईज़ द्वारा समझौता ज्ञापन में की गई वचनबद्धताओं के परिप्रेक्ष्य में उनके कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए सीपीएसईज के लिए एक शीर्ष समिति के रूप में सरकार द्वारा गठित एक सचिवों की समिति है। उच्चाधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष मंत्रिमंडल सचिव होते हैं तथा निम्नलिखित इसके सदस्य हैं:

वित्त सचिव, सचिव (व्यय), सी ई ओ (नीति आयोग), सचिव (सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन), अध्यक्ष, लोक उद्यम चयन बोर्ड, मुख्य आर्थिक सलाहकार, आर्थिक कार्य विभाग, अध्यक्ष, प्रशुल्क आयोग, सचिव (लोक उद्यम)। समझौता ज्ञापन पर उच्चाधिकार प्राप्त समिति सीपीएसईज़ के कार्य–निष्पादन के मूल्यांकन के लिए सिद्धांतों एवं पैरामीटरों के निर्धारण के संबंध में दिशानिर्देश एवं निदेश देती है।

(ख) **पूर्व वार्ता समिति (पीएनसी)ः** पूर्व वार्ता समिति की भूमिका कार्यनिष्पादन में सुधार के आकलन और लक्ष्य निर्धारण हेतु सबसे उचित और उपयुक्त मानकों के निर्धारण में आईएमसी की सहायता करना है। समझौता ज्ञापन लक्ष्यों और मानकों के संबंध में वर्तमान प्रवृत्ति को देखने, उस पर विचार– विमर्श, बातचीत करने और उसकी सिफारिश करने के लिए प्रत्येक मामले में पूर्व वार्ता बैठक आईएमसी के बैठक से पहले आयोजित की जाती है। पूर्व वार्ता समिति में सलाहकार (समझौता ज्ञापन), लोक उद्यम विभाग, संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय के सचिव/सलाहकार, संबंधित सलाहकार, संबंधित सलाहकार (नीति आयोग), निदेशक (समझौता ज्ञापन) और सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) के प्रतिनिधि शामिल हैं।

(ग) **अंतर्मंत्रालयी समिति (आईएमसी)** : एमओयू लक्ष्य आईएमसी द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। समझौता ज्ञापन पर अंतर्मंत्रालयी समिति में अध्यक्ष के रुप में सचिव, लोक उद्यम विभाग, संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय / विभाग के सचिव या उनके प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव पद से नीचे न हो (सदस्य), सचिव, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय या उनके प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव के पद से नीचे के न हो (सदस्य), अपर सचिव, नीति आयोग या

उनके प्रतिनिधि (सदस्य) शामिल हैं। सचिव, लोक उद्यम विभाग यदि आवश्यक समझे तो किसी ऐसे अधिकारी का चयन कर सकते हैं जो वित्त विशेषज्ञ हो, सलाहकार (समझौता ज्ञापन), डीपीई समिति को सचिवालीय सहायता देते हैं।

4.4 **समझौता ज्ञापन प्रभाग:** एच पी सी तथा आई एम सी को लोक उद्यम विभाग में समझौता प्रभाग द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। यह इस एच पी सी तथा आई एम सी के लिए स्थायी सचिवालय के रूप में कार्य करता है। इस प्रभाग के मुख्य कार्य हैं:

क. आईएमसी को तकनीकी और प्रशासनिक सहायता प्रदान करना ।

ख. समझौता–ज्ञापन दिशानिर्देश तैयार करने और संशोधन करने के लिए उच्च अधिकार प्राप्त समिति की सहायता करना।

ग. कार्यशालाएं और सेमिनार का आयोजन करते हुए एमओयू पर सीपीएसईज को संवेदनशील बनाना।

घ. समझौता–ज्ञापन मूल्यांकन करना और इसे आईएमसी के समक्ष प्रस्तुत करना।

4.5 भारत सरकार ने समझौता ज्ञापन प्रणाली की शुरूआत वर्ष 1986 में अर्जुन सेन गुप्ता समिति रिपोर्ट (1984) द्वारा दी गई सिफारिशों के आधार पर की थी। रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई थी कि केन्द्रीय सरकारी उद्यम अपने प्रशासनिक मंत्रालयों के साथ 5 वर्षों के लिए समझौता करे जबकि उसकी प्रगति की समीक्षा वार्षिक रूप से की जाएगी। वर्ष 1991 में नई औद्योगिक नीति की घोषणा के बाद सरकार द्वारा समझौता ज्ञापन प्रणाली पर काफी जोर दिया गया था। उक्त नीतिगत वक्तव्य के परिप्रेक्ष्य में एमओयू प्रणाली के कार्यक्षेत्र में विस्तार किया गया ताकि इस प्रणाली में समय के साथ–साथ लगभग सभी उद्यमों को शामिल किया जा सके, जो नीचे वर्णित है:

वर्ष	हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों की संख्या
1987-88	4
1991-92	72
2001-02	104
2002-03	100
2003-04	96
2004-05	99
2005-06	102
2006-07	113
2007-08	144
2008-09	147
2009-10	197
2010-11	198
2011-12	197
2012-13	196
2013-14	197
2014-15	214
2015-16	215
2016-17	231
2017-18	196
2018-19	176

4.6 **मानदण्ड:** सीपीएसई अलग–अलग परिस्थितियों में विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हैं और उनके कार्य–निष्पादन के मूल्यांकन हेतु निम्नलिखित दिशा–निर्देश निर्धारित किए गए हैं :–

4.6.1. वहाँ इस तरह के आपरेशनों, परिचालन से राजस्व, परिचालन से लाभ और निवेश पर प्रतिफल (उदाहरणार्थ पीएटी/ निवल मूल्य का अनुपात) जैसे वित्तीय प्रदर्शन को मापने के लिए एक समान मानदण्ड होंगे। यह उन सीपीएसई को छोड़कर, सभी सीपीएसई पर लागू होगा जो सरकारी अनुदान पर आश्रित हो या अनुदान के

वितरण आदि का कार्य करते हैं जैसे कि जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (बीआईआरएसी)। इसलिए, बीआईआरएसी जैसे सीपीएसई को छोड़कर 50 प्रतिशत कुल भारण के साथ सभी सीपीएसई के लिए 3 वित्तीय मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं।

4.6.2 शेष 50 प्रतिशत भारण के लिए, चयन हेतु मानदण्डों की सूची सुझाई गई है जो उस क्षेत्र के चयन पर निर्भर करती है जिसमें सीपीएसई काम कर रहा है। कार्य–निष्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त और प्रासंगिक मानकों का सुझाव, पूर्व निगोसिएशन कमेटी (पीएनसी) द्वारा अंतर–मंत्रालयी समिति (आईएमसी) को दिया जाता है। सभी मामलों में आईएमसी, पीएनसी द्वारा दिए गए सुझावों पर उचित निर्णय लेगी ।

4.6.3. अध्यक्ष आईएमसी को क्षेत्र विशिष्ट मामलों में मापदंडों या भारण में संशोधन करने का प्राधिकार है, यदि यह औचित्यपूर्ण है।

4.7 समझौता ज्ञापन प्रस्तुत करने की समय सीमाः सभी दस्तावेजों/अनुलग्नकों के साथ मसौदा समझौता ज्ञापन, सभी सीपीएसई और उनकी सहायक कंपनियों के संबध में प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग को आगामी वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष की 21 नवंबर तक प्रस्तुत किया जाना है / प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के अनुमोदन के उपरांत मसौदा समझौता ज्ञापन, सभी दस्तावेजों/ अनुलग्नकों के साथ आगामी वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष 15 दिसंबर तक लोक उद्यम विभाग को भेजा जाना है। प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग यह सुनिश्चित करेगा की लक्ष्य वास्तविक, वृद्धि उन्मुख, महत्वकांक्षी और सीपीएसईज़ की नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट, बजट और कारपोरेट प्लान के अनुरूप हो।

4.8 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की प्रक्रियाः आईएमसी द्वारा संस्तुत मानदण्डों, लक्ष्यों और भारण के आधार पर समझौता ज्ञापन, होल्डिंग/स्वतंत्र सीपीएसई के मामले में सीपीएसई के सीएमडी और प्रशासनिक मंत्रालय / विभाग के सचिव के बीच और सहायक कंपनी के मामले में सहायक कंपनी के सीईओ / एमडी और होल्डिंग सीपीएसई के सीएमडी / एमडी के बीच 31 मार्च (अर्थात उस वित्तीय वर्ष के शुरू होने से पूर्व जिसके लिए लक्ष्य तय किए गए हैं) या आईएमसी की बैठक के कार्यवृत्त जारी किए जाने से 21 दिन के भीतर, जो भी बाद में हो, पर बिना किसी विचलन के हस्ताक्षर कर दिए जाएं। यदि किसी विचलन का पता चलता है, तो आईएमसी के कार्यवृत्त को माना जाएगा।

4.9 समझौता ज्ञापन के मूल्यांकन के लिएः सीपीएसई के समझौता ज्ञापन का मूल्यांकन वास्तविक उपलब्धियों और समझौता ज्ञापन के लक्ष्यों के आधार पर वर्ष की समाप्ति के बाद किया जाता है। सीपीएसई (नियंत्रक और सहायक कंपनी) को सीपीएसई के बोर्ड के अनुमोदन के बाद और प्रशासनिक मंत्रालयों के माध्यम से लोक उद्यम विभाग के लिए लेखा परीक्षित खातों के आधार पर 30 सितंबर (ठीक पिछले वर्ष के संबंध में) अथवा डीपीई द्वारा सूचित किसी अन्य तारीख को या उससे पहले कार्य–निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी अपेक्षित है। समझौते ज्ञापन की उपलब्धि मे आंकडे और सूचना, जो लेखा परीक्षित खातों/वार्षिक रिपोर्ट से सत्यापित नहीं किए जा सकते, प्रत्येक मानदण्ड के लिए अलग से दिए गए बोर्ड के संकल्प के जरिए प्रमाणन आधार पर आश्रित होगा।

4.10 समझौते ज्ञापन का स्कोर और रेटिंगः समझौते ज्ञापन का स्कोर, लक्ष्यों की तुलना में प्रदर्शन के संबंध में सभी मानदण्डों के स्कोर का कुल जोड है। 'उत्कृष्ट प्रदर्शन' और 'खराब प्रदर्शन' में अंतर करने की दृष्टि से, एमओयू में पांच अलग–अलग प्रदर्शन रेटिंग अर्थात 'उत्कृष्ट', 'बहुत अच्छा',' अच्छा ','सामान्य', और 'खराब' तय की गई हैं।

4.10.1 समझौता ज्ञापन के समग्र स्कोर के आधार पर सीपीएसई की रेटिंग की प्रणाली इस प्रकार है:

संचयी अंक	रेटिंग
90≤स्कोर≤100	उत्कृष्ट
70≤स्कोर<90	बहुत अच्छा
50≤स्कोर<70	अच्छा
33≤स्कोर<50	औसत
0≤स्कोर<33	खराब

4.10.2 स्कोर और रेटिंग निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करने के अध्यधीन है जिसे पूरा न किए जाने पर अनुपालन न किए जाने पर प्रत्येक बार, 1 अंक कम कर दिया जाएगा जिसमें अधिकतम 5 अंकों की कमी की जा सकती है और तदनुसार रेटिंग संशोधित कर दी जाएगी:

i. कंपनी अधिनियम, 2013 या प्रासंगिक अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन जिसके तहत इन्हें विनियमित किया गया है (उस हद तक जो सीपीएसई के दायरे में हैं)।

ii. सूचीबद्ध सीपीएसई के मामले में, समझौते के सूचीबद्ध प्रावधानों का अनुपालन (उस हद तक जो सीपीएसई के दायरे में हैं)।

iii. डीपीई के वित्तीय निहितार्थ वाले दिशा–निर्देशों का अनुपालन ।

iv. नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा वार्षिक लेखाओं में निधियों में किसी भी राशि का गलत विनियोजन नहीं बताया गया अथवा लाभ / हानि / देनदारियों को प्रचालन से राजस्व के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं बताया है।

v. समय की बढ़ोत्तरी की मांग किए बिना एजीएम का नियंत्रण।

vi. प्रशासनिक मंत्रालय / विभाग के माध्यम से द्वारा डीपीई को समझौते ज्ञापन का मसौदा / समझौता ज्ञापन मूल्यांकन निर्धारित तारीख तक प्रस्तुत करना।

vii. आईएमसी बैठक के कार्यवृत्त से विचलन के बिना समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना।

viii. सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा जारी सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए लोक अधिप्राप्ति नीति का अनुपालन।

ix. स्वच्छ भारत गतिविधियों के लिए सीपीएसई द्वारा सीएसआर फंड के आवंटन पर डीपीई दिशानिर्देशों का अनुपालन।

x. डिजिटल इंडिया पर डीपीई दिशानिर्देशों का अनुपालन।

xi. समय–समय पर जारी की गई किसी भी नीति पर डीपीई दिशानिर्देशों का अनुपालन, और विशेष रूप से इस संबंध में निर्धारित किया गया है।

4.10.3 प्रत्येक अतिरिक्त पात्रता मानदंडों के अनुपालन की पुष्टि / इसका प्रमाणन, निदेशक मंडल द्वारा संकल्प के जरिए किया जाएगा।

4.11 समझौता ज्ञापन का मूल्यांकन :

4.11.1 हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के लिए वर्षवार आंकड़े और सीपीएसई के मूल्यांकन के लिए नीचे सारणीबद्ध है:

मद	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
कुल समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित	198	197	196	197	214	215	231	196
आकलन रिपोर्ट प्रस्तुत	161	175	189	187	200	191	198	187

4.11. 2 पिछले 10 वर्षों में केंद्रीय सरकारी उद्यमों द्वारा प्राप्त की गई समझौता ज्ञापन रेटिंग की तुलना निम्न प्रकार है:

रेटिंग	वर्षों के दौरान प्रत्येक रेटिंग के तहत लोक उद्यमों की संख्या									
	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
उत्कृष्ट	47	73	67	76	75	76	73	57	49	49
बहुत अच्छा	34	31	44	39	39	38	53	58	54	39
अच्छा	25	20	24	33	37	36	41	28	40	33
औसत	17	20	24	25	36	29	26	22	31	31
खराब	01	01	02	02	02	08	7	26	24	18
कुल	124	145	161	175	189	187	200	191	198	170*

* 17 सीपीएसईज ने समझौता–ज्ञापन पर उच्च अधिकार प्राप्त समिति (एचपीसी) द्वारा वर्ष 2017–18 के लिए स्कोर/रेटिंग के अनुमोदन के पश्चात अपना समझौता–ज्ञापन मूल्यांकन प्रस्तुत किया ।

5 अध्याय

मजूरी नीति और श्रमशक्ति यौक्तिकीकरण

5.1 लोक उद्यम विभाग (डीपीई) बोर्ड के सीपीएसई कार्यपालकों के साथ–साथ बोर्ड से निचले स्तरीय कर्मचारियों और गैर–यूनियन पर्यवेक्षकों के वेतन संशोधन के संबंध में नीति के लिए नोडल विभाग के रूप में कार्य करता है। डीपीई, सीपीएसई में कार्यकर्ताओं के मामले में मजदूरी निपटान निगोशिएशन के लिए दिशानिर्देश भी जारी करता है। यह विभाग प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों तथा केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के कर्मचारियों की वेतन नीति निगोशिएशन और कार्यपालकों के वेतनमानों में संशोधन से सम्बन्धित मामलों में सलाह प्रदान करता है। अधिकांश रूप से केन्द्रीय सरकारी उद्यम औद्योगिक महंगाई भत्ता (आईडीए) पद्धति के वेतनमानों का अनुसरण कर रहे हैं। हालांकि कुछ मामलों में केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में केन्द्रीय महंगाई भत्ता (सीडीए) पद्धति के वेतनमानों का भी अनुसरण किया जा रहा है। लोक उद्यम विभाग आईडीए कर्मचारियों के संबंध में तिमाही आधार पर महंगाई भत्ता आदेश भी जारी करता है। सीडीए कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के आदेश छमाही आधार पर जारी किए जाते हैं।

5.2 आईडीए पैटर्न के अधीन तीसरी वेतन संशोधन समिति

5.2.1 सीपीएसई के बोर्ड स्तर के और बोर्ड से निचले स्तर के कार्यपालकों और गैर–यूनियन पर्यवेक्षकों के वेतनमानों पर वेतनमानों के आईडीए पैटर्न के अधीन विचार करने और इनमें संशोधन करने के लिए न्यायमूर्ति (सेवानिवृत) श्री सतीश चंद्र की अध्यक्षता में तृतीय वेतन संशोधन समिति का गठन किया गया। इसलिए, तृतीय पीआरसी की सिफारिशों और इस संबंध में सरकार के निर्णय के आधार पर और मंत्रिमंडल के समुचित अनुमोदन से डीपीई के 03.08.2017, 04.08.2017 और 07.09.2017 के कार्यालय ज्ञापनों के जरिए 1 जनवरी, 2017 से प्रभावी संशोधित वेतनमान दिशानिर्देश जारी किए गए थे।

5.2.2 तृतीय वेतन संशोधन समिति द्वारा अनुशंसित संशोधित वेतनमान और भत्ते, वहनीयता के बुनियादी आधार पर आधारित थे। ये वेतनमान और भत्ते इस शर्त पर लागू किए जाएंगे कि इसका वित्तीय प्रभाव, बोर्ड स्तरीय और बोर्ड से निचले स्तर के कार्यपालकों और गैर–यूनियन पर्यवेक्षकों के लिए संशोधित वेतन–पैकेज लागू करने के वर्ष में अतिरिक्त वित्तीय भार इसे लागू करने के वर्ष से पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए औसत कर पूर्व लाभ (पीबीटी) 20% से अधिक नहीं होना चाहिए। इस कारण होने वाले सभी व्यय को संशोधित वेतनमान और भत्ते को लागू करने वाले सीपीएसई द्वारा पूरा किया जाएगा और इस संबंध में सरकार द्वारा कोई बजटीय सहायता प्रदान नहीं की जाएगी।

5.3 आईडीए पैटर्न के अधीन कामगारों हेतु मजूरी संशोधन

5.3.1 लोक उद्यम विभाग ने अपने दिनांक 24 नवम्बर, 2017 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों के संघबद्ध कामगारों के साथ वेतन के सम्बन्ध में बातचीत के आठवें दौर के लिए 10 वर्ष की अवधि हेतु नीतिगत दिशा निर्देश जारी किए हैं। (जो सामान्य रूप से 01 जनवरी, 2017 से लागू है)

5.4 केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों में सीडीए पद्धति के अधीन कर्मचारियों के वेतन में संशोधन

5.4.1 सीडीए पैटर्न वाले वेतनमान, 69 केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों के उन लिपिकीय कर्मचारियों, संबंद्ध संवर्गों और कार्यकारी अधिकारियों पर लागू हैं जो 1.1.1986 को और 31.12.1988 तक इन सीपीएसई की नामावली में थे और उस दौरान सीडीए पैटर्न के वेतनमान ले रहे थे। सरकार द्वारा, माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 12.03.1986 के निर्देशों के अनुसरण में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति (एचपीपीसी) का गठन किया था। एचपीसीसी ने दिनांक 24.11.1988 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और इसकी सिफारिशें इन सीपीएसई पर लागू की गईं। इसके अलावा, माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 28.08.1991 के उत्तरवर्ती निर्देशों के साथ पठित दिनांक 03.05.1990 के निर्देशों के अनुसरण में, इन सीपीएसई में 01.01.1989 से आईडीए पैटर्न और संबंधित वेतनमान शुरू किए गए थे। अतः, माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार, पदोन्नति पर नियुक्ति सहित सभी नियुक्तियां, वेतनमानों के आईडीए पैटर्न के तहत की जानी चाहिए। इसके बाद, इस संबंध में डीपीई ने अपने 10.08.2009 के कार्यालय ज्ञापन में यह स्पष्ट किया कि 'नियुक्ति' में चयन, पदोन्नति और प्रतिनियुक्ति भी शामिल है।

5.4.2 इसी प्रकार, सीडीए पैटर्न का पालन करनेवाले सीडीएसई के कर्मचारियों के लिए, डीपीई ने दिनांक 17.08.2017 के कार्यालय ज्ञापन के जरिए 01.01.2016 से प्रभावी वेतनमानों और भत्तों के संशोधन के लिए दिशानिर्देश जारी किए। वेतन संशोधन का लाभ उन सीपीएसई के कर्मचारियों को अनुमत है, जो घाटे में नहीं हैं और सरकार से किसी भी प्रकार की बजटीय सहायता के बिना अपने संसाधनों से वेतन संशोधन के व्यय को वहन करने की स्थिति में हैं।

5.4.3 डीपीई ने दिनांक 21.05.2018 के और 04.07.2019 के कार्यालय ज्ञापन के जरिए सीपीएसई के सीडीए कर्मचारियों के लिए लागू भत्तों के संबंध में सरकार के निर्णय की जानकारी दी।

5.5 हाल ही में जारी प्रासंगिक दिशानिर्देश

(i) डीपीई ने दिनांक 22.07.2019 के कार्यालय ज्ञापन के जरिए सीपीएसईज़ में तैनात सीवीओ के वेतन, भत्तों, स्थिति, लाभ, परिलब्धियों की पात्रता के संबंध में सरकार के निर्णय की जानकारी दी।

(ii) डीपीई ने दिनांक 17.09.2019 के कार्यालय ज्ञापन के जरिए वर्तमान 2017 संशोधित आईडीए वेतनमानों को ध्यान में रखते हुए सीपीएसईज़ के बोर्ड स्तर के कार्यपालकों के लिए वेतन निर्धारण उदाहरणों को अद्यतन किया।

6 अध्याय

केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों का वर्गीकरण

6.1 केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों को चार अनुसूचियों में बांटा गया है; यथा 'क', 'ख', 'ग' एवं 'घ'। केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों के श्रेणीकरण का निहितार्थ मुख्यतया संबंधित केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यम के संगठनात्मक ढांचे और निदेशक मण्डल स्तर के पदधारियों के वेतन के संबंध में है। इसकी 'रत्न' स्कीम के अंतर्गत केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों के निदेशक मण्डलों को स्वायत्तता प्रदान करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका है।

6.2 प्रारंभ में, साठ के दशक के मध्य में सरकारी उद्यमों का वर्गीकरण अर्थव्यवस्था में उनके महत्व तथा उनकी समस्याओं की जटिलता के आधार पर किया गया था। बाद के वर्षों में लोक उद्यम विभाग ने केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के वर्गीकरण / पुनर्वर्गीकरण के उद्देश्य से विविध मानदण्डों का विकास किया है। यह वर्गीकरण गुणात्मक मानदण्डों यथा निवेश, नियोजित पूंजी, निवल बिक्री, कर पूर्व लाभ, कर्मचारियों व यूनिटों की संख्या, अतिरिक्त क्षमता, प्रति कर्मचारी राजस्व, नियोजित बिक्री / पूंजी क्षमता प्रयोग, प्रति कर्मचारी मूल्य संवर्द्धन और गुणात्मक कारक जैसे राष्ट्रीय महत्व, कंपनी द्वारा सामना की जा रही समस्याओं की जटिलताएं, प्रौद्योगिकी स्तर, विस्तार की संभावनाएं एवं क्रियाकलापों का विविधीकरण तथा अन्य क्षेत्रों से प्रतिस्पर्धा आदि पर आधारित है। अन्य कारक, जहां कहीं उपलब्ध हैं, शेयर मूल्य, एमओयू रेटिंग, महारत्न / नवरत्न / मिनीरत्न दर्जा और आईएसओ प्रमाणन से सम्बद्ध हैं। इसके अतिरिक्त, निगम के गंभीर/ कार्यनीतिक महत्व से संबंधित कारकों को भी ध्यान में रखा जाता है। वर्तमान प्रक्रिया में संबद्ध प्रशासनिक मंत्रालय में तथा लोक उद्यम विभाग में प्रस्तावों पर विचार किया जाता है तथा लोक उद्यम विभाग इस मामले में लोक उद्यम चयन मण्डल से विचार विमर्श करता है। वर्तमान में (31 अक्टूबर, 2019 तक) अनुसूची 'क' में 65, अनुसूची 'ख' में 66, अनुसूची 'ग' में 44 तथा अनुसूची 'घ' में 5 केन्द्रीय सरकारी उद्यम हैं। केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों की अनुसूची–वार सूची **अनुबंध–9** पर दी गई है।

6.3 वर्ष 2019–20 के दौरान ईडीसीआईएल (इंडिया) लि0 के निदेशक मंडल ने निदेशक (कारोबार विकास) का पद सृजित किया गया। एनटीपीसी लि0 के बोर्ड में निदेशक (तकनीकी) का पद समाप्त कर दिया गया।

6.4 वर्ष 2018–19 के बाद से सीपीएसईज़ के बोर्ड स्तर के कार्यपालको की वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर) की रिर्कोडिंग के लिए नए ऑन–लाइन सिस्टम (स्पेरौ सीपीएसई) के कार्यान्वयन संबंधी दिशा–निर्देशों को वर्ष 2019–20 के दौरान जारी किया गया।

रूग्ण/घाटा उठाने वाले सीपीएसईज़ का पुनरुद्धार एवं पुनर्गठन

7 अध्याय

7.1 प्रस्तावना

7.1.1 ऐतिहासिक तौर पर देश के सामाजिक–आर्थिक विकास में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। समय के अंतराल में सीपीएसई की संख्या, उनके निवेश, कारोबार, लाभ और राजकोष में उनका योगदान, में लगातार वृद्धि हो रही है। जबकि सीपीएसई, एक समूह के रूप में, एक ओर विकास के मार्ग पर अग्रसर हैं, वहीं कुछ सीपीएसई पिछले कई वर्षों से घाटे का सामना कर रहे हैं। चूंकि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) गतिशील बाजार स्थितियों के तहत कार्य करते हैं, इसलिए उनके कार्यप्रदर्शन में उतार – चढ़ाव का होना बहुत स्वाभाविक है। कई मामलों में, उनकी संचित हानि उनके शुद्ध मूल्य से भी अधिक हो चुकी है, जिसके चलते ऐसे उद्यम रूग्ण हो गए हैं। हालांकि घाटा / रूग्णता के कारण एक उद्यम से दूसरे उद्यम में भिन्न हो सकते हैं, ऐसे सीपीएसई के कार्यप्रदर्शन में सुधार के लिए सरकार ने कई उपाय किए हैं। सीपीएसई कंपनियों से अपेक्षा की जाती है कि विकास को बनाए रखने और इनकी व्यवहार्यता के उद्देश्य से उन्हें वाणिज्यिक विचारों पर कार्य करना चाहिए। सरकार का मानना है कि उनके कार्यनीतिक और राष्ट्रीय महत्व को ध्यान में रखते हुए और उनकी व्यावसायिक ऋचताओं का समाधान करने के बाद ऐसे रूग्ण/घाटे में चलने वाले सीपीएसईज़ का पुनरुद्धार / पुनर्गठन किया जाना चाहिए। तदनुसार, सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी प्राप्त करने के उपरांत ही ऐसे रूग्ण/घाटे में चलने वाले सीपीएसईज़ के पुनरुद्धार/पुनर्गठन की योजना संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों और सीपीएसई बोर्ड द्वारा तैयार की जाती है।

7.2 केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों में घाटे और रूग्णता के कारण

7.2.1 सीपीएसईज़ में घाटे और रूग्णता के कारण उद्यम–वार अलग – अलग हैं। तथापि, केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों में रूग्णता की कुछ सामान्य समस्याओं में पुराने संयंत्र एवं मशीनरी, पुरानी प्रौद्योगिकी, कम क्षमता उपयोग, कम उत्पादन, खराब ऋण–इक्विटी अवसंरचना, अत्याधिक जनशक्ति, कमजोर विपणन कार्यनीति, कड़ी प्रतिस्पर्धा, व्यापारिक योजनाओं में कमी, सरकारी आदेशों पर निर्भरता, अधिक ऋण भार, अत्याधिक इनपुट, लागत संसाधनों की कमी आदि शामिल हैं। निजीकरण, उदारीकरण और सुधरती आर्थिक व्यवस्था के साथ बहुत से केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यम जो तेजी से विकास नहीं कर पाए, निजी कम्पनियों से पीछे रह गए और घाटे में चलने वाले रूग्ण सीपीएसईज़ में बदल गए। अतः, विभिन्न उपायों के जरिए इन केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों में "रूग्णता" से निपटने के लिए प्रयास किए गए हैं।

7.3 केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों (सीपीएसईज़) के पुनरुद्धार / पुनर्गठन के तंत्र को युक्तिसंगत बनाना

7.3.1 रूग्ण/घाटे में चल रहे सीपीएसईज़ के पुनरुद्धार/पुनर्गठन के लिए बहु तंत्र मौजूद है। सरकार ने केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों के पुनरुद्धार/पुनर्गठन के तंत्र एवं प्रक्रिया को समयबद्ध, व्यापक, निष्पादन उन्मुख एवं सक्षम बनाने के लिए कदम उठाए हैं। सरकार ने निर्णय लेने की प्रक्रिया में बहु–स्तरीय स्थिति को दूर करने का

निर्णय लिया है ताकि रुग्ण केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों का समय से पुनरुद्धार / पुनर्गठन सुनिश्चित किया जा सके। यह निर्णय लिया गया है कि रुग्ण / शुरुआती रुग्ण केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों का पुनरुद्धार/ पुनर्गठन केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यम के रणनीतिक, राष्ट्रीय एवं व्यावसायिक हितों को ध्यान में रखते हुए मेरिट के आधार पर किया जाना चाहिए।

7.3.2 पूर्व में रूग्ण औद्योगिक कंपनियों को पुर्नगठन प्लान के सुझाव के लिए औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बीआईएफआर) को भेजा जाता था। बीआईएफआर को अब समाप्त कर दिया गया है और यह कार्य कंपनी अधिनियम 2013 और दिवाला/दिवालियापन कोड 2016 के तहत एनसीएलटी द्वारा किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त संदर्भित सीपीएसईज़ के पुनर्गठन और पुनरूद्धार योजना के लिए सरकार को सुझाव देने के संबंध में 2004 में लोक उद्यम पुनर्गठन बोर्ड (बीआरपीएसई) का सृजन किया गया। तथापि, इसे नवम्बर, 2015 में बंद कर दिया गया। इसके पश्चात संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग उनके अधीन कार्यरत सीपीएसईज़ की रूग्णता की निगरानी करने और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से यथासमय सुधारक मानदंड अपनाने के उत्तरदायी है।

7.3.3 इस अंतर को भरने और कमजोर और रूग्ण सीपीएसईज़ की पहचान करने में सहायता करने के लिए लोक उद्यम विभाग ने "रुग्ण / शुरुआती रुग्ण तथा कमजोर केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों के पुनरुद्धार के लिए तंत्र को युक्तिसंगत बनाना; पुनगर्ठन का सामान्य सिद्धान्त एवं तंत्र" पर दिनांक 29 अक्टूबर, 2015 को दिशानिर्देश जारी किया है। इन दिशा–निर्देशों का पालन प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों द्वारा उनके प्रशासनिक नियंत्रण में केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों के पुनरुद्धार/पुनर्गठन अथवा बन्द करने के लिए प्रस्तावों को तैयार करते समय किया जाना है और अनुमोदित योजनाओं को कार्यान्वित भी करना है। दिशानिर्देश **अनुबंध–10** में दिए गए हैं।

7.3.4. ये दिशा–निर्देश रुग्ण अथवा शुरुआती रुग्ण केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों के पुनर्गठन / पुनरुद्धार अथवा बन्द करने के लिए तंत्र को युक्तिसंगत बनाने तथा इसी प्रयोजन के लिए बहु विकल्पों का स्थान लेने के लिए तैयार किए गए हैं।

7.4 रुग्ण, शुरुआती रुग्ण तथा कमजोर सरकारी लोक उद्यमों की परिभाषा:

(i) रुग्ण केंद्रीय सरकारी लोक उद्यम:

रुग्ण केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यम दिशानिर्देशों के अनुसार, किसी सीपीएसई को रुग्ण माना जाता है यदि ये निम्नलिखित मानदंडों में से किसी एक को पूरा करती हैं :

क. यदि इसे कम्पनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों के तहत रुग्ण घोषित किया गया हो।

ख. यदि इसका निवल मूल्य नकारात्मक हो।

(ii) प्रारंभिक रुग्ण केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यम:

दिशा निर्देशों के अनुसार किसी केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यम को प्रारंभिक रुग्ण तब माना जाता है जब यह निम्न 01 मानक को पूरा करती है:

क. यदि किसी वित्त वर्ष में इसका निवल मूल्य उसकी प्रदत पूंजी के 50% से कम हो।

ख. यदि इसने निरन्तर 3 वर्षों तक घाटा उठाया हो।

(iii) कमजोर केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यम:

दिशा निर्देशों के अनुसार किसी केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों को कमजोर या कम कार्य निष्पादित तब माना जाएगा जब यह निम्न में से एक मानक पूरा करता है:

क. यदि पिछले 3 वर्षों के दौरान इसका कुल कारोबार या इसके प्रचालनात्मक लाभ में औसतन 10% से अधिक की गिरावट हो।

ख. यदि इसका कर पूर्व लाभ अन्य स्रोतों से होने वाली आय से कम हो।

ग. यदि इसके ट्रेड रिसीवेबल और इन्वैटरीज केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों के निवल मूल्य के 50% अधिक है।

घ. यदि कम्पनी के विरुद्ध दावे, जो देनदारियां नहीं हैं, इसके निवल मूल्य से ज्यादा है।

ङ. सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों के कार्य निष्पादन में कमजोरी के आरंभिक लक्षणों को पहचानते हुए यथा निर्धारित कोई अन्य मानक।

निवल मूल्यों के सभी संदर्भों में इसका अभिप्राय कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (57) के तहत दी गई परिभाषा के अनुसार होगा।

7.4.1 दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रशासनिक मंत्रालय / विभाग अपने नियंत्रण के अधीन कार्यरत केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों को रुग्ण, प्रारंभिक रूग्ण और कमजोर श्रेणियों में वित्त वर्ष के समाप्त होने से 06 माह के भीतर या वार्षिक लेखा को अन्तिम रूप दिए जाने के 01 माह के भीतर जो भी पहले हो, श्रेणीकृत करेगा। संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय / विभाग दिशानिर्देशों में उल्लिखित सिद्धान्तों के अनुसार रुग्ण केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों के संबंध में पुनरुद्धार / पुनर्गठन / बन्द करने का रोड़ मैप तैयार करेगा। इस कार्य को विद्यमान रुग्ण केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों के मामले में इन दिशानिर्देशों के जारी होने के 03 माह के भीतर और किसी केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों को रुग्ण बनने के वित्त वर्ष के अन्त से 09 माह के भीतर किया जाएगा।

7.4.2 प्रशासनिक मंत्रालय निम्न कार्रवाई करेगा :–

(क) प्रशासनिक मंत्रालय कमजोर केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों को "पर्यवेक्षण और गहन समीक्षा" के अंतर्गत रखेगा ताकि ऐसे केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों में रूग्णता के शुरुआती कारणों को पकड़ा जा सके। इसमें, निदेशक मण्डल में स्वतंत्र विशेषज्ञ सदस्यों को नामित करना, निदेशक मण्डल स्तर पर उपचारात्मक, व्यापारिक, प्रचालनात्मक और वित्तीय उपाय करने के लिए तिमाही गहन समीक्षा या विशेष समीक्षा करना, गिरते कार्य–निष्पादन या गैर कार्य–निष्पादन के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित करना या प्रशासनिक मंत्रालय या विभाग द्वारा यथोचित और आवश्यक कोई अन्य उपाय शामिल हो सकता है।

(ख) प्रशासनिक मंत्रालय पुर्गठगन/पुनरुद्धार योजना को तैयार करने की प्रक्रिया आरम्भ करेगा जिसमें वित्त वर्ष के समाप्त होने से 06 माह के भीतर या वार्षिक लेखा को अन्तिम रूप दिए जाने के 01 माह जो भी पहले हो, के भीतर दी गई श्रेणी के आधार पर रुग्ण/प्रारंभिक रुग्ण केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों का विनिवेश या निजीकरण या बन्द करने का विकल्प शामिल है।

(ग) रुग्ण और प्रारंभिक रुग्ण केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों के लिए पुनर्गठन और पुनरुद्धार योजना वित्त वर्ष के समाप्त होने के 09 माह के भीतर तैयार की जाएगी।

(घ) व्यापारिक वातावरण, प्रचालनात्मक मामले, प्रौद्योगिकी विकल्पों और उन क्षेत्रों की वित्तीय व्यवहारिकता जिसमें ऐसे केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यम प्रचालनरत है, में अनुभवी और विशेषज्ञता वाली बाह्य विशेषज्ञ एजेंसी को भारत सरकार कार्य सौंप सकती है और यह प्रशासनिक मंत्रालय के पर्यवेक्षण में भावी रोड़ मैप तैयार करने का कार्य करेगी।

7.5 रूग्ण / और घाटा उठाने वाले केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों को समय बद्ध रुप से बन्द करने और उनकी चल एवं अचल परिसम्पत्तियों के निपटान संबंधी दिशानिर्देश

7.5.1 दिनांक 06.06.2018 को सरकार की मंजूरी के अनुसार, लोक उद्यम विभाग (डीपीई) ने अपने कार्यालय ज्ञापन सं. डीपीई/5(1)/2014–वित्त(भाग–1) दिनांक 14.06.2018 के माध्यम से 'रुग्ण/घाटे में चल रहे केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (सीपीएसई) को समयबद्ध

तरीके से बंद करने हेतु तथा उनकी चल तथा अचल संपत्तियों के निपटान के लिए दिशानिर्देश' सभी मंत्रालयों/विभागों को जारी किए हैं। यह दिनांक 07.09.2016 को इस विषय पर पूर्व में डीपीई द्वारा जारी सभी दिशानिर्देशों को प्रतिस्थापित करता है। विस्तृत दिशानिर्देश **अनुबंध–11** में दिए गए हैं।

7.5.2 इन दिशानिर्देशों का आशय इन केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमो को बन्द करने हेतु विभिन्न प्रक्रियाओं एवं पद्धतियों को शीघ्र पूरा करना है और इसमें वित्त मंत्रालय, नीति आयोग जैसे नोडल विभागों / संगठनों द्वारा दी जाने वाले अपेक्षित सहायता सहित संबंधित मंत्रालयों / विभागों / केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों के उत्तरदायित्वों का उल्लेख है। संशोधित दिशानिर्देशों में बंद होने वाले सीपीएसई के संबंध में चरण–दर–चरण प्रक्रिया और इसकी परिसंपत्तियों के निपटान के बारे में समय– सारिणी की मैट्रिक्स निर्धारित की गई है। रूग्ण/ घाटा उठानेवाले सीपीएसई को समयबद्ध तरीके से बंद करने संबंधी दिशा–निर्देशों में समान रूप से, बंद होने वाले सीपीएसई के कर्मचारियों को 2007 के कल्पित वेतनमान पर वीआरएस/वीएसएस के भुगतान का प्रावधान है चाहे कंपनी के मौजूदा वेतनमान कुछ भी हों।

7.5.3 इसके अतिरिक्त, लोक उद्यम विभाग ने अपने सीपीएसईज को बदं करने के लिए मंत्रिमण्डल/ सीसीईए के अनुमोदन की मांग के मद्देनजर प्रस्ताव तैयार करते हुए अन्य बातों के साथ–साथ भारत सरकार के बकाया ऋणों (और इस राशि पर ब्याज) के अधित्याग को शामिल करने तथा उक्त दिशानिर्देशों के पैरा 4.1.8(i) के अंतर्गत निधियन को बंद करने की मांग करते हुए इसे प्रस्तावित बजटीय सहायता में शामिल करते हुए प्रस्तावों के मामले में अनुप्रयोज्य एमएटी देयता का आकलन करने के लिए दिनांक 12.02.2019 को सीपीएसईज के प्रशासनिक मंत्रालयों/ विभागों को स्पष्टीकरण जारी किया ।

7.6 रूग्ण / और घाटा उठाने वाले केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों (सीपीएसई) को समय बद्ध रुप से बन्द करने की प्रयोज्यता

7.6.1 ये दिशानिर्देश सभी रूग्ण/घाटा उठाने वाले केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों पर लागू होंगे, जब :–

(i) सीसीईए / मंत्रिमण्डल से प्रशासनिक मंत्रालय/ विभाग द्वारा बन्द करने का अनुमोदन/ सैद्धांतिक अनुमोदन ले लिया गया है; या

(ii) प्रशासनिक मंत्रालय / विभाग ने सीपीएसई के बंद होने संबंधी निर्णय लेने के बाद सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी प्राप्त करने की प्रक्रिया चल रही है।

नोटः ये दिशानिर्देश, परिसमापन के अधीन ऐसे सीपीएसईज़ पर लागू नहीं होंगे जहां परिसमापक नियुक्त किया गया है। इन सीपीएसई के प्रशासनिक मंत्रालय/ विभाग, नीति आयोग के परामर्श से और परिसमापन प्रक्रिया की कानूनी अपेक्षाओं के अनुसार, सीपीएसई को बंद करने और चल / अचल संपत्तियों के निपटान से संबंधित आवश्यक कार्रवाई करें।

परामर्श, पुनर्प्रशिक्षण तथा पुनर्नियोजन योजना

8 अध्याय

8.1 लोक उद्यम विभाग द्वारा वर्ष 2001–02 से केन्द्रीय सरकारी उद्यमों (डीपीई) के युक्तिसंगत कर्मचारियों के लिए परामर्श, पुनर्प्रशिक्षण एवं पुनर्नियोजन (सीआरआर) की स्कीम लागू की जा रही है। सीआरआर योजना को नवम्बर, 2007 में संशोधित किया गया था ताकि उसके कार्यक्षेत्र और कवरेज को बढ़ाया जा सके। यदि वीआरएस विकल्पधारी स्वयं उसमें शामिल नहीं होना चाहता तो इसके लिए वी आर एस विकल्पधारी का एक आश्रित भी पात्र होगा। प्रशिक्षण प्रदाताओं के नेटवर्क में विस्तार करने और प्रशिक्षण, डिजाइन एवं डिलीवरी की मानकीकृत पद्धति का पालन करने के लिए स्कीम में फरवरी, 2016 में पुनः संशोधन किया गया है।

8.2 सीआरआर योजना के उद्देश्यः

i. सीपीएसई के पृथक्कृत कर्मचारियों को मुख्य धारा की अर्थव्यवस्था में लाना और इस प्रकार राष्ट्रीय आय में योगदान करना।

ii. नए वातावरण में समायोजन तथा नये काम–धन्धे अपनाने के लिए तैयार होने में वीआरएस / वीएसएस विकल्पधारियों / आश्रितों को सक्षम बनाने के लिए उनका पुनराभिमुखीकरण ।

iii. उनके पुनर्नियोजन हेतु वीआरएस विकल्पधारियों / आश्रितों का कौशल विकास।

iv. प्रशिक्षु को उत्पाद / सेवा के चयन में सहायता करने के लिए विभिन्न उद्योग एसोसिएशनों की जानकारी जो कि सीआरआर स्कीम का एक घटक भी है।

v. केंद्रीय एवं राज्य सरकार की विभिन्न ऋण सहायता / सब्सिडी स्कीमों की जानकारी।

8.3 सीआरआर योजना के मुख्य घटक परामर्श, पुनर्प्रशिक्षण तथा पुनर्नियोजन हैं।

परामर्शः परामर्श पृथक्कृत कर्मचारियों के पुनर्स्थापना कार्यक्रम के लिए बुनियादी पूर्वापेक्षा है। पृथक्कृत कर्मचारियों को सुनिश्चित आजीविका गंवाने के आघात को सहने तथा नई चुनौतियों का सामना करने के लिए मनोवैज्ञानिक काउंसिलिंग की आवश्यकता होती है और साथ ही विवेकपूर्ण ढंग से प्रतिपूर्ति राशि की आयोजना हेतु भी सहायता की जरूरत होती है। उन्हें बाजार अवसरों के नए माहौल के प्रति अवगत कराने की भी आवश्यकता है ताकि अपनी योग्यता एवं विशेषज्ञता के आधार पर वह आर्थिक कार्यकलाप कर सकें और उत्पादन प्रक्रिया का हिस्सा बने रह सकें।

पुनर्प्रशिक्षणः ऐसे प्रशिक्षण का उद्देश्य पृथक्कृत कर्मचारियों को पुनर्स्थापना के लिए सहायता प्रदान करना है। प्रशिक्षुओं को नए रोजगार शुरू करने तथा अपनी नौकरी गंवाने के पश्चात लाभकारी प्रक्रिया में पुनशामिल होने के लिए आवश्यक कौशल / विशेषज्ञता / उन्मुखीकरण हासिल करने में सहायता की जाएगी। काउंसिलिंग के दौरान तय किए गए व्यवसाय के अनुसार ये प्रशिक्षण कार्यक्रम अल्पावधि कार्यक्रम होंगे।

पुनर्नियोजनः प्रयास किया जाएगा कि काउंसिलिंग तथा पुनर्प्रशिक्षण प्रयासों के जरिए ऐसे पृथक्कृत कर्मचारियों को उत्पादन प्रक्रिया में पुनर्नियोजित किया जाए। कार्यक्रम के अंत में वीआरएस / वीएसएस विकल्पधारी

/ आश्रित को स्व / सवेतन रोजगार के वैकल्पिक व्यवसायों में शामिल होने में सक्षम होना चाहिए। यद्यपि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि पृथक्कृत कर्मचारी को वैकल्पिक रोजगार निश्चित रूप से मिलेगा,तथापि नया रोजगार शुरू करने के लिए अभिज्ञान नोडल प्रशिक्षण एजेंसियों के साथ– साथ संबंधित सीपीएसईज़ द्वारा हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी।

8.4 सीआरआर स्कीम का लक्षित समूह अनन्य है और सरकार की अन्य कौशल विकास स्कीमों से हट कर है। अधिकांशतः वीआरएस / वीएसएस विकल्पधारियों की आयु 58 वर्ष से कम है। कार्यक्रम में प्रावधान है कि यदि वीआरएस विकल्पधारी स्वयं उसमें शामिल नहीं होना चाहता तो स्कीम के लाभ वीआरएस विकल्पधारी के एक आश्रित को भी दिए जा सकते हैं। स्कीम के फोकस में स्कीम के लाभ वीआरएस/वीएसएस विकल्पधारी को अथवा उसके बदले उसके आश्रित (एक व्यक्ति प्रति परिवार) को प्रदान किए जाने की परिकल्पना की गई है।

8.5 योजना की सफलता के लिए केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की भूमिका महत्वपूर्ण है। उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे पृथक्कृत कर्मचारियों को कार्यमुक्त करने से पहले उनकी क्षतिपूर्ति/देयताओं का भुगतान करके उनके कल्याण के लिए हर संभव सहायता प्रदान करें। कर्मचारियों के साथ लम्बे संबंधों के कारण केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यम पुनः प्रशिक्षण संबंधी उनकी आवश्यकताओं को अभिज्ञात करने की बेहतर स्थिति में होते हैं।

8.6 इस योजना के अंतर्गत प्रशिक्षित व्यक्तियों की वर्षवार संख्या इस प्रकार है:–

वर्ष	प्रशिक्षित वीआरएस विकल्पधारियों की संख्या
2001-02	8064
2002-03	12066
2003-04	12134
2004-05	28003
2005-06	32158
2006-07	34398
2007-08	9728
2008-09	9772
2009-10	7400
2010-11	9265
2011-12	9400
2012-13	7506
2013-14	3230
2014-15	2525
2015-16	3150
2016-17	1576
2017-18	2000
2018-19	2000
कुल	**194375**

8.7 सीआरआर –2018–19

8.7.1 वर्ष 2018–19 के दौरान, सीआरआर योजना के लिए ₹3.96 करोड़ (आरई) का आवंटन किया गया था। 2000 वीआरएस/ वीएसएस का विकल्प लेनेवाले कर्मचारियों/ उनके आश्रितों को कवर करने का निर्धारित लक्ष्य हासिल कर लिया गया है और 924 कर्मचारियों का पुनःनियोजित किया गया है (स्वयं/ पारिश्रमिक रोजगार)। आवेदकों के पुर्ननियोजन के लिए अनुवर्ती कार्रवाई जारी है। वर्ष के दौरान, 4 पैनलबद्ध प्रशिक्षण भागीदारों (टीपी) द्वारा 15 स्थानों पर कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया गया था। प्रशिक्षण के कुछ ट्रेडों में घरेलू डेटा एंट्री ऑपरेटर, फिल्ड तकनीशियन–होम अपलाइंनसेस, सीसीटीवी इंस्टालेशन तकनीशियन, विद्युत तकनीशियन, खुदरा बिक्री एसोसिएट, सहायक

केटरिंग प्रबंधक, सौर पेनल इंस्टालेशन तकनीशियन, दुग्ध फारमिंग आदि शामिल हैं। झारखंड और पश्चिम बंगाल में 3 रोजगार मेले आयोजित किए गए। लगभग 20 कंपनियों द्वारा 238 आवेदकों को रोजगार पेशकश की गई।

8.7.2 वर्ष 2019–20 के लिए स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति स्कीम (वीआरएस) के अंतर्गत सेवा छोड़ने वाले सीपीएसईज़ के कर्मचारियों अथवा उनके आश्रितों को एक वर्ष की अवधि में राष्ट्रीय कौशल अर्हता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) के अंतर्गत कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से कौशल विकास परियोजना शुरू करने के लिए लोक उद्यम विभाग (डीपीई), राष्ट्रीय कौशल विकास निधि (एनएसडीएफ) एवं राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) के बीच त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे।

9 अध्याय

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस)

9.1 कुछ केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप, सरकार ने अक्टूबर, 1988 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) की घोषणा की थी। बाद में लोक उद्यम विभाग द्वारा मई, 2000 में एक व्यापक पैकेज अधिसूचित किया गया था। अक्टूबर, 1988 में वीआरएस स्कीम शुरू होने के बाद मार्च, 2019 तक वीआरएस के अन्तर्गत लगभग 6.28 लाख कर्मचारियों को रिलीज किया जा चुका है।

9.2 केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के ऐसे उद्यमों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना, जो स्वयं अपने स्तर पर इसे वहन कर सकें

वित्तीय रूप से सक्षम सरकारी क्षेत्र के उद्यम, जो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का व्यय स्वयं वहन कर सकते हैं, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की अपनी योजना स्वयं बना सकते हैं और इसका विकल्प लेने वाले कर्मचारियों के लिए इसे काफी आकर्षक बना सकते हैं। वे सेवा के प्रत्येक पूरे हुए वर्ष के लिए 60 दिन के वेतन (केवल मूल वेतन + महंगाई भत्ता) के तुल्य क्षतिपूर्ति कर सकते हैं। तथापि, ऐसी क्षतिपूर्ति सेवा की शेष अवधि के वेतन से अधिक नहीं होगी।

9.3 मामूली लाभ वाले अथवा घाटा उठाने वाले / रुग्ण / अर्थअक्षम केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना

मामूली रूप से लाभ अर्जित करने वाली / घाटा उठाने वाली रुग्ण एवं अर्थअक्षम युनिटों निम्नलिखित मॉडल में से किसी एक को अपना सकती हैं:

गुजरात मॉडल जिसके अंतर्गत सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 35 दिन का वेतन तथा सेवानिवृत्ति होने तक सेवा की शेष अवधि के प्रत्येक वर्ष के 25 दिनों के वेतन की प्रतिपूर्ति का आकलन किया जाता है, बशर्ते कि प्रतिपूर्ति, अधिवर्षिता के लिए शेष बची अवधि के लिए कुल वेतन से अधिक नहीं होगी।

भारी उद्योग विभाग (डीएचआई) मॉडल, जिसके अनुसार पूरी की गई सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए 45 दिनों के परिलाभों (वेतन + महंगाई भत्ता) अथवा सेवा की शेष अवधि के कुल परिलाभ, इनमें से जो भी कम हो, अनुग्रह राशि प्राप्त कर सकते हैं। जो कर्मचारी कम से कम 30 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके हैं, वे क्षतिपूर्ति के रूप में अधिकतम 60 (साठ) महीने का वेतन / मजूरी प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे और बशर्ते यह शेष बची हुई सेवा अवधि के लिए वेतन / मजूरी की राशि से अधिक न हो।

कार्यपालक विकास कार्यक्रम

10 अध्याय

10.1 केंद्रीय सरकारी लोक उद्यम (सीपीएसईज़) अपने स्वयं के मानव संसाधन विकास कार्यक्रम तैयार करते हैं जिसके अंतर्गत वे मध्यम एवं वरिष्ठ स्तर के कार्यपालकों को अपने स्वयं के प्रबंधन संस्थानों द्वारा या भारत के प्रमुख प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थानों की सेवाएं आउटसोर्स द्वारा प्राप्त करके, प्रबंधन विकास के विभिन्न क्षेत्रों में उन्हें प्रशिक्षण देकर उनका कौशल विकास तथा उनके ज्ञान में वृद्धि करते हैं।

10.2 लोक उद्यम विभाग सार्वजनिक उपक्रमों का स्थायी सम्मेलन (स्कोप) नई दिल्ली का कार्यकारी बोर्ड और शासी परिषद का पदेन सदस्य है।

10.3 सचिव, लोक उद्यम विभाग लोक उद्यम संस्थान, हैदराबाद के गवर्नरों के बोर्ड के सदस्य हैं।

10.4 भारत उद्यम संवर्द्धन अंतरराष्ट्रीय केन्द्र (आईसीपीई) का संस्थापक सदस्य है, इस संस्थान को विकासशील देशों के अंतःसरकारी संगठन के रूप में स्थापित किया गया था ताकि वे आर्थिक एवं सामाजिक विकास के महत्वपूर्ण साधन के रूप में अपने लोक उद्यमों के कार्य निष्पादन में सुधार ला सकें। वर्तमान में, आईसीपीई के महानिदेशक (सक्रिय), का पद स्लोवेनिया द्वारा धारित है। आईसीपी, परिषद के अध्यक्ष का पद भारत द्वारा धारित है। जिसका प्रतिनिधित्व सचिव लोक उद्यम विभाग के माध्यम से किया गया है। आईसीपीई अनुसंधान, शिक्षा, प्रशिक्षण, कंसलटेंसी कार्य करके और प्रलेखन एवं प्रकाशन कार्यकलापों के जरिए सूचना का प्रसार करके अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है जिसका उद्देश्य कारपोरेट अभिशासन, प्रबंधन और अन्य संबंधित क्षेत्रों से संबंधित बहुत से मुद्दों पर कल्पना एवं व्यवहार के बीच अंतर को कम करना है।

11 अध्याय

कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) एवं सर्ततता

11.1 कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार लाभ अर्जित करने वाले सभी कारपोरेट जिनमें केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यम शामिल हैं जो 500 करोड़ ₹निवल मूल्य या 1000 करोड़ ₹के कारोबार या 5 करोड़ ₹के निवल लाभ के संदर्भ में निर्धारित नियत सीमा से अधिक हों, को पिछले तत्काल 3 वर्षों के दौरान हुए कम्पनी औसत लाभ (कर पूर्व लाभ) का न्यूनतम 2% व्यय करने का शासनादेश है।

11.2 सीपीएसई से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 में निहित प्रावधानों और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा इसके अधीन अधिसूचित कंपनी (सीएसआर नीति) नियमावली, 2014 एवं अधिनियम की अनुसूची– VII, जिनमें ऐसी गतिविधियां सूचीबद्ध हैं, जो सीएसआर के तहत की जा सकती हैं, का अनुपालन किया जाना अपेक्षित है। लोक उद्यम विभाग द्वारा अगस्त, 2016 में सीएसआर के अंतर्गत कार्यकलापों के चयन और कार्यान्वयन में पारदर्शिता और अध्यवसाय के अनुपालन के संबंध में सीपीएसई को एक एडवाईजरी जारी की गई थी।

11.3 लोक उद्यम विभाग ने केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों के सीएसआर कार्यपालकों के लिए 4 से 8 नवम्बर, 2019 तक एएससीआई, हैदराबाद के सहयोग से ''सीएसआर और धारणीयता'' पर एक क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया। अधिकारियों को सीएसआर कार्यकलापों के पहलुओं से संबंधित परियोजना कार्यान्वयन जैसे सीएसआर परियोजनाओं का मूल्यांकन, धारणीयता के लिए मापन और रिपोर्टिंग, सीएसआर परियोजनाओं के साथ सामुदायिक सहयोग आदि के संबंध में प्रशिक्षित किया गया। सीएसआर परियोजनाओं के कार्यान्वयन में मुददों और चुनौतियों को भी मामला अध्ययनों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया। पेशेवरों को लोगों के बीच गरीबी और असमानता को दूर करने के लिए एक समग्र लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से अपनी परियोजनाओं को एकीकृत करने के संबंध में जागरूक बनाया गया।

केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों द्वारा अनुपालन रिपोर्ट

12
अध्याय

12.1 उद्योग पर विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने अपनी 216वीं रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि लोक उद्यम विभाग को केन्द्रीय सरकारी उद्यमों द्वारा नीतियों और दिशानिर्देशों को कार्यान्वित करने में सार्थक और प्रभावी भूमिका निभानी चाहिए। इसके अनुपालन में, लोक उद्यम विभाग ने समझौता ज्ञापन दिशानिर्देश 2015–16 में प्रावधान किया है, जिसमें लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों का पालन न करने पर एक अंक काटने की व्यवस्था है। वर्ष 2017–18 से और उसके बाद, वित्तीय प्रभाव वाले डीपीई दिशानिर्देशों का अनुपालन न करने के लिए नकारात्मक अंकन के लिए एमओयू दिशानिर्देशों में प्रावधान किया गया है।

13 राजभाषा नीति

अध्याय

13.1 लोक उद्यम विभाग का हिन्दी अनुभाग मुख्यतः राजभाषा अधिनियम 1963 तथा उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के विविध उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है। हिन्दी अनुभाग उन दस्तावेजों के अनुवाद के लिए उत्तरदायी है, जिन्हें राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अन्तर्गत जारी किया जाना अपेक्षित है। चूंकि, इस विभाग के 80% से अधिक कर्मचारी हिन्दी जानते हैं, इसलिए इस विभाग को राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10(4) के अन्तर्गत अधिसूचित कर दिया गया है।

13.2 वर्ष 2018–19 के दौरान सभी संकल्पों, अधिसूचनाओं, सूचनाओं, परिपत्रों, संसद के सभा–पटल पर रखे जाने वाले कागजातों आदि को द्विभाषिक रूप में जारी किया गया है। हिन्दी में मूल पत्राचार बढ़ाए जाने हेतु भी प्रयास किए गए। लोक उद्यम विभाग की राजभाषा कार्यान्वयन समिति अपर सचिव की अध्यक्षता में काम कर रही है।

13.3 राजभाषा के रूप में हिन्दी के प्रति जागरूकता पैदा करने तथा उसके प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस विभाग द्वारा 01 सितम्बर, 2019 से 14 सितंबर, 2019 तक हिन्दी पखवाड़ा आयोजित किया गया था। हिंदी पखवाड़े के दौरान अधिकारियों तथा संविदा पर कार्यरत कर्मियों सहित कर्मचारियों के लिए चार प्रतियोगिताओं, यथा हिंदी निबंध लेखन, हिंदी श्रुतलेख, हिंदी व्याकरण और चित्र लेखन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। विजेताओं को पुरस्कार और प्रमाण पत्र दिए गए।

13.4 इस विभाग द्वारा केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों के कार्यचालन के सम्बन्ध में लोक उद्यम सर्वेक्षण नामक वार्षिक रिपोर्ट संसद में प्रत्येक वर्ष प्रस्तुत की जाती है। यह एक विशाल एवं विस्तृत प्रलेख है जिसे विभाग द्वारा अंग्रेजी तथा हिन्दी दोनों भाषाओं में प्रकाशित किया जाता है।

महिलाओं का कल्याण

14 अध्याय

14.1 भारतीय संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकारों, मौलिक कर्तव्यों और निर्देशक सिद्धांतों में लैंगिक समानता का सिद्धांत प्रतिपादित हैं। संविधान न केवल महिलाओं के मामले में समानता का अधिकार प्रदान करता है बल्कि सरकार को भी महिलाओं के हित में सकारात्मक विचारण की शक्ति सौंपता है। लोकतांत्रिक नीति के कार्यढांचे के भीतर हमारे कानून, विकास नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रें में महिलाओं का उन्नयन है।

14.2 कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए एक सुरक्षित निरापद तथा स्वस्थ माहौल सुनिश्चित करने के लिए, विभाग में महिला अधिकारी की अध्यक्षता में एक शिकायत समिति का गठन किया गया है। यौन उत्पीड़न के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों से इस विभाग में कार्यरत सभी व्यक्तियों को अवगत करा दिया गया है। कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न पर निगरानी रखने और उसे रोकने के लिए लोक उद्यम विभाग ने दिनांक 29 मई, 1998 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा सरकारी उद्यमों के मुख्य कार्यपालकों को पहले से ही विस्तृत दिशानिर्देश एवं मानदण्ड जारी कर दिए हैं।

14.3 विभाग में स्वीकृत पदों की कुल संख्या 117 है, जिनमें से 8 महिला कर्मचारियों सहित 80 अधिकारी/ कर्मचारी हैं। लोक उद्यम विभाग ने स्वस्थ तथा सौहार्दपूर्ण माहौल बनाने के लिए गरिमा के साथ और बिना किसी भय के हर संभव प्रयास किया है ताकि महिला कर्मचारी सम्मान अपने दायित्वों का निर्वहन कर सके।

15 अध्याय योजना –वार व्यय का विवरण

लोक उद्यम विभाग मांग संख्या 45 – 2019–20

(₹ हजार में)

योजनाएं	बजट अनुमान 2019–20	संशोधित अनुमान 2019–20	कुल व्यय 2019–20 31.10.2019 के अनुसार
सीआरआर स्कीम			
प्रकाशन	0	0	0
अन्य प्रशासनिक व्यय	500	500	0
व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएं	33000	33000	20179
सहायता अनुदान	500	500	0
सीआरआर स्कीम एनईआर (सहायता अनुदान)	1000	1000	0
आरडीसी स्कीम			
घरेलू यात्रा व्यय	2000	2000	719
विदेश यात्रा व्यय	500	500	0
प्रकाशन	2000	2000	1393
अन्य प्रशासनिक व्यय	9000	9000	2609
व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएं	27500	27500	16333
सहायता अनुदान	500	500	0
आईसीपीई को योगदान	10000	10000	0
आरडीसी स्कीम एनईआर (सहायता अनुदान)	8500	8500	1367
कुल	**95000**	**95000**	**42600**

केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों में अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और अन्य के लिए सेवाओं में आरक्षण

16 अध्याय

16.1 बोर्ड स्तर से नीचे के पदों पर नियुक्तियों के संबंध में कार्मिक एवं भर्ती नीतियों को संबंधित केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के प्रबंधन द्वारा तैयार किया जाता है। तथापि, सामान्य महत्व के मामलों में, भारत सरकार द्वारा उन उद्यमों को नीतिगत दिशानिर्देश जारी किए जाते हैं जिसे उन उद्यमों द्वारा अपने स्वयं की कारपोरेट नीतियां तैयार करते समय ध्यान में रखना होता है। इसके अलावा, संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा औपचारिक राष्ट्रपतिक निदेश संबंधित केंद्रीय सरकारी उद्यमों को जारी किए जाते हैं ताकि वे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु नियोजन के संबंध में आरक्षण उसी तर्ज पर करें जैसा कि केंद्रीय सरकारी मंत्रालयों / विभागों में लागू है। डीपीई ने दिनांक 25.02.2015 के कार्यालय ज्ञापन के जरिए यह निर्धारित किया गया है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग और निशक्तःजन तथा पूर्व सैनिकों के आरक्षण के संबंध में सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों का यथोचित परिवर्तन सहित सभी संबंधित सीपीएसई में लागू किया जाए, यदि अन्यथा डीपीई द्वारा निर्दिष्ट न किया जाए।

16.2 लोक उद्यम विभाग द्वारा एससी और एसटी हेतु आरक्षण पर सभी महत्वपूर्ण अनुदेश शामिल करके एक व्यापक राष्ट्रपतिक निदेश सभी संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/ विभागों को 25 अप्रैल, 1991 को जारी किए गए थे ताकि उन्हें औपचारिक रूप से केंद्रीय सरकारी उद्यमों को जारी किया जा सके। आवश्यक परिवर्तनों और संशोधनों को भी केंद्रीय सरकारी उद्यमों को सूचना एवं अनुपालन हेतु उनके प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के जरिए परिपत्रित किया जाता है।

16.3 तत्पश्चात, दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग (मंडल कमीशन) की सिफारिशों के आधार पर और इंदिरा साहनी मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) हेतु रिक्तियों में 27% आरक्षण प्रदान करने के लिए निर्देश जारी किए गए थे। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग जो सेवाओं में आरक्षण के संबंध में नीति तैयार करता है, अन्य पिछड़ा वर्ग के पक्ष में आरक्षण के विभिन्न पहलुओं पर समय–समय पर अनुदेश जारी करता रहता है। अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षण को केंद्रीय सरकारी उद्यमों को उनके प्रशासनिक मंत्रालयों के जरिए अनुपालन हेतु इन निर्देशों को भेजता रहा है। एक व्यापक राष्ट्रपति निदेश जिनमें ये सारे अनुदेश शामिल थे, को लोक उद्यम विभाग द्वारा सभी प्रशासनिक मंत्रालयों को दिनांक 27 जुलाई, 1995 के डीपीई का.ज्ञा. के तहत भेज दिया है ताकि वे अपने नियंत्रणाधीन केंद्रीय सरकारी उद्यमों को ये निदेश औपचारिक रूप से जारी कर सकें।

16.4 अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु 27% आरक्षण के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के लिए 4.5% के उप कोटा के आवंटन से संबंधित कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के अनुदेशों को भी लोक उद्यम विभाग के दिनांक 2 जनवरी, 2012 के कार्यालय ज्ञापन के तहत प्रशासनिक मंत्रालयों/ विभागों (केंद्रीय सरकारी उद्यमों से संबंधित) को उनके नियंत्रणाधीन केंद्रीय सरकारी उद्यमों में लागू करने के प्रयोजनार्थ भेज दिया गया है।

16.5 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण प्रदान करने हेतु मौजूदा कोटा तथा रिक्तियों में आरक्षण हेतु पात्र अन्य श्रेणियों के व्यक्तियों का कोटा निम्नानुसार है:

श्रेणी	आरक्षण के लिए कोटा
अनुसूचित जाति	15%
अनुसूचित जनजाति	7.5%
अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यकों के लिए 4.5% का उप कोटा जोड़कर)	27%
शारीरिक रूप से निःशक्त व्यक्ति	4%
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्लयूएस)	10%

पूर्व सैनिकों और कार्रवाई में मारे गए लोगों के लिए आरक्षण की नीति के अनुसार, कुशल श्रमिकों के संबंध में 14.5% पद और अकुशल पदों के संबंध में 24.5% पद सीपीएसई में पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित हैं।

16.6 आरक्षित पदों को समय पर भरने और बैकलॉग को समाप्त करने की आवश्यकता पर समय–समय पर जारी विभिन्न अनुदेशों के जरिए बल दिया गया है। सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन केंद्रीय सरकारी उद्यमों को सलाह दें कि वे मौजूदा अनुदेशों के अनुसार सीधी भर्ती एवं पदोन्नति में भरे न गए आरक्षित पदों को भरने के लिए प्रभावी कदम उठाएं। इसके अतिरिक्त, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने केंद्रीय सरकारी उद्यमों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षित रिक्तियों के बैकलॉग को भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाने हेतु समय–समय पर आवश्यक अनुदेश जारी किए हैं। लोक उद्यम विभाग ने सरकारी उद्यमों से संबंधित सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों को भी ये निर्देश दिए हैं कि वे समयबद्ध तरीके से इन रिक्तियों को भरें।

16.7 इसके अतिरिक्त, डीपीई के दिनांक 25–10–2017 के कार्यालय ज्ञापन के संदर्भ में, सभी अधिकारी अर्थात बोर्ड स्तरीय और बोर्ड से निचले स्तरीय कर्मचारियों को इस परंतु के अध्यधीन क्रीमी लेयर माना जाएगा कि उन अधिकारियों को, जिनकी वार्षिक आय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 08.09.1993 के कार्यालय ज्ञापन में दिए गए मानदंड के अनुसार ₹8 लाख (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13–09–2017 के कार्यालय ज्ञापन के जरिए यथासंशोधित) से कम है, वे क्रीमी लेयर के मानदंड के अंतर्गन नहीं आएंगे। यह संबंधित सीपीएसई का दायित्व है कि वह ऊपर उल्लिखित सिद्धांत के संबंध में क्रीमी लेयर के अंतर्गत कवर पदों के लिए आवश्यक आदेश जारी करे।

16.8 लोक उद्यम विभाग ने प्रशासनिक मंत्रालयों / विभागों के जरिए केंद्रीय सरकारी उद्यमों में भूतपूर्व सैनिकों हेतु आरक्षण के लिए ऐसी ही योजना के लिए अनुदेश भी जारी किए हैं। भूतपर्व सैनिकों की भर्ती की प्रक्रिया को सरल एवं कारगर बनाने हेतु निर्देश भी जारी किए गए हैं ताकि केंद्रीय सरकारी उद्यमों में उनकी संख्या को बढ़ाया जा सके। ऐसे केंद्रीय सरकारी उद्यम, जो एजेंसी/डीलरशिप प्रदान करने की स्थिति में हैं, को सलाह दी गई है कि वे भूतपूर्व सैनिकों को ऐसी एजेंसियां/डीलरशिप आवंटित करने के लिए कोटा आरक्षित करें।

16.9 लोक उद्यम विभाग ने केंद्रीय सरकारी उद्यमों में शारीरिक रूप से निःशक्त व्यक्तियों को रोजगार देने के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के निर्देशों का अनुसरण करते हुए 11.03.1997 को केंद्रीय सरकारी उद्यमों को राष्ट्रपतिक निदेश जारी किए हैं। निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी (अधिनियम, 1995 के अधिनियमन के साथ, शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों हेतु आरक्षण, सीधी भर्ती के जरिए भरे जाने वाले अभिज्ञात समूह 'क' एवं 'ख' पदों पर भी लागू होगा। दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार कम से कम 4% पद दिव्यांग जन व्यक्तियों के लिए आरक्षित रहेंगे।

16.10 आर्थिक रुप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) को 10% आरक्षण देने के संबंध में डीओपीटी के दिनांक 19.1.2019 और 31.1.2019 के कार्यालय ज्ञापन और दिनांक 21.1.2019 के अर्द्धशासकीय पत्र के द्वारा जारी दिशानिर्देशों को आवश्यक परिवर्तनों सहित लोक उद्यम विभाग के दिनांक 25.1.2019 और 1.2.2019 के कार्यालय ज्ञापन के संदर्भ में सभी सीपीएसईज़ को भेजा गया है।

लोक उद्यम विभाग का संगठनात्मक ढांचा

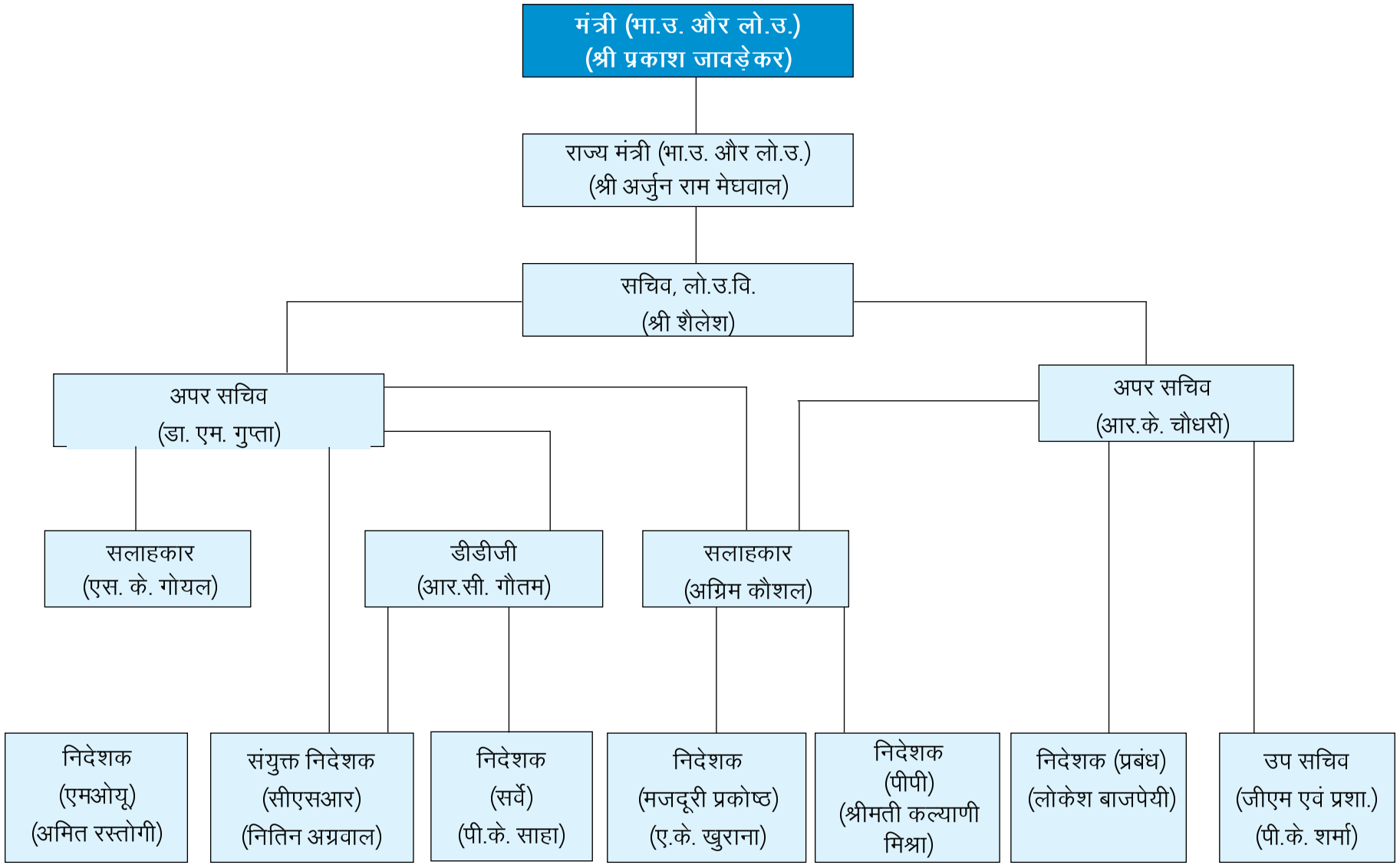

अनुबंध–2

(पैरा 1.2)

तालिका 1: 2018–19 के दौरान केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों का कार्य निष्पादन

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मद/संकेतक	2017–18	2018–19	% वृद्धि
1.	(प्रचालनरत) सीपीएसईज़ का सकल राजस्व	21,54,774	25,43,370	18.03
2.	(प्रचालनरत) सीपीएसईज़ की कुल आय	20,31,815	24,40,570	20.12
3.	सभी सीपीएसईज़ की कुल प्रदत्त पूंजी	2,53,977	2,75,697	8.55
4.	सभी सीपीएसईज़ का कुल निवेश (इक्विकटी जमा दीर्घकालिक ऋण)	14,31,008	16,40,628	14.65
5.	सभी सीपीएसईज़ की नियोजित पूंजी (प्रदत्त पूंजी + दीर्घकालिक ऋण और आरक्षित निधि एवं अधिशेष)	23,57,913	26,33,956	11.71
6.	(लाभ अर्जित करने वाले) सीपीएसईज़ का लाभ	1,55,931	1,74,587	11.96
7.	(घाटा उठाने वाले) सीपीएसईज़ का घाटा	(-) 32,180	(-)31,635	-1.69
8.	न लाभ न घाटा उठाने वाले सीपीएसईज़	2	1	-
9.	समग्र निवल लाभ	1,23,751	1,42,952	15.51
10.	सभी सीपीएसईज़ की आरक्षित निधि एवं अधिशेष	9,26,906	9,93,328	7.17
11.	सभी प्रचालनरत सीपीएसईज़ का निवल मूल्य	11,15,552	12,08,758	8.36
12.	केन्द्रीय राजकोष में सभी सीपीएसईज़ का योगदान	3,52,357	3,68,803	4.67
13.	सीपीएसईज़ का विदेशी मुद्रा का अर्जन	98,714	1,43,377	45.24
14.	सीपीएसईज़ का विदेशी मुद्रा का बहिर्गमन (आउटगो)	5,22,306	6,64,914	27.3

अनुबंध–3

(पैरा 2.2.2)

महारत्न स्कीम की मुख्य विशेषताएं

महारत्न का दर्जा प्रदान करने हेतु पात्रता सम्बन्धी मानदण्डः– निम्नलिखित मानदण्डों को पूरा करने वाले केन्द्रीय सरकारी उद्यम महारत्न का दर्जा प्रदान करने पर विचार किए जाने के पात्र हैं :–

(क) नवरत्न श्रेणी का उद्यम हो

(ख) सेबी के विनियमों के अन्तर्गत न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता सहित भारतीय शेयर बाजार में सूचीबद्ध हो

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान कुल वार्षिक कारोबार का औसत 25,000 करोड़ ₹ से अधिक का हो

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान उसका औसत वार्षिक निवल मूल्य 15,000 करोड़ ₹ से अधिक हो

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान उसका औसत कर पश्चात वार्षिक निवल लाभ 5000 करोड़ ₹ से अधिक रहा हो ।

(च) वैश्विक स्तर पर प्रभावी उपस्थिति हो या अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर प्रचालनरत हो ।

महारत्न दर्जा प्रदान करने/समाप्त करने की प्रक्रियाः महारत्न दर्जा देने तथा साथ ही उनका पुनरीक्षण करने की प्रक्रिया नवरत्न दर्जे हेतु पालन की जाने वाली प्रक्रिया की भांति ही है।

महारत्न केन्द्रीय सरकारी उद्यमों को प्रत्यायोजित शक्तियांः (1) महारत्न केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के निदेशक मण्डल, नवरत्न केन्द्रीय सरकारी उद्यमों को प्राप्त सभी अधिकारों का प्रयोग करने के साथ–साथ संयुक्त उद्यमों / सहायक कम्पनियों में निवेश तथा बोर्ड स्तर से नीचे के पदों के सृजन की संवर्धित शक्तियों का प्रयोग करते हैं। महारत्न केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के निदेशक मण्डलों के पास अधिकार हैं (क) भारत में या विदेश में वित्तीय संयुक्त उद्यम स्थापित करना तथा पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनियों में इक्विटी निवेश करना तथा (ख) भारत में या विदेश में विलयन या अधिग्रहण जो कुल मिलाकर 5,000 करोड़ रू0 (नवरत्न सीपीएसई के लिए 1,000 करोड़ रू0) की अधिकतम सीमा के साथ संबंधित सीपीएसई द्वारा एक परियोजना में उसके निवल मूल्य के 15% की अधिकतम सीमा के अध्यधीन होगा। सभी परियोजनाओं में ऐसे इक्विटी निवेश तथा विलयन एवं अधिग्रहण पर कुल मिलाकर अधिकतम सीमा संबंधित केन्द्रीय सरकारी उद्यम के निवल मूल्य के 30% से अधिक नहीं होगा। इसके अलावा, महारत्न केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के निदेशक मण्डलों के पास ई–9 स्तर तक के बोर्ड से नीचे स्तर के पदों के सृजन का अधिकार है।

(2) वित्तीय संयुक्त उद्यम तथा सहायक निकायों की स्थापना करने के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों का उपयोग महारत्न सीपीएसईज़ के निदेशक मंडल द्वारा निम्नलिखित तरीके से किया जाएगाः

(i) वित्तीय संयुक्त उद्यम तथा सहायक निकायों की स्थापना करने के लिए प्रस्ताव संबंधित सीपीएसईज के निदेशक मण्डल को प्रस्तुत किए जाएंगे।

(ii) संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/ विभाग ऐसे प्रस्तावों पर मामला दर मामला आधार पर नीति आयोग की सहमति प्राप्त करेगा और उपयुक्त निर्णय के लिए निदेशक मण्डल में अपने प्रतिनिधि के जरिए निदेशक मण्डल के विचार–विमर्श हेतु स्टेक होल्डर्स के रूप में प्रस्तावों पर अपनी ठोस राय तैयार करेगा।

(3) सरकारी निदेशक यह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसे प्रस्ताव पर निर्णय लिए जाते समय बहुसंख्यक शेयर धारक होने के कारण ऐसे प्रस्तावों पर सरकार के विचार निदेशक मण्डल के समक्ष उपयुक्त ढंग से प्रस्तुत किए जाएँ। निर्णय निदेशक मण्डल द्वारा वित्तीय संयुक्त उद्यमों और सहायक निकायों की स्थापना के लिए निवेश हेतु तभी लिए जाने चाहिए जब बोर्ड की बैठक में सरकारी निदेशक उपस्थित हों।

अनुबंध –4

(पैरा 2.3.3)

नवरत्न योजना की मुख्य विशेषताएं

1. **नवरत्न दर्जा प्रदान करने हेतु पात्रता शर्तें:** लोक उद्यम जो मिनीरत्न–I, अनुसूची 'क' हैं और जिन्होंने पिछले पांच वर्षों में से तीन में 'उत्कृष्ट' अथवा 'बहुत अच्छा' एमओयू रेटिंग प्राप्त की हैं और जिनका 6 अभिज्ञात कार्यनिष्पादन पैरामीटरों में कार्यनिष्पादन का 'संयुक्त अंक' 60 अथवा उससे अधिक है, नवरत्न दर्जा दिए जाने के लिए पात्र हैं। पिछले तीन वर्षों के लिए संबंधित सीपीएसई के अंक का आकलन किया जाता है। संयुक्त अंक का आकलन करने के लिए, लोक उद्यमों पर उनकी सामान्य प्रयोजनीयता के आधार के आधार पर छह (6) निष्पादन संकेतकों को अभिज्ञात किया गया है। निष्पादन संकेतकों का चयन इस प्रकार से किया गया है ताकि लोक उद्यमों के कार्य निष्पादन की समीक्षा की जा सके, चाहे वे विनिर्माण क्षेत्र से हों या सेवा क्षेत्र से पहचान किए गए 6 निष्पादन संकेतक इस प्रकार हैं:–

क्र.सं.	निष्पादन संकेतक	अधिकतम भार
1.	निवल मूल्य की तुलना में निवल लाभ	25
2.	उत्पादन की कुल लागत अथवा सेवा लागत की तुलना में जनशक्ति लागत	15
3.	नियोजित पूंजी की तुलना में पीबीडीआईटी	15
4.	कुल कारोबार की तुलना में पीबीआईटी	15
5.	अर्जन प्रति शेयर	10
6.	अंतर क्षेत्रीय कार्यनिष्पादन	20
	कुल	**100**

2. **नवरत्न केंद्रीय सरकारी उद्यमों के निदेशक मंडल को जो शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं, वो निम्नानुसार हैं:**

(i) **पूंजीगत व्यय:** नवरत्न केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के पास बिना किसी मौद्रिक सीमा के नई मदों को खरीदने के लिए अथवा उहें बदलने के लिए पूंजीगत व्यय उपगत करने की शक्तियां हैं।

(ii) **प्रौद्योगिकी संयुक्त उद्यम और रणनीति के गठबंधन:** नवरत्न केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के पास प्रौद्योगिकी संयुक्त उद्यमों अथवा रणनीतिक गठबंधन में शामिल होने के और क्रय द्वारा अथवा अन्य व्यवस्थाओं द्वारा प्रौद्योगिकी एवं जानकारी प्राप्त करने की शक्तियां हैं।

(iii) **संगठनात्मक पुनःसंरचना:** नवरत्न केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के पास लाभ केन्द्रों, भारत और विदेश में कार्यालय खोलने, नए कार्यकलाप केन्द्र सृजित करने आदि सहित संगठनात्मक पुनर्संरचना करने की शक्तियां हैं।

(iv) **मानव संसाधन प्रबंधन:** नवरत्न केन्द्रीय सरकारी उद्यमों को ई–6 स्तर तक के पदों का सृजन करने की और गैर निदेशक स्तर के निदेशकों तक सभी पदों को समाप्त करने की और इसी स्तर तक सभी नियुक्तियां करने की शक्तियां

हैं। इन केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के निदेशक मंडल को आंतरिक स्थानांतरण करने की और पदों को पुनः पदनामित करने के लिए और सशक्त किया गया है। नवरत्न केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के निदेशक मंडल के पास, बोर्ड स्तर से नीचे के कार्यपालकों के मानव संसाधन प्रबंधन (नियुक्तियां, स्थानांतरण, तैनाती आदि) से संबंधित शक्तियों को बोर्ड की उप–समितियों को अथवा केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के कार्यपालकों को, जैसा भी केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के बोर्ड द्वारा निर्णय लिया जाए, आगे प्रत्यायोजित करने की शक्तियां हैं।

(अ) संसाधनों का एकत्रीकरण: इन केन्द्रीय सरकारी उद्यमों को घरेलू पूंजीगत बाजारों से ऋण लेने और अंतरराष्ट्रीय बाजार से ऋण लेने के लिए इस शर्त के अध्यधीन शक्ति दी गई है कि भारतीय रिजर्व बैंक / आर्थिक संकार्य विभाग का अनुमोदन, जैसा भी आवश्यक हो, प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से प्राप्त किया जाना चाहिए।

(अप) संयुक्त उद्यम एवं सहायक कंपनियां: (1) नवरत्न केन्द्रीय सरकारी उद्यमों को भारत अथवा विदेश में वित्तीय संयुक्त उद्यम एवं पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां स्थापित करने की शक्तियां इस शर्त के साथ प्रत्यायोजित की गई हैं कि सीपीएसई का इक्विटी निवेश निम्नलिखित तक सीमित रहना चाहिएः–

i. किसी भी परियोजना में ₹1000 करोड़,

ii. किसी एक परियोजना में सीपीएसई के निवल मूल्य का 15%,

iii. सभी संयुक्त उद्यम/सहायक कंपनियों में सीपीएसई के निवल मूल्य का 30% ।

(2) वित्तीय संयुक्त उद्यम तथा सहायक निकायों की स्थापना करने के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों का उपयोग नवरत्न सीपीएसईज़ के निदेशक मंडल द्वारा निम्नलिखित तरीके से किया जाएगाः

(i) वित्तीय संयुक्त उद्यम तथा सहायक निकायों की स्थापना करने के लिए प्रस्ताव संबंधित सीपीएसईज के निदेशक मण्डल को प्रस्तुत किए जाएंगे।

(ii) संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/ विभाग ऐसे प्रस्तावों पर मामला दर मामला आधार पर नीति आयोग की सहमति प्राप्त करेगा और उपयुक्त निर्णय के लिए निदेशक मण्डल में अपने प्रतिनिधि के जरिए निदेशक मण्डल के विचार–विमर्श हेतु स्टेक होल्डर्स के रूप में प्रस्तावों पर अपनी ठोस राय तैयार करेगा।

(3) सरकारी निदेशक यह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसे प्रस्ताव पर निर्णय लिए जाते समय बहुसंख्यक शेयर धारक होने के कारण ऐसे प्रस्तावों पर सरकार के विचार निदेशक मण्डल के समक्ष उपयुक्त ढंग से प्रस्तुत किए जाएँ। निर्णय निदेशक मण्डल द्वारा वित्तीय संयुक्त उद्यमों और सहायक निकायों की स्थापना के लिए निवेश हेतु तभी लिए जाने चाहिए जब बोर्ड की बैठक में सरकारी निदेशक उपस्थित हों।

(vii) विलयन और अधिग्रहणः इन केंद्रीय सरकारी उद्यमों के निदेशक मण्डलों के पास विलयन और अधिग्रहण की शक्तियां हैं बशर्ते कि (क) यह प्रगति योजना अनुसार हो और केंद्रीय सरकारी उद्यम के मुख्य कार्य क्षेत्र में हो: (ख) शर्तें/सीमा ऐसी होगी जैसी संयुक्त उद्यम/सहायक उद्यम की स्थापना के मामले होती है (ग) विदेश में निवेश के मामले में आर्थिक मामलों की मंत्रिमण्डल समिति को सूचित करते रहना होगा। इसके साथ–साथ विलयनों और अधिग्रहणों संबंधित शक्तियों का उपयोग इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि इससे संबंधित केंद्रीय सरकारी उद्यम के लोक उद्यम स्वरूप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए।

(viii) **सहायक कंपनियों का सृजन/विनिवेशः** नवरत्न केन्द्रीय सरकारी उद्यमों को इस शर्त के अधीन परिसंपत्तियों के हस्तांतरण, नई इक्विटी निकालने और सहायक कंपनियों में हिस्सेदारी लेने हेतु शक्तियां प्राप्त हैं कि नवरत्न केंद्रीय सरकारी उद्यमों को प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत धारक कंपनी द्वारा स्थापित सहायक कंपनियों के संदर्भ में शक्तियां प्रत्यायोजित होगी और इस परंतु के साथ कि सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना संबंधित (सहायक कंपनी सहित) केंद्रीय सरकारी उद्यम का स्वरूप नहीं बदलेगा और ऐसे नवरत्न केंद्रीय सरकारी उद्यमों द्वारा अपनी सहायक कंपनी से निकलने से पहले सरकार का अनुमोदन लेना अपेक्षित होगा।

(ix) **कार्यात्मक निदेशकों के विदेशी दौरेः** केंद्रीय सरकारी उद्यमों के मुख्य कार्यपालकों के पास ये शक्तियां हैं कि वे प्रशासनिक मंत्रालय के सचिव को सूचना देते हुए आपातकालीन स्थिति में कार्यात्मक निदेशकों हेतु 05 दिन के लिए व्यापारिक विदेशी दौरे (अध्ययन दौरों, सेमिनारों आदि को छोड़कर) अनुमोदित कर सकते हैं।

3. प्रत्यायोजित नवरत्न शक्तियों का प्रयोग करने के लिए शर्तें/दिशानिर्देशः

क) इन प्रस्तावों को संगत कारकों का विश्लेषण करके और प्रत्याशित परिणाम और लाभों की मात्रा का निर्धारण करके निदेशक मंडल को लिखित में और काफी समय पहले ही प्रस्तुत किया जाना चाहिए। जोखिम वाले कारक, यदि कोई हों, तो उन्हें स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए।

ख) सरकारी निदेशक, वित्तीय निदेशक और संबंधित कार्यकारी निदेशक को मुख्य निर्णय लिए जाने के दौरान प्रस्तुत रहना चाहिए विशेष रूप से तब जब ये निर्णय निवेश, व्यय अथवा संगठनात्मक/पूंजी पुनर्संरचना से संबंधित हो।

ग) अधिमानतः ऐसे प्रस्तावों पर निर्णय सर्वसम्मति से लिया जाना चाहिए।

घ) यदि किसी महत्वपूर्ण मामले पर निर्णय सर्वसम्मति से नहीं लिया गया हो तो एक बहुमत निर्णय लिया जाना चाहिए, परंतु ऐसा निर्णय लेते समय कम से कम एक तिहाई निदेशक मौजूद रहने चाहिए। आपत्तियां, असहमतियां, रद्द करने के और निर्णय लेने के कारणों को लिखित में और विस्तारपूर्वक तैयार कर लिया जाना चाहिए।

ड.) सरकार की ओर से कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जाएगी अथवा कोई आपातकालीन उत्तरदायित्व भी नहीं होगा।

च) ये केन्द्रीय सरकारी उद्यम गैर–सरकारी निदेशकों की सदस्यता वाले बोर्ड की लेखा समिति की स्थापना सहित आंतरिक मॉनीटरिंग की पारदर्शी और प्रभावी प्रणालियों की भी स्थापना करेंगे।

छ) सभी प्रस्ताव, जहां वे पूंजीगत व्यय निवेश अथवा अन्य मामलों से संबंधित हैं जिसमें काफी मात्रा में वित्तीय अथवा प्रबंधकीय प्रतिबद्धताएं शामिल हैं अथवा जहां उनका केन्द्रीय सरकारी उद्यम की अवसंरचना और कार्य पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ेगा, को व्यावसायिकों और विशेषज्ञों की सहायता से अथवा उनके द्वारा तैयार किया जाना चाहिए और उचित मामलों में वित्तीय संगठनों अथवा इन क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखने वाले प्रसिद्ध व्यावसायिक संगठनों द्वारा उसका मूल्यांकन किया जाना चाहिए। वित्तीय मूल्यांकन में ऋण अथवा इक्विटी भागीदारी के जरिए मूल्यांकन करने वाले संगठनों की सहभागिता भी होनी चाहिए।

ज) प्रौद्योगिकी संयुक्त उद्यमों और रणनीतिक भागीदारी में शामिल होने के प्राधिकार का प्रयोग, समय–समय पर जारी सरकारी दिशानिर्देशों के अनुरूप होना चाहिए।

झ) प्राधिकार के और अधिक प्रत्यायोजन की प्रक्रिया से पहले प्रथम चरण के रूप में इन केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के बोर्ड में कम से कम चार और गैर–सरकारी निदेशकों को शामिल करके पुनर्गठित किया जाना चाहिए।

ञ) इन केन्द्रीय सरकारी उद्यमों को बजटीय सहायता अथवा सरकारी गारंटी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। अपने प्रोग्रामों को लागू करने के संसाधन, उनके अपने आंतरिक संसाधनों अथवा पूंजीगत बाजार सहित अन्य स्रोतों के जरिए लिए जाने चाहिए। तथापि, जहां कहीं भी सरकारी गारंटी, बाह्य डोनर एजेंसियों के मानक शर्तों के अंतर्गत अपेक्षित है, उसे प्रशासनिक मंत्रालय के जरिए वित्त मंत्रालय से प्राप्त किया जा सकता है। ऐसी सरकारी गारंटी नवरत्न दर्जे को प्रभावित नहीं करेगी। इसके अलावा, राष्ट्रीय हित की सरकारी प्रायोजित परियोजनाएं लागू करने के लिए और सरकारी प्रायोजित अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं केन्द्रीय सरकारी उद्यमों को उनका नवरत्न दर्जा बनाए रखने के लिए अयोग्य नहीं बनाएगी। तथापि, ऐसी परियोजनाओं के लिए, निवेश संबंधी निर्णय सरकार द्वारा लिए जाएंगे न कि संबंधित केन्द्रीय सरकारी उद्यमों द्वारा।

अनुबंध –5

(पैरा 2.4.2)

मिनीरत्न स्कीम की मुख्य विशेषताएं

1. मिनीरत्न दर्जा प्रदान करने हेतु योग्यता और मानदण्ड निम्नवत हैः–

(i) **श्रेणी–I** केंद्रीय सरकारी उद्यमों द्वारा गत तीन वर्षों में निरंतर लाभ अर्जित किया होना चाहिए, इन तीन वर्षों में से कम से कम एक वर्ष में ₹30 करोड़ या इससे अधिक कर पूर्व लाभ होना चाहिए और निवल मूल्य सकारात्मक होना चाहिए।

(ii) **श्रेणी–II** केंद्रीय सरकारी उद्यमों को गत तीन वर्षों में निरंतर लाभ अर्जित करें चाहिए और उसका निवल मूल्य सकारात्मक होना चाहिए।

(iii) ये केंद्रीय सरकारी उद्यम और अधिक शक्तियां प्राप्त करने के पात्र होंगे बशर्ते कि उन्होंने ऋणों के भुगतान/सरकार को बकाया ऋणों पर ब्याज भुगतान करने में कोई चूक नहीं की हो।

(iv) ये केंद्रीय सरकारी उद्यम सरकार से बजटीय सहायता या गारंटी पर निर्भर नहीं होंगे।

(v) संवर्धित अधिक शक्तियों का प्रयोग करने से पहले, पहली कार्रवाई के रूप में कम से कम 03 गैर–सरकारी निदेशकों की नियुक्ति करके इन केंद्रीय सरकारी उद्यमों के निदेशक मण्डलों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए।

(vi) संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय यह निर्णय लेगा कि संवर्धित शक्तियों का प्रयोग करने से पहले क्या केंद्रीय सरकारी लोक उद्यम श्रेणी–I/श्रेणी–II कंपनी की अपेक्षाओं को पूरा करते हैं।

2. वर्तमान में इन केंद्रीय सरकारी उद्यमों के निदेशक मण्डलों को प्रदान की गई निर्णय लेने की शक्तियां इस प्रकार से हैंः–

(i) पूंजीगत व्ययः

(क) श्रेणी–I केंद्रीय सरकारी उद्यमों हेतुः सरकार के अनुमोदन के बिना नई परियोजनाओं, आधुनिकीकरण, उपकरणों की खरीद आदि पर 500 करोड़ तक या निवल मूल्य के बराबर, जो भी कम हो, पूंजी व्यय करने की शक्ति।

(ख) श्रेणी–II में केंद्रीय सरकारी उद्यमों हेतुः सरकार के अनुमोदन के बिना नई परियोजनाओं, आधुनिकीकरण, उपकरणों की खरीद आदि पर 250 करोड़ तक या निवल मूल्य के 50% के बराबर है, जो भी कम हो, पूंजी व्यय करने की शक्ति।

(ii) संयुक्त उद्यम और सहायक कंपनियांः

(1) (क) श्रेणी–I केंद्रीय सरकारी उद्यमः भारत में संयुक्त उद्यम या सहायक कंपनी स्थापित करना इस शर्त पर कि केंद्रीय सरकारी उद्यम का किसी परियोजना में निवेश केंद्रीय सरकारी उद्यम के निवल मूल्य का 15% तक या ₹500 करोड़ तक, जो भी कम हो, होना चाहिए। सभी परियोजनाओं में ऐसे निवेश की समग्र सीमा केंद्रीय सरकारी उद्यमों के निवल मूल्य की कुल 30% तक है।

(ख) **श्रेणी–II केंद्रीय सरकारी उद्यमः** भारत में संयुक्त उद्यम या सहायक कंपनी की स्थापना इस शर्त पर कि केंद्रीय सरकारी उद्यम का किसी परियोजना में निवेश केंद्रीय सरकारी उद्यम के निवल मूल्य का 15% तक या ₹ 250 करोड़ तक जो भी कम हो, होना चाहिए। सभी परियोजनाओं में ऐसे निवेश की समग्र सीमा केंद्रीय सरकारी उद्यमों के निवल मूल्य की कुल 30% तक है।

(2) **वित्तीय संयुक्त उद्यम तथा सहायक निकायों की स्थापना करने के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों का उपयोग मिनीरत्न सीपीएसईज़ के निदेशक मंडल द्वारा निम्नलिखित तरीके से किया जाएगाः**

(i) वित्तीय संयुक्त उद्यम तथा सहायक निकायों की स्थापना करने के लिए प्रस्ताव संबंधित सीपीएसईज के निदेशक मण्डल को प्रस्तुत किए जाएंगे।

(ii) संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/ विभाग ऐसे प्रस्तावों पर मामला दर मामला आधार पर नीति आयोग की सहमति प्राप्त करेगा और उपयुक्त निर्णय के लिए निदेशक मण्डल में अपने प्रतिनिधि के जरिए निदेशक मण्डल के विचार–विमर्श हेतु स्टेक होल्डर्स के रूप में प्रस्तावों पर अपनी ठोस राय तैयार करेगा।

(3) सरकारी निदेशक यह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसे प्रस्ताव पर निर्णय लिए जाते समय बहुसंख्यक शेयर धारक होने के कारण ऐसे प्रस्तावों पर सरकार के विचार निदेशक मण्डल के समक्ष उपयुक्त ढंग से प्रस्तुत किए जाएँ। निर्णय निदेशक मण्डल द्वारा वित्तीय संयुक्त उद्यमों और सहायक निकायों की स्थापना के लिए निवेश हेतु तभी लिए जाने चाहिए जब बोर्ड की बैठक में सरकारी निदेशक उपस्थित हों।

(iii) **विलयन और अधिग्रहणः** इन केंद्रीय सरकारी उद्यमों के निदेशक मण्डलों के पास विलयन और अधिग्रहण की शक्तियां हैं बशर्ते कि (क) यह प्रगति योजना अनुसार हो और केंद्रीय सरकारी उद्यम के मुख्य कार्य क्षेत्र में हो: (ख) शर्त/सीमा ऐसी होगी जैसी संयुक्त उद्यम/सहायक उद्यम की स्थापना के मामले में होती है (ग) विदेश में निवेश के मामले में आर्थिक मामलों की मंत्रिमण्डल समिति को सूचित करते रहना होगा। इसके साथ–साथ विलयनों और अधिग्रहणों संबंधित शक्तियों का उपयोग इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि इससे संबंधित केंद्रीय सरकारी उद्यम के लोक उद्यम स्वरूप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए।

(iv) **मानव संसाधन विकास (एचआरडी) हेतु स्कीमः** कार्मिक और मानव संसाधन प्रबंधन, प्रशिक्षण या अनिवार्य सेवानिवृत्ति स्कीमों आदि से संबंधित स्कीमें तैयार और क्रियान्वित करना। इन केंद्रीय सरकारी उद्यमों के निदेशक मण्डलों के पास यह शक्तियां है कि वे निदेशक मण्डल से निचले स्तर के कार्यपालकों के मानव संसाधन प्रबंधन (नियुक्तियां, स्थानांतरण, तैनाती आदि) संबंधी शक्तियां केंद्रीय सरकारी उद्यम के निदेशक के निर्णय अनुसार निदेशक मण्डल की उप–समिति या केंद्रीय सरकारी उद्यम के कार्यपालकों को प्रदत्त कर सकते हैं।

(v) **कार्यात्मक निदेशकों के विदेशी दौरेः** इन केंद्रीय सरकारी उद्यमों के मुख्य कार्यपालकों के पास ये शक्तियां हैं कि वे प्रशासनिक मंत्रालय के सचिव को सूचना देते हुए आपातकालीन स्थिति में कार्यात्मक निदेशकों हेतु 05 दिन के लिए व्यापारिक विदेशी दौरे (अध्ययन दौरों, सेमिनारों आदि को छोड़कर) अनुमोदित कर सकते हैं।

(vi) **प्रौद्योगिकी संयुक्त उद्यम और रणनीतिक गठबंधनः** प्रौद्योगिकी संयुक्त उद्यम, रणनीतिक गठबंधन करने और क्रय या अन्य व्यवस्थाओं के जरिए प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी ज्ञान की प्राप्ति समय–समय पर जारी सरकार के दिशा–निर्देश के अनुसार होगा।

(vii) **सहायक कंपनियों का सृजन/विनिवेशः** परिसंपत्तियों के हस्तांतरण, नई इक्विटीज फ्लोट करने और सहायक कंपनियों में हिस्सेदारी लेने हेतु यह शर्त है कि मिनीरत्न केंद्रीय सरकारी उद्यमों को प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत धारक कंपनी द्वारा स्थापित सहायक कंपनियों के संदर्भ में शक्तियां होगी और इसके अतिरिक्त यह प्रावधान है कि सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना संबंधित (सहायक कंपनी सहित) केंद्रीय सरकारी उद्यम का स्वरूप नहीं बदलेगा और ऐसे मिनीरत्न केंद्रीय सरकारी उद्यमों द्वारा अपनी सहायक कंपनी से निकलने से पहले सरकार का अनुमोदन लेना अपेक्षित होगा।

उपर्युक्त शक्तियों को उसी शर्तों पर प्रदत्त किया जाएगा जो नवरत्न केंद्रीय सरकारी उद्यमों पर लागू होगी।

अनुबंध –6

(पैरा 2.4.3)

मिनीरत्न केंद्रीय सरकारी उद्यमों की सूची (31 अक्टूबर, 2019 की स्थिति के अनुसार)

श्रेणी –I सीपीएसईज़

1. एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया
2. अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन लिमिटेड
3. बालमर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड
4. भारत कोकिंग कोल लिमिटेड
5. भारत डायनेमिक्स लिमिटेड
6. बीईएमएल लिमिटेड
7. भारत संचार निगम लिमिटेड
8. ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड
9. केन्द्रीय भण्डारण निगम
10. सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड
11. सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड
12. चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
13. कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड
14. एड्सिल (इंडिया) लि.
15. कामराजार पोर्ट लिमिटेड
16. गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड
17. गोवा शिपयार्ड लिमिटेड
18. हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड
19. एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड
20. हिंदुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड
21 हिन्दुस्तान पेपर कॉरपोरेशन लिमिटेड
22. आवास एवं शहरी विकास निगम लिमिटेड
23. एचएससीसी (इंडिया) लि.

24. भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड
25. इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड
26. भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम लिमिटेड
27. इंडियन रेलवे फाइनेंस कार्पोरेशन लि.
28. इंडियन रेनिवेल इंजीनरी डैवलपमेंट एजेंसी लि.
29. इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन
30. इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड
31. केआईओसीएल लिमिटेड
32. मझगांव डॉक लिमिटेड इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड
33. महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड
34. मैंगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड
35. मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड
36. मिश्र धातु निगम लिमिटेड
37. एमएमटीसी लिमिटेड
38. एमएसटीसी लिमिटेड
39. नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
40. राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि.
41. राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
42. एनएचपीसी लिमिटेड
43. नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
44. नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड
45. नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड
46. ओएनजीसी विदेश लिमिटेड
47. पवन हंस हेलीकाप्टर लिमिटेड
48. प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड
49. रेलटेल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
50. रेल विकास निगम लिमिटेड

51. राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड

52. राइट्स लिमिटेड

53. एसजेवीएन लिमिटेड

54. सिक्युरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

55. साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

56. दूरसंचार कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड

57. टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड

58. वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

59. वापकोस लिमिटेड

श्रेणी –II सीपीएसईज़

62. आर्टीफिशियल लिम्ब्स मैन्यू. कार्पो. ऑफ इंडिया

63. भारत पंप्स एंड कंप्रेशर्स लिमिटेड

64. ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स (आई) लिमिटेड

65. केन्द्रीय रेलसाइड वेयरहाउस कंपनी लिमिटेड

66. इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड

67. एफसीआई अरावली जिप्सम एंड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड

68. फेरो निगम लिमिटेड स्क्रैप

69. एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड

70. इंडियन मेडिसिन्स एंड फार्मास्युटिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड

71. मेकॉन लिमिटेड

72. राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड

73. राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड

अनुबंध–7

(पैरा 3.1.4)

केंद्रीय सरकारी उद्यमों में कारपोरेट अभिशासन पर दिशानिर्देशों की मुख्य–मुख्य बातें निम्नवत हैं

निदेशक मण्डल का गठन

1. निदेशक मण्डल के गठन के मामले में इन दिशानिर्देशों में यह प्रावधान किया गया है कि कार्यकारी निदेशकों की संख्या निदेशक मण्डल की वास्तविक संख्या के 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए; तथा सरकार द्वारा नामित निदेशकों की संख्या अधिकतम 2 तक सीमित होगी। कार्यपालक अध्यक्ष वाले सूचीबद्ध केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के मामले में गैर–सरकारी निदेशकों की कुल संख्या निदेशक मंडल की कुल सदस्य संख्या के कम–से–कम 50% होगी। गैर कार्यपालक अध्यक्ष वाले सूचीबद्ध एवं असूचीबद्ध केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के मामले में कम से कम एक तिहाई निदेशक गैर–सरकारी निदेशक होंगे। सरकार ने गैर–सरकारी निदेशकों के रूप में नियुक्ति पर विचार किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षणिक योग्यताओं, आयु तथा अनुभव से सम्बन्धित पूर्व निर्धारित मानदण्डों का भी निर्धारण किया है। इन दिशानिर्देशों में सम्बन्धित खण्डों का समावेश किया गया है ताकि गैर–सरकारी निदेशकों की स्वतंत्रता सुनिश्चित की जा सके तथा हितों के सम्भावित संघर्ष से बचा जा सके। यह भी प्रावधान किया गया है कि सरकारी वित्तीय संस्थानों के अतिरिक्त किसी अन्य संस्थान द्वारा नामित निदेशकों को गैर–सरकारी निदेशक नहीं माना जाएगा।

2. यह भी अनिवार्य कर दिया गया है कि निदेशक मण्डल की बैठकें प्रत्येक 3 माह में कम से कम एक बार तथा साल में 4 बार आयोजित की जाएँ तथा सभी सम्बन्धित जानकारी निदेशक मण्डल को प्रस्तुत की जाए। इसके अतिरिक्त निदेशक मण्डल को सभी सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबन्धकों के लिए आचार संहिता बनानी चाहिए। इस सम्बध में केन्द्रीय सरकारी उद्यमों को सहायता देने के लिए दिशानिर्देशों में एक मॉडल संहिता शामिल की गई है। दिशानिर्देशों में अन्य बातों के साथ–साथ यह प्रावधान किया गया है कि निदेशक मण्डल को एकीकरण तथा जोखिम प्रबन्धन प्रणाली का सुरेखण सुनिश्चित करना चाहिए और कम्पनी को निदेशक मण्डल के नए सदस्यों के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करना चाहिए।

लेखापरीक्षा समिति

3. लेखापरीक्षा समिति से सम्बन्धित प्रावधानों के अन्तर्गत यह अपेक्षित है कि केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के द्वारा एक अर्हताप्राप्त तथा स्वतंत्र लेखापरीक्षा समिति स्थापित की जाए और उसमें कम–से–कम 3 निदेशकों को सदस्य के रूप में शामिल किया जाए। इसके अतिरिक्त इस समिति के दो तिहाई सदस्य स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए जिसका अध्यक्ष स्वतंत्र निदेशक होगा। लेखापरीक्षा समिति को कम्पनी के वित्तीय मामलों में काफी शक्तियां प्रदान की गई हैं और साल में इसकी कम–से–कम 4 बैठकें आयोजित की जानी चाहिए।

सहायक कम्पनियाँ

4. सहायक कम्पनियों के मामले में यह प्रावधान किया गया है कि धारक कम्पनी का कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक सहायक कम्पनी के निदेशक मण्डल में निदेशक हों और धारक कम्पनी की लेखापरीक्षा समिति सहायक कम्पनियों से सम्बन्धित सभी वित्तीय विवरणों की समीक्षा करेगी। सहायक कम्पनियों से सम्बन्धित सभी महत्वपूर्ण लेन–देन एवं अन्य व्यवस्थाओं की जानकारी धारक कम्पनी के निदेशक मण्डल को देना अपेक्षित है।

प्रकटन

5. प्रकटन सम्बन्धी प्रावधानों के अन्तर्गत सभी लेन–देन को लेखापरीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। दिशानिर्देशों में यह अनिवार्य कर दिया गया है कि वित्तीय विवरण तैयार करते समय विहित लेखांकन मानकों का अनुपालन किया जाए और यदि कोई अन्तर हो तो उनका स्पष्ट उल्लेख किया जाए। साथ ही, निदेशक मण्डल को जोखिम निर्धारण तथा न्यूनतमीकरण प्रक्रियाओं के बारे में अवगत कराया जाए तथा वरिष्ठ प्रबन्धन ऐसे सभी वित्तीय एवं वाणिज्यिक लेनदेन का प्रकटन निदेशक मण्डल के समक्ष करे जिनमें उनका व्यक्तिगत हित हो अथवा जहां संघर्ष की कोई सम्भावना हो।

अनुपालन

6. दिशानिर्देशों में यह भी अनिवार्य कर दिया गया है कि कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट में कार्पोरेट गवर्नेंस सम्बन्धी एक पृथक भाग हो जिसमें अनुपालन से संबंधित ब्यौरा हो। केन्द्रीय सरकारी उद्यमों को इन दिशानिर्देशों के अनुपालन के सम्बन्ध में लेखापरीक्षकों/कम्पनी सचिव से एक प्रमाणपत्र प्राप्त करना होगा। वार्षिक आम बैठक में अध्यक्ष महोदय के भाषण में कार्पोरेट गवर्नेंस सम्बन्धी दिशानिर्देशों के अनुपालन का भी उल्लेख किया जाएगा और इसे कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट का एक भाग बनाया जाएगा। केन्द्रीय सरकारी उद्यमों को अपने प्रशासनिक मंत्रालयों को त्रैमासिक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है और सम्बन्धित मंत्रालय लोक उद्यम विभाग को समेकित रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

अनुबंध– 8

पैरा 3.1.6

2018–19 के वर्ष के लिए कारपोरेट गर्वेनेंस रिपोर्ट

क्र. सं.	सीपीएसई के नाम / मंत्रालय	से पत्र प्राप्त	वर्ष 2018–19 के लिए ग्रेड
	कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय		-
	कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण		-
1	राष्ट्रीय बीज निगम लि0	मंत्रालय (न. 66–16/2015–एसडी–I दिनांक 29 जुलाई, 2019)	उत्कृष्ट
	कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय		-
	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा		-
2	एग्रीनेवेट इंडिया लिमिटेड	मंत्रालय (न. ईई–18/9/2019–आईसी–II दिनांक 26 जुलाई, 2019)	निष्पक्ष
	आयुष मंत्रालय		-
3	भारतीय औषध एवं भेषज कॉर्पो0लि0		खराब (प्राप्त नहीं)
	रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय		-
	रसायन और पेट्रो रसायन		-
4	ब्रह्मपुत्र क्रैकर्स और पॉलीमर लिमिटेड	मंत्रालय (नं. 445012/21/2010–पीसी–I (खंड. III) (एफटीएस: 1564) दिनांक 26 अप्रैल, 2019)	उत्कृष्ट
5	एचआईएल (इंडिया) लि0	मंत्रालय (नं. पीपी.53013/2/2019–सीएच.–III दिनांक 06/05/2019)	उत्कृष्ट
6	हिंदुस्तान फ़्लोरोकार्बन्स लिमिटेड	मंत्रालय (नं. पीपी.53013/2/2019–सीएच–III दिनांक 06/05/2019)	उत्कृष्ट
7	हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लि0	मंत्रालय (नं. पीपी.53013/2/2019–सीएच–III दिनांक 06/05/2019)	उत्कृष्ट
	रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय		-
	उर्वरक		-
8	ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पो0 लि0	मंत्रालय (नं. 880/02/2013–एचआर–I दिनांक 21 मई, 2019)	उत्कृष्ट
9	एफसीआई अरावली जिप्सम एवं मिनरल्स (इंडिया) लि0	मंत्रालय (नं. 880/02/2013–एचआर–I दिनांक 21 मई, 2019)	उत्कृष्ट
10	फर्टिलाइजर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि0	मंत्रालय (नं. 880/02/2013–एचआर–I दिनांक 21 मई, 2019)	छूट (कोई व्यापार प्रचालन नहीं)
11	फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स (त्रवनकोर) लि0	मंत्रालय (नं. 880/02/2013–एचआर–I दिनांक 21 मई, 2019)	उत्कृष्ट

क्र. सं.	सीपीएसई के नाम / मंत्रालय	से पत्र प्राप्त	वर्ष 2018–19 के लिए ग्रेड
12	हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लि0		छूट (कोई व्यापार प्रचालन नहीं)
13	मद्रास फर्टिलाइजर्स लि0	मंत्रालय (नं. 880/02/2013–एचआर–I दिनांक 21 मई, 2019)	उत्कृष्ट
14	नेशनल फर्टिलाइजर्स लि0	मंत्रालय (नं. 880/02/2013–एचआर–I दिनांक 21 मई, 2019)	उत्कृष्ट
15	भारतीय परियोजना एवं विकास लि0	मंत्रालय (नं. 880/02/2013–एचआर–I दिनांक 21 मई, 2019)	उत्कृष्ट
16	राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि0	मंत्रालय (नं. 880/02/2013–एचआर–I दिनांक 21 मई, 2019)	उत्कृष्ट
	रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय		-
	भेषज विभाग		-
17	बंगाल केमिकल्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि0	मंत्रालय (नं. 551015/01/2019–पीएसयू दिनांक 23 अप्रैल–2019)	उत्कृष्ट
18	हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक्स लि0		खराब (प्राप्त नहीं)
19	आई डी पी एल (तमिलनाडु) लि0		खराब (प्राप्त नहीं)
20	इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि0		खराब (प्राप्त नहीं)
21	कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि0	मंत्रालय (नं. 551015/01/2019–पीएसयू दिनांक 25 जुलाई, 2019)	उत्कृष्ट
22	उड़ीसा ड्रग्स एण्ड केमिकल्स लि0		खराब (प्राप्त नहीं)
23	राजस्थान ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि0		खराब (प्राप्त नहीं)
	नागर विमानन मंत्रालय		-
24	एएआई कार्गो लॉजिस्टिक एंड एलाइड सर्विसेस कंपनी लि0		खराब (प्राप्त नहीं)
25	एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लि0	सीपीएसई (नं. मुख्यालय/ एआईएटीएसएल दिनांक 26/04/2019)	अच्छा
26	एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विस लि0		खराब (प्राप्त नहीं)
27	एयर इंडिया एक्सप्रेस लि0	सीपीएसई (नं. मुख्यालय/6/317 दिनांक 10/05/2019)	बहुत अच्छा
28	एयर इंडिया लि0	सीपीएसई (नं. मुख्यालय/एएएसएल/ 18–19 दिनांक 10/05/2019)	उत्कृष्ट
29	एयरलाइन एलाइड सर्विस लि0	सीपीएसई (नं. मुख्यालय/एएएसएल/ 18–19 दिनांक 10/05/2019)	बहुत अच्छा
30	एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया	मंत्रालय (नं. एएवी–31017/9/2016–सीएंडडब्ल्यू /115568 दिनांक 30/07/2019)	छूट प्राप्त
31	चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लि0	सीपीएसई (दिनांक 02/08/2019)	अति उत्कृष्ट
32	होटल कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि0	सीपीएसई (नं. एएचए/सीएस/167 दिनांक 13/05/2019)	बहुत अच्छा

क्र. सं.	सीपीएसई के नाम / मंत्रालय	से पत्र प्राप्त	वर्ष 2018–19 के लिए ग्रेड
33	पवन हंस लि0	सीपीएसई (नं. पीपीएचएलःसीओः एसएंडएल दिनांक 30/07/2019)	अति उत्कृष्ट
	कोयला मंत्रालय		-
34	भारत कोकिंग कोल लि0	मंत्रालय (नं. पीपीसीए–38022/1/2019 –पीसीए दिनांक 20 जून, 2019)	उत्कृष्ट
35	सेन्ट्रल कोल फील्ड्स लि0	मंत्रालय (नं. पीपीसीए–38022/1/2019 –पीसीए दिनांक 20 जून, 2019)	उत्कृष्ट
36	सेंट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीट्यूट लि0	मंत्रालय (नं. पीपीसीए–38022/1/2019 –पीसीए दिनांक 20 जून, 2019)	उत्कृष्ट
37	छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवेज लि0		निर्माणाधीन
38	छत्तीसगढ़ पूर्व–पश्चिम रेल लि.		निर्माणाधीन
39	कोल इंडिया लि0	मंत्रालय (नं. पीपीसीए–38022/1/2019 –पीसीए दिनांक 20 जून, 2019)	उत्कृष्ट
40	इस्टर्न कोलफील्ड्स लि0	मंत्रालय (नं. पीपीसीए–38022/1/2019 –पीसीए दिनांक 20 जून, 2019)	उत्कृष्ट
41	झारखंड सेंट्रल रेलवे लि0		निर्माणाधीन
42	महानदी बेसिन पावर लि0	मंत्रालय (नं. पीपीसीए–38022/1/2019 –पीसीए दिनांक 20 जून, 2019)	बहुत अच्छा
43	महानदी कोल रेलवे लि0		निर्माणाधीन
44	महानदी कोलफील्ड्स लि0	मंत्रालय (नं. पीपीसीए–38022/1/2019 –पीसीए दिनांक 20 जून, 2019)	उत्कृष्ट
45	एमजेएसजे कोल लि0		निर्माणाधीन
46	एमएनएच शक्ति लि0		निर्माणाधीन
47	नेयवेली उत्तर प्रदेश पावर लि0	मंत्रालय (नं. पीपीसीए–38022/1/2019 –पीसीए दिनांक 20 जून, 2019)	बहुत अच्छा
48	एनएलसी इंडिया लि0	मंत्रालय (नं. पीपीसीए–38022/1/2019– पीसीए दिनांक 20 जून, 2019)	उत्कृष्ट
49	एन0 एल0 सी0 तमिलनाडु पॉवर लि0	मंत्रालय (नं. पीपीसीए–38022/1/ 2019–पीसीए दिनांक 20 जून, 2019)	अच्छा
50	नार्दन कोलफील्ड्स लि0	मंत्रालय (नं. पीपीसीए–38022/1/2019– पीसीए दिनांक 20 जून, 2019)	उत्कृष्ट
51	साउथ इस्टर्न कोलफील्ड्स लि0	मंत्रालय (नं. पीपीसीए–38022/1/2019– पीसीए दिनांक 20 जून, 2019)	उत्कृष्ट
52	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि0	मंत्रालय (नं. पीपीसीए–38022/1/2019– पीसीए दिनांक 20 जून, 2019)	बहुत अच्छा

क्र. सं.	सीपीएसई के नाम / मंत्रालय	से पत्र प्राप्त	वर्ष 2018–19 के लिए ग्रेड
	वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय		-
	वाणिज्य विभाग		-
53	ई0 सी0 जी0 सी0 लि0	मंत्रालय (नं. 111015/7/2017–ईएंडएमडीए दिनांक 29 अप्रैल, 2019	उत्कृष्ट
54	इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन	मंत्रालय (नं. केके–45011/5/2019–टीपी–डीओसी दिनांक 18 जुलाई, 2019)	उत्कृष्ट
55	कर्नाटक ट्रेड प्रोमोशन आर्गेनाइजेशन	सीपीएसई (सं.केटीपीओ/आईटीपीओ/2018–19/34 दिनांक 10/04/2019)	उत्कृष्ट
56	एम एम टी सी लि0	मंत्रालय (सं. 117/13/2015–एफटी (एसटी) दिनांक 21 मई, 2019)	उत्कृष्ट
57	पी ई सी लि0	मंत्रालय (सं. 117/13/2015–एफटी (एसटी) दिनांक 21 मई, 2019)	उत्कृष्ट
58	भारतीय राज्य व्यापार निगम लि0	मंत्रालय (सं. 117/13/2015–एफटी (एसटी) दिनांक 21 मई, 2019))	उत्कृष्ट
59	एस टी सी एल लि0		(बंद के तहत) छूट
60	तमिलनाडु ट्रेड प्रोमोशन आर्गेनाइजेशन		खराब (प्राप्त नहीं)
	वाणिजय एवं उद्योग मंत्रालय		-
	औद्योगिक नीति एवं संवर्धन		-
61	जम्मू एवं कश्मीर विकास वित्त निगम लि0		खराब (प्राप्त नहीं)
	संचार मंत्रालय		-
	दूरसंचार विभाग		-
62	भारत ब्रॉडबैण्ड नेटवर्क लि0	मंत्रालय (नं. 220–1/2019–एसयू-II दिनांक 19/07/2019)	उत्कृष्ट
63	भारत संचार निगम लि0		खराब (प्राप्त नहीं)
64	हेमीस्फेयर प्रॉपर्टीज इंडिया लि0		निर्माणाधीन
65	आई0 टी0 आई0 लि0	मंत्रालय (सं. 228/2014–एफएसी-II दिनांक 24 जुलाई, 2019)	उत्कृष्ट
66	महानगर टेलीफोन निगम लि0	सीपीएसई (नं. एएमटीएनएल/एसईसीटीटी/डीपीई/2019 दिनांक 25/04/2019)	उत्कृष्ट
67	मिलेनियम टेलीकाम लि0		(खराब प्राप्त नहीं)
68	टीसीआईएल बीना टोल रोड लि0		छूट (एसपीवी)
69	टी सी आई एल लखनादौन टोल रोड लि0	सीपीएसई दिनांक 31/07/2019	छूट (एसपीवी)
70	टेलीकम्युनिकेशंस कंसलटेंट्स (इंडिया)लि0	मंत्रालय (नं. 229–36 /2017–एसयू दिनांक 30 मई, 2019)	उत्कृष्ट

क्र. सं.	सीपीएसई के नाम / मंत्रालय	से पत्र प्राप्त	वर्ष 2018–19 के लिए ग्रेड
	उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय		
	खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग		-
71	सेंर्टल रेलसाईड वेयरहाउस कं0 लि0	मंत्रालय (नं. 99–36 /2017–एसजी–I 22 मई, 2018)	बहुत अच्छा
72	सेंट्रल वेयरहाउसिंग कार्पो0	मंत्रालय (नं. 99–36 /2017–एसजी–I 22 मई, 2018)	उत्कृष्ट
73	भारतीय खाद्य निगम	मंत्रालय (नं. 118–24/2016–एफसी–I दिनांक 30/07/2019)	उत्कृष्ट
	रक्षा मंत्रालय		-
	रक्षा उत्पादन विभाग		-
74	बेल आप्ट्रानिक्स डिवाइसेस लि0		खराब (प्राप्त नहीं)
75	बेल–थेल्स सिस्टम्स लि0		खराब (प्राप्त नहीं)
76	बीईएमएल लि0	मंत्रालय (14 (8)/2016–डी (बीईएमएल) दिनांक 05/08/2019)	उत्कृष्ट
77	भारत डायनामिक्स लि0	मंत्रालय (नं. एम0001(15)/91/2018–19–डी (बीडीएल) दिनांक 27 मई, 2019)	उत्कृष्ट
78	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लि0	सीपीएसई (नं. 117545/3/जीओवी/एमओडी–सीजीआरपीटी/एसईसी दिनांक 03/04/2019)	उत्कृष्ट
79	गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लि0	मंत्रालय (नं.111(11) /2019–एमआईएससी/डी (एन एस) दिनांक 31 मई, 2019)	उत्कृष्ट
80	गोवा शिपयार्ड लि0	मंत्रालय (नं.111(11) /2019–एमआईएससी /डी (एन एस) दिनांक 31 मई, 2019)	उत्कृष्ट
81	हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लि0	मंत्रालय (नं. 338011/1/2017–डी (एचएएल II) दिनांक 6 जून, 2019)	उत्कृष्ट
82	हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि0	मंत्रालय (नं.111(11) /2019–एमआईएससी/डी (एन एस) दिनांक 12 जून, 2019)	उत्कृष्ट
83	इंडो रशियन हेलीकॉप्ट लि0		निर्माणाधीन
84	एमएएमसी इंडस्ट्रीज लि0		निर्माणाधीन
85	मझगांव डाक लि0	मंत्रालय (नं. 111(11) /2019–एमआईएससी/डी (एन एस) दिनांक 31 मई, 2019)	उत्कृष्ट
86	मिश्र धातु निगम लि0	मंत्रालय (नं. 111(11) /2019–एमआईएससी/डी (एन एस) दिनांक 31 मई, 2019)	उत्कृष्ट

क्र. सं.	सीपीएसई के नाम / मंत्रालय	से पत्र प्राप्त	वर्ष 2018–19 के लिए ग्रेड
87	नैनी एयरोस्पेस लि0		खराब (प्राप्त नहीं)
88	विगनयन इंडस्ट्रीज लि0	मंत्रालय (14(8)/2016–डी(बीईएमएल) दिनांक 05/08/2019)	उत्कृष्ट
	पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विकास मंत्रालय		
89	पूर्वोत्तर क्षेत्र हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम लि0	सीपीएसई (नं. एएचएचडीसी/सीओ/सीएस/01/2016–17/ दिनांक 13/08/2019)	बहुत अच्छा
90	पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कृषि विपणन कॉर्पो0 लि0		खराब (प्राप्त नहीं)
	इलेक्ट्रानिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय		-
91	नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर सर्विसिस इनकॉर्पोरेटेड	सीपीएसई (नं. एएनआईसीएसआई–सीएस/डीपीई/10–11/224/खंड–VII दिनांक 24/05/2019)	उत्कृष्ट
	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय		-
92	अण्डमान एवं निकोबार वन एवं पौध विकास निगम लि0		(बंद के तहत) छूट
	वित्त मंत्रालय		-
	आर्थिक कार्य विभाग		-
93	सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कारपो0 इंडिया लि0	मंत्रालय (3/8/2010–एसपीएमसी दिनांक 28 मई, 2019)	उत्कृष्ट
	वित्त मंत्रालय		-
	वित्तीय सेवा विभाग		-
94	आईआईएफसीएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लि0	मंत्रालय (नं. 118/18/2009–आईएफ–I दिनांक 01/08/2019)	छूट (एसपीवी)
95	आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लि0	मंत्रालय (नं. 118/18/2009–आईएफ–I दिनांक 01/08/2019)	छूट (एसपीवी)
96	इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लि0	मंत्रालय (नं. 118/18/2009–आईएफ–I दिनांक 01/08/2019)	छूट (एसपीवी)
	स्वायस्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय		-
	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग		
97	गोवा एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लि0	मंत्रालय (नं. ए–45013/32/2017–एचपीई दिनांक 21/05/2019)	अच्छा
98	एचएलएल बायोटेक लि0	मंत्रालय (नं. ए–45013/32/2017–एचपीई दिनांक 21/05/2019)	अच्छा
99	एच एल एल इंफ्राटेक सर्विसिज़ लि0	मंत्रालय (नं. ए–45013/32/2017–एचपीई दिनांक 21/05/2019)	अच्छा
100	एच एल एल लाइफ केयर लि0	मंत्रालय (नं. ए–45013/32/2017–एचपीई दिनांक 21/05/2019)	अच्छा
101	एच एल एल मेडीपार्क लि0		निर्माणाधीन

क्र. सं.	सीपीएसई के नाम / मंत्रालय	से पत्र प्राप्त	वर्ष 2018–19 के लिए ग्रेड
102	एचएलएल मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल लि0		निर्माणाधीन
	भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय		
	भारी उद्योग विभाग		-
103	एंड्रयू यूल एंड कंपनी लि0	मंत्रालय (नं. 22(5)/2019–कॉर्पोरेट सेल दिनांक 31/07/2019)	उत्कृष्ट
104	भारत हैवी इलैकिट्रकल्स लि0	मंत्रालय (नं. 112(11)/2015–पीई–XI दिनांक 2019/04/22)	उत्कृष्ट
105	भारत पम्प्स एण्ड कम्प्रेसर्स लि0	मंत्रालय (नं. 22(5)/2019–कॉर्पोरेट सेल दिनांक 31/07/2019)	बहुत अच्छा
106	बीएचईएल इलैक्ट्रिकल मशीन्स लि0	मंत्रालय (नं. 22(5)/2019–कॉर्पोरेट सेल दिनांक 31/07/2019)	अच्छा
107	ब्रैथवेट बर्न एंड जैसप कंस्ट्रक्शन कं0 लि0	मंत्रालय (नं. 007(1)/2018–पीई-III दिनांक 2019/04/22)	उत्कृष्ट
108	ब्रिज एण्ड रूफ कं0 (इंडिया)लि0	मंत्रालय (नं. 22(5)/2019–कॉर्पोरेट सेल दिनांक 31/07/2019)	उत्कृष्ट
109	सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि0	मंत्रालय (नं. 22(5)/2019–कॉर्पोरेट सेल दिनांक 31/07/2019)	उत्कृष्ट
110	इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया)लि0	मंत्रालय (नं. 112–12/3/2017–टीएसडब्ल्यू दिनांक 31/05/2019)	उत्कृष्ट
111	हैवी इंजीनियरिंग कारपो0 लि0	मंत्रालय (नं. 22(5)/2019–कॉर्पोरेट सेल दिनांक 31/07/2019)	उत्कृष्ट
112	हिन्दुस्तान केबल्स लि0		(बंद के तहत) छूट
113	हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लि0	मंत्रालय (नं. 22(5)/2019–कॉर्पोरेट सेल दिनांक 31/07/2019)	अच्छा
114	हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लि0		(परिसमापन के तहत) छूट
115	हिन्दुस्तान फोटोफिल्म मैन्यु0 कं0 लि0		(परिसमापन के तहत) छूट
116	हिंदुस्तान साल्ट्स लि0	मंत्रालय (नं. 22(5)/2019–कॉर्पोरेट सेल दिनांक 31/07/2019)	बहुत अच्छा
117	एचएमटी (इंटरनेशनल) लि0	मंत्रालय (नं. 22(5)/2019–कॉर्पोरेट सेल दिनांक 31/07/2019)	अति उत्कृष्ट
118	एचएमटी बियरिंग्स लि0		(बंद के तहत) छूट
119	एचएमटी चिनार वाचेज लि0		(बंद के तहत) छूट
120	एचएमटी लि0	मंत्रालय (नं. 22(5)/2019–कॉर्पोरेट सेल दिनांक 31/07/2019)	बहुत अच्छा
121	एचएमटी मशीन टूल्स लि0	मंत्रालय (नं. 22(5)/2019–कॉर्पोरेट सेल दिनांक 31/07/2019)	अच्छा
122	एचएमटी वाचेज लि0		(बंद के तहत) छूट

क्र. सं.	सीपीएसई के नाम / मंत्रालय	से पत्र प्राप्त	वर्ष 2018–19 के लिए ग्रेड
123	हुगली प्रिंटिंग कंपनी लि0	मंत्रालय (नं. 22(5)/2019–कॉर्पोरेट सेल दिनांक 31/07/2019)	कंपनी विलय
124	इंस्ट्रूमेटेंशन लि0		खराब (प्राप्त नहीं)
125	जगदीशपुर पेपर मिल लि0		निर्माणाधीन
126	नागालैंड पल्प एण्ड पेपर कं0 लि0		छूट (कोई व्यापार प्रचालन)
127	नेपा लि0	मंत्रालय (नं. 22(5)/2019–कॉर्पोरेट सेल दिनांक 31/07/2019)	अच्छा
128	राजस्थान इलेक्ट्रानिक्स एण्ड इंस्ट्रूमेंट्स लि0	मंत्रालय (17(7)/2018–पीई–VIII (15,339) दिनांक 31 मई, 2019)	उत्कृष्ट
129	रिचर्डसन एण्ड क्रूडस (1972) लि0	मंत्रालय (नं. 22(5)/2019–कॉर्पोरेट सेल दिनांक 31/07/2019)	अच्छा
130	सांभर साल्ट्स लि0	मंत्रालय (नं. 22(5)/2019–कॉर्पोरेट सेल दिनांक 31/07/2019)	बहुत अच्छा
131	स्कूटर्स इंडिया लि0	मंत्रालय (नं. 88(9)/2018–पीई–VI दिनांक 24 अप्रैल, 2019)	निष्पक्ष
132	तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स् लि0		(बंद के तहत) छूट
133	यूल इलेक्ट्रिकल लि0		निर्माणाधीन
134	यूल इंजीनियरिंग कंपनी लि0		निर्माणाधीन
	गृह मंत्रालय		-
135	दिल्ली पुलिस हाउसिंग कारपोरेशन लि0	मंत्रालय (नं. 114014/01/2012–यूटीपी दिनांक 24/07/2019)	निष्पक्ष
	आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय		-
136	हिन्दुस्तान प्रीफैब लि0	मंत्रालय (नं. ए–42013/168/2017–एए/ई–9026460 दिनांक 13 जून, 2019)	उत्कृष्ट
137	हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्र0 लि0	मंत्रालय (नं. ओ–17034/41/2019–पीएस दिनांक जुलाई, 2019)	उत्कृष्ट
138	हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कार्पो लि0	मंत्रालय (ए–42012(11)/1/2017–एए–यूडी (ई 9032168) दिनांक 14 अप्रैल, 2019)	उत्कृष्ट
139	एनबीसीसी (इंडिया)लि0	मंत्रालय (नं. ओ–17034/41/2019–पीएस दिनांक जुलाई, 2019)	उत्कृष्ट
140	एनबीसीसी इंजीनियरिंग एंड कंसल्टेंसी लि0	मंत्रालय (नं. ओ–17034/41/2019–पीएस दिनांक जुलाई, 2019)	उत्कृष्ट
141	एनबीसीसी एनवायरमेंट इंजीनियरिंग लि0		निर्माणाधीन
142	एनबीसीसी इंटरनेशनल लि0		निर्माणाधीन
143	एनबीसीसी सर्विसेज लि0	मंत्रालय (नं. ओ–17034/41/2019–पीएस दिनांक जुलाई, 2019)	उत्कृष्ट

क्र. सं.	सीपीएसई के नाम / मंत्रालय	से पत्र प्राप्त	वर्ष 2018–19 के लिए ग्रेड
144	एचएससीसी (इंडिया)लि0	सीपीएसई (नं. एचएससीसी/एमआईएन/सीजीआर/2019–20 दिनांक 15/04/2019)	उत्कृष्ट
	मानव संसाधन विकास मंत्रालय		
	उच्च शिक्षा विभाग		-
145	एड्सिल (इंडिया)लि0	मंत्रालय (नं. 118–23/2019–टीसी 16 अप्रैल, 2019)	उत्कृष्ट
	सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय		
146	ब्राडकास्ट इंजी0 कंसल्टेंट्स इंडिया लि0	मंत्रालय (नं. एन–37024/6/2018–बी (डी) दिनांक 05/07/2019)	उत्कृष्ट
147	राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लि0	मंत्रालय (नं. 2202/2/2015–एफ (पीएसयू) दिनांक 21 मई, 2019)	उत्कृष्ट
	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय		
148	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि0	मंत्रालय (नं. ए–53/2/2014–एसएमई दिनांक 26 अप्रैल, 2019)	उत्कृष्ट
	खान मंत्रालय		.
149	हिन्दुस्तान कापर लि0	मंत्रालय (नं. 22/7/2018–सीओओआरडी. दिनांक 30/07/2019)	उत्कृष्ट
150	मिनरल एक्प्लोरेशन कार्पो0 लि0	मंत्रालय (नं. 22/7/2018–सीओओआरडी. दिनांक 30/07/2019)	उत्कृष्ट
151	नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लि0	मंत्रालय (नं. 22/7/2018–सीओओआरडी. दिनांक 30/07/2019)	उत्कृष्ट
	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय		-
152	राष्ट्रीय अल्प संख्यक विकास एवं वित्त निगम		खराब (प्राप्त नहीं)
	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय		
153	इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेव0 एजेंसी लि0	मंत्रालय (नं. 3340–17/2/2018–आईआरईडीए दिनांक 19 जुलाई, 2019)	उत्कृष्ट
154	सोलर एनर्जी कारपोरेशन ऑफ इंडिया	मंत्रालय (नं. 1123/23/2017–एनएसएम दिनांक 8 मई, 2019)	उत्कृष्ट
	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय		.
155	बामर लारी एण्ड कंपनी लि0	मंत्रालय (नं. सीसीए–31037/3/2018 –पीएनजी (25877) दिनांक 05/07/2019)	उत्कृष्ट
156	बामर लारी इन्वेस्टमेंट लि0	मंत्रालय (नं. सीसीए–31037/3/2018 –पीएनजी (25877) दिनांक 05/07/2019)	उत्कृष्ट
157	भारत पेट्रो रिसोर्सिज जे पी डी ए	मंत्रालय (नं. सीसीए–31037/3/2018 –पीएनजी (25877) दिनांक 05/07/2019)	उत्कृष्ट

क्र. सं.	सीपीएसई के नाम / मंत्रालय	से पत्र प्राप्त	वर्ष 2018–19 के लिए ग्रेड
158	भारत पेट्रो रिसोर्सिज लि0	मंत्रालय (नं. सीसीए–31037/3/2018 –पीएनजी (25877) दिनांक 05/07/2019)	उत्कृष्ट
159	भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि0	मंत्रालय (नं. सीसीए–31037/3/2018 –पीएनजी (25877) दिनांक 05/07/2019)	उत्कृष्ट
160	बीपीसीएल–केआईएएल फ्यूल फार्म प्रा0 लि0		निर्माणाधीन
161	सर्टिफिकेशन इंजीनियर्स इंटरनेशनल लि0	मंत्रालय (नं. सीसीए–31037/3/2018 –पीएनजी (25877) दिनांक 05/07/2019)	उत्कृष्ट
162	चेन्नई पेट्रोलियम कारपोरेशन लि0	मंत्रालय (नं. सीसीए–31037/3/2018 –पीएनजी (25877) दिनांक 05/07/2019)	उत्कृष्ट
163	इंजीनियर्स इंडिया लि0	मंत्रालय (नं. सीसीए–31037/3/2018 –पीएनजी (25877) दिनांक 05/07/2019)	उत्कृष्ट
164	गेल (इंडिया)लि0	मंत्रालय (नं. सीसीए–31037/3/2018 –पीएनजी (25877) दिनांक 05/07/2019)	उत्कृष्ट
165	गेल गैस लि0	मंत्रालय (नं. सीसीए–31037/3/2018 –पीएनजी (25877) दिनांक 05/07/2019)	उत्कृष्ट
166	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपो0 लि0	मंत्रालय (नं. सीसीए–31037/3/2018 –पीएनजी (25877) दिनांक 05/07/2019)	उत्कृष्ट
167	एच पी सी एल बॉयोफ्यूएल्स लि0	सीपीएसई (नं. कंकं. एसईसीवाई./ एचबीएल/2019 दिनांक 30/04/2019)	उत्कृष्ट
168	एच पी सी एल राजस्थान रिफाइनरी लि0		निर्माणाधीन
169	इंडियन कैटालिस्ट प्रा0 लि0		निर्माणाधीन
170	इंडियन आयल कारपोरेशन लि0	मंत्रालय (नं. सीसीए–31037/3/2018 –पीएनजी (25877) दिनांक 05/07/2019)	उत्कृष्ट
171	मंगलौर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लि0	मंत्रालय (नं. सीसीए–31037/3/2018 –पीएनजी (25877) दिनांक 05/07/2019)	उत्कृष्ट
172	नूमालीगढ़ रिफाइनरी लि0	मंत्रालय (नं. सीसीए–31037/3/2018 –पीएनजी (25877) दिनांक 05/07/2019)	उत्कृष्ट
173	तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लि0	मंत्रालय (नं. सीसीए–31037/3/2018 –पीएनजी (25877) दिनांक 05/07/2019)	उत्कृष्ट
174	ऑयल इंडिया इंटरनेशनल लि0		निर्माणाधीन
175	आयल इंडिया लि0	मंत्रालय (नं. सीसीए–31037/3/2018 –पीएनजी (25877) दिनांक 05/07/2019)	उत्कृष्ट
176	ओएनजीसी मंगलौर पेट्रोकेमिकल्स लि0	मंत्रालय (नं. सीसीए–31037/3/2018 –पीएनजी (25877) दिनांक 05/07/2019)	उत्कृष्ट
177	ओ एन जी सी विदेश लि0	मंत्रालय (नं. सीसीए–31037/3/2018 –पीएनजी (25877) दिनांक 05/07/2019)	उत्कृष्ट

क्र. सं.	सीपीएसई के नाम / मंत्रालय	से पत्र प्राप्त	वर्ष 2018–19 के लिए ग्रेड
178	पेट्रोनेट सीसीके लि0	मंत्रालय (नं. सीसीए–31037/3/2018 –पीएनजी (25877) दिनांक 05/07/2019)	खराब (प्राप्त नहीं)
179	प्राइज पेट्रोलियम कंपनी लि0		अति उत्कृष्ट
180	विशाखापत्तनम पोर्ट लॉजिस्टिक्स पार्क लि0		निर्माणाधीन
	विद्युत मंत्रालय		-
181	बल्लभगढ़ – जी एन ट्रांसमिशन कं0 लि0		निर्माणाधीन
182	भारतीय रेल बिजली कंपनी लि0	मंत्रालय (नं. 55/18/2018–सीओओआरडी दिनांक 21 मई, 2019)	उत्कृष्ट
183	बिहार इंफ्रापॉवर लि0		निर्माणाधीन
184	बिहार मेगा पावर लि0		निर्माणाधीन
185	बिजवार–विदर्भ ट्रांसमिशन लि0		निर्माणाधीन
186	बुंदेलखण्ड सौर ऊर्जा लि0	मंत्रालय (नं. 55/18/2018–सीओओआरडी दिनांक 21 मई, 2019)	उत्कृष्ट
187	चंडील ट्रांसमिशन लि0		निर्माणाधीन
188	चेयूर इंफ्रा लि0		निर्माणाधीन
189	छत्तीसगढ़ सरगुजा पावर लि0		निर्माणाधीन
190	कोस्टल कर्नाटक पावर लि0		निर्माणाधीन
191	कोस्टल महाराष्ट्र मेगा पावर लि0		निर्माणाधीन
192	कोस्टल तमिलनाडु पावर लि0		निर्माणाधीन
193	देवघर इंफ्रा लि0		निर्माणाधीन
194	देवघर मेगा पावर लि0		निर्माणाधीन
195	डिंगचांग ट्रांसमिशन लि0		निर्माणाधीन
196	दुमका ट्रांसमिशन लि0		निर्माणाधीन
197	घाटमपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड		निर्माणाधीन
198	घोघरपल्ली इंटीग्रेटेड पावर कंपनी लि0		निर्माणाधीन
199	ग्रिड कंडक्टर लि0		निर्माणाधीन
200	झारखंड इंफ्रापॉवर लि0		निर्माणाधीन
201	कांती बिजली उत्पादन निगम लि0	मंत्रालय (नं. 55/18/2018– सीओओआरडी दिनांक 21 मई, 2019)	अति उत्कृष्ट
202	कोडरमा ट्रांसमिशन लि0		निर्माणाधीन
203	लोकटक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलैक्ट्रिक कारपोरेशन लि0	मंत्रालय (नं. 55/18/2018– सीओओआरडी दिनांक 21 मई, 2019)	उत्कृष्ट
204	मंडर ट्रांसमिशन लि0		निर्माणाधीन
205	मेदिनीपुर–जीरट ट्रांसमिशन लि0		निर्माणाधीन
206	मोहिन्दर गढ़–भिवानी ट्रांसमिशन लि0		निर्माणाधीन
207	एनएचडीसी लि0	मंत्रालय (नं. 55/18/2018– सीओओआरडी दिनांक 21 मई, 2019)	उत्कृष्ट

क्र. सं.	सीपीएसई के नाम / मंत्रालय	से पत्र प्राप्त	वर्ष 2018–19 के लिए ग्रेड
208	एन एच पी सी लि0	मंत्रालय (नं. 55/18/2018–सीओओआरडी दिनांक 21 मई, 2019)	उत्कृष्ट
209	पूर्वोत्तर इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि0	मंत्रालय (नं. 55/18/2018–सीओओआरडी दिनांक 21 मई, 2019)	उत्कृष्ट
210	एन टी पी सी इलैक्ट्रिक सप्लाई कंपनी लि0	मंत्रालय (नं. 55/18/2018–सीओओआरडी दिनांक 21 मई, 2019)	उत्कृष्ट
211	एन टी पी सी लि0	मंत्रालय (नं. 55/18/2018–सीओओआरडी दिनांक 21 मई, 2019)	उत्कृष्ट
212	एन टी पी सी विद्युत व्यापार निगम लि0	मंत्रालय (नं. 55/18/2018–सीओओआरडी दिनांक 21 मई, 2019)	उत्कृष्ट
213	ओडीशा इंफ्रापावर लि0		निर्माणाधीन
214	उड़ीसा इन्टीग्रेटेड पावर लि0		निर्माणाधीन
215	पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लि0	मंत्रालय (नं. 55/18/2018–सीओओआरडी दिनांक 21 मई, 2019)	उत्कृष्ट
216	पीएफसी कैपिटल एडवाइजरी सर्विस लि0		छूट (नहीं एक सीपीएसई)
217	पी एफ सी कंसल्टिंग लि0		खराब (प्राप्त नहीं)
218	पीएफसी ग्रीन एनर्जी लि0	मंत्रालय (नं. 55/18/2018–सीओओआरडी दिनांक 21 मई, 2019)	उत्कृष्ट
219	पावर ग्रिड मिथिलांचल ट्रांसमिशन लि0		निर्माणाधीन
220	पावर इक्विटी कैपिटल एडवाइजर्स प्रा0लि0.		निर्माणाधीन
221	विद्युत वित्त निगम लि0	मंत्रालय (नं. 55/18/2018–सीओओआरडी दिनांक 21 मई, 2019)	उत्कृष्ट
222	पावर ग्रिड कारपो0 ऑफ इंडिया लि0	मंत्रालय (नं. 55/18/2018–सीओओआरडी दिनांक 21 मई, 2019)	उत्कृष्ट
223	पावरग्रिड जबलपुर ट्रांसमिशन लि0		निर्माणाधीन
224	पावर ग्रिड परली ट्रांसमिशन लि0		निर्माणाधीन
225	पावरग्रिड सदर्न इंटरकनेक्टर ट्रांसमिशन सिस्टम लि0		निर्माणाधीन
226	पावरग्रिड वेमागिरी ट्रांसमिशन लि0		निर्माणाधीन
227	पावर ग्रिड वरोरा ट्रांसमिशन लि0		छूट (एसपीवी)
228	पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन लि0	मंत्रालय (नं. 55/18/2018–सीओओआरडी दिनांक 21 मई, 2019)	उत्कृष्ट
229	पॉवरग्रिड कला एएमबी ट्रांसमिशन लि0		छूट (एसपीवी)
230	पावर ग्रिड एनएम ट्रांसमिशन लि0		छूट (एसपीवी)
231	पावरग्रिड ऊँचाहार ट्रांसमिशन लि0		छूट (एसपीवी)
232	पावरग्रिड विज़ाग ट्रांसमिशन लि0		छूट (एसपीवी)

क्र. सं.	सीपीएसई के नाम / मंत्रालय	से पत्र प्राप्त	वर्ष 2018–19 के लिए ग्रेड
233	आर ई सी पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0	मंत्रालय (नं. 55/18/2018–सीओओआरडी दिनांक 21 मई, 2019)	उत्कृष्ट
234	आर ई सी ट्रांसमिशन प्रोजेक्टर कं0 लि0	मंत्रालय (नं. 55/18/2018–सीओओआरडी दिनांक 21 मई, 2019)	उत्कृष्ट
235	रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन कार्पो0 लि0	मंत्रालय (नं. 55/18/2018–सीओओआरडी दिनांक 21 मई, 2019)	उत्कृष्ट
236	सखीगोपाल इंटीग्रेटेड पावर कंपनी लि0		निर्माणाधीन
237	शॉंगटॉंग करचम वांगटू ट्रांसमिशन लि0		निर्माणाधीन
238	एसजेवीएन लि0	मंत्रालय (नं. 55/18/2018–सीओओआरडी दिनांक 21 मई, 2019)	उत्कृष्ट
239	एसजेवीएन थर्मल प्रा0 लि0		निर्माणाधीन
240	साउथ–सेंट्रल ईस्ट दिल्ली पावर ट्रांसमिशन लि0		निर्माणाधीन
241	टान्डा ट्रांसमिशन कम्पनी लि0		निर्माणाधीन
242	तातिया आंध्रा मेघा पावर लि0		निर्माणाधीन
243	टीएचडीसी इंडिया लि0	मंत्रालय (नं. 55/18/2018–सीओओआरडी दिनांक 21 मई, 2019)	उत्कृष्ट
244	डब्ल्यूआर–एनआर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड		निर्माणाधीन
	रेल मंत्रालय		-
245	भारत वैगन एण्ड इंजी0 कं0 लि0	मंत्रालय (नं. 22017/पीएल/57/07(पीटी.) दिनांक 30/05/2019)	(बंद के तहत) छूट
246	ब्रेथवेट एंड कंपनी लि0	मंत्रालय (नं. 22017/पीएल/57/07(पीटी.) दिनांक 30/05/2019)	उत्कृष्ट
247	बर्न स्टैण्डर्ड कंपनी लि0	मंत्रालय (नं. 22017/पीएल/57/07 (पीटी.) दिनांक 30/05/2019)	(बंद के तहत) छूट
248	कॉनकॉर एयर लि0	मंत्रालय (नं. 22017/पीएल/57/07 (पीटी.) दिनांक 31/05/2019)	उत्कृष्ट
249	कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि0	मंत्रालय (नं. 22017/पीएल/57/07(पीटी.) दिनांक 30/05/2019)	उत्कृष्ट
250	डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन	मंत्रालय (नं. 22017/पीएल/57/07(पीटी.) दिनांक 30/05/2019)	उत्कृष्ट
251	फ्रेश एण्ड हेल्दी इन्टरप्राइजेस लि0	मंत्रालय (नं. 22017/पीएल/57/07(पीटी.) दिनांक 31/05/2019)	उत्कृष्ट
252	हाई स्पीड रेल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि0	मंत्रालय (नं. 22019/पीएल/57/13 दिनांक 22/07/2019)	छूट (कोई व्यापार प्रचालन)

क्र. सं.	सीपीएसई के नाम / मंत्रालय	से पत्र प्राप्त	वर्ष 2018–19 के लिए ग्रेड
253	इंडियन रेलवे कैटरिंग एण्ड टूरिज्म कारपो0 लि0	मंत्रालय (नं. 22017/पीएल/57/07(पीटी.) दिनांक 30/05/2019)	उत्कृष्ट
254	इंडियन रेलवे फाइनेंस कार्पो0 लि0	मंत्रालय (नं. 22017/पीएल/57/07(पीटी.) दिनांक 30/05/2019)	उत्कृष्ट
255	इरकॉन दावणगेरे हावेरी हाइवे लि0		निर्माणाधीन
256	इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड सर्विसिस लि0	मंत्रालय (नं. 22017/पीएल/57/07(पीटी.) दिनांक 31/05/2019)	उत्कृष्ट
257	इरकान इंटरनेशनल लि0	मंत्रालय (नं. 22017/पीएल/57/07(पीटी.) दिनांक 30/05/2019)	उत्कृष्ट
258	इरकॉन पी बी टोलवे लि0	मंत्रालय (नं. 22017/पीएल/57/07(पीटी.) दिनांक 31/05/2019)	निर्माणाधीन
259	इरकॉन शिवपुरी गुना टॉलवे लि0	मंत्रालय (नं. 22017/पीएल/57/07(पीटी.) दिनांक 31/05/2019)	निर्माणाधीन
260	कोलकाता मैट्रो रेल कार्पोरेशन लि0	मंत्रालय (नं. 22017/पीएल/57/07(पीटी.) दिनांक 30/05/2019)	बहुत अच्छा
261	कोंकण रेलवे कारपोरेशन लि0	मंत्रालय (नं. 22017/पीएल/57/07(पीटी.) दिनांक 30/05/2019)	उत्कृष्ट
262	मुम्बई रेलवे विकास निगम लि0	मंत्रालय (नं. 22017/पीएल/57/07(पीटी.) दिनांक 30/05/2019)	उत्कृष्ट
263	पंजाब लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर लि0	मंत्रालय (नं. 22017/पीएल/57/07(पीटी.) दिनांक 31/05/2019)	बहुत अच्छा
264	रेल विकास निगम लि0	मंत्रालय (नं. 22017/पीएल/57/07(पीटी.) दिनांक 30/05/2019)	उत्कृष्ट
265	रेलटेल कारपोरेशन इंडिया लि0	मंत्रालय (नं. 22017/पीएल/57/07(पीटी.) दिनांक 30/05/2019)	उत्कृष्ट
266	रेलटेल इन्टरप्राइजेज़ लि0	मंत्रालय (नं. 22017/पीएल/57/07(पीटी.) दिनांक 31/05/2019)	निष्पक्ष
267	रेलवे एनर्जी मैनेजमेंट कंपनी लि0	मंत्रालय (नं. 22017/पीएल/57/07(पीटी.) दिनांक 31/05/2019)	उत्कृष्ट
268	राइट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर सर्विसिज लि0	मंत्रालय (नं. 22019/पीएल/57/13 दिनांक 22/07/2019)	(परिसमापन के तहत) छूट
269	राइट्स लि0	मंत्रालय (नं. 22017/पीएल/57/07 (पीटी.) दिनांक 30/05/2019)	उत्कृष्ट
270	सिडकुल कॉनकॉर इन्फ्रा0 कंपनी लि0	मंत्रालय (नं. 22017/पीएल/57/07 (पीटी.) दिनांक 31/05/2019)	बहुत अच्छा

क्र. सं.	सीपीएसई के नाम / मंत्रालय	से पत्र प्राप्त	वर्ष 2018–19 के लिए ग्रेड
	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय		
271	नेशनल हाइवेज एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कार्पो लि0	मंत्रालय(ए–12025/1/2018–एनएचआईडीसीएल सेल दिनांक 06/08/2019)	खराब
	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय		-
	जैव प्रौद्यौगिकी विभाग		-
272	भारत इम्यूनोलॉजिकल एण्ड बायोलॉजिकल कार्पोरेशन लि0	मंत्रालय (नं. बीबीटी/एआई/1403/2/2012 दिनांक 31/05/2019)	अच्छा
273	बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल	मंत्रालय (नं. बीबीटी/एआई/1403/2/2012 दिनांक 31/05/2019)	उत्कृष्ट
274	इंडियन वैक्सीन कार्पो लि0	मंत्रालय (नं. बीबीटी/पीबी/13020/3/2016 दिनांक 19/06/2019)	खराब
	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय		-
	वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग		
275	सेंट्रल इलेक्ट्रानिक्स लि0	मंत्रालय (डीएसआईआर/पीपीएसयू/5/2019–20 दिनांक 06/05/2019)	उत्कृष्ट
276	राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम	मंत्रालय (डीएसआईआर/पीपीएसयू/5/2019–20 दिनांक 06/05/2019)	बहुत अच्छा
	पोत परिवहन मंत्रालय		-
277	सेंट्रल इनलैंड वॉटर ट्रांसपोर्ट कार्पो लि0		(बंद के तहत) छूट
278	कोचीन शिपयार्ड लि0	मंत्रालय (नं. एएसवाई–11020/1/2016–सीएसएल दिनांक 25 अप्रैल, 2019)	उत्कृष्ट
279	ड्रेजिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि0	मंत्रालय (नं. एएसएस–28036/8/2019–एसयू दिनांक 30 जुलाई, 2019	उत्कृष्ट
280	हुगली डाक एण्ड पोर्ट इंजीनियर्स लि0		(परिसमापन के तहत) छूट
281	हुगली कोचीन शिपयार्ड लि0		निर्माणाधीन
282	इनलैंड एंड कोस्टल शिपिंग लि0		निर्माणाधीन
283	कामराजार पोर्ट लि0		खराब (प्राप्त नहीं)
284	सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लि0		निर्माणाधीन
285	सेतुसमुद्रम कारपोरेशन लि0		निर्माणाधीन
286	शिपिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि0	मंत्रालय (नं. एएसवाई–11020/1/2016– सीएसएल दिनांक 25 अप्रैल, 2019)	उत्कृष्ट

क्र. सं.	सीपीएसई के नाम / मंत्रालय	से पत्र प्राप्त	वर्ष 2018–19 के लिए ग्रेड
	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय		
	विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग		
287	आर्टिफिशियल लिम्ब्स मैन्यु कारपोरेशन ऑफ इंडिया	मंत्रालय (नं. 115(14)/2016/डीडीआई दिनांक 21 मई, 2019)	उत्कृष्ट
288	राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम	मंत्रालय (नं. 99–13/2019–एससीएच दिनांक 30 मई, –2019)	बहुत अच्छा
	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय		-
	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग		-
289	राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम	सीपीएसई (नं. सीसीएस/सीजी/क्यूटीवाई/ 2018–19/173 दिनांक 11/04/2019)	उत्कृष्ट
290	राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम	मंत्रालय (नं. 112011/04/2017 –एससीडी–IV दिनांक 30/05/2019)	उत्कृष्ट
291	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम	सीपीएसई (नं. एएनएचएफडीसी/एसईसीवाई/190 (भाग–IIV /) दिनांक 06/06/2019)	उत्कृष्ट
	इस्पात मंत्रालय		-
292	छत्तीसगढ़ मेगा स्टील कंपनी लि0		निर्माणाधीन
293	ईस्टर्न इनवेस्टमेंट लि0	मंत्रालय (13(13)/2019 दिनांक 18/07/2019)	निष्पक्ष
294	फेरो स्क्रैप निगम लि0	सीपीएसई (नं. एएफसी/2191/2019 दिनांक 04/04/2019)	उत्कृष्ट
295	जे एण्ड के खनिज विकास निगम लि0		(बंद के तहत) छूट
296	झारखंड कोल्हन स्टील लि0		निर्माणाधीन
297	झारखण्ड नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लि0		निर्माणाधीन
298	कर्नाटक विजयनगर स्टील लि0		निर्माणाधीन
299	केआईओसीएल लि0	सीपीएसई (नं. एएस/बीसी/1(18–11)/2019/348 दिनांक 10/04/2019)	उत्कृष्ट
300	एम एस टी सी लि0	मंत्रालय (13(13)/2019 दिनांक 18/07/2019)	उत्कृष्ट
301	मेकान लि0	मंत्रालय (13(13)/2019 दिनांक 18/07/2019)	उत्कृष्ट
302	मॉयल लि0	मंत्रालय (13(13)/2019 दिनांक 18/07/2019)	उत्कृष्ट
303	एनएमडीसी लि0	मंत्रालय (13(13)/2019 दिनांक 18/07/2019)	उत्कृष्ट

क्र. सं.	सीपीएसई के नाम / मंत्रालय	से पत्र प्राप्त	वर्ष 2018–19 के लिए ग्रेड
304	एनएमडीसी पावर लि0		निर्माणाधीन
305	एनएमडीसी स्टील लि0		निर्माणाधीन
306	एमएमडीसी–सीएमडीसी लि.		निर्माणाधीन
307	उड़ीसा मिनरल डेवलपमेंट कम्पनी लि0	मंत्रालय (13(13)/2019 दिनांक 18/07/2019)	अच्छा
308	राष्ट्रीय इस्पात निगम लि0	सीपीएसई (नं. सीसीए–सीजी/18–19/ दिनांक 10/04/2019)	उत्कृष्ट
309	सेल रिफ्रैक्टरी कंपनी लि0		खराब (प्राप्त नहीं)
310	भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि0	मंत्रालय (13(13)/2019 दिनांक 18/07/2019)	उत्कृष्ट
311	बिसरा स्टोन लाइम कम्पनी लि0	मंत्रालय (13(13)/2019 दिनांक 18/07/2019)	खराब
	वस्त्र मंत्रालय		.
312	बड्र्स जूट एंड एक्सपोर्ट्स लि0		(बंद के तहत) छूट
313	ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लि0		छूट (कोई व्यापार प्रचालन)
314	सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज़ कार्पो ऑफ इंडिया लि0	मंत्रालय (नं. 11/11/2018–सीसीआईसी दिनांक 30 अप्रैल, 2019)	बहुत अच्छा
315	कॉटन कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि0		खराब (प्राप्त नहीं)
316	हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम एक्सपोर्ट्स कार्पो ऑफ इंडिया लि0		खराब (प्राप्त नहीं)
317	राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लि0	मंत्रालय (नं. 440/2(2)2015–डीसीएच/ एनएचडीसी/सीएसआर दिनांक 25 अप्रैल, 2019)	उत्कृष्ट
318	नेशनल जूट मैन्युफेक्चरर्स कारपोरेशन लि0		(बंद के तहत) छूट
319	नेशनल टेक्सटाइल कारपो0 लि0	मंत्रालय (नं. 116/12/2016–एनटीसी दिनांक 28 मई, 2019)	उत्कृष्ट
320	भारतीय जूट निगम लि0	सीपीएसई (नं. जेजेसीआई/एसईसी टी–सीजी/2018–19/19 दिनांक 03/04/2019)	उत्कृष्ट
	पर्यटन मंत्रालय		.
321	दोनई पोलो अशोक होटल लि0	मंत्रालय (नं. 11/1/2018–पीएसयू (टी) दिनांक 31/07/2019)	छूट (नहीं एक सीपीएसई)
322	इंडिया टूरिज्म डेव0 कार्पो लि0	मंत्रालय (नं. ईईओएन. पीएसयू–1/28/2018–पीएसयू दिनांक 11/04/2019)	उत्कृष्ट
323	कुमाराकुरुप्पा फ्रंटियर होटल्स लि0	मंत्रालय (नं. 11/1/2018–पीएसयू (टी) दिनांक 31/07/2019)	छूट (कोई व्यापार प्रचालन)

क्र. सं.	सीपीएसई के नाम / मंत्रालय	से पत्र प्राप्त	वर्ष 2018–19 के लिए ग्रेड
324	पांडेचरी अशोक होटल कारपोरेशन लि0	मंत्रालय (नं. ईईओएन. पीएसयू–1/28/2018–पीएसयू दिनांक 11/04/2019	अच्छा
325	पंजाब अशोक होटल कंपनी लि0	मंत्रालय (नं. 11/1/2018–पीएसयू (टी) दिनांक 31/07/2019)	छूट (कोई व्यापार प्रचालन)
326	रांची अशोक बिहार होटल निगम लि0	मंत्रालय (नं. 11/1/2018–पीएसयू (टी) दिनांक 31/07/2019)	छूट (कोई व्यापार प्रचालन)
327	उत्कल अशोक होटल निगम लि0	मंत्रालय (नं. 11/1/2018–पीएसयू (टी) दिनांक 31/07/2019)	छूट (कोई व्यापार प्रचालन)
	जनजातीय कार्य मंत्रालय		.
328	राष्ट्रीय अनु0 जन जाति वित्त एवं विकास निगम	मंत्रालय (नं. 220025/07/2019 –आजीविका दिनांक 13/06/2019)	उत्कृष्ट
	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय		
329	राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लि0	मंत्रालय (नं. यू.13012/2/2019 –पीएसयू/25 दिनांक 27/5/2019)	उत्कृष्ट
330	वापकोस लि0	मंत्रालय (नं. यूयू.13012/2/2019 –पीएसयू/25 दिनांक 27/5/2019)	उत्कृष्ट
	परमाणु ऊर्जा विभाग		.
331	अणुशक्ति विद्युत निगम लि0		निर्माणाधीन
332	भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लि0	मंत्रालय (नं. 44/2(37)/2018–पीएसयू/ दिनांक 24/06/2019)	बहुत अच्छा
333	इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि0	मंत्रालय (नं. 44/2(37)/2018–पीएसयू/ दिनांक 24/06/2019)	बहुत अच्छा
334	इंडियन रेअर अर्थ्स लि0	मंत्रालय (नं. 44/2(37)/2018–पीएसयू/ दिनांक 24/06/2019)	उत्कृष्ट
335	एन पी सी आई एल – इंडियन ऑयल न्यूक्लीयर एनर्जी कारपोरेशन लि0		निर्माणाधीन
336	एन पी सी आई एल – नाल्को पावर कंपनी लि0		निर्माणाधीन
337	न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि0	मंत्रालय (4/2(37)/2018– पीएसयू/8/08 दिनांक 04/07/2019)	उत्कृष्ट
338	यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि0	मंत्रालय (नं. 44/2(37)/2018– पीएसयू/दिनांक 24/06/2019)	उत्कृष्ट
	अंतरिक्ष विभाग		–
339	अंतरिक्ष कारपोरेशन लि0	मंत्रालय (नं. डीडीएस_6एबी–3104/18 /2018–एसईसी_6–डीओसी दिनांक 8 मई, 2019	उत्कृष्ट

अनुबंध–9

(पैरा – 6.2)

केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों की अनुसूची–वार सूची

(31.10.2019 के अनुसार)

अनुसूची 'क'

1. एयरपोर्ट्स अथारिटी ऑफ इंडिया
2. एयर इंडिया लिमिटेड
3. बीईएमएल लिमिटेड
4. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
5. भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
6. भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
7. भारत संचार निगम लिमिटेड
8. केन्द्रीय भण्डारण निगम
9. कोल इंडिया लिमिटेड
10. कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
11. डेडिकेटिड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
12. इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
13. इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड
14. फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स (त्रवणकोर) लिमिटेड
15. भारतीय खाद्य निगम
16. गेल (इंडिया) लिमिटेड
17. हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड
18. हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड
19. हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड
20. हिंदुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड

21. हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड

22. एचएमटी लिमिटेड

23. आवास एवं शहरी विकास निगम लिमिटेड

24. आई टी आई लिमिटेड

25. इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

26. इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड

27. भारतीय रेल वित्त निगम लिमिटेड

28. कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड

29. कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी लिमिटेड

30. एमएमटीसी लिमिटेड

31. महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड

32. मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड

33. मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड

34. मेकॉन लिमिटेड

35. एमओआईएल लिमिटेड

36. मुंबई रेलवे विकास कॉर्पोरेशन लिमिटेड

37. नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड

38. राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड

39. नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड

40. एनएचपीसी लिमिटेड

41. राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड

42. राष्ट्रीय वस्त्र निगम लिमिटेड

43. एनटीपीसी लिमिटेड

44. नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड

45. नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड

46. तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड

47. ऑयल इंडिया लिमिटेड

48. ओएनजीसी विदेश लिमिटेड

49. पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

50. पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

51. पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड

52. राइट्स लिमिटेड

53. रेलटेल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

54. रेल विकास निगम लिमिटेड

55. राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड

56. राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड

57. रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड

58. सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड

59. सिक्युरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

60. शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

61. सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि0

62. स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

63. स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड

64. दूरसंचार कंसल्टेंट्स (इंडिया) लिमिटेड

65. टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड

अनसूची 'ख'

1. एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड

2. बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड

3. भारत कोकिंग कोल लिमिटेड

4. भारत डायनेमिक्स लिमिटेड
5. भारत पेट्रो रिसोर्सेज लिमिटेड
6. भारत पंप्स एंड कंप्रेशर्स लिमिटेड
7. ब्रह्मपुत्र क्रेकर्स और पॉलिमर्स लिमिटेड
8. ब्रह्मपुत्र वेली फर्टिलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड
9. जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहयोग परिषद
10. ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड
11. ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लि.
12. ब्रिटिश इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड
13. बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड
14. सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
15. सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड
16. सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
17. सेंट्रल माइन प्लान्निंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड
18. चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
19. कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड
20. कॉटन कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
21. ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
22. ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
23. इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लि.
24. कामराजार पोर्ट लिमिटेड
25. फर्टिलाइजर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
26. गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड
27. गोवा शिपयार्ड लिमिटेड
28. हस्तशिल्प एवं हथकरघा निर्यात निगम लिमिटेड

29. हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड

30. हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लिमिटेड

31. एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड

32. हिंदुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड

33. हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड

34. हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड

35. हिंदुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

36. एचएमटी (इंटरनेशनल) लि.

37. एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड

38. एचएमटी वाचेज लिमिटेड

39. भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड

40. भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन

41. इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड

42. इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन लिमिटेड

43. भारतीय रेअर अर्थ्स लिमिटेड

44. भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड

45. इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड

46. एमएसटीसी लिमिटेड

47. मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड

48. महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड

49. मिनरल एक्स्प्लोरेशन कारपोरेशन लिमिटेड

50. मिश्र धातु निगम लिमिटेड

51. राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड

52. नेशनल जूट मैन्युफैक्चर्स कारपोरेशन लिमिटेड

53. नेशनल प्रोजेक्ट्स कन्स्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड

54. राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

55. नेशनल स्माल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड

56. नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

57. नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड

58. उड़ीसा मिनरल डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड

59. पीईसी लिमिटेड

60. पवन हंस हेलीकाप्टर लिमिटेड

61. प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड

62. स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड

63. साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

64. यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

65. वापकोस लिमिटेड

66. वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

अनुसूची 'ग'

1. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह वन एवं वृक्षारोपण विकास निगम लिमिटेड

2. आर्टिफिशियल लिम्ब्स मैन्युफैक्चरिंग कारपोरेशन ऑफ लिमिटेड

3. बीबीजे कंस्ट्रक्शन लिमिटेड

4. बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड

5. बीएचईएल इलैक्ट्रिक मशीन्स लिमिटेड

6. भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड

7. बिसरा स्टोन लाइम कंपनी लिमिटेड

8. ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड

9. सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

10. केन्द्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम लिमिटेड

11. केन्द्रीय रेलसाइड वेयरहाउस कंपनी लिमिटेड

12 . प्रमाणन इंजीनियर्स इंटरनेशनल लिमिटेड

13 . दिल्ली पुलिस आवास निगम

14 . शैक्षिक कंसल्टेंट्स (इंडिया) लि.

15 . एफसीआई अरावली जिप्सम एंड मिनरल्स (इंडिया) लि.

16 . फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड

17 . हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड

18 . हिन्दुस्तान इन्सेक्टीसाइड्स लिमिटेड

19 . हिंदुस्तान फोटो फिल्म्स विनिर्माण कंपनी लिमिटेड

20 . हिन्दुस्तान प्रीफेब लिमिटेड

21 . हिन्दुस्तान साल्ट लिमिटेड

22 . एचएमटी बियरिंग्स लिमिटेड

23 . एचएमटी चिनार वाचेज लिमिटेड

24 . हुगली डॉक और पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड

25 . एच एस सी सी (इंडिया) लि.

26 . होटल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

27 . जूट कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड

28 . कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड

29 . नगालैंड पल्प और पेपर कंपनी लिमिटेड

30 . राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम

31 . राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड

32 . राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम

33 . राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम

34 . भारतीय राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम

35 . राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम

36 . राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम

37 . राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम

38 . नेपा लिमिटेड

39 . पूर्वोत्तर हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम लिमिटेड

40 . पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड

41 . राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड

42 . रिचर्डसन और क्रूडास (1972) लिमिटेड

43 . एसटीसीएल लिमिटेड

44. तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड

अनुसूची 'घ'

1. बड्र्स जूट एंड एक्सपोर्टस् लिमिटेड

2. हिंदुस्तान फ़्लोरोकार्बन लिमिटेड

3. इंडियन मेडिसिन्स फार्मास्युटिकल्स कारपोरेशन लि.

4. उड़ीसा ड्रग्स एंड केमिकल्स लिमिटेड

5. राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड

अनुबंध–10

(पैरा 7.3.3)

"रूग्ण/ शुरूआती तौर पर रूग्ण एवं कमजोर केंद्रीय सरकारी उद्यमों के पुनरूद्धार और पुनर्संरचना हेतु तंत्र को युक्तिसंगत बनानाः पुनर्संरचना हेतु सामान्य सिद्धांत एवं तंत्र" के लिए दिशानिर्देश

1. ये दिशानिर्देश रूग्ण अथवा शुरूआती तौर पर रूग्ण केंद्रीय सरकारी उद्यमों के पुनर्संरचना/ पुनरूद्धार या उन्हें बंद करने के लिए तंत्र को युक्तिसंगत बनाने तथा इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध बहु प्रक्रियाओं के विकल्पों को प्रतिस्थापित करने के लिए हैं।

2. रूग्ण और शुरूआती तौर पर रूग्ण केंद्रीय सरकारी उद्यमों के पुनर्संरचना/पुनरूद्धार के लिए कई तंत्र मौजूद हैं। रूग्ण औद्योगिक कंपनी अधिनियम 1985 में यथा परिभाषित रूग्ण औद्योगिक कंपनियों को औद्योगिक वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बीआईएफआर) के पास भेजा जाता है जो पुनर्संरचना योजना का सुझाव देता है और संवर्धनकर्ताओं एवं हितबद्ध पक्षकारों से त्याग एवं वचनबद्धताओं की मांग करता है। केंद्रीय सरकारी उद्यमों द्वारा अपने प्रशासनिक मंत्रालय के मार्गदर्शन के अंतर्गत स्वयं तैयार की गई उद्यम की पुनर्संरचना या पुनरूद्धार योजना पर विचार करने के लिए दिनांक 6 दिसम्बर 2004 के संकल्प सं. 16(25)/2004–वित्त के जरिए सरकार को सलाह देने हेतु लोक उद्यम पुनर्गठन बोर्ड (बीआरपीएसई) का गठन किया गया है। प्रशासनिक मंत्रालयभी लोक हित में किसी ऐसे केंद्रीय सरकारी उद्यम के लिए पुनरूद्धार अथवा पुनर्संरचना योजना तैयार कर सकता है जिसमें रूग्ण या प्रारंभिक रूप से रूग्ण केंद्रीय सरकारी उद्यमों का व्यापक पुनर्संरचना,विनिवेश, बंद करना आदि शामिल हो और उसे उपयुक्त निर्णय के लिए सीधे सक्षम प्राधिकरण को भेज सकताहै।

3. सक्षम कार्यचालन हेतु किसी केंद्रीय सरकारी उद्यम के पर्यवेक्षण का प्राथमिक दायित्व उसके प्रशासनिक मंत्रालय का होता है और रूग्ण एवं प्रारंभिक रूप से रूग्ण केंद्रीय सरकारी उद्यमों के पुनर्संरचना और पुनरूद्धार के लिए अंतिम निर्णय लेने या कमजोरी के प्रारंभिक चिह्न दर्शाने वाले केंद्रीय सरकारी उद्यमों के लिए उचित उपाय करने हेतु अंतर–मंत्रालयी परामर्श के बाद और आवश्यकतानुसार पीआईबी/ईएफसी तंत्र के जरिए वित्त मंत्रालय की सहमति से, जैसा भी आवश्यक हो, के बाद सक्षम प्राधिकरण अंतिम राय कायम करेगा। इस प्रक्रिया को समयबद्ध, व्यापक, निष्पादन आधारित और कुशल बनाना लोक हित में होगा ताकि आगे और घाटे को कम करने के लिए ऐसे निर्णय समयबद्ध रूप से लिए और कार्यान्वित किए जाएं। अतः ऐसे मामलों में अनुपालन किए जाने वाले व्यापक सिद्धांत और निर्देशों का निर्धारण किए जाने की जरूरत है।

4. दिशानिर्देशः

4.1. कंपनी अधिनियम 2013 के अध्याय XIX में रूग्ण कंपनियों के पुनर्संरचना और पुनर्स्थापन तथा अध्याय XX में कंपनियों का प्रचालन समाप्त करने का उल्लेख किया गया है। यह निर्णय कि क्या कोई कंपनी रूग्ण हो गई है, न्यायधिकरण (राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण) द्वारा लिया जाएगा। प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग को केंद्रीय सरकारी उद्यमों के ऋणों की जानकारी रखनी होती है और केंद्रीय सरकारी उद्यम को कंपनी अधिनयम 2013 के उपबंधों के अंतर्गत रूग्ण निकाय घोषित किए जाने हेतु उपयुक्त माने जाने की स्थिति आने से बचने के लिए अग्रिम कार्रवाई करनी होती है।

4.2. प्रशासनिक मंत्रालय अपने केंद्रीय सरकारी उद्यमों को निम्नलिखित श्रेणियों में विशिष्ट क्रम में वर्गीकृत करने के लिए वित्त वर्ष की समाप्ति के छह माह के भीतर अथवा वार्षिक खातों को अंतिम रूप दिए जाने के एक माह के भीतर, जो भी पहले हो, प्रत्येक वित्त वर्ष के अंत में उनके निष्पादन का विश्लेषण करेगा।

4.2.1 **रूग्ण केंद्रीय सरकारी उद्यमः** किसी केंद्रीय सरकारी उद्यम को रूग्ण माना जाएगा यदि वह निम्नलिखित में से किसी मानदंड को पूरा करता होः

क. यदि उसे कंपनी अधिनियम 2013 के उपबंधों के अनुसार रूग्ण घोषित किया गया हो।

ख. यदि उसका निवल मूल्य ऋणात्मक हो।

4.2.2 **प्रारंभिक रूप से रूग्ण केंद्रीय सरकारी उद्यमः** किसी केंद्रीय सरकारी उद्यम को प्रारंभिक रूप से रूग्ण तब माना जाएगा जब वह निम्नलिखित मानदण्ड में से किसी एक को पूरा करता होः

क. यदि उसका निवल मूल्य किसी वित्त वर्ष में प्रदत्त पूंजी के 50% से कम हो।

ख यदि उसने निरंतर तीन या इससे अधिक वर्षों में हानि उठाई हो।

4.2.3 **कमजोर केंद्रीय सरकारी उद्यमः** किसी केंद्रीय सरकारी उद्यम को कमजोर या इष्टतम से कम स्तर पर निष्पादन करने वाला माना जाएगा यदि वह इनमें से किसी एक मानदण्ड को पूरा करता होः

क यदि पिछले तीन वर्षों के दौरान उसके कारोबार या प्रचालनात्मक लाभों में औसतन 10% से अधिक की गिरावट आई हो।

ख यदि उसका कर पूर्व लाभ अन्य स्रोतों से आय से कम हो।

ग यदि उसकी व्यापार प्राप्तियां और वस्तु–सूची केंद्रीय सरकारी उद्यम के निवल मूल्य के 50% से अधिक हो।

घ यदि ऋण के रूप में अभिज्ञात न किए गए कंपनी के विरूद्ध दावे उसके निवल मूल्य से अधिक हों।

ड. सरकार द्वारा केंद्रीय सरकारी उद्यमों के निष्पादन में कमजोरी के प्रारंभिक चिह्नों को ज्ञात करने के लिए निर्धारित कोई अन्य मानदण्ड।

4.3. निवल मूल्य के सभी संदर्भों में उसका तात्पर्य वही होगा जो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2(57) के अंतर्गत परिभाषित है।

4.4 प्रशासनिक मंत्रालय निम्नलिखित कार्रवाई करेगाः

(क) प्रशासनिक मंत्रालय ऐसे कमजोर केंद्रीय सरकारी उद्यमों में कमजोरी के प्रारंभिक चिह्नों को रोकने के लिए उन्हें "पर्यवेक्षण एवं गहन समीक्षा" के अधीन रखेगा। इसमें बोर्ड में स्वतंत्र विशेषज्ञ सदस्यों का नामांकन, बोर्ड स्तर पर व्यावसायिक, प्रचालनात्मक एवं वित्तीय संबंधी सुधारात्मक उपायों के लिए तिमाही गहन समीक्षा या विशेष समीक्षा, गिरते हुए निष्पादन या गैर–निष्पादन के लिए जवाबदेही तय करना या प्रशासनिक मंत्रालय अथवा विभाग द्वारा उपयुक्त समझे गए या जरूरी कोई अन्य सुधारात्मक उपाए शामिल हो सकता है।

(ख) प्रशासनिक मंत्रालय पुनर्संरचना/पुनरूद्धार योजना तैयार करने की प्रक्रिया शुरू करेगा जिसमें वित्त वर्ष की समाप्ति के छह माह अथवा वार्षिक खातों को अंतिम रूप दिए जाने के एक माह, जो भी पहले हो, के भीतर ऊपर दिए गए वर्गीकरण के अनुसार रूग्ण एवं प्रारंभिक रूप से रूग्ण केंद्रीय सरकारी उद्यमों के लिए विनिवेश अथवा निजीकरण या बंद करने के विकल्प शामिल होंगे।

(ग) रूग्ण एवं प्रारंभिक रूप से रूग्ण केंद्रीय सरकारी उद्यमों के लिए पुनर्संरचना और पुनरूद्धार योजना वित्तीय वर्ष की समाप्ति के नौ माह के भीतर तैयार की जाएगी।

(घ) व्यावसायिक माहौल, प्रचालनात्मक मुद्दों, प्रौद्योगिकी विकल्पों और ऐसे केंद्रीय सरकारी उद्यम के प्रचालन के क्षेत्र में वित्तीय व्यवहार्यता का अनुभव एवं विशेषज्ञता रखने वाले किसी बाह्य विशेषज्ञ एजेंसी को सरकार द्वारा नियोजित किया जाएगा तथा वह भावी कार्ययोजना तैयार करने के लिए प्रशासनिक मंत्रालय के पर्यवेक्षण में कार्य करेगी।

4.5 प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग एजेंसी और अन्य विशेषज्ञों की सहायता से आवश्यकतानुसार पुनर्संरचना एवं पुनरूद्धार योजना तैयार करेगा और उसमें विशिष्ट रूप से निम्नलिखित शामिल होंगे:

4.5.1 प्रासंगिकता और कार्यचालन का परिप्रेक्ष्य:

क) केंद्रीय सरकारी उद्यम के गठन की पृष्ठभूमि और प्रयोजन

ख) कंपनी के विकास पर उसके प्रभाव के साथ–साथ आर्थिक एवं विनियामक माहौल

ग) उदारीकरण और उसके व्यावसायिक प्रचालन पर उसका प्रभाव

घ) नए व्यवसाय अवसरों, अपनी आर्थिक व्यवहार्यता को पुनःप्राप्त करने एवं उसे बनाए रखने की प्रौद्योगिकी को अंगीकार करने की केंद्रीय सरकारी उद्यमों की क्षमता

ड) केंद्रीय सरकारी उद्यमों के पुनरूद्धार या उसकी रूग्णता की शुरूआत को रोकने के लिए किए गए प्रयास और विशेष हस्तक्षेप तथा केंद्रीय सरकारी उद्यम के स्वास्थ्य पर उसका प्रभाव।

4.5.2 पुनर्संरचना/पुनरूद्धार हेतु कार्यनीतिक योजना :

(क) प्रशासनिक मंत्रालय/ विभाग को घरेलू एवं वैश्विक क्षेत्रगत व्यावसायिक माहौल के आलोक में केंद्रीय सरकारी उद्यमों द्वारा पूरा किए गए राष्ट्रीय और कार्यनीतिक हितों को स्पष्ट रूप से सामने लाना चाहिए।

(ख) राष्ट्रीय कार्यनीतिक या रक्षा हितों को पूरा करने के लिए इस क्षेत्र में केंद्रीय सरकारी उद्यमों की विशिष्ट भूमिका को दर्शाने के लिए घरेलू अथवा अन्य देशों के निजी क्षेत्र में अन्य प्रदाताओं के जरिए वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति हेतु मौजूदा बाजारों का विश्लेषण किए जाने की जरूरत है।

(ग) व्यावसायिक माहौल और अन्य संगत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए किसी केंद्रीय सरकारी उद्यम को देश के कार्यनीतिक हितों की पूर्ति हेतु उच्च वरीयता या वरीयता वाले केंद्रीय सरकारी उद्यम के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। इस प्रयोजनार्थ, 14वें वित्त आयोग की रिपोर्ट का संदर्भ लिया जाएगा।

(घ) सभी अन्य रूग्ण केंद्रीय सरकारी उद्यम जिनसे किसी कार्यनीतिक राष्ट्रीय/रक्षा हितों की पूर्ति अपेक्षित नहीं है, उन्हें गैर वरीयता वाले केंद्रीय सरकारी उद्यम के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए।

4.5.3 पुनर्संरचना/पुनरूद्धार हेतु व्यावसायिक योजना :

क. उच्च वरीयता या वरीयता वाले केंद्रीय सरकारी उद्यम

क) उच्च वरीयता वाले सभी केंद्रीय सरकारी उद्यमों के लिए कार्यनीतिक राष्ट्रीय हित और आर्थिक रूप से व्यवहार्य व्यावसायिक अवसरों को ध्यान में रखते हुए व्यवसाय योजना तैयार की जाएगी।

ख) कार्यनीतिक व्यवसाय मॉडल के लिए सरकारी नीति समाभिरूपता हेतु अपेक्षा को स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए ताकि ऐसे उद्यमों की आर्थिक व्यवहार्यता को पूरा किया जा सके। इसके अतिरिक्त, यदि आवश्यक हो तो, ऐसे कार्यनीतिक प्रचालनों के लिए व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण किया जाना होगा।

ग) उच्च वरीयता वाले क्षेत्र के लिए सरकार से विशिष्ट वित्तीय एवं गैर–वित्तीय सहायता की मांग करते हुए व्यावसायिक योजना तैयार की जाएगी। इसमें कार्यनीतिक विनिवेश या संयुक्त उद्यम आदि शामिल होंगे।

ख. गैर–वरीयता वाले केंद्रीय सरकारी उद्यम

क) गैर वरीयता वाली श्रेणी के केंद्रीय सरकारी उद्यमों के लिए लघु या मध्यम अवधि में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए व्यावसायिक और आर्थिक व्यवहार्यता मॉडल पर व्यवसाय योजना तैयार की जाएगी।

ख) व्यवसाय मॉडल को निष्पादन दक्षता बेंचमार्कों, आर्थिक प्रचालन के व्यवहार्य स्तर और समय के साथ व्यवहार्यता एवं सततधारणीयता हेतु व्यवसाय कार्यनीति को सहायता प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी अंगीकरण/उन्नयन हेतु निर्देश पर आधारित होना चाहिए।

ग) विलय, पृथक्करण या विभिन्न व्यावसायिक कार्यकलापों के जरिए व्यवसाय का पुनर्संरचना ।

घ) मध्यावधि एवं दीर्घावधि में सततधारणीय होने के लिए उसे वांछनीय बाजार हिस्से का समर्थन करना चाहिए।

ड.) व्यावसायिक माहौल, आर्थिक व्यवहार्यता और वित्तपोषण के पैटर्न के संबंध में व्यवसाय योजना से जुड़े पूर्वानुमानों को बाजार में वैधता प्राप्त होनी चाहिए और उनकी विश्वसनीयता स्थापित होनी चाहिए।

4.5.4 प्रचालनात्मक पुनर्संरचना:

क) व्यवसाय योजना को ध्यान में रखते हुए, अपेक्षित मानव संसाधन का आकलन करने और उसे युक्तिसंगत बनाने की जरूरत है।

ख) यह देखा जाए कि केंद्रीय सरकारी उद्यम द्वारा न्यूनतम अवधि में इस योजना के कार्यान्वयन के जरिए मौजूदा वैश्विक/घरेलू बेंचमार्कों के अनुसार क्षेत्रगत कुशलता बेंचमार्कों को मध्यावधि में प्राप्त किया जा सके।

ग) अपेक्षित प्रौद्योगिकी को अंगीकार करने हेतु विकल्प और संयुक्त उद्यम, विनिवेश या निजीकरण सहित विभिन्न प्रबंधन विकल्पों के जरिए आवश्यकतानुसार उनके उन्नयन को प्रचालनात्मक पुनर्संरचना योजना में शामिल किया जाएगा।

घ) नई प्रौद्योगिकी के सतत प्रापण और उसका उन्नयन सुनिश्चित करने के लिए प्रस्तावित व्यवसाय योजना के अनुसार विभिन्न प्रचालनों के विलय या पृथक्करण के विकल्प।

4.5.5 वित्तीय पुनर्संरचना योजनाः

क) उच्च वरीयता वाले और वरीयता वाले केंद्रीय सरकारी उद्यमों के लिए कार्यनीतिक राष्ट्रीय/रक्षा हित में न्यूनतम और अपरिहार्य व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण के साथ वित्तपोषण के विभिन्न तरीकों को शामिल करते हुए व्यापक वित्तीय पुनर्संरचना योजना तैयार की जानी चाहिए। वित्तीय योजना के अंतर्गत अनुमत्य सीमाओं के भीतर विनिवेश के जरिए सीमित निजी निवेश पर भी विचार किया जाएगा।

ख) अन्य (गैर–वरीयता प्राप्त) केंद्रीय सरकारी उद्यमों के मामले में वित्तीय योजना प्रचालनों की आर्थिक व्यवहार्यता पर आधारित होनी चाहिए। निजी और/या संस्थागत वित्तपोषण प्राप्त करने के विभिन्न विकल्पों का पता लगाया जाएगा।

ग) अगले पांच वर्षों के लिए अनुमानित लाभप्रदता/नकद प्रवाह के विवरण। ये पूर्वानुमान व्यावहारिक और बाजार वैध होंगे।

4.6 रूग्ण केंद्रीय सरकारी उद्यमों के पुनर्संरचना/पुनरूद्धार/बंद करने के लिए पालन किया जाने वाला तंत्र और पद्धति

क) संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग उपर्युक्त पैरा 4.2 के अनुसार केंद्रीय सरकारी उद्यम को रूग्ण सीपीएसई, प्रारंभिक रूप से रूग्ण सीपीएसई या कमजोरी के प्रारंभिक चिह्नों वाले सीपीएसई के रूप में वर्गीकृत करेगा। ऐसा वित्त वर्ष की समाप्ति के छह माह अथवा वार्षिक खातों को अंतिम रूप दिए जाने के एक माह, जो भी पहले हो, के भीतर किया जाएगा। संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग तदनुसार लोक उद्यम विभाग को भी सीपीएसई के दर्जे की सूचना देगा।

ख) संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग उपर्युक्त सिद्धांतों के अनुसार रूग्ण केंद्रीय सरकारी उद्यमों के लिए पुनर्संरचना/पुनरूद्धार/बंद करने हेतु भावी योजना तैयार करने के लिए उत्तरदायी होगा। ऐसा मौजूदा रूग्ण सीपीएसई के मामले में इन दिशानिर्देशों को जारी किए जाने के तीन माह के भीतर और धीरे–धीरे रूग्ण हो रहे किसी सीपीएसई के मामले में वित्त वर्ष की समाप्ति के नौ माह के भीतर किया जाएगा।

ग) प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग व्यवसाय, प्रचालनात्मक और वित्तीय पुनर्संरचना योजनाएं तैयार करने के लिए विश्वसनीय विशेषज्ञ संगठन की सेवाएं लेगा। नियोजित किए जाने पर ऐसी विशेषज्ञ संस्था को व्यावसायिक रूप से विश्वसनीय, कार्यान्वयन योग्य और वास्तविकता पर आधारित पुनर्संरचना योजना तैयार करने के लिए प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के सीधे नियंत्रण में कार्य करना चाहिए। विशेषज्ञ (विशेषज्ञों)/विशेषज्ञ संगठन (संगठनों) को नियोजित करने के आरएफपी चरण के दौरान बाजार वैधीकरण के लिए उपयुक्त तंत्र अपनाया जाना चाहिए और बाजार वैधीकरण की जांच की जानी चाहिए तथा प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग द्वारा भी उसकी पुष्टि की जानी चाहिए।

घ) विभिन्न चरणों के लिए विनिर्दिष्ट समय–सीमा के साथ कार्यान्वयन योजना को वस्तुपरक, परिमाणनीय और निगरानी तंत्र द्वारा समर्थित होना चाहिए।

अनुबंध – 11

(पैरा 7.5.1)

रूग्ण/घाटे में चल रहे केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों (सीपीएसईज़) को समयबद्ध तरीके से बंद करने और उनकी चल एवं अचल परिसम्पत्तियों के निपटान हेतु दिशानिर्देश।

सीपीएसईज़ को बंद करने की प्रक्रियाओं को शीघ्र पूरा करने और संबंधित मंत्रालयों/विभागों/सीपीएसईज़ आदि के दायित्व के निर्धारण के लिए, रूग्ण/घाटे में चल रहे केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों (सीपीएसईज़) को समयबद्ध तरीके से बंद करने तथा उनकी चल एवं अचल परिसम्पत्तियों के निपटान हेतु निर्धारित दिशानिर्देश निम्नानुसार हैं :

1 **अनुप्रयोज्यता:**

ये दिशानिर्देश सभी रूग्ण/घाटे में चल रहे सीपीएसईज़ पर लागू होंगे, जहां–

(i) प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग द्वारा बंद किए जाने के लिए सीसीईए/मंत्रिमंडल का अनुमोदन/ सैद्धांतिक रूप से अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया हो; या

(ii) प्रशासनिक मंत्रालय/ विभाग द्वारा सीपीएसई को बंद करने का निर्णय लेने के बाद सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया चल रही हो।

नोट: ये दिशानिर्देश परिसमापन (लिक्विडेशन) की प्रक्रियाधीन उन सीपीएसईज़ पर लागू नहीं होंगे जहां परिसमापक की नियुक्ति की जा चुकी है। तथापि, ऐसे सीपीएसईज़ के प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग नीति आयोग के परामर्श से और परिसमापन प्रक्रिया की विधिक अपेक्षाओं के अनुसार सीपीएसई को बंद किए जाने एवं उसकी चल/अचल परिसम्पत्तियों के निपटान से संबंधित विभिन्न कार्यकलापों के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करेंगे।

2 **परिभाषाएं:**

(i) **तैयारी की तारीख ($पी_0$)** वह तारीख होगी जिस पर सीपीएसईज़ को बंद करने के लिए प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा निर्णय लिया जाता है।

(ii) **आरंभ की तारीख($टी_0$)** बंद किए जाने हेतु मंत्रिमंडल/सीसीईए के निर्णय की सूचना देते हुए कार्यवृत्त जारी किए जाने की तारीख आरंभ की तारीख होगी। वे सीपीएसई जिनको बंद किए जाने के लिए अनुमोदन पहले ही प्राप्त किया जा चुका है, वहां बंद करने की प्रक्रिया को इन दिशानिर्देशों के अनुसार तेज गति (फास्ट ट्रैक) से किया जाए।

(iii) **सीपीएसई** : सभी सरकारी कंपनियां और कुछ वैधानिक निगमों जिसमें केंद्रीय सरकार की इक्विटी 50% से अधिक है उन्हें सीपीएसई के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इन कंपनियों की सहायक कंपनियों में जिसमें किसी सीपीएसई की इक्विटी 50% से अधिक है उन्हें भी सीपीएसई के रूप में वर्गीकृत किया गया है यदि वह भारत में पंजीकृत है।

(iv) **भूमि प्रबंधन एजेंसी (एलएमए)** एक ऐसा सीपीएसई है, जैसे की एनबीसीसी/ईपीआईएल और जिसे दिशानिर्देशों के पैरा 5 में यथा उल्लिखित कार्य करने का अनुभव है। इसे बंद किए जाने वाले सीपीएसई के प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग/निदेशक मंडल द्वारा नामित किया जाएगा, जो भूमि के निपटान में इसका प्रबंधन, रख–रखाव और सहायता करेगा। यदि सीपीएसई के स्थान पर किसी सरकारी निकाय को एलएमए के रूप में नामित किया जाता है, तो इसे आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा किया जाएगा।

(v) **नीलामी एजेंसी (एए)** एक सीपीएसई है जैसे एमएसटीसी, जिसे पारदर्शी तरीके से ई–नीलामी के जरिए चल एवं अचल परिसम्पत्तियों के निपटान हेतु बंद किए जा रहे सीपीएसई के प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग/बोर्ड द्वारा नामित किया गया हो।

(vi) **आरक्षित मूल्यः** भूमि के निपटान के लिए आरक्षित मूल्य, समान उपयोग के लिए उक्त स्थान में प्रचलित सर्किल रेट और गत 3 वर्षों में आस पास के क्षेत्रों में समान आकार की बेची गई भूमि परिसंपत्तियों का औसत मूल्य, जो भी उच्चतम हो, के आधार पर निर्धारित किया जाए।

(vii) **एकल बोलीः** नीलामी द्वारा भूमि के विक्रय के मामले में, एकल बोली की स्थिति में वित्त मंत्रालय के दिशानिर्देश/ उपबंध तथा सीवीसी के दिशानिर्देश लागू होंगे।

3. संबंधित संगठनों/ निकायों की भूमिका

3.1 बंद करने के लिए केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों के निदेशक मण्डलों की भूमिका

जहां मंत्रिमण्डल/सीसीईए द्वारा सीपीएसईज़ को बन्द करने का निर्णय अथवा बन्द करने हेतु सिद्धान्त रूप में अनुमोदन दिया गया है, उन मामलों में केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों के निदेशकों द्वारा बंद करने के प्रस्ताव को तैयार करने और उसके कार्यान्वयन में अपेक्षित सभी प्रकार की सहायता और सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। ऐसा न करने पर प्रशासनिक मंत्रालय/ विभाग, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित कार्यात्मक निदेशकों को हटाने पर विचार करेगा और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त भार संबंधित संयुक्त सचिव को और अन्य कार्यात्मक निदेशकों का कार्यभार प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी को दे दिया जाएगा। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशकों सहित कार्यात्मक निदेशकों को हटाने संबंधी सूचना पीईएसबी को दे दी जाएगी।

3.2 प्रशासनिक मंत्रालय/ विभाग की भूमिका

3.2.1 **तैयारी संबंधी कार्यकलापः** प्रशासनिक मंत्रालय/ विभाग ऐसे सीपीएसईज़ के लिए अग्रिम तैयारी संबंधी कार्यकलाप करेंगे जिनके संबंध में बंद करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन दिया गया है और जिनका उल्लेख दिशानिर्देशों के पैरा (1) (ii) में दिया गया है, और उसमें निम्नलिखित शामिल होगाः

(क) एकमुश्त अदायगी (ओटीएस) के रूप में न्यूनतम मूल्य पर सेक्योर्ड ऋणदाताओं के बकायों का निपटान करने के लिए उनके साथ बात–चीत करना। प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग सेक्योर्ड ऋणदाताओं के साथ भुगतान अनुसूची, ब्याज एवं अर्थदंड छूट सहित सर्वोत्तम अदायगी की समीक्षात्मक जांच करेगा ताकि उसके लिए न्यूनतम बजटीय सहायता अपेक्षित हो।

(ख) वित्त मंत्रालय के परामर्श से सरकारी गारंटियों द्वारा कवर किए गए देयताओं के निपटान हेतु रूपरेखाओं का निर्धारण किया जाएगा।

(ग) **अन्य देयताओं का आकलनः** प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग सेक्योर न किए गए ऋणदाताओं सहित उन सभी अन्य देयताओं का आकलन करेगा जिनका भुगतान किया जाना है।

3.2.2 उन सीपीएसईज़ के संबंध में जिनका बंद करने का सैद्धांतिक रूप से अनुमोदन दे दिया गया है और जिनको प्रशासनिक मंत्रालय/ विभाग ने बंद करने का निर्णय लिया है जैसा कि दिशानिर्देशों के पैरा 1 (ii) में उल्लेख किया गया है उन से संबंधित

प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग उस केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यम को बन्द करने हेतु विस्तृत प्रस्ताव तैयार करने और उसे प्रारंभिक तारीख से 03 माह के भीतर मंत्रिमण्डल/सीसीईए के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु उत्तरदायी होगा। प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी महत्वपूर्ण ब्यौरो, देयताओं के ब्यौरे, विक्रय हेतु पेश, चल और अचल परिसम्पत्तियों सहित वित्तीय लेन–देन के साथ, को केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यम के बन्द करने के प्रस्ताव के अनुमोदन पैरा में शामिल किया गया है। सीपीएई को बंद करने के संबंध में प्राधिकारी के निर्णय प्राप्त करने के उपरांत प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग बजटीय सहायता के लिए अनुरोध करेगा और भूमि से संबंधित मामलों पर राज्य सरकारों के साथ बातचीत करने सहित दायित्वों के निपटान और परिसंपत्तियों का निपटान निम्नानुसार करेगाः

(क) बजटीय सहायता के लिए अनुरोधः व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय से आरंभ की तारीख से 15 दिनों के भीतर बजटीय सहायता के लिए अनुरोध करेगा।

(ख) देयताओं का निपटान :

(i) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरणों को आरंभ की तारीख से दो माह के भीतर देय राजस्व, करों, उपकरों और दरों संबंधी वैधानिक बकायों/देयताओं, के भुगतान के लिए केन्द्रीय सरकारी उद्यम को अनुदेश देना।

(ii) आरंभ की तारीख से 5 दिनों के भीतर कर्मचारियों और अन्य स्टेक होल्डर्स को बन्द करने संबंधी सूचना देने हेतु एक सामान्य नोटिस जारी करने के लिए केन्द्रीय सरकारी उद्यम को अनुदेश देना और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत यथा लागू ढंग से बन्द करने के संबंध में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय को सूचना/आवेदन करना। समयबद्ध सीमा/अन्तिम कट–ऑफ तिथि में वीआरएस पैकेज़ को कार्यान्वित करना और आरंभ की तारीख से तीन माह के भीतर अथवा अतिरिक्त राशि के लिए संसदीय अनुमोदन मांगने की आवश्यकता के कारण अपेक्षित अतिरिक्त समय के भीतर कर्मचारियों की मजूरी/वेतन और वैधानिक बकायों का निपटान करना।

(iii) वीआरएस का विकल्प न लेने वाले कर्मचारियों के पृथक्कीकरण के लिए कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करने हेतु आरंभ की तारीख से चार माह के भीतर कानून के अनुसार प्रतिपूर्ति के भुगतान के द्वारा कार्यवाई करना।

(iv) (सेक्योर्ड) सुरक्षित ऋणदाताओं का निपटान करना। आरम्भ की तारीख से तीन माह के भीतर निपटान पूरा किया जाना चाहिए जब तक कि प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के नियंत्रण से परे कोई वित्तीय बाधा न हो।

(अ) अन्य देयताओं का निपटान अगली प्राथमिकता होनी चाहिए।

(ग) परिसंपत्तियों का निपटान

यदि कोई केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यम किसी अन्य केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यम की सहायक कम्पनी है और यदि ऐसी धारक कम्पनी को ऐसी परिसम्पत्तियों की आवश्यकता है तो जहां कहीं आवश्यक हो राज्य सरकार के परामर्श से आरम्भ की तारीख से 30 दिनों के भीतर उसे बुक मूल्य पर धारक कंपनी को हस्तांतरित किया जा सकता है। इसी प्रकार यदि प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग को अपने उपयोग के लिए परिसम्पत्तियों की आवश्यकता है तो उसे आरम्भ तिथि से 30 दिनों के भीतर बुक मुल्य पर उसे हस्तांतरित किया जा सकता है। शेष परिसम्पत्तियों के मामले में अगले पैरा 4.2 और 4.3 में उल्लिखित दिशा निर्देश लागू होंगे।

(घ) राज्य सरकार के साथ वार्तालाप

संबंधित मंत्रालय/विभाग के सचिव, भूमि के उपयोग/ किसी अन्य उपयोग और राज्य सरकार को भूमि वापस लौटाने के संबंध में राज्य सरकार से बातचीत आरंभ करेंगे और इस मंत्रणा को आरंभ की तारीख से दो माह के भीतर समाप्त करेंगे।

3.3 नीति आयोग की भूमिका

बंद करने के सभी मामलों में, दी गई समय सीमा के अनुसार नीति आयोग निर्णयों के कार्यान्वयन की निगरानी करेगा। नीति आयोग में एक ओवर साइट समिति होगी। जो इस संबंध में सरकार के निर्णय के कार्यान्वयन की निगरानी का कार्य करेगी। बंद करने हेतु अनुमोदित केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों की अचल परिसंपत्तियों के विक्रय से उत्पन्न किसी समस्या/विवाद के निपटान के लिए प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग नीति आयोग से संपर्क करेगा। नीति आयोग ऐसे मामलों का समाधान करने के लिए फ्रेमवर्क तैयार करेगा।

3.4 वित्त मंत्रालय की भूमिका

केंद्रीय सरकारी लोक उद्यम को बंद करने हेतु सक्षम प्राधिकारी का सैद्धांतिक अनुमोदन या अंतिम अनुमोदन लेते समय वित्त मंत्रालय विशेषज्ञ या किसी अन्य सहायता से बजटीय सहायता के आवेदन की जांच कर सकता है। एक बार बंद करने संबंधी प्रस्ताव के अनुमोदन के पश्चात वित्त मंत्रालय निधियों को निर्धारित समय सीमा में जारी करेगा। सीपीएसई को बंद करने के सभी पहलुओं को क्रियान्वित करने के उद्देश्य से इसके लिए समयबद्ध रूप से निधियों को जारी करने की एक प्रणाली व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार की जाएगी ताकि अनुरोध प्राप्त होने के एक माह के भीतर निधियों को जारी किया जा सके केवल उनको छोड़कर जहां पूरक अनुदान मांगों के लिए संसद का अनुमोदन अपेक्षित है।

3.5 आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की भूमिका (एमओएचएंडयूए)

आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय उन मामलों में एलएमए को नामित करेगा जहां अपेक्षित अनुभव और संसाधनों सहित पब्लिक एजेंसी को दिशानिर्देशों के पैरा 2 (iv) के अनुसार एलएमए के रूप में अभिनिर्धारित किया जाना अपेक्षित है। आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय किफायती आवास के लिए अपेक्षित भूमि खंडों के बारे में एलएमए को सूचित करेगा। ऐसी भूमि के निपटान की प्रक्रिया आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के इस संबंध में दिशानिर्देशों के अनुसार की जाएगी। किफायती आवास के लिए भूमि के निपटान की प्रक्रिया के संबंध में बंदी के तहत सीपीएसई/ संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/ एलएमए के साथ एक उचित समन्वय बनाने के लिए एक प्रणाली आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय में तैयार की जाएगी।

4. बंद होने वाले सीपीएसईज़ की भूमिका/ कार्यकलाप

4.1 तैयारी संबंधी कार्यकलाप: ऐसे सीपीएसईज़ जिनके संबंध में बंद करने के लिए सैद्धांतिक रूप से अनुमोदन प्रदान किया गया है और जिनके लिए प्रशासनिक मंत्रालय/ विभाग ने बंद करने का निर्णय लिया है जैसा कि दिशानिर्देशों के पैरा (1) (ii) में उल्लेख किया गया है ऐसे सीपीएसईज़ के लिए तैयारी की तारीख से तीन माह के भीतर अग्रिम तैयारी संबंधी कार्यकलाप करेंगे जिसमें निम्नलिखित शामिल होगा :

4.1.1 सांविधिक बकायों का अनुमान: सीपीएसईज़ अपने प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के पर्यवेक्षण में केंद्र सरकार या राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकरणों को देय राजस्वों, करों, उपकरों एवं दरों के लिए सांविधिक बकायों/देयताओं का अनुमान लगाएंगे।

4.1.2 कर्मचारियों के बकायों का आकलन:

(i) कर्मचारियों को कार्यमुक्त करने के लिए, वीआरएस/ वीएसएस पैकेज, वर्ष 2007 के नोशनल वेतनमान पर तैयार करना चाहे, सीपीएसई जिस भी वेतनमान में चल रहा हो। ऐसे पैकेज के लिए वित्तीय भार का अनुमान।

(ii) जब तक कि कर्मचारियों को वीआरएस/वीएसएस का विकल्प दे कर/पृथक कर के या उन्हें पुनर्स्थापित करके कार्यमुक्त नहीं कर दिया जाता, तब तक कर्मचारियों के संबंध में मजूरी/वेतन और सांविधिक बकायों के भुगतान हेतु अपेक्षित निधि का अनुमान।

(iii) निधि की आवश्यकता तथा समय–सीमा को चरणबद्ध करके उपर्युक्त (i) और (ii) के लिए कुल अनुमानित बजटीय सहायता।

4.1.3 सुरक्षित ऋणदाताओं आदि के लिए देयताओं का अनुमान

(i) सुरक्षित ऋणदाता वे हैं जिनके पक्ष में कंपनी की परिसम्पत्ति पर प्रभार का सृजन किया गया हो और कंपनी पंजीयक के पास उसे दर्ज/पंजीकृत किया गया हो।

(ii) न्यूनतम मूल्य पर निपटान हेतु सुरक्षित ऋणदाताओं से प्राप्त प्रस्तावों तथा सांविधिक बकायों को तैयार करने और इस प्रकार निर्धारित कुल राशि का अनुमान जिसे सुरक्षित ऋणदाताओं को भुगतान किया जाना है।

4.1.4 केंद्र सरकार को देय बकायों का अनुमानः समय–समय पर सहायता स्वरूप दिए गए ऋण के रूप में प्राप्त की गई राशि के लिए केंद्र सरकार को प्रदेय बकायों को, मूल बकाया राशि और उस पर ब्याज के रूप में अलग–अलग करके उनका आकलन किया जाएगा।

4.1.5 अन्य देयताओं का अनुमानः असुरक्षित ऋणदाताओं सहित उन सभी अन्य देयताओं का अनुमान लगाना जिनका भुगतान किया जाना है।

4.1.6 चल परिसम्पत्तियों का अनुमानः

(i) संयंत्रों एवं मशीनरियों सहित चल परिसम्पत्तियों के रिकॉर्ड को अद्यतन बनाना। सभी चल परिसम्पत्तियों की वस्तु–सूची को किसी स्वतंत्र तीसरे पक्ष अर्थात सनदी लेखाकारों (चार्टेड अकाउंट) की फर्म से सत्यापित/प्रमाणित करवाना।

(ii) चल परिसम्पत्तियों के बुक मूल्य के साथ–साथ अनुमानित मौजूदा बाजार मूल्य और सीपीएसई/प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग द्वारा उनकी बिक्री से प्राप्य मूल्य का अनुमान।

(iii) जहां चल परिसम्पत्तियां पट्टे पर हैं, पट्टादाता से इस संबंध में विचार– विमर्श कि वह उसे बाजार मूल्य पर वापस लेगा अथवा उसकी नीलामी कराना चाहेगा।

(iv) यह सुनिश्चित करना कि क्या चल परिसम्पत्तियों का उपयोग धारक सीपीएसई, यदि कोई हो, द्वारा अथवा प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग द्वारा किया जाएगा।

(v) यह सुनिश्चित करना कि फैक्टरी/कार्यालय भवन (सुपरस्ट्रक्चर) का निपटान चल परिसम्पत्तियों के साथ या भूमि के साथ किया जाना अपेक्षित है।

(vi) बंद की जा रही सीपीएसई के ब्रांड नाम, गुडविल, ट्रेडमार्क आदि का बाजार मूल्य सुनिश्चित करना।

4.1.7 व्यापार प्राप्तियों, प्रतिभूतियों, ऋणों एवं अग्रिमों आदि सहित प्राप्तियों का अनुमान

4.1.8 बंद किए जाने हेतु अपेक्षित बजटीय सहायता का अनुमान

(i) केंद्र सरकार द्वारा निधि जारी किए जाने की समय–सीमाओं/चरणों के साथ, कंपनी को बंद किए जाने के लिए वित्तपोषण हेतु अपेक्षित कुल अनुमानित निधि जिसमें उपर्युक्त पैरा 4.1.1 से 4.1.5 में उल्लिखित देयताएं शामिल होंगी।

(ii) सीपीएसई के अपने संसाधनों सहित परिसम्पत्तियों की बिक्री से प्राप्त होने वाली ऐसी राशि जो बंद किए जाने की प्रक्रिया के दौरान देयताओं के निपटान हेतु उपलब्ध हो सकती है, अपेक्षित बजटीय सहायता का परिकलन करते समय, निधियों को चरणबद्ध रूप से जारी करने एवं समय–सीमाओं के साथ ध्यान में रखी जाएगी।

4.1.9 भवनों सहित अचल परिसम्पत्तियां:

(I) शीर्ष–विलेख, पट्टे पर ली गई भूमि, फ्री–होल्ड भूमि, पट्टे की शर्तें, पट्टे की शेष अवधि, भूमि का मौजूदा उपयोग, भूमि के उपयोग से संबंधित एफएआर एवं अन्य अधिकार, क्या अधिप्रापण के समय सीपीएसईज़/केंद्र सरकार द्वारा भूमि क्षतिपूर्ति (आंशिक/पूर्ण) प्रदान की गई है, प्रदत्त क्षतिपूर्ति की राशि, भूमि के अधिग्रहण की स्थिति, अतिक्रमण यदि कोई हो, आदि जैसे विवरणों सहित भूमि रिकॉर्डों को जियो–मैपिंग के साथ अद्यतन बनाना।

(ii) यदि विकल्प उपलब्ध हो तो लोक प्रयोजन/आर्थिक कार्यकलापों के विस्तार आदि के लिए, केंद्र सरकार/ राज्य सरकार/विभागों के कार्यालयों या लोक उद्यमों/संगठनों द्वारा उपयोग किए जाने के लिए भूमि के उपयोग को प्रशासित करने वाले स्थानीय कानूनों के अनुसार, सदृश या समान कार्यकलापों हेतु आगे उपयोग किए जाने के प्रयोजनार्थ, बंद किए जाने के लिए अभिप्रेत सीपीएसई की पट्टे पर ली गई भूमि के उपयोग/निपटान के संबंध में राज्य सरकार की सहमति/ स्वीकृति प्राप्त करना।

(iii) यह सुनिश्चित करना कि क्या अचल परिसम्पत्तियों का उपयोग धारक सीपीएसई, यदि कोई हो, द्वारा या प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग द्वारा किया जाना है और ऐसा न होने पर भूमि प्रबंधन एजेंसी (एलएमए) की नियुक्ति करना और उसके साथ जानकारी साझा करना।

4.2 चल परिसंपत्तियों का निपटान

(i) केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यम द्वारा संयंत्र और मशीनरी सहित चल परिसंपत्तियों के निपटान की प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के पर्यवेक्षण के अंतर्गत "तैयारी की तिथि" के तुरन्त बाद आरम्भ किया जाएगा।

(ii) पट्टे की परिसंपत्तियों को पट्टा दाता को उसकी इच्छानुसार हस्तांतरित किया जाए।

(iii) आवश्यकतानुसार, सीपीएसई, प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के परामर्श से चल परिसंपत्तियों के निपटान के साथ फैक्टरी भवन का भी निपटान कर सकता है।

(iv) ब्राण्ड नाम, गुडविल, ट्रेडमार्क आदि सहित चल परिसंपत्तियों की नीलामी की आवश्यकता पड़ने पर, प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग/सीपीएसईज़ द्वारा इस काम को, आरम्भ तिथि से 03 माह के भीतर पूरा करने के लिए एक नीलामीकर्ता एजेंसी नामित की जाएगी।

(v) यदि सीपीएसई निर्धारित समय सीमा के भीतर संबंधित चल परिसंपत्तियों का निपटान नहीं कर पाता है तो सीपीएसई द्वारा इसके बारे में प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग और नीति आयोग को पांच दिनों के भीतर सूचित किया जाएगा। इसके बाद प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग 15 दिनों के भीतर इस मामले का निपटान करेगा और चल परिसंपत्तियों के निपटान पर निर्णय लेगा।

4.3 अचल परिसंपत्तियों का निपटानः भूमि और भवन

इस बात पर विचार करते हुए कि केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों की भूमि पट्टे पर या पट्टा मुक्त हो सकती है या कब्जे और उपयोग के प्रतिबंधित अधिकारों की शर्त के साथ भूमि अनुदान में मिली हो, सीपीएसई उक्त पैरा 4.1.9 में उल्लिखित मामलों की जांच के उपरांत प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के गहन पर्यवेक्षण और मार्गनिर्देशों के तहत और यथा आवश्यक राज्य सरकार (सरकारों)/पट्टाधारक के परामर्श से निम्नलिखित कार्य करेगा।

4.3.1 पट्टे वाली भूमि का निपटान

(i) **शर्तों के अंतर्गत पट्टा भूमि** :– पट्टा भूमि इस विशेष शर्त के साथ कि इसे राज्य को वापस लौटा दिया जाएगा यदि सीपीएसईज़ के बन्द किए जाने के मामले में या जिस प्रयोजनार्थ भूमि आवंटित की गई थी उसके लिए उपयोग न किए जाने पर या पट्टा समझौता में विक्रय का कोई प्रावधान न होने की स्थिति में, पट्टा या भूमि अनुदान समझौते की शर्तों के अनुसार वित्तीय प्रतिपूर्ति प्राप्त होने पर आरंभ की तारीख से तीन माह के भीतर इसे राज्य सरकार को वापस लौटा दिया जाएगा। ऐसे मामलों में यदि भूमि अधिग्रहण के समय सीपीएसई/केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई वित्तीय प्रतिपूर्ति राशि दी गई है तो भूमि वापस लेते समय राज्य सरकार द्वारा वह राशि या उससे अधिक राशि का पुनःभुगतान/भुगतान किया जाएगा।

(ii) **अन्य पट्टा भूमिः**– यदि पट्टे की नियम एवं शर्तों में ऐसी भूमि के उपयोग/निपटान के संबंध में कोई प्रतिबंधित शर्तें नहीं है, और/या सीपीएसई को बन्द करने की स्थिति में राज्य/पट्टाधारक के पक्ष में किसी प्रकार के पूर्वक्रय अधिकार नहीं दिए गए तो ऐसी भूमि को फ्री–होल्ड भूमि के रुप में समझा जाए और पट्टे की विनिर्दिष्ट नियम एवं शर्तों के अध्यधीन फ्री–होल्ड भूमि के लिए यथा निर्धारित ढंग से उस पर कार्रवाई की जाए।

4.3.2 फ्री– होल्ड भूमि का निपटानः फ्री–होल्ड भूमि के निपटान के लिए महत्वपूर्ण कदम :

क) राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहण के बाद सामान्यतया सीपीएसई को फ्री–होल्ड भूमि आवंटित की जाती है या सीपीएसई द्वारा प्रत्यक्ष रुप से खरीदी जाती है। ऐसी भूमि के साथ भूमि उपयोग संबंधी किसी प्रकार की शर्तें हो भी सकती है और नहीं भी हो सकतीं। भूमि उपयोग की शर्त के साथ वाली फ्री–होल्ड भूमि के मामले में ऐसी भूमि का सर्वोत्तम संभावित उपयोग, भूमि के मूल भूमि उपयोग या स्थानीय मास्टर प्लान के अनुसार क्षेत्र के वर्तमान भूमि उपयोग को ध्यान में रखते हुए जो भी बेहतर हो, किया जाना चाहिए।

ख) सीपीएसई की फ्री–होल्ड भूमि के निपटान के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए :

(i) एलएमए प्रथमतः आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय से किफायती आवास के लिए भूमि की आवश्यकता के संबंध में पता करेगा। ऐसी भूमि के निपटान की प्रक्रिया, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के इस संबंध में, दिशानिर्देशों के अनुसार कार्यान्वित की जाएगी। किफायती आवास के लिए भूमि को अभिज्ञात करने के बाद शेष भूमि का निपटान निम्न प्रकार से किया जाएगा।

(ii) सीपीएसई/ प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग, एलएमए के माध्यम से केन्द्र/राज्य सरकार के विभागों/ एजेंसियों से भूमि की खरीद के लिए प्रस्ताव आमंत्रित करेगें। मंत्रिमण्डल/सीसीईए के यथा अपेक्षित अनुमोदन के अध्यधीन सरकारी निकायों को भूमि का आवंटन किया जाएगा।

(iii) केन्द्र/राज्य सरकार के विभागों को आरक्षित मूल्य पर भूमि निम्न प्राथमिकता के क्रम में आवंटित की जाएगी:

(क) केंद्रीय सरकार के विभाग

(ख) राज्य सरकार के विभाग

(iv) इसके पश्चात केंद्रीय या राज्य लोक उद्यमों/ निकायों/ प्राधिकरणों को भूमि की बिक्री हेतु पेशकश की जाएगी। ऐसे निकायों द्वारा भूमि के विक्रय के मामले में वास्तविक फार्मेट या ई प्लेटफॉर्म पर एक सीमित बोली प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। इस प्रक्रिया को नीलामी एजेंसी के माध्यम से पूरा किया जा सकता है।

(v) यदि कोई सरकारी निकाय पूरी जमीन को (बिना इसके विभाजित किए) लेने का इच्छुक हो तो उसे प्राथमिकता दी जाएगी। ऐसे मामले में जब उपर्युक्त श्रेणी के संगठन, जमीन के खण्ड को लेने के इच्छुक हो तो इसके लिए, जमीन के क्षेत्र की विकास योजना को तैयार करने की आवश्यकता होगी। प्लाटिंग तथा आंतरिक अवसंरचना कार्य/सुविधाएं जरुरी होगी जो एलएमए द्वारा तैयार कीजाएंगी तथा सीपीएसई/प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग को प्रस्तुत की जाएंगी। प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग भूमि के विकास योजना पर विचार करेगा तथा इसका अनुमोदन करेगा जिसमें वित्तीय योजना शामिल होगी तथा यह कार्य किसी एलएमए या अन्य उपयुक्त एजेंसी को सौंपेगा ताकि दिशानिर्देश में दी गई प्राथमिकता के अनुसार ऐसे विभाजित जमीन खण्डों का आवटंन/अवस्थापन सुनिश्चत हो सके।

(vi) यदि उपर्युक्त (i) से (v) के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं होता है तो अचल परिसंपत्तियों का निपटान सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से नीलामी एजेंसी द्वारा पारदर्शी तरीके से किसी निकाय को किया जा सकता है। तथापि, बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख से पूर्व केन्द्रीय सरकार के विभागों से यदि कोई प्रस्ताव प्राप्त होता है जैसाकि उपर्युक्त पैरा 4.3.2 (ख) (iii) (क) में उल्लिखित है, तो उनको अधिभावी प्राथमिकता दी जाएगी। ऊपर (i) से (vi) में उल्लिखित प्रक्रिया को आरंभ की तारीख से 8 माह के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। यदि एलएमए अधिकतम मूल्य प्राप्त करने के लिए भूमि का निपटान एक से अधिक भागों में करने का निर्णय लेता है तो प्रत्येक भाग के लिए निर्धारित समय– सीमा पृथक रूप से लागू होगी।

(vii) भूमि की बिक्री, एफएआर और अन्य अनुप्रयोज्य शर्तों के अनुसार अनुमत भूमि उपयोग और प्रतिबन्ध, यदि कोई है, के अनुसार तथा मंत्रिमंडल / सीसीईएके यथा अपेक्षित अनुमोदन के बाद की जाएगी।

(viii) उपर्युक्त विकल्पों में भूमि परिसपंत्तियों के मुद्रीकरण के व्यवहारिक न होने की स्थिति में, भूमि/संपत्ति का उपयोग नीति आयोग के परामर्श और मंत्रिमण्डल/सीसीईए के यथा अपेक्षित अनुमोदन से आरंभ की तारीख से 11 माह के भीतर अनुमत सार्वजनिक उपयोगों जैसे, सार्वजनिक उद्यानों, सुविधाओं आदि के लिए किया जा सकता है।

(ix) जहां कहीं प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग को भूमि के निपटान में कोई कठिनाई आ रही हो तो वह नीति आयोग से परामर्श करेगा तथा इस संबंध में दी गई सलाह के अनुसार कार्रवाई करेगा।

5. भूमि प्रबंधन एजेंसी की भूमिका

प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग और बंद होने वाले केंद्रीय सरकारी लोक उद्यम का बोर्ड, पैरा 4.1.9 के अनुसार अचल परिसंपत्तियों को भूमि प्रबंधन एजेंसी (एलएमए) को सौंप सकता है, जो:

(i) अभिनिर्धारण, प्रबंध, रख–रखाव तथा यदि आवश्यक हो तो भुगतान आधार पर सीपीएसई के लिए अनुबंध पर सुरक्षा

एजेंसी रखेगा जो परिसम्पत्तियों की निगरानी एवं सुरक्षा करेगी। एलएमए यह सुनिश्चित करेगा कि भूमि पर अधिक्रमण न हो, चल परिसंपत्ति की चोरी न हो तथा परिसर सुरक्षित रहे। एलएमए अनुबंध आधार पर सीपीएसई की परिसंपत्तियों का काम–काज करने वाले कुछ प्रमुख कर्मचारियों को काम पर लेगा जो सीपीएसई की ओर से सीपीएसईज़ की भूमि तथा अन्य अचल परिसंपत्तियों की देखरेख, प्रबंधन, रख–रखाव तथा रिकार्डों को अद्यतन करेंगे।

(ii) भूमि के मालिकाना हक, लीज होल्ड या फ्रीहोल्ड, लीज की शर्तों, लीज की शेष अवधि, क्या अधिग्रहण के समय जमीन का मुआवजा सीपीएसई/केंद्र सरकार द्वारा अदा किया गया, भूमि के स्वामित्व की स्थिति, अधिक्रमण यदि कोई है तथा वास्तविक आधार पर इसकी जांच जैसे विषयों के बारे में सूचना एकत्र करेंगे तथा प्रमाणित करेगा।

(iii) लागू स्थानीय कानूनों के अनुसार वर्तमान भूमि के उपयोग, एफएआर और भूमि के प्रयोग की जांच करेगा ताकि औद्योगिक, विनिर्माण या किसी अन्य प्रयोजन हेतु इसकी उपयुक्तता का निर्धारण हो सके।

(iv) किफायती आवास के लिए भूमि की आवश्यकता के बारे में आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय से पता करेगा ताकि ऐसी भूमि को आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के इस संबंध में दिशानिर्देशों के अनुसार अंतरित किया जा सके।

(v) लागू सर्किल रेट के आधार पर भूमि का मूल्यांकन, अधिकार (टाइटल) की प्रकृति, मास्टर प्लान एवं राज्य सरकार के प्रतिबंध, यदि कोई हो, से उत्पन्न होने वाली बाधाओं सहित उपयोग/ भूमि का मूल्यांकन/भवन के लिए आवश्यक अन्य सूचना एकत्र करना। इसके अतिरिक्त एलएमए, भूमि को बाजार अनुकूल इकाईयों में बांटते हुए भूमि के मूल्य में वृद्धि करने का प्रयत्न करेगा।

(vi) पैरा 2 (vi) के अनुसार भूमि का आरक्षित मूल्य निर्धारित करना

(vii) भूमि प्रबंधन एजेंसी (एलएमए) ऐसी सभी सूचना को एकत्र करेगी तथा सार्वजनिक डोमेन में इसे यथा शीघ्र तथा तैयारी की तारीख से तीन माह के भीतर भूमि प्रबंधन पोर्टल वेबसाइट पर प्रकाशित करेगी ताकि सभी पक्षों को इसकी जानकारी हो जाए जो ऐसी भूमि लेने के लिए इच्छुक हों।

(viii) यदि प्राप्त अभिरुचि की अभिव्यक्तियों (ईओआईज) से एलएमए इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि दिशानिर्देशों में निर्धारित प्राथमिकताओं के अनुसार अचल परिसम्पत्तियों के निपटान के लिए भूमि का टुकड़ो में विभाजन और उसके मुद्रीकरण को सुगम बनाने हेतु ऐसे भूमि का बंटवारा अपेक्षित होगा, तो वह मामले को प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग की जानकारी में लाएगा। एलएमए इसकी वित्तीय योजना के साथ एक भूमि विकास योजना तैयार करेगा और प्रशासनिक मंत्रालय/ विभाग के विचारार्थ और आगे अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेगा।

(ix) एलएमए, प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों को उनके अनुमोदन के अनुसार, अचल परिसम्पत्ति के निपटान की स्थिति की अद्यतन मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और उसकी प्रति, नीति आयोग को भेजेगा।

(x) एलएमए, भूमि प्रबंधन शुल्क का हकदार होगा जो किफायती आवास के लिए और सरकारी विभागों/ एजेंसियों/ निजी निकायों के लिए भूमि के निपटान से प्राप्त मूल्य का 0.5% होगी जोकि ₹1 करोड़ की अधिकतम सीमा के अध्यधीन होगी।

(xi) उन मामलों में जहां एलएमए द्वारा निपटान की जा रही परिसम्पत्ति की निगरानी करना और कर्मचारियों को नियुक्त करना अपेक्षित होगा, जैसाकि उपर्युक्त पैरा 5 (i) में यथा उल्लिखित है, ऐसे व्ययों की प्रतिपूर्ति प्रशासनिक मंत्रालय/ विभाग द्वारा प्रतिमाह वास्तविक खर्चों के आधार पर की जाएगी। ऐसा कोई व्यय करने से पूर्व जिसके लिए प्रतिपूर्ति अपेक्षित हो, एलएमए, प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करेगा।

(xii) अपने कुछ दायित्वों के निर्वहन के लिए एलएमए, उचित निबंधनों एवं शर्तों पर राज्य सरकार केन्द्रीय लोक उद्यमों से सेवाएं ले सकता है।

6. नीलामी एजेंसी के कार्य

नीलामी एजेंसी, पारदर्शी प्रक्रिया के जरिए ई–नीलामी के द्वारा कंपनी की परिसम्पत्तियों का निपटान करेगी। नीलामी एजेंसी को प्रति नीलामी ₹25.00 लाख की अधिकतम सीमा के अध्यधीन, नीलामी से प्राप्त राशि के 1% का भुगतान किया जाएगा।

7. सभी दायित्वों के भुगतान के पश्चात, परिसंपत्तियों के विक्रय से प्राप्त आय को भारत के समेकित कोष में जमा कराया जाएगा।

8. कंपनीज रजिस्टर में से कंपनी का नाम हटाने हेतु रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को आवेदन

सभी दायित्वों के निपटान एवं भुगतान के तुरंत पश्चात, सीपीएसई का निदेशक मण्डल कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 248 के तहत कंपनी रजिस्टर से कंपनी का नाम हटाने के लिए रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को आवेदन करने के सभी आवश्यक उपाय करेगा। इस स्तर पर निदेशक मण्डल, कंपनी की सभी शेष परिसंपत्तियों को यथा आवश्यक किसी अन्य निकाय या केंद्रीय सरकार को अंतरण करने के संकल्प को पारित कर सकता है। सभी परिसंपत्तियों के निपटान/अंतरण की तारीख से दो माह के भीतर यह कार्य पूरा करना होगा, परंतु यह कार्य आरंभ की तारीख से 13 माह के भीतर ही पूरा करना होगा।

9. समय–सीमा

इन दिशा–निर्देशों के अनुसार केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमो को बंद करने के लिए विभिन्न चरणों की समय सीमा का एक मैट्रिक्स सरलता हेतु **संलग्न** है।

वे सीपीएसई जिनको बंद किए जाने के लिए अनुमोदन पहले ही प्राप्त किया जा चुका है, वहां बंद करने की प्रक्रिया को इन दिशानिर्देशों के अनुसार तेज गति (फास्ट ट्रैक) से किया जाएगा।

सीपीएसईज़ को बंद करने के लिए क्रिया–कलापों की संशोधित समय – सीमा

क्र. सं.	महत्वपूर्ण बिंदु /क्रिया–कलाप	समय–सीमा	दिशा–निर्देश के पैरा सं.
क.	**तैयारी की तारीख** : तैयारी की तारीख ($पी_0$) वह तारीख होगी जिस पर सीपीएसई को बंद करने के लिए प्रशासनिक मंत्रालय निर्णय लेता है।		
1.	सांविधिक देय राशि का आकलन	$पी_0$ + 3 माह	4.1.1
	कर्मचारियों की बकाया राशि का आकलन		4.1.2
	सुरक्षित लेनदारों आदि के प्रति देनदारियों का आकलन		4.1.3 – 3.2 1 (क)
	केंद्र सरकार को देय बकाया राशि का आकलन		4.1.4
	अन्य देनदारियों का आकलन		4.1.5 – 3.2.1 (ग)
	चल परिसंपत्तियों का आकलन		4.1.6
	प्राप्तियों का अनुमान		4.1.7
	अपेक्षित बजटीय सहायता का आकलन		4.1.8
	अचल परिसंपत्तियों के संबंध में तैयारी संबंधी सभी कार्य, अर्थात, भू–मैपिंग और अन्य औपचारिकताओं के साथ भू–अभिलेखों को अद्यतन करना, राज्य सरकार की प्रतिबद्धताओं को प्राप्त करना, मूल्यांकन आदि करना।		4.1.9
	बंद करने के लिए विस्तृत प्रस्ताव मंत्रिमंडल /सीसीईए के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है		3.2.2
	'भूमि प्रबंधन पोर्टल वेब साइट' पर अचल परिसंपत्तियों/भूमि से संबंधित सूचना ।		5 (vii)
ख.	**आरंभिक तारीख**: मंत्रिमण्डल/ सीसीईए द्वारा रूग्ण/घाटे में चल रहे सीपीएसई को बंद करने के लिए अनुमोदन के कार्यवृत्तों को जारी करने की तारीख। इसे $टी_0$ के रूप में दर्शाया गया है।		
2.	बंद करने के विषय में बताते हुए कर्मचारियों और अन्य हितधारकों के लिए जनरल नोटिस जिसमें बंद होने के बारे में सूचना दी गई हो	$टी_0$ + 5 दिन	3.2.2 (ख) (ii)
	बंद करने के संबंध में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय को सूचना देना		

क्र. सं.	महत्वपूर्ण बिंदु /क्रिया–कलाप	समय–सीमा	दिशा–निर्देश के पैरा सं.
3.	व्यय विभाग से बजटीय सहायता के लिए अनुरोध।	$टी_0$ + 15 दिन	3.2.2 (क)
4.	होल्डिंग कंपनी/प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग को परिसंपत्तियों का अंतरण	$टी_0$ + 1 माह	3.2.2 (ग)
5.	राजस्व, करों आदि के प्रति सांविधिक देय राशि/देनदारियों का निपटान	$टी_0$ + 2 माह	3.2.2 (ख) (i)
	राज्य सरकार के साथ वार्तालाप		3.2.2 (घ)
6.	एक बारगी निपटान के रूप में सुरक्षित लेनदारों का भुगतान	$टी_0$ + 3 माह	3.2.2 (ख) (iv)
	कर्मचारियों की मजूरी/वेतन एवं अन्य सांविधिक देय का भुगतान		3.2.2 (ख) (ii)
	चल परिसंपत्तियों का निपटान		4.2
	राज्य सरकार को लीजहोल्ड भूमि को 'विक्रय नहीं' शर्त पर लौटाना		4.3.1(i)
7.	वीआरएस न लेने वाले कर्मचारियों की छंटनी	$टी_0$ + 4 माह	3.2.2 (ख) (iii)
8.	किफायती आवास के लिए भूमि का अभिनिर्धारण, केंद्र सरकार के विभागों, राज्य सरकार के विभागों, केंद्र सरकार के निकायों/सीपीएसईज और राज्य सरकार के निकायों/ सरकारी लोक उद्यमों को भूमि की बिक्री/ अंतरण	$टी_0$ + 8 माह	4.3.2 (ख) (i),(ii), (iii), (iv) – (v)
9.	क्र. सं. 8 के विकल्प के समाप्त होने के बाद किसी भी संस्था को जमीन की नीलामी।		4.3.2 (ख) (vi)
10.	सार्वजनिक पार्कों, सुविधाओं आदि जैसे सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए भूमि का उपयोग।	$टी_0$ + 11 माह	4.3.2 (ख) (viii)
11.	सीपीएसई के नाम हटाने के लिए कंपनी रजिस्ट्रार के लिए आवेदन।	$टी_0$ + 13 माह	8

नोटः उपर्युक्त समय–सीमा में मामला दर मामला आधार पर उपयुक्त संशोधन किया जाएगा जहां संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता होगी।

सत्यमेव जयते

भारत सरकार

भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय